

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901)

इस भाग में भिन्न पठठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा लके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate complication)

भाग III--खण्ड 1

PART III-SECTION 1

उच्च भ्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरोज्ञक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और मारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.]

संघ लोक मेवा भाषोग

नई विल्ली-110011, दिनांक 27 ग्रक्तूबर, 1979

मं० ए० 35014/1/79-प्रणा० II----संघ लोक सेवा ग्रायोग भूं के० स० से० मंवर्ग के निम्तलिखित 2 स्थायी ग्रनुभाग ग्रधि-कारियों को सचिव, संघ लोक सेवा ग्रायोग द्वारा 10-10-1979 से तीन मास की अवधि के लिए, प्रयता ग्रागामी यादेश तक, जो भी पहले हो, प्रस्येक के सामने निर्दिष्ट पद पर प्रतिनियुक्ति पर तदर्थ ग्राधार में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है :---

- श्री जे० एस० साहनी, प्रतुभाग ग्रधिकारी (विशेष), परीक्षा मंवीक्षा एवं समन्वय ।
- 2. श्री एच० एम० विश्वास, ग्रन्भाग ग्रधिकारी, (विशेष परीक्षा नियम एवं प्रबंध।

ष्यय विभाग के का० ज्ञा० सं० एफ० 10 (24)-ई० Ⅲ/60, दिनॉक 4-5-1961 की मतों के श्रनसार विनियमित होगा ।

> एस॰ बालचन्द्रन, भ्रवर सचिव, छत्ते सचिव, संघ लोक सेवा श्रायोग

गृह मंत्रालय

का० एवं प्र० सु० विभाग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर, 1979

मंठ ए०-19035/5/79-प्रणासन-5--निवेश क, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, अपने प्रसाद से श्री चमारी राम, अपराध लहायक, केन्द्रीय श्रन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 11 सितम्बर, 1979 के अपराह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में सदर्थ आधार पर स्थानापन्न कार्यालय अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं। सं० ॑गून-19036/4/79-प्रशा०-5--ानदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एनद्द्वारा, श्री एस० के० पन्त, निरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जोन-6 को दिनांक 27 सितम्बर, 1979 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में स्थानापन्न पुलिस उप-आधीक्षक नियुक्त करते हैं।

सं० ए०- 19035/7/79-प्रशासन--5---निदेशत, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, श्रपने प्रसाद से श्री एस० के० शर्मा, ग्रपराध सहायक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 6 सितम्बर, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो में स्थानापक्ष कार्वालय अधीक्षक नियुक्त करते हैं।

> क्षी० ला० ग्रोवर, प्रणासनिक अधिकारी (स्था०), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूगे

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 नवम्बर, 1979

सं० ग्रो० दो० 1437/79-स्थापना- - महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर (श्रीमती) ऊमारानी नारजरी को 22-10-79 के पूर्वाह्न से केवल तीन माह के लिये अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें जो भी पहले हो उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ट चिकित्सा ग्रधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है।

सं० म्रो० दो० 1447/79-स्थापना---महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वल ने डाक्टर नियारन मोहन्ती को 29-10-1979 के पूर्वाह्न से केवल छः माह के लिये ग्रथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने नक इनम जो भी पहले हो, उस नारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ट जिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियक्त किया है ।

> ए० के० बन्द्योपाध्याय, सहायक निर्देशक, (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय श्रौद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110019, दिनांक 9 ग्रक्तूबर, 1979

मंब ईब्-38013 (2)/1/79-कार्मिक --राची से स्थाना-तरित होने पर श्री बीव केव भल्ला भावपुव सेवा (मवप्रव-62) नेश्री मीवपीव सिंह के स्थान पर 6 ग्रक्तूबर, 1979 के पूर्वाह्न से केव श्रीव सुव बव्यूनिट बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया श्रीर श्री सीव पीव सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य को प्रत्यावर्तित होने पर उक्त पद का कार्यभार उसी तारीख से छोड़ दिया।

> ह० अपठनीय महानिरीक्षक

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली 110011, दिनांक 12 नवम्बर, 1979

मं० 11/98/79-प्रणा० I--23541---राष्ट्रपति, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रणासन के मुख्य सचिव श्री क्रणोक जोशी को तत्हाल से अगले आदेशों तक अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर में पदेन जनगणना कार्य निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री जोगी का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में होगा।

पी० पद्मनाभ, भारत के महापंजीकार

मुद्रण निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर, 1979

संव एचव (4)/प्रणाव्य II - - मुद्रण निदेशक ने श्री पीव ग्रारव्हलदर, लेखा हार, भारत सरकार मुद्रणालय, टेम्पल स्ट्रीट, कलक्रता को 15-10-79 के ग्रपराह्य सं प्रगले आदेश होने तक, रुव 650-30-740-35-810-दव रोव-35-880-40-1000-दव रोव-40-1200 के वेतनमान में भारत सरकार फार्म भण्डार, कलकत्ता में यहाय न्प्रबंधक (प्रणासन), के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्ति थिया है।

> मदन मोहन जोशी, उप निदेशक, प्रशासन

भारतीय अर्डिनेन्स फैक्टरियां सेवा ग्रार्डनेन्म फैक्टरंग बोर्ड

कलकत्ता, दिनांक 8 नवम्बर, 1979

सं० 53/79/जी०--श्री के० एस० घाई (मौलिक एवं स्थायी एस० ग्रो० ग्रेड-I) दिनाक 7 जुलाई, 1978 (अपराह्न) से भारत हैवी बलेक्ट्रिकल्म लिमिटेड, नई दिल्ली म स्थायी रूप में समाहृत होने पर उसी तारीख में सेवा निवच्न हुए।

> बी० के० मेहता, सहायक महानिदेशक, ब्रार्डनेन्स फैक्टरियां

उचोग मंत्रालय

ग्रद्योगिक विकास विभाग

वस्त्र ग्रायुक्त का कार्यालय

बम्बई--20, दिनांक 12 नवम्बर, 1979

सं०सी० ई० ग्रार० /1/79 -- सूती वस्त्र (नियंत्रण) श्रादेण, 1948 के खंड 22 में प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्वारा वस्त्र श्रायुक्त की श्रधिसूचना सं०सी० ई० श्रार०/ 1/68, दिनांक 2 मई, 1968 में निम्नलिखित ग्रतिरिक्त संगो-धन करता हुं, ग्रथति्:----

उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 के ग्रंत में विद्यमान 'टिप्पणी' के स्थान पर निम्न लिखित प्रतिस्थापित की जाएगी।

"टिप्पणो" नियंक्रित धोती, नियंत्रित साड़ी, नियंत्रित लॉंग-क्लाथ ग्रौर नियंत्रित शटिंग का उत्पादन वस्त्र ग्रायुक्त की ग्रधिसूचना सं∘ सी ई ग्रार/2/77 दिनांक 15⊶4⊶77 के ग्रधीन होगा।

सं० सी० एल० बी०/1/5/79 सूती वस्त्र (नियंत्रण) ग्रादेण, 1948 के खंड 34 में प्रदत्त णक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रीर केन्द्रीय सरकार की पूर्व-स्वीकृति से मैं एतद्द्वारा वस्त्र आयुक्त की ग्रधिसूचना सं० सी० एल० बी०/1/5/65/ए, दिनांक 4 मार्च 1966 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता हं, प्रर्थात:---

 उक्त श्रधिसूचना से संलग्न सारणी में ऋम संख्या 8 ए के सामने स्तंभ I में

के स्थान पर	पढ़ें
''ग्रधिसूचना सं०टी सी एस 1/20 दिनांक 22 सितम्बर 1949''	"ग्रमिसूचना सं०सी ई ग्रार/ 2/77दिनॉक 15-4-1977"
2. उक्त अधिसूचना से संलग्न सामने स्तंभ 1 में	सारणी में क्रमसंख्या 8 बी के
के स्थान पर	पढ़ें
"ग्रधिसूचना सं० 9(9) टी इ एक्स 1/49 दिनांक 15 ग्रप्रैल 1950 ग्रोर सं० 9(9) सी टी (ए)/54 दिनांक 26 ग्रगस्त 1954"	''ग्रधिसूचना सं० सी ई ग्रार/ 10/77 विनांक 15-4-77''
	म० वा० चेंबुरकर,

संयुक्त वस्त्र भ्रायुक्त ----

बम्बई-20, दिनांक 5 नवम्बर 1979 सं०ई० एस० बी० 1--2 (690)/4295---वेतन एवं लेखा कार्यालय (वस्त), उद्योग मंत्रालय, बम्बई के लेखा-प्रधिकारी श्री सी० वी० नागराज राव सेवा-निवृत्ति की श्रायु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30 सितम्बर 1979 वें प्रपराह्न से सेवा-निवृत्त हो गए।

> जो० चं० हाँसवाक्, उप-निदेशक (प्रशासन)

नागरिक पूर्ति विभाग

वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय नई दिल्ली-110019, दिनौक 18 ग्रक्तूबर 1979

मं० ए०-11013/1/79-स्थापना—नागरिक पूर्ति विभाग में स्थानापन्न वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री पी० एम० रावत, को 28 सतम्बर, 1979 (ग्रयराह्न) में 29 फरवरी, 1980 तक वनस्पति, वनस्तति तेल तथा वसा निदेशालय में पूर्णतः ग्रस्थायी तथा तदर्थ ग्राधार पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200रुपये के वेतनमानमें हिन्दी ग्राधिकारी के पद पर नियक्त किया गया है।

> ए० के० ग्राग्रयाल, मुख्य निदेशक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 नवम्बर 1979

सं० 14/9/79-स्मारक (पर्यटन) ----मैं, के० वी० सौन्दर राजन, निदेषक (स्मारक) प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल एव ग्रवशेष नियमावली, 1959 के नियम-6 के ग्रधीन प्रदत्त श्रधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निदेश जारी करता हूं कि ''चैत्य गिरी'', बिहार के 27वें वाषिकोरसव के ग्रवसर पर मांची जिला रायसेन (मध्य प्रदेश) के बौद्ध स्मारकों में 24 नवम्बर से 26 नवम्बर, 1979 तक प्रवेश गुल्क नहीं लिया जायेगा।

> के० वी० सौन्दरराजन, निदेशक (स्मारक)

राष्ट्रीय श्रभिलेखागार

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 नवम्बर 1979

सं० एफ० 15-8/78-ए-1----ग्रभिलेख निदेशक, भारत सरकार एतद्द्वारा कुमारी शांता इवनाती, नियमित ग्रस्थायी हिन्दी ग्रधिकारी (श्रेणी 2 राजपत्नित) कोञूल हैसियत पर दिनॉक 6-5-78 से नियुक्त करते हैं।

दिमांक 8 नवम्बर 1979

सं० एफ० 11-23/79-ए-¹-----ग्रभिलेख निदेशक, भारत सरकार एतद्वारा श्री गोरखनाथ, स्थायी सहायक माइको-फोटो-ड्राफिस्ट (ग्रेड 1) को 5-11-79 से ग्रागामी ग्रावेशों तक बिल्कुल तदर्थ ग्राधार पर स्थानापन्न माइक्रोफोटोग्राफिस्ट (श्रेणी--2 राजपन्नित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह नियुक्ति तदर्थ श्राधार पर की गई है श्रोर इस ग्रेड में नियमित नियुक्ति करने के लिए किसी प्रकार का दावा करने का ग्रधिकार नहीं दिया जाएगा श्रौर इस ग्रेड में की गई सेवा को इस ग्रेड के वरिष्ठता संबंधी उद्देग्य श्रौर ग्रगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति संबंधी योग्यता के लिए भी नहीं गिना जाएगा।

> बी० एस० कालढ़ा, प्रशासन भ्रधिकारी, राष्ट्रीय म्रभिलेखागार, कृते भ्रभिलेखा निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 1979

मं० 6-52/79-डी० सी०---विश्व रगाय्थय मंगठन अध्यता-वृत्ति (फेलोशिप) कार्यक्रम के अधीन प्रतिनियुक्ति पर विदेण जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय श्रौषधि प्रयोगणाला, कलकत्ता के एसो-शियेट फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट डा० ए० सी० दास गुप्त ने 1.2 सितम्बर, 1979 ग्रपराह्न से इस पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

विदेश प्रतितियुक्त में पूर्व उसी कार्यालय में जीवरसायनज्ञ (बायोकैमिस्ट) के पद पर तदर्थ ब्राधार पर कार्य कर रहे डा० गुप्त को 12 सितम्बर, 1979 ब्रपराह्न से एसोशिएट फार्मास्यूटि-कल कैमिस्ट के ब्रपने मूलपद पर प्रत्यावतित किया गया समझा जायेगा।

> संगत सिंह, उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं०ए० 19019/9/77- (एन० आई० सी० डी०)/प्रशासन–I ---सेवा निवृत्ति की श्रायु हो जाने पर राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के सहायक निदेशक (जीव रपायन) डा० एम० रामचन्द्रन 30 सितम्बर, 1979 प्रयराह्न मे सरकारी सेवा से रिटायर हो गये हैं।

सं० ए० 12026/27/79--प्रणासन-<u>ा</u>---राष्ट्रपति ने डा० (श्रीमति) अविनाश तलवाड़ को 1 अगस्त, 1979 को नाई-जीरिया सरकार से अपनी विदेश सेवा से लौटने पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत उसी दिन के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक कनिष्ठ स्टाफ सर्जन (दन्त चिकित्सा) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

दिनांक 7 निवम्बर 1979

सं० ए० 38012/2/79 (मुख्य) प्रशासन I---राष्ट्रपति ने कु० एन० मणि राव, उप-सहायक महानिदेशक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम), केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय, नई दिल्ली को मूल नियम 56(के) में की गई ध्यवस्था के अनुमार 30 सितम्बर, 1979 की ग्रपराह्न से स्वचिछक तौर पर मरकारी सेवा से रिटायर होने की श्रनुमति देवी है।

> णाम लाल कुठियाला, उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 1979

सं० ए० 19019/19/79-के० स० स्वा० यो० I स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० ग्रोम प्रकाश को 22 ग्रक्तूबर, 1979 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में ग्रायुर्वेदिक कार्य-चिकित्सक के पद पर ग्रस्थाई ग्राधार पर नियक्त किया है।

> एन० एन० घोष, ग्रयर संचिव

कृषि <mark>श्रौर</mark> सिंचाई मंत्रालय (रुषि विभाग) विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 1979

सं० मि० 3(48)/78--स्था० (1)----ग्राधीक्षक (कोटि प्रथम) के पद पर सर्व श्री एस०एल० घीर, के० ग्रार० विज ग्रौर ग्रो० पी० भसीन की तदर्थ नियुक्तियां 30-10-1979 सेग्रागे 30-11-1979तक बनी रहीं।

सं० मि० 2(1)/79 रथा० (1) — सहायक संपादक (हिन्दी) के पद पर श्री म्रोम प्रकाश गुप्त की तदर्थ नियुक्ति 1-11-1979 से ग्रागे 30-11-1979 तक बढ़ादी गई है।

> बद्रीनाथ चङ्ढा, निदेशक प्रशासन

ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्रालय विपणन एवं निरीक्षण निदेषालय फरीदाबाद, दिनांक 7 नवम्बर 1979

सं० ए० 1925/19/79--प्र० III----संघ लोक सेवा श्रायोग की संस्तुतियों के प्रनुमार श्री आंशीष कुमार चक्रवर्ती, वरिष्ठ निरीक्षक को इस निदेशालय में नई दिल्ली में दिनॉक 8-10-79 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक स्थानापन्न सहायक विषणन द्यधिकारी (वर्ष II) नियुक्त किया गया है।

दिनांक 9 नवम्बर 1979

सं० ए० 19023/11/79-प्र० III---संघ लोक सेवा ग्रायोग की संस्तुतियों के श्रनुसार श्री एस० सी० मरकार को तारीख 16-10-79 (पूर्वाह्न) से श्रगले प्रादेण होने तक इस निदेशालय में फरीदाबाद में स्थानापन्न विपणन श्रधिकारी (वर्ग I) के रूप यें नियुक्त किया जाता है।

> बी० एल० नमिहार, निदेशक प्रशासन, ऊते छंषि विपणन सलाहकार

भाभा परमाणु स्रनुसंधान केन्द्र (कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400085, दिनांक 18 सितम्बर 1979

सं० 5/1/79-स्थापना-JI/3545—िनियंत्नक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र निम्नलिखित अधिकारियों को तदर्थ ब्राधार पर स्थानापन्न सेत्रा के लिये उनके नाम के सामने की ब्रवधि तक प्रशासनिक ग्रधिकारी II/सहायक कार्मिक ग्रधिकारी नियुक्स करसे हैं।

क॰ नाम तथा पद	स्थानापन्न सेवा के	. ग्रवधि	
सं ०	सया क लिये नियुक्त किये गये		तक श्रपराह्न
1. श्री जे० ग्रार० कणिक सहायक कामिक ग्रधिकारी	प्रशासनिक ब्रधिकारी II	18-6-79	1 9- 7-79
2. श्री एन० रामन सहायक	सहायक कार्मिक ग्रधिकारी	18-6-79	27-7-79
3. श्री एल० बी० गावडे सहायक	"	18-7-79	28-8 - 79
4. श्री जी० गोपाकुमार एस० जी० सी०	,,	18-6 - 79	19-7-79
5. श्री एस० म्रार० पींगे एस० जी० सी०	",	21-7-79	20-8-79

दिनांक 21 सितम्बर 1979

सं० 5/1/79/स्था० II/3573----नियंत्रक, भाभा परमाणु भ्रनुसंधान केन्द्र निम्नलिखित ग्रधिकारियों को तदर्थ ग्राधार पर स्थानापन्न सेवा के लिये उनके नाम के सामने की ग्रवधि तक सुरक्षा ग्रधिकारी नियुक्त करते हैं।

कम सं०	नाम तथा पद	स्थानापन्न सेवा के	ম্বা	ัย
N -		लिये नियुक्त किये गये	से पूर्वाह्न	तक ग्रपराह्य
1.	श्री एस० एन० सेन सहायक सुरक्षा ग्रधिकारी		19-6-79	21-7-79
2.	श्रीपी० ई० जोब सहायक सुरक्षा प्रधिकारी	v	25-6-79	27-7-79

सं० ग्रार०⊶487/स्था०II/3590⊶िनिवर्तन की ग्रायु हो जाने के परिणाम स्थरूप श्री माथुर वेंकटेश्वरन रंगनायन, स्थायी सहायक प्रशासनिक श्रधिकारी (र० 650⊶960) ग्रपराह्य तारीख 31-8-1979 से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये।

दिनांक 26 सितम्बर 1979

सं० एस०--41/स्था०--11/3625----निवर्तन की ग्रायु हो जाने के फलस्वरूप श्री पदमनभा पील्ले चन्द्रशेखर,एक स्थायी सुरक्षा ग्रधिकारी (भा० प० अ० केन्द्र) ग्रपराह्य तारीख 31-8-1979 से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये।

दिनांक 25 ग्रक्तूबर 1979

संव बीव/618/स्थाव II/3955---निवर्तन की मायु हो जाने के परिणाम स्वरूप श्री सदानंद कोंडीराम भोंसले, एक स्थायी उक्ष्म श्रेणी लिपिक ग्रोर स्थानापन्न सहायक लेखा अक्षिकारी, भाभा परमाणु ग्रनुसंधान केन्द्र ग्रपराह्न तारीख 31-8-79 से सरकारी सेवा से निवृत्तहो गये।

> कु० एच० बी० विजयकर, उप स्थापना ग्रधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग विद्युत परियोजना इंजीनियरिंग प्रभाग

मुम्बई-5, दिनांक 26 प्रक्तूबर 1979

सं०पी पीईडी/4(699)/79--प्रशासन----विद्युत परियोजना ग्रभियांतिकी प्रभाग के स्थायी वैज्ञानिक आहिता कि सहायक 'बी' तथा स्थानापन्न वैज्ञानिक प्रधिकारी/प्रभियंता-प्रेष्ठ 'एस बी' श्री बी० के० सरकार ने, उनका त्याग-पत्न निवेशक, विद्युत गरियोजना ग्रभियांतिकी प्रभाग द्वारा स्थीकार कर लिए जाने पर, इस प्रभाग में ग्रपने पद का कार्यभार दिनांक 18 सितम्बर, 1979 के ग्रपराह्न में छोड़ दिया।

> बी० वी० थट्टे, प्रगासन-भ्रधिकारी

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना

कलपाक्कम दिनांक, 2 नवम्बर 1979

सं० एम ए पी पी/8(16)/78-भर्ती--विद्युत परियोजना इंजीनियरिंग प्रभाग के निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी आगुलिपिक और स्थानापन्न अधीक्षक श्री आर० सुन्नह्मण्यम को मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना में विनांक 1 मार्च, 1979 के पूर्वाह्न से 9 अक्तूबर, 1979 के अपराह्न तक के लिए सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करसे है। यह नियुक्ति श्री वी० के० संथानम के स्थान पर की जा रही है,जिन्हें छुट्टी मंजूर की गई है।

> के० बालकृष्णन, प्रशासन ग्रधिकारी

महानिवेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० ए० 12025/8/77-ई० एस० — संघ लोक सेवा ग्रायोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति श्री जय वीर सिंह को दिनांक 11-9-1979 से घन्य ग्रादेश होने तक नागर विमानन विभाग में स्थानापन्न तौर पर विमान सुरक्षा ग्रधिकारी (इंजीनियरी) के रूप में नियुक्त करते हैं मौर क्षेत्रीय निदेशक, बम्बई क्षेत्र, बम्बई के कार्यालय में तैनात करते हैं।

> ग्रार० एन० दास, सहायक निदेशक प्रशासन, **इले महानिदेशक नागर विमानन**

रई (रन्तो, देनाह 8 नजम्बर, 1979

सं० ए० 32013/10/79-ई०सी०---राष्ट्रपति ने श्री सुरेग चन्द्र. वरिष्ठ तकनीकी श्रधिकारी, महानिदेशक नागर विमानन (मुख्यालय) को दिनांक 27-9-79 (पूर्वाह्न) से छः माह की अवधि के लिए अथवा तदर्थ आधार पर रिक्ति उपलब्ध रहने तक, जो भी पहले हो, महायक निदेशक संचार के ग्रेड में नियुक्त किया है श्रौर उन्हें उसी कार्यालय में तैनात किया है ।

सं० ए० 38012/1/79-ई०सी०---श्री बी० के० बोस, सहायक संचार अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेणन, कलकना ने निवर्तन ग्रायुप्राप्त कर लेने के परिणाम स्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर दिनांक 30-9-79 (ग्रपराह्न) को धार्गने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दिनांक 12 नवम्बर 1979

मं०एफ० 23014/1/79-ईसी---राष्ट्रपति ने श्री आर० बी० इसरानी, सहायक तकनीकी अधिकारी, बैमानिक संचार स्टेशन, गोहाटी की सेवाएं दिनांक 1-10-79 (ग्रपराह्न) से सहायक इंजीनियर (रेडियो) के रूप में भोरत श्रन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को विदेश सेवा शर्तों के श्रंतर्गत प्रतिनियक्ति के श्राधार पर सौंप वी गई हैं।

सं० ए० 32014/2/79-ई सी---महानिदेशक, नागर विमानन श्री विकटर चंद्रत, संचार सहायक, वैमानिक संचार स्टेशन, बम्बई को दिनांक 18-10-79 (पूर्वाह्न) ले श्री पी० एम० प्रार० पिल्ले, सहायक संचार अधिकारी, जिन्हें प्राजित छुट्टियां मंजूर की गई हैं, के स्थान पर तदर्थ प्राधार पर महायक संचार प्रधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

> म्रार० एन० दाय. महायक निदेशक प्रशासन

वन ग्रन्संधान संस्थान एवं महाविद्यालय

दहरादून, दिनांक 13 नवम्बर 1979

सं० 16/52/75-स्थापना I----ग्रध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, ने डा० वी० के० सूद अनुसंधान अधिकारी का दिया गया त्यागपत दिनांक 25 अक्तूबर, 1979 के प्रपराह्न से स्वीक्रत कर दिया है।

> गुरदयाल मोहन, कुल सचिव, वन श्रन्संधान संस्थान एवं महाविद्यालय

नारकोटिक्स विभाग

ग्वालियर, दिनांक 13 नवम्बर 1979

सं० 4---श्री एच० मी० कप्र, प्रणामनिक अधिकारी को एनद्वारा महायक मुख्य लेखा प्रधिकारी/प्रणामनिक अधि-कारी, समूह 'ख' के ग्रेड में रुपये 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में दिनांक 1-8-76 से वित्त मंत्रालय, राजस्व और बीमा विभाग के दिनांक 6-4-77 के पत्र पा० सं० ए० 11012/12/76-ए० डी०-I द्वारा स्वीकृत पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

> मदन मोहन भटनागर, नारकोटिक्स श्रायुक्त,

धक्षिण मध्य रेलवे

सिकन्दराबाद, दिनांक 26 अक्तूबर 1979

सं०पी० (जी०) 1/85/ई०एल०--विद्युत विभाग के निम्न-लिखित अधिकारियों को उसी विभाग की श्रेणी-II सेवा में सहायक विद्युत इंजीनियरों के रूप में स्थायी किया गया है:

कम नाम सर्वश्री सं∘	पद्वनाम	स्थायी करने को तारीख
1. टी०एम०सुब्बन्ना	स्थानापन्न मंडल, विद्युत इंजीनियर, हुबली ।	22-6-1978
2. एस० सारंगपाणि	स्थानापन्न मंडल, विद्युत इंजीनियर, गुंटकल ।	31-7-1978
3. एम० प्रभाकरन	स्थानापन्न मंडल विद्युत इंजीनियर, मालडिब्बा प्रायोजना, गुण्टुपल्ली ।	23-3-1979

एन० नीलकण्ठ शर्मा, महाप्रबन्धक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधी बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी श्रधिनियम 1956 और मै० उड़ीसा मैन्युफैक्चरिंग एसोमिएशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर, 1979

सं० एस० श्रो० 521/79-3380(2)---कम्पनी श्रधि-नियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के श्रनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती हैं कि मै० छड़ीया मैन्युफैक्चरिंग एसोगिएशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम श्राज रजिस्टर से काट दिया गया है श्रौर उक्त कम्पनी विधटित हो गई है।

3 नवम्बर 1979 कप्र, प्रशासनिक १ कम्पनी अधिनियम 1956 और मै० मिश्रा डेरी एण्ड एग्रीकल्घरन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

ंकटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

मं० एम० द्यो० 645/79-3381 (2) — कस्पनी द्य⁵ग-नियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के प्रतुमरण म एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मिश्रा डेरी एण्ड एग्रीकल्चरल प्राईवेट लिमिटेड का नाम ग्राज रजिस्टर में काट दिया गया है ग्रौर उक्त कम्पनी विषटित हो गई है।

कम्पनी ग्रधिनियम 1956 ग्रौर मै० इन्डो कास्टिग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० एम० ग्रो० 659/79-3382(2):---कम्पनी अधि-नियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् ग्रारा सूचना दी जाती है कि मै० इन्डो कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

> कम्पनी ग्रंधिनियम, 1956 श्रीर मै० ईस्ट कोस्टर रिफक्टरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० एम० ग्रो० 670-79-3383(2):---कम्पनी ग्रधिनियम, 1956की धारा 560की उपधारा (5) के भ्रनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है मै० ईस्ट कोस्टर रिफ्रेक्ट-रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है ग्रीर उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी ग्राधिनियम, 1956 और मै० नाएक एक्सट्राकसनस प्राईवेट लिभिटेड के थिपय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० एम० ग्रां० 673/79-3384(2):⊶-कम्पनी अधिनियम, 1976 की धारा 560 की उपधारा (5) के फ्रानुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मै० नाएक एक्सट्राकसनस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है ग्रीर उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी श्रक्षिनियम 1956 ग्रीर मै० हिरा खन्ड एन्टर-प्राईजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, क्षिनांक 6 नवम्बर 1979

मं० एम० ओ० 512/79/3385(2):---कम्पनी अधि-नियम 1956 की धारा 560 को उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि हिराखन्ड एन्टरप्राइजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 ग्रौर मै० प्रावती प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

गं० एम० ग्रो० 451/79/3386(2):---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560की उपधारा (5) के ग्रनु-सरण में एतद्द्वारा यह सुचना दी जाती है कि मै० प्रावती प्राईवेट लिमिटेड का नाम ग्राज रजिस्टर से काट दिया गया है ग्रौर उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी श्रधिनियम 1956 श्रोर मै० उडीमा रिटेल डीलर्भ एसोमिएशन लिभिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० एम० ग्रो० 508/79/3387(2):— कम्पनी थ्रधि-नियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचनादी जाती है कि मैं० उड़ीसा रिटेल डीलर्स एसोसिएगन लिमिटेड का नाम श्राज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी ग्रधिनियम 1956 ग्रौर के० पानपोन फाइनान्सीअल चिट फन्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० एम० ग्रो० 590/78/3388(2):—कम्पनी ग्रधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के ग्रनुसरण में एतद् छारा सूचना दी जाती है कि पान पोन फाइनान्सीअल ांचट फण्ड प्राईवेट का नाम ग्राज रजिस्टर से काट दिया गया है ग्रौर उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी श्रधिनियम 1956 श्रौर मै० मूबरस सेविग्म एण्ड फाइनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 6 नवम्बर 1979

मं० एस० त्रो० 729/79/3389 (2):—–कम्पनी द्राधि-तियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतदढारा सूचनादी जाती है कि मूबरस मै० सेबिंग्स एण्ड फाइनन्ग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पया गया हु आर उम्हा कम्पना विचाटत हा गई हा डी० के० पाल कम्पनियों का रजिस्ट्रार उड़ीमा

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैंगर्स फिन्सर प्राईवेट लिभिटेड, जवलपुर

ग्त⊦लियर-474001, दिनांक 7 नवभ्बर 1979

स० 10७ं7/लिक्वी/सी० पी०ः---कभ्पनी अधितियम, 1956 ंकी धारा 445 उपधारा (2) के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि मै० फिन्सर प्राईवेट लिमिटेड, जबलपुर को मध्य प्रदेग, उष्च न्यायालय, जबलपुर के श्रादेश दिनोक 11-9-79 के द्वारा यह सूचनाव परिसमापन करने का श्रादेश दिया गया है तथा सरकारी मेसम बर्मा सामगक, इन्दौर को उक्त कम्पनी का समापक नियुक्त किया प्रतिकृत का

> सुरेन्द्र कुमार सक्सेना, कम्पनी रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश क्वालियर–9

कम्पनी ग्रधिनियम 1956 एवं मैसर्स वर्मा सेल प्रोवीडन्ट फस्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में बम्बई, दिनांक 7 नवम्बर 1979 सं० 15128/560 (3):---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के प्रनुसरण में एनवृद्वारा यह सूचनादी जाती है कि इस तारीख सेतीन माम के प्रवसान पर में सम बर्मा भेल प्रोबीडन्ट ट्रस्ट प्राईवेट लिमिटेड का का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्षित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा प्रौर उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

> एल० एम० गुप्ता, कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र

गया है ।

भाग III---खण्ड 1]

मारत ना राजपत, दिसम्बर 1, 1979 (अग्रहायण 10, 1901)

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

- मायकर अधिनियम, 1981 (1961 का 43) की धारा

269 व (1) के अधीन सूचना

मारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 2 तथम्बर 1979

निर्देश सं० III-3631/ग्रर्जन/79-80----ग्रतः मुझे ज्योतिन्द्र नाथ

आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इन्सें इसक परवात् 'उन्त मधितियम' कहा गया है की धारा 269नव त्व अधित स्थान पाधिमारी कि यह विश्वाम करने का नारण है जि स्थान जम्पणि जिल्का उचित बाजार मूल्य 2, का में की पश्चिम है

भ्रोर जिसकी सं० तो जी-नं० 2610 म्रोर 2612 है, तथा जो रायपुरा जिला सारन में स्थित है (म्रोर इससे उपावद म्रनुसची में म्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता म्रधिकारी के कार्यालय सारन में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के म्रधीन नारीख 2 मार्च 1979

को पूर्वति सम् () त के अंगर बाजार मूर से कम के मानयदृष् प्रतिफल के लिए अस्तरित की वर्त हे कोर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यभरपूर्वोंगल सर्व्याहर का छचित बाजार मुल्य, उसके यू व्यमान प्रतिफल से, ऐवे दृश्यसरंग प्रतिफल का पस्ट्रह प्रतिशत वर्धिक है और अस्तरफ (अस्तरकों) और भ्रम्तरिती (अस्पर्वतियों) के बीच ऐथे अस्तरण के सिए तय पाया गया प्रतिफल, जिन्हानिसी वर्देश्वत ने उम्हा वरूरण जिलित में जारर किक कप ये कबित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त धांधानयम का एछान कर केने के मन्त्ररक्ष के वायित्व में कमी करने या करने अपने में सुविधा के लिए; धरीग/ जा
- (ब) ऐसी किसी आ। या िसी घन या अस्य थास्तिरों को जिस्हें भारतील भाष-कर लॉप्रतियम. 1922 (922 का 11) या अक्त धीधनियम. या घर-कर धीधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजतार्थ ध्रम्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या फिया आना च।हिए था, छिपाने में सुविधा के सिए।

- (1) श्री रघुनाथ प्रसाद बल्द श्री विन्दा प्रसाद साह (2) श्रीमती कमला देवी, परनी श्री रघुनाथ
 - ्रसाद (3) श्री तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता, पुन्न श्री विन्व
 - प्रसाद (4) श्रीमती द्रोपदी देवी परनी श्री तारकेश्वर
 - प्रसाद गुप्ता, सा० / पोस्ट गरखा जिला सारन ।

(म्रन्तरक)

 मैसर्स दुर्गा भवानी कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि० द्वारा रायपुर बाजार, थाना ग्रमनोर जिला सारन

> (2) श्री ग्रोम प्रकाग गुप्ता पुस्न श्री रखुनाथ प्रसाद सा०/पोस्ट गोरखा, ह्क्रजला सारन ।•

(श्रन्सरिती)

- श्री रघुनाथ प्रसाद वल्द श्री विन्दा प्रसाद साह सा०/ थाना गरखा जिला सारन।
 - (वह व्यक्ति जिसके ग्राधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भ्रर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उनत संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी पाकोप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिस की भवधि या तल्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी भवधि वाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के मीतर उक्त क्यावर सम्पत्ति में हितवड किसी प्रक्य व्यक्ति द्वारा मधोष्टस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पब्टीकरणः :----- इसमें प्रयुक्त शब्धों ग्रौर पक्षें का, जो उक्त ग्रीडिक नियम, के ग्राज्याय 20-क में परिभावित हूँ, वही ग्राचौं होगा जो उस प्रध्याय में विका गया है।

मनुसूची

जमीन जिसका रकबा 1ध कट्टा 11 घुर जिसका तौजी नं० 2610, 2612 है जो राक्पुरा थाना ध्रमनोर में स्थित है तथा जो रजिस्ट्रार सारन द्वारा पंजीकृत दस्तावज संख्या 2615 दिर्नाक 2-3-1979 में पूण रूप से वर्णित है।

> ज्योतिन्द्र नाथ सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जेन परिक्षेत, बिहार पटना 1979

तारीख: 2-11-1979 मोहर: प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०-----

आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के ग्रधीन मूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 9 नवम्बर 1979

निदश सं० ए-78---- अतः मुझे, श्रमर सिंह बिसेन

म्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के प्रधीन सक्षम प्राधीकारी को, यह विश्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से प्रधिक है

ग्नौर जिसकी सं० 92/191 है तथा जो गोतमबुद्ध मार्ग लखनऊ में स्थित है (ग्नौर इससे उपावद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्टीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 30 मार्च 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृण्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है ग्रौर मर्क यह विश्वात करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत ग्रधिक है ग्रौर अन्तरक (अन्तरकों) श्रौर अन्तरिती (अन्तरितियों) .के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त ग्राधनियम के ग्राधीन कर देने के अन्तरक के दायिरत्र में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और /या
- (ख) ऐसी किभी गरा था किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ढारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविक्षा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम ती धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित ब्यक्तियों, अर्थात्:-- मैसर्स त्रिटिश इण्डियन एशोसिएशन अवध द्वारा श्री हिमाशधर सिंह और वाइस प्रेसिडेन्ट।

(ग्रन्तरक) 2. मैसर्स कृष्णापाल सिंह कमशः प्रेसीडेन्ट व ग्रमर नाथ (ग्रन्तरिती)

- 3. श्री बी० एन० भार्गवा व विकेता। (वह व्यक्ति, जिसके ग्रंधिभोग में सम्पत्ति है)।
- को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोफ्त व्यक्ति गों में से किसी व्यक्ति ढारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदा किमो ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्केंगे ।
- स्पब्टोकरणः —-इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रोर पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही श्रर्थ होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

म्रनुसूची

मोहर :

अभवन नम्बर 92/191 स्थित वासमण्डी का नीचे का भाग लखनऊ। लखनऊ मय भूमि तथा फार्म 37 जी संख्या 1457 में वणित है जो किसब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 30-3-1979 को पंजीक्वंत हो चुक हैं।

ग्रमर सिंह बिसेन, सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, हैदराबाद तारीख: 9-11-1979

9862

भायकर मधिनियम, 196ँ1 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के मधोन सूचना

भारत सरकार

कार्यालम, सहायक भ्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 9 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० एस-181/एसीक्यू---ग्रतः मुझे ग्रमर सिंह बिसेन

ग्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से ग्रधिक है, श्रौर जिसकी सं० 92/8 है तथा एो गीतमबुद्ध मार्ग लखनऊ में स्थित है (ग्रौर इसमे उपावद्ध ग्रनुसूचो में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख 19-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है भौर मुझे यह विषवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत ग्रधिक है भौर अन्तरक (मन्तरकों) मौर मन्तरिती (मन्तरिलियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (स) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त ग्रधिनियम, के ग्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचन में सुविधा के लिये, श्वोर/या
- (बा) ऐसी किसो आप गा किसी धन या भ्रन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मधिनियम, या धन कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्य भ्रन्सरिती ढारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये ;

भ्रतः भाव, उक्त मधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म को उपधारा, (1) के अधीन, निम्नजिखित व्यक्तियों, अर्थात्:---

 श्री राधेकृष्णा प्रग्रवाल, राधेरमन अग्रवाल, मनोज कुमार ग्रग्रवाल श्रीमती वीना अग्रवाल। (ग्रन्तरक)

- 2. श्रीमती सरस्वती देवी।
 - 3. विक्रेना व किरायदारान: ---

- (1) श्री दशरथ प्रसाद सोनकर
- (2) मेवालाल सोनकर
- (3) हरिशचन्द्र सोनकर
- (4) श्री लखन सोनकर
- (5) श्रीगुरु बचन सिंह
- (6) श्री बराती
- (7) सालिगराम सोनकर
- (8)मो० हनीक
- (9) श्री नजीर म्रहमद
- (10) जमोल अहमद
- (11) श्री रसून ग्रहमद
- (12) थी राम्
- (13) श्री हीरा लाल
- (14) भाई लाल
- (15) केदारनाथ सोत कर
 - (बहुआ ति जिनके गतिमात के सम्पति है।

को पह कुबना जारो करके हूर्वीका सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त समाति के अर्जन ह प्रधान्त में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजनक में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की चवधि, जो भी प्रवधि बाद में लमाप्त होतो हो, के भोतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इत सूचना के राजरत में प्रकाणन को तारोख से 45 दिन के मीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबख किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा, प्रथोहस्ताक्षरी के पास सिखित में किये जा सकेंगे।
- स्पच्चीकरणः ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों स्रोर पदों का, जो उक्त स्राधितियन के श्रध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही प्रयें होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान पुख्ता नम्बर 92/8 दो मंजिला मय म्राराजी वार्के गीतमबुद्ध मार्ग केशरवाग लखनऊ व सम्पत्ति का बह सब विवरण जो माउराइ न फार्ग 37-जो० संख्या 1165 में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 19-3-1979 को दर्ज हो चुकी है।

> ग्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्राजन रेंज, लखनऊ

तारीखः 9-11-1979 मोहरः (ग्रन्तरिती)

प्रमय आई० टॉ∙ एन∙ एस∙——

आयक< अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज,II दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर, 1979 निर्देश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यू०-II /379/1237/ 5078/3716-यतः मुझे, श्रार० बी० एल० ग्रप्रवाल वायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इशके पश्चात् 'उक्स अधिमियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-द० से अधिक है श्रीर जिसकी

सं० डी-9 है तथा जो कीतरती नगर नई दिल्ली में स्थित है (भ्रौर इससे उपावद्ध श्रनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारो के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री-करण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन मार्च, 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित वाजार मूख्य से कम के दूक्यमान प्रतिफल के लिए घन्तरित की गई है घोर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित वाजार मूख्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत धधिक है धोर धन्तरक (धन्तरकों) घौर धन्तरिती (धन्तरितियों) के बीच ऐसे धन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त धन्तरण लिखित में वास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया है 1---

- (क) सररारण से हुई किसी भाग की बावत उक्त अधि-तियम के मधीन कर देने के सररारक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए; मौर/या
- (च) ऐसी किसी माय या किसी घन या मन्य आस्तियों को, जिन्हें मायकर मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मधिनियम, या घनकर मधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया यया चा या किया जाना चाहिए चा, जिनाचे में सुविधा के सिए;

मतः अब, उक्त मधिनियम की खारा 269-व के अनुसरण में, में, उक्त मधिनियम की धारा 269-व की छप-धारा (1) के अधीन निम्नसिखित व्यक्तियों अर्घात् :--- श्री जोगिन्दर सिंह प्रवदेवा पुत्र श्रो करनार सिंह निवासो 71 वैस्ट एकस्पू राड़ किला बाह तई विल्ली। (ग्रन्तरक)

 मै० महारानी फैशन, जी-96, मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली इनके पाटने श्री चन्दर मोहन शर्मा
 य वासदेय एच० डुडलानी के द्वारा।

(भ्रन्तरिती)

को पर सूचना जारो करने प्रॉक्त लंगति के प्रजंत के जिल् कार्यवाहियां करता हूं।

उभत संपत्ति के ग्राजैन क संबंध में कोई भी भाक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपता में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की झवधिया तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की नासील से 30 दिन की सवधि, जो भी सवधि बाद में समाप्त द्वाती हो; की बीतन पूर्वोकन व्यक्ति ों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन का नारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हि्तबढ़ किसी मन्य व्यक्ति द्वारा, मधोह्स्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्ठीकरण :---इसर्थे प्रयुक्त क्षम्थों घोर पर्धो का, खो ग्रधिनियम के घध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही घर्ष होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक डढ मंजिला मकान जो फी होल्ड प्लाट क्षेत्रफल 500 वर्ग गज जिसका नं० 9 ब्लाक नं० डी० कीरती नगर गांव बसई दारापुर दिल्ली राज्य नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है।

उत्तर: मकान प्लाट नं० डी० 8 के ऊपर दक्षिण: मकान प्लाट नं० डी० 10 के ऊपर पूर्व: सर्विस लेन पश्चिम : सड़क।

मोहरः

ग्रार० वी० एल० अग्रवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1 तारी**ख**ः 12-11-1979

प्रकृष भाइ० टो० एन० एस०---बायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा 289 भ(1) के अश्रीन सूचना भारत सरकार कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्नर्जन रेंज-II, दिल्ली-1 नई दल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 1979 निर्देश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यू०-II/3-79/5116/ 3716---यतः मुझे ग्रार० बी० एल० ग्रग्रवाल भायकर बांसांचयम, 1961 (1961का 43) (जिमे इसमें इसके परभात् 'उन्त अधिनियम' कहा गया है),की धारा 269-व के मन्नोत सक्षम अगः (कारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाआपर मुस्य 25,000/- व॰ से भाधिक है भ्रौर जिसकी सं० प्लाट नं० 2/1, ब्लाक 4 है तथा जो सिंहसभा रोड़ दिल्ली-7 में स्थित है (स्रोर इससे उनावड अनुमूचो में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय विल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन तारीख मार्च 1979 को पूर्वोक्त सपसि के डजिन बाबार सुरूप से कथ के बुक्यभान प्रतिफल क लिए भन्तरित की गई है बौर मुझे यह विज्ञास करन का कारण है कि यथापूर्वीक्ष संपति का उचित बाजार मुख्य, उसके बुग्यनाग प्रसिफल से, ऐसे दुग्यमान प्राप्तफल का परद्र प्रतिशत ग्राधिक हैं और मन्तरक (मन्तरकों) और मन्तरिती (मन्तरि-तियों) के भीच ऐसे झम्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नालखित उद्दश्य से उन्त धन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हं :----(क) जम्सरण से हुई किमी माग की बाबत उक्त

- (क) भग्तरण से हुई किमी झाय का बाबत उक्त झलिगियम के झधीन कर देने के झग्ररक के दायित्व में किमी करने या उसरे बजने में सुविधा के लिए। कोर/मा
- (ख) ऐसो किसी आय पा िसी धन या गरन बारिन्यों को, त्रिह्न भारतीय आयकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) पा उक्त धलिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनामं मरुररिती द्वारा प्रकट नही किया यया या या किया जाता चाहिए था, छिपार्क में सुविधा के सिए।

अतः घव, उक्त अधिनियम की बारा 269-ग के अनुलरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की अपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् 1--- 1. (1) श्री म्रर्जुन सिंह

- (2) श्री गुरबचत सिंडु नुत्रगग करत सिंह तिवासी 2/4 ब्लाक 41, शक्ति नगर दिल्लो-7। (ग्रन्तरक)
- श्रीमति गुलशन मलहोत्रा पत्ति श्री रविन्दर मलहोत्रा निवासी 7360, प्रेम नगर विल्तो-7। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना गरी करके (जीमा जंगति के अर्थन के लिए कार्यग्रहियां करता हुं।

उकत पंगति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राकीर :---

- (क) इप सूचना के राजपत में प्रकाग र श नारोख से 45 दिन की प्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि, जो भी प्रवधि बाद में सपाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त अपक्तिया में से कियो क्यांक्त द्वारा;
- (ख) इस मुवना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक्ष से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबढ किसी धब्य व्यक्ति द्वारा ग्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पक्तोकरन :---इसमें अयुक्त जब्दों झोर पदों का, जो उक्त अधिनियम के प्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही झर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 2/1 ब्लाक नं० 41 क्षस्नफल 310 वर्गंगज सिंह सभा रोड़ दिल्ली-7 में निम्न प्रकार स्थित है। उत्तर : सड़क दक्षिण : मकान नं० 2/2 पूर्य : सड़क पण्चिम : प्लाट नं० 3/1

ग्रार०बी० एल० श्रग्रवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1 तारीख: 12-11-79

```
मोहरः
```

प्रकथ प्राइ० दी० एन० एस०----

आयकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के मधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यू०-11/3-79/4985/ 3716---यतः मुझे ग्रार०बी० एल०ग्रग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्लात् 'उक्त मधिनियम' कहागया है), की घारा 269-ख के मधीन सक्षन प्राधिकारी को, मद्द विण्वास करने का कारच है कि स्थादर सम्बन्धि, जिसका उचित बागार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

श्रोर जिसकी सं० श्रार०,19 है तथा जो रिशब नगरी माडल टाऊन दिल्ली में स्थित है (ग्रीर इससे उपायद अनुसूची में पूर्ण रूप से वॉणत है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख 5 मार्च, 1979

पूर्वोका भम्मति के उर्तित बाबार मूल्य से कम के दूश्यमान आतेफल के लिए मन्तरित की गई ठ भीर मूझे यह विश्वास करने जा उपरण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाबार मूस्य, उसके हुआ्मान प्रतिफल से, ऐसे दूश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह पनिणत प्रक्तित हे भीर जातरक (बम्तरकों) और जम्मरिती (बम्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखिठ उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कचित न्दों किया गया है ----

- (क) भग्तरण से हुई किसी आय को बाबत, डक्त घछिनियम के भाषीन कर बेने के भग्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने वें सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी फिली वाय या किसी धन या अग्य आहितयों की, जिन्हें नारतीय प्राय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया मया था या किना जाना चाहिए था, छिपाने में सूबिधा के जिए;

अतः त्रव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के मनुसरन में, मैं चक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपबारा (1) के अधीन, निम्नसिबित व्यक्तियों, अर्थात्:--- श्री रामनाथ पुत्र श्री नानक चन्द निवासी ग्रार०-19 रिणव नगर माडल टाऊन दिल्ली।

(ग्रन्तरक)

श्रीमती मानिक देवी परिन श्री गौरी दत्त शर्मा 213,
 टैगौर पार्क दिल्ली।

(ग्रन्तरिती)

को यह मूचना जारी मरके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कामैवाहिमां करता हं।

उनन सम्पत्ति के अर्जन के सम्बरण में कोई भी प्राक्षेप :---

- (फ) इस सूचना के राजपत में रकाशन की तारीख से 45 दिल की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि, जो भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त क्यक्तियों में से किसी क्यकित द्वारा;
- (ख) इस सूजना के राजपब में प्रकाशन की तारीख से 45 दिम के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्तिं में हितवद्ध किमी जन्य व्यक्ति दारा प्रधोहस्ताखरी के पास लिखिन में किए जा सकेंगे
- क्पक्कीक इन म्यान्स प्रयुक्त सन्दों भीर पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के प्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस म्राध्याय में दिया गया है।

अन्सूची

एक मंजिला मकान जो प्लाट नं० म्रार- 19 क्षेत्रफल 300 वर्गगज पर बना है, रिशब नगरी म।डल टाऊन दिल्ली सें निम्न प्रकार स्थित है।

उत्तरः सड़क 24 फुट दक्षिणः खुला पार्कलेन पूर्वः प्लाटनं०18 पश्चिमः प्लाटनं०20।

म्रार० बी० एल० म्रप्रवास सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1 तारीख : 12-11-1979 मोहर : प्रइत्य धाई • टी • एन • एस ०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 296-घ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर भायुक्त (निरीक्षण)

धर्जन रेंज- \mathbf{II} , दिल्ली-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० झाई० ए० सी/एक्यु०-II /डी०-I/3-79/ 5029/3716----यतः मझे, श्रार० बी० एल० ग्रग्रवाल आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार सूस्य 25,000/- ६० से ग्रधिक है

ग्नौर जिसकी सं० एफ-11/11 है, तथा जो माडल टाऊन दिल्ली में स्थित है (ग्नौर इससे उपावद्धग्रनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख 16 मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाधार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिकल के लिए भग्तरित की गई है भौर मुझे यह विश्वास कथने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिशत से भशिक है भौर भन्तरक (भन्तरकों) भौर भन्तरिती (बन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया बया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्तरण चिथित में वास्तविक कप से कचित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण ¦से हुई किसी माय की बाबत 'उक्त भौधनियम' के घंधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के सिए; मौर/या
- (ब) ऐसी किसी आय मा किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को जिन्हें मारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए जा, छिपाने में सुविधा के जिए;

थतः भव, डक्त प्रधिनियम की धारा 269-व के अनुसरव में, मे, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उप-धारा (1) के प्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, धर्वात् 1---- श्री नानक चन्द पुत्न जयराम निवासी 164 महात्मा गांधी रोड़ कलकत्ता-7। श्रवः एफ. 11/11 माडल टाऊन दिल्ली-79।

(भ्रन्तरक)

 श्री कुलवीप सिंह पुत्र महिन्दर सिंह निवासी एफ०-2/21, माडल टाऊन दिल्ली।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उनत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई मी माकोप :--

- (क) इस भूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 बिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावरु सम्पत्ति में हितवड किसी भ्रष्य भ्यक्ति द्वारा, भधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।
- स्राक्टीझरणः – इत्में प्रयुक्त गर्म्यों मौर पयों का, जो उन्कत ग्राधितियम के सक्ष्याथ 20-क में परिभाषित हैं, वक्षी भर्ष होगा, जो उस ग्राध्याय में दिया गया है।

લમુલ્યો

फीहोल्ड प्रापर्टी नं० एफ० 11/11 क्षेत्रफल 292.82 वर्ग गज माडल टाऊन गांव मलिकपुर छावनी दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है।

उत्तर: सड़क दक्षिण: मकान नं०एफ- 10/11 पूव:सड़क पश्चिम:मकान नं० एफ-11/10।

भ्रार० बी. एल० भ्रप्रवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1 तारीख 12-11-10979 मोहर :

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज,-1I दिल्ली-1 नई दिल्ली,

नई दिल्ली, दिनांक, 12 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० ग्राई०ए० सी०एक्यु०-II/3-79-5024/3716 यतः मझे, श्रारं० बी० एल० ग्रग्रवाल

बायकर प्रधिनियम, 1951 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अत्रीन तक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वाय करने का कारण है कि स्थावर पम्पति, जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए ये प्रधिक है

ग्नीर जिसकी सं० सी०-5/14 है तथा जो राना प्रताप बाग दिल्ली में स्थित है (ग्रीर इससे उपावद्ध ग्रनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है),रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख मार्च 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि पथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है मौर अन्तरका (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिम्नित उद्देश्य से उक्त सन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्सरभ से हुई किसी माय की बाबत, उक्त ग्रधितियम के भ्रधीन कर देने के भ्रन्सरक के बायिस्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसो किंगी प्राय या किसी धन या भन्य मास्तिओं को, जिन्हें भारतीय ग्राय-कर मधिनियर्म, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्य भन्सरिती ढारा प्रकट नहीं किंगा गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने म स्थिधा के लिए;

यतः सब; उक्त अधिनियम ती घारा 269-ग के मनुसरण में, में, उक्त प्रक्रिनियम की घारा 269-व की उपघारा (1) के बधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् --- श्री ज्ञान प्रकाश चौपड़ा पुत्र श्री राम लाल निवासी हंस राज कालेज परीमिजेज दिल्ल्ली यूनिवर्स्टिी दिल्ली।

> (श्रन्तरक) के कोफ काला

 श्रीमती सावित्ती देवी सिंगल पत्नी श्री ग्रोम प्रकाश सिंगल निवासी डी०-6/2-ए राना प्रताप बाग दिल्ली।

(भ्रन्तरिती)

को यह युवनग् वारी करके पूर्वोगन् सम्पत्ति के वित के लिए कार्यमाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के प्रजेन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :---

- (क) इय पूचना के राजपत में अकाशन की तारीख से 45 दिन की प्रवति या तस्मम्बन्धी ज्यक्तियों पर यूचना की नामीज से 30 दिन की प्रवधि, जो भो प्रवधि वाद में समाप्त होती हो, के भोतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस भूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों झौर पदों का, जो जक्त ग्राधिनियम के प्राध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं प्रार्थ होगा जो उस भ्राध्याय में दिया गया है ।

अनुस्ची

प्लाट नं० सी-5/14 जिस का क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज जिस की बाउंडरी निम्नलिखित है। पूर्व :प्लाट नं० सी०-15/13 (बिल्डिंग) पश्चिम :प्लाट नं० सी०-15/15 (बिल्डिंग) उत्तर :प्लाट नं० सी०-6/16 (बिल्डिंग) दक्षिण : रोड

मोहर :

झार० बी० एल० अग्रयाल सक्षम प्राधिकारी [सहायक ग्रायकर ग्रायक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज II दिल्ली, नई दिल्ली-1 तारीख: 12-11-79 प्ररूप भाई० टो० एन० एस०---

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज]I, दिल्ली-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 1979

निर्देण सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यु०-II/3-79/498-7/ 3716—यतः मुझे, श्रार० बी० एल० ग्रग्रवाल

श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्रवात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से श्रधिक है

श्रौर जिसकी सं० 15 सड़क नं० 7 है तथा जो पंजाबी बाग दिल्ली में स्थित है (श्रौर इससे उपावढ़ अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 5 मार्च 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार भूल्य से कम के दूक्ष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है श्रौर श्रन्तरक (श्रन्तरकों) श्रौर श्रन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त ग्रधि-नियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मुविधा के लिए;

श्रतः श्रब, उक्त श्रधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग की खपझारा (1) के झघीन, निम्नलिखित व्यक्तियों श्रर्थात् :---3---346GI/79 श्री विमल कुमार वनाम खेमवन्द पुत्र रिसाल सिंह निवामी 15/28, पंजाबी वाग नई विल्ली। (ग्रन्तरक)

 श्री बृज लाल, सतीश कुमार व यगविरेंदर कुमार पुत्रगण श्री गुलाब राय निवासी 6/60 पंजाबी बाग दिल्ली।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के स्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रार्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मूचना की तामील के 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पब्दीकरणः -----इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो भ्रायकर ग्रिधिनियम के ग्रध्याय 70-क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थं होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जोफी होल्ड प्लाट नं० 15 सड़क नं० 7 क्लास सी० क्षेत्रफल 279.55 वर्ग गज पर बना है, पंजाबी बाग, गांव बसई दारापुर, दिल्ली राज्य दिल्ली में निस्न प्रकार स्थित है। उत्तर:सर्विस लेन दक्षिण: सड़क नं० 7 पूर्व: मकान प्लाट नं 13 के ऊपर पश्चिम:प्लाट नं० 7।

श्रार० बी० एल० श्रग्रवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्स (निरीक्षण) श्रजन रेंज, दिल्ली, नई दिल्ली-1 तारीब : 12-11-1979 मोहर : प्ररूप भाई० टी० एन० एस०---

ग्रायकर ग्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ (1) के प्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रजन रेंज, कानपुर

कामपुर, दिनांक 5 ग्रक्तूबर 1979

निर्देश सं० 17-ए०गाजियाबाद/78-79----यतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

श्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त श्रधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्सास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से प्रधिक है

श्रीर जिसकी सं० बी-20 हैं तथा जो सूर्य नगर गाजियाबाद में स्थित हैं (ग्रौर इससे उपावद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय दादरी में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख 21-4-79

को पूर्वोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिकल के लिए ग्रन्तरित की गई है और मुझे यह विष्रवास करने का कारण है कि यशपूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृण्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (अन्तरकों) प्रौर ग्रन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्सरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रीधनियम, के ग्राधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या अन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मुयिघा के लिए;

धतः धव, उक्त घधिनियम की धारा 269-ग के मनुसरण में, मैं, उक्त ग्राधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्राधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, गर्यातु:---- श्री हरभजन सिंह पुत्र श्री ग्रात्मा सिंह निवासी 57 गोल्फॉलक नई दिल्ली।

(ग्रन्तरक)

 श्रीमती माया चन्दानी पत्नी श्री एच० डी० चन्दानी निवासी दक्षतेश्वरी फ्लेट नं० 30 श्राठवीं मंजिल 10 हेली रोड़ नई दिल्ली-51।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यंवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रावधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रावधि, जो भी ग्रावधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूबता के राजगत में प्रकाशत की तारीख से 45 दिन के सोतर उन्त स्थावर समाति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति ब्रारा प्रधोहस्ताकरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पब्टीकरणः---इसमें प्रयुक्त शब्दों स्रौर पदों का, जो 'उक्त अधितियभ', के म्रघ्याय 20क में परिभाषित हैं, वही स्रर्थ होगा, जो उस भ्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० बी०-20 क्षेत्रफल 599-22 वर्ग मीटर सूर्य नगर गाजियाबाद में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कामपुर तारीखः 5-10-1979 मोहर : थोन ⊴ा - जोग्र 1]

अक्षय आई० टी• एन• एस•-----

यायकर आंधनियम, 1961 (1961का 43) की घारा 269लष (1) के धधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यांत्रय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रजन रेंज, कामपुर

कानपुर, दिनांक 15 सितम्बर, 1979

निर्देश सं० 770-ए/हरिद्वार——यतः मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी त्रायकर भांधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसरे पश्चात् 'उक्त मधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के मधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्य 25,000/-२० मे धधिक है

ग्नौर जिसकी सं० मकान है तथा जो मुरतापुरा में स्थित है (ग्रोर इससे उपावद अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय हरिद्वार में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख 31 ग्रगस्त, 1979

को पूर्वोक्त सम्पति के छचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अग्वरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि पथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्र प्रतिगत से मधिक है भोर भन्तरक (भन्तरकों) और भन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उड्हेश्य से उक्त मन्तरण लिखित में बास्तविक्त रूप से इंगि नहीं किया गया है :---

- (क) अग्तरण से हुई किनी माय को बाबन बक्स अधिनियम के मधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमे अजने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आव या किमी घन या सन्ध आस्तियों को, जिन्हें सायकर मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ सन्तरिली द्वारा प्रफट नहीं किशा गया था या किया जाना जाहिए था, डिपाने में श्रुविधा के लिए;

अत: अथ, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरग में, में, उक्त अधिनियम की आरा 269-ग की उपबारा (1) बधीन, विम्वनिधित ग्यविठयों, सर्थात्।-- श्री क्रुष्ण लाल खुराना पुन्न श्री गंकर वास निवासी मोनी बाजार हरिद्वार डा० खास जिला सहारनपुर। (भ्रन्तरक)

 श्रीमती स्वर्ण कुमारी पत्नि श्री किशन लाल तिवाडी, निवासी निर्मला छावनी हरिदार जिला सहारत्नपुर। (भन्तरिती)

को यहंसूचना वार्थं करके पूर्वकित सम्पत्ति के मर्खन के लिए कामेवाहियां करता हूं।

उपत सम्पत्ति के झर्जन के संबंध में कोई भी झाझेथ:---

- (क) इस सूचना के रागभत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की प्रवधिया सरसम्बग्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की मवधि, जो भी मवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस गूंचना के राजपक्ष में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भीतर उपत स्थाबर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी प्रस्थ व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताकरो के पास लिखित में किए जा सज़ेंगे।
- स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों घोर पर्धा का, जो उक्त प्रधिनियम के अध्याग 20ता में परिभाषित है, वही घर्ष होगा, जो उस भध्याय में दिया गया है।

पनुसूची

ग'ह सम्पत्ति निरीक्षक सहायक मायकर के म्रावेशानुसार इस मकान की बाजारी मूल्य कीमत 70,000 रुपये की है। जो कि ऋय मूल्य से 151 से भाधिक होती है।

> बी० सी० चतुर्वेदी सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरोक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 15-9-79

मोहर :

(भाग III----खण्ड

1

प्ररूप म्नाई० टी० एन० एस•--

मायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की मारा 269-म (1) के प्रधीन सूचना

मारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

म्नर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 1979

निर्देश सं० 787-ए/देहरादून---यतः मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर ग्राधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम, कहा गया है), कौधारा 289-ख के सधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्याथर सम्पत्ति, जिसका ' বাৰিন 25,000/-रुपये से मधिक ै वाजार मुल्य ग्रौर जिसकी सं० 839, 840 है, तथां जो ग्राम भरुबाला ग्रन्ट में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण से रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 30 जुलाई 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार पूल्य से कम के वृष्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है प्रौर मुझे यह विष्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत प्रधिक है भौर धन्तरक (ग्रन्तरकों) मौर धन्तरिती (धन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरफ के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कवित नहीं किया गया है :----

- (क) ग्रस्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त, मधि-नियम के ग्रधीत कर देने के मन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; मौर/या
- (ख) ऎसी किसी माय या किसी मन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें, भारसीय श्रायकर ममिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्स ममिनियम, या मन-कर ममिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः, ग्रव, उपत ग्रधिनियम की घारा 269-ग के अनु-सरण में, मैं, उपत ग्रधिनियम की घारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन,निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथीत् :--- श्री राजामोहन सिंह निवासी तिलोई स्टैंट रायबरेली। (ग्रन्तरक)

 श्री जे० एम० कापूर निवासी 8 हैलीरोड़ नई दिल्ली। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्राजेंन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रजन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की मवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की मवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त ब्यक्तियों में से किसी ब्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन के मीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्केंगे।
- स्पध्दी करणः ⊶ इसमें प्रयुक्त शब्दों फ्रीर पदों का, जो उक्त मधिनियम, के मघ्याय 20-क में परिभाषित है, वही स्नर्थ होगा, जो उस स्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

श्रायकर निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भच्वाला ग्रेन्ट पर सेन्टलदून जिला देहरादून में क्रुपि भूमि की दर 6000/-रुपये प्रसि बीघा है जब कि खरीद दार ने इस भूमि को 2500/- रुपये प्रसि बीघा के हिसाब से खरीदी है। ग्रायकर निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार इस भूमि की कीमत 1,32,200/-रुपये है जब कि यह भूमि को खरीद दार ने 45000/-रुपये में खरीदा है।

बी० सी० चतुर्वेदी सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) (ग्रर्जन रेंज), कानपुर तारीख : 22-9-1979

भोहर :

प्ररूप भाई• टी• एन० एस• --

मायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269 घ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्याजय, सहायक भायकर मायुक्त (निरीक्षण)

ग्रजन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 1979

निर्देश सं० 788-ए/देहरादून----यतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

भागकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचाइ 'उक्त मधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूक्य 25,000/-से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 841, 828, 829, 837 है तथा जो ग्राम माश्रवाला ग्रन्ट में स्थित है (श्रीर इससे उपावड श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 30 जुलाई 1979

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुख्य से कम के प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है द्**रव**मान मीर -यह विश्वास करने का कारण हे कि मुझे ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूख्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से घधिक हे मौर मन्तरक (मन्तरकों) मौर मन्तरिती (भग्तरितियों) के बीच ऐसे मग्तरण के सिए तय पाया गया प्रतिफल विम्नसिधित उद्देश्य से उक्त भन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कवित लहीं किया गया है :----

- (कः) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधि-नियम के ग्रधीन कर देने के भन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के शिष; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी झाथ या किसी धन या ग्रन्थ झास्तियों को, जिन्हें भारतीय झायकर ध्रविनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ध्रविनियम, या घन-कर झविनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनायें घन्तरिसी डारा प्रकट नहीं किया गया वा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

अतः, झव, उक्त मधिनियम की घारा 269-ग के मनुसरण में, मैं, आयकर मधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के मधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, भवति:--- श्रीमती रानी सोनी मतीवेवी द्वारा जनरल ग्रटौर्नी राजामोहन सिंह, लिलोई स्टेंट, रायबरेली। (ग्रन्तरक)

2. श्री जे० एम० कापर हैली रोड़ नई दिल्ली । (ग्रन्तरिती)

•ो यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्वत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाद्वियां करता हुँ।

उक्त सम्पत्ति के ग्रार्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेत्र :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के मीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दाट्रा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवग्र किसी भ्रम्थ व्यक्ति द्वारा, श्रघोहस्ताक्षरी के पास जिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पणडीकरणः ---इसमें प्रयुक्त सब्दों मौर पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम के घध्याय 20-क में परिभाषित है, वही ग्रर्थ होगा, जो उस घध्याय में दिया गया है।

ञनुषुची

श्रायकर निरीक्षक की रिपोर्ट के श्रनुंसार ग्राम माझ्वाला ग्रान्ट पर० सेन्टलदून, जिला देहरादून में कृषि भूमि की दार 6000/- रुपये प्रति बीघा है जबकि खरीददार ने इस भूमि को 2500 /- रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खरीदा है श्रायकर निरीक्षक की रिपोर्ट के श्रनुसार इस भूमि की कीमत 78000/-रुपये है। जब कि इस भूमि को खराददार ने 25000/- रूपये में खरीदा है।

> बी०सी० चतुर्वेदी सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 22-9-79 मोहर: प्ररूप माई• टी॰ एम• एस•------

अ/यकर भौधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269म (1) के मधीन सुपना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 16 प्रक्तूबर, 1979 निदश सं० 869-ए/हरिद्वार/79-80-यतः मुझे, क्रां० सी०

चतुर्वेदी,

सायकर भधिनियम, 1961 (1981 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'जन्छ प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के भधीन सक्षम प्राधिकारी को यत्र विश्वास करने का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति, जिसका उचिय बाजार मूल्य 25,000/- ह• थे भक्षिक है श्रौर जिसका सं० है तथा जो निरन्जनीकरनलाल में स्थित है (श्रौर इसके उपावद श्रनुसुची में श्रौर पूर्ण रूप ने वर्णित है,) रजिस्ट्राकर्ता श्रधिकारा के कार्यालय हरिदार में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधान, तारीख 28 मार्च, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाआर मूल्प से कम के दृश्यमान प्रति-फल के लिए मन्तरित को गई है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित थाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पम्द्रध् प्रतिक्षत से ग्राधिक है भोर मन्तरक (मन्तरकों) और अन्तरित्ती (सन्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तजिक रूर में कथिउ नहीं किया गया है :---

- (क) मन्तरण में हुई किसी पान की बाबत, उन्त राधिनियम के प्रधीन कर देने के प्रस्तरक के ठायिरल में कमी करने या उसके अचने में सुविधा ने लिए; भौर/या
- (ज) ऐना जिमी आय यह हिना धन या मन्य मास्तियों को भिन्हें भारतीय भायकर ग्राधनियम, 1922 (1922 जा 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया यया चा या किया जाना पाहिए जा, छिपाने ये मुविधा के लिए।

मता सब, उक्त सधितियम की धारा 269-ग के बन्धरण में, मैं, उक्त अधितियम, की जारा 269-घ की उपधारा (1) के अभीम, तिम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- अखाड़ा पंचायती निरन्जनी मायापुर हरिद्वार द्वारा श्री महन्त रूप गिरि जी व हरदयाल गिरि सेक्रेटरी अखाड़ा।

(ग्रन्तरक)

 मे० निर्मल ज्योति शित्या ब्रह्मलोप स्वामी निर्मल जी महाराज निवासी सेवक निवास कखेल हरिद्वार। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के धर्जन क लिए कार्संबाहियां करता हं।

उक्स सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:---

- (क) इस सूचता के राजपत में प्रकाशन को तारीब से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की नामील से 30 दिन का भवधि, जो भी प्रवधि बाद में समाप्त होतो हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (आ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की नारीआ मे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ किसी मन्य स्थक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- रपष्टीकरण !---इसमें प्रयुक्त गर्को और पर्दो ता, जो उनता अधितियन के प्रध्याय 20क में परिभाषित हैं, बही भ्रषं होगा, ओ उस आव्याय में विया गया है।

अ**भुस् च**ी

भूमि 2530 वर्ग फुट स्थित निरन्जनी श्रखाड़ा कखंल हरिद्वार में स्थित है।

> बो० सो० चतुर्वेदो, सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

तारोब : 16-10-1979

मोहर :

ারক্থা আছিও टীত एনত एনত——— ——

थायकर घधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज कानपुर

कानपुर, दिनांक 5 श्रक्तूबर 1979

निर्देश सं० 906-ए/गाजियाबाद/78-79-यत: मक्षे, बी०मी० चतुर्वेदो

भ्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से ग्रधिक है

श्रोर जिसकी सं० बी-18 है तथा जो सुर्य नगर, गाजियाबाद में स्थित है (श्रोर इसमे उपावद अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्द्रोकर्ता प्रधिकारं/ के कार्यातथ दादर्र, में, रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रार्थ.न, ताररेख 9 मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उत्तित वाजःर मृत्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है श्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य उसके दूश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है श्रौर श्रन्तरक (श्रन्तरकों) श्रोर श्रन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, उक्त ग्रधिनियम के श्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी प्राय ा किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारती र आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मुविधा के लिए;

म्रतः श्रव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के म्रनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रथतिुः ---- श्री ज्ञान सिंह पुक्र प्रात्मा सिंह निवासी: 57 गोल्फ लिंक, नई दिल्ली।

(ग्रन्तरक)

2. श्रामतो ग्रान्जू जैन पत्नो श्री विषय कुमार जैन निवासी 2.1 टोडर मल लेन कैंग्गली मार्केट नई दिल्ली-110001।

(ग्रन्तर्रित)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के स्रर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के प्रार्गन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की प्रवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तिणों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में रमाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त बाकिनयों में से किमी ब्यक्ति द्वारा;
- (ख) इन सूत्रना के राजात्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भी ार उक्त स्थावर म्यत्ति में हितबद्ध किसी अध्य व्यक्ति धारा, प्रधोड्स्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरण:---इनमें प्रनुक्त णब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के घ्रध्याय-20क में परिभाषित है, वही भ्रयं होगा जो उम घ्रध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ण्लाट नम्बर बो०-18 क्षेत्रफल 579-71 वर्ग मं/टर सूर्य नगर, गाजियाबाद में स्थित है।

> बी० सी० चतुर्वेदी सक्षम अधिकारी स**हायक भ्रायकर ग्रायु**क्त (निरीक्षण) **ग्र**र्जन रोंज, कानपुर

तारीखः 5-10-1979 मोहरः

भाग III----खण्ड 1

प्ररूप श्राई० टो० एन० एस०---

म्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के ग्राधोन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

श्वर्जन रोज, कानपुर

कानपुर, दिनोक 5 ग्रक्तूबर, 1979

निर्देश सं० 907-ए०/ गाजियाबाद/78-79--(यतः मुझे, बील्सी० चतुर्वेंदी

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से ग्रधिक है

श्रीर जिसकी सं० 28 ब्लाक सी है तथा जो सूर्य नगर टी० एच० ए० सैक्टर नं० गाजियाबाद में स्थित है (श्रीर इससे उपाबब श्रनुसूर्च। में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दादरों में , रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तार ख 9 मार्च 1979

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है और यह कि श्रन्तरक (श्रन्तरकों) श्रौर श्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधि-नियम के अधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुत्रिधा के लिए, ग्रौर/या
- (ख) ऐसे किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्थ श्रास्तियों को जिन्हें भारतीय भ्राय-कर ग्रधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर म्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रत: ग्रंब, उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रघीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथति:--- डा० सां० प्रकाण पुत्र चौ० टेकन राम, करनबीर दीपक प्रकाण पुत्रगण टा० सं।० प्रकाण निवासी 162, িারিপ লাइन पास सेणन कोर्ट, रोहतक। (अन्तरक)

2. श्रीं श्याम लाल रेना सुपुत्र श्री धर्मचन्द्र रैना श्रीमती तारावती भट्ट पति स्व० श्रीकान्त भट्ट निवासी एफ-76 ग्रीन पार्क नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करकेपूर्वोक्त सम्पत्ति के क्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पब्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधि-नियम, के श्रध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही श्रर्ष होगा जो उस श्रध्याय में दिया गमा है।

अनुसूची

प्लाट नं० 28 ब्लाक सी० रकवई 8000 वर्ग गज स्पित सूर्य नगर टी० एघ०ए० सैक्टर नं० 7 गाजियाबाद में स्थित है।

> बीं०सी० चतुर्वेदी संक्षम प्राधिकारी तहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 5-10-1979 मोहर:

ज्ररूप माई०टी० एन० एस०——

भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269थ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायक स्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, कानपूर

कानपुर, दिनांक 17 ग्रक्तूबर 1979

निर्देश सं० 980-ए/पी॰एन०/गाजियाबाद/ 78-79---(यत:, मुझे बी० सी० चतुर्वेदी,

आंगकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कड्डा गया है), की घारा 269-ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/- इ० से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० 40 (नया) है तथा जो मोहल्ला मिरजाजान सिहानी गेट, गाजियाबाद में स्थित है (क्रौर इससे उपायद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारो के कार्यालय गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 24 मार्च 1979 को पूर्वोन्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्म से कम के 🖣 लिए मन्तरित की बर्यमान সমিদ্যল गई है विश्वास करने का कारण मौर मुझे यह 8 यथापूर्वोक्स मम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का पग्वइ प्रतिशत से भविक है भीर मन्तरक (मन्तरकों) मौर मन्तरिती (मन्तरितियों) के बीच ऐसे भ्रन्तरण के किए तय पाया गया प्रतिफज निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप मे कणित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण ले हुई किसी भाव की वाबत, उक्त भछि-नियम के भधीन कर देने के सन्तरक के दायित्व में कमी करने या छससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी माय या किसी धन या मन्य मास्तियों को, जिन्हें भारतीय मायकर मधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त मधिनियम, या धनकर मधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाम धन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

भतः भव, उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के प्रनुसरण में, मैं, उक्त मधिनियम की धारा 269-थ की उपभारा (1) के प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः ---

4---346**GI**179

 श्री नारायण दास पुत्र लाला दम्मूमल निवासी 1241 रंगमहल नोवेलटी सिनेमा के पास दिल्ली।

(म्रन्तर्क)

2. श्रीमती अरुणा कुुमारो पत्नो श्रॅं अनिल कुुमार श्रीमती णकुन्तला देवं। पत्नो राधेण्याम निवासी 120 पक्की मोरी गाजियाबाद व श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी रामकुुमार,, श्रीमती निर्मला देवो पत्नो निवासी 125 पक्की मोरी गाजियाबाद रामनिवाम । (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करने। पूर्वोंक्त सम्पत्ति के क्राजॅन के लिए हार्यवाहियां करना हं।

उक्त सम्पति के प्रजेन के सम्बन्ध में कोई भो आक्षेप :---

- (क) इस सूथना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की भ्रवधिया तस्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी मत्रविध बाद में भगाणा होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (व) इप सूचना के राजपत में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन के मीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी धन्य व्यक्ति दारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा मर्केने ।

अनुसूची

एक दो मंजिला मकान जिसका नं० पुराना 22 तथा नया 40 स्थित मोहल्ला मिरजाजान सिहाने गेट गाजियाबाद में स्थित है।

> बो० सॅ० चतुर्वेदी सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जानपुर

तारीख: 17-10-1979 मोहर:

्रवरूप ग्राई∙ टी∙ एन∙ एस•——

मायकर मणिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ण (1) में भंधीन सूचना

मारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

म्नर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 5 ग्राक्तूबर 1979

निर्देण सं० 1016-ए/देहराष्ट्रन 78-79---यतः, मुझे, बी० सी० चतुर्वेदो,

भायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त धधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्पावर सम्पत्ति, खिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- देपये से भषिक है

श्रोर जिसकी सं० 35 है, तथा जो सुभाष रोड़ में स्थित है (श्रीर इससे उगावद अनुसुची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता श्रधिकारी के कार्यालय देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधि-नियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारोख 26 मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बागार मूल्य मे कम के बूश्यमान प्रतिकल के लिए सम्तरित की नई है और मुझे यह विश्वास करने का काश्ण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके बूश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिजन से प्रधिक है और अन्दरक (सन्तरकों) और प्रन्तरिती (सन्दरितियों) के बीच ऐसे सन्तरकों) और प्रन्तरिती (सन्दरितियों) के बीच ऐसे सन्तरकों के लिए तम पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त सन्तरिण लिखित में वास्तविक कप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) मन्तरण से हुई किसी माथ की बाबत उक्त मधिनियम के मधीन कर देने के मन्तरक के दायिल्ब सकसी करने या उससे बजने में सुविधा के लिए; बौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी घत या सम्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय प्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या घन-कर ग्रांधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्यं ग्रस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा नेदीलिए;

प्रतः अव, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के मनुसरण में, में, जक्त ग्रधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन निग्नलिबित व्यक्तियों, धर्षात् :---

- श्रीमतीः सारस्वतीः देवीः निवासीः 11/4 पूसारोड नई दिल्लीः ।
 - (2) श्रोमतो अन्जू माथुर पत्नी मेजर यू० पी० माथुर अरमीएग्रर ट्रान्मपोर्ट स्कूल आगरा

- (3) श्रोमता रजनं तलवार पत्नो दोपक तलवार केअर आफ टाटा ऐकसपोर्ट इन्दौर
- (4) कुमारी मन्ज् दयाल नि॰ 35 सुभाष रोड देहरादन
- (5) कुमारी इन्दु दयाल नि॰ 11/4 पुमा रोड नई दिल्लो
- (6) श्रों विजय दयाल और
- (7) हरोशवर दयाल नि० 35 सुभाष रोड, देहरादून (श्रन्तरक)
- श्रो रवेन्द्र नाथ एडवोकेट निवासी 2, कनवैन्ट रोड देहरादून। (ग्रन्तरिति)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ख्रजेन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के म्रजंन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि जो भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी ग्रम्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताकरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

अनुसूची

प्लाट नं० 35 जिसका क्षेत्रफल 1656.76 वर्ग मीटर है तथा 35-लैटिन रोड देहरादून में स्थित है।

> बी० सो० चतुर्वेदो सक्षय प्राधिकारो सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) **ध**र्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 5-10-1979 मोहर: भाग 111---खण्ड 1]

प्रारूप अ:ई० टी० एन० एस०---

म्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ं म्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 19 सितम्बर, 1979

निदेण सं० 263/म्रर्जन/म्रागरा---यतः मुझे भ० च० चतुर्वेदी

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से ग्रधिक है

श्रौर जिसकी सं० 15/24 हैं तथा जो कटरा शाहगंज में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबढ़ श्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूपमे वणित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता ग्राधिकारी के कार्यालय, श्रागरा में, रजिस्ट्रीकरण श्राधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख 21 जून 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) श्रौर अन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत, उक्त ग्रधि-नियम के ग्रधीन कर धेने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी म्राय या किसी धन या म्रन्य म्रास्तियों को जिन्हें भारतीय म्राय-कर म्रधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त म्रधिनियम, या धन-कर म्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं म्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

ग्रतः ग्रव, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के भाषीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात् :--- श्री रवीन्द्र प्रकाश वधावा पुत स्वं० बंशी राम वाधना नि० 15/24 चौराहा णाहगंज श्रागरा हालवार पास रोड नई ग्राबादी फिरोजाबाद श्रागरा। (ग्रन्तरक)
 श्री कल्याण दास व श्रासन दास व देवी दाम व नन्द किशोर व घनश्याम दास पुत्रगण मेवा राम साकीन 10/19 कोल हाई साहगंज ग्रागरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षय :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त ग्रब्दों ग्रीर पदों का, जो उक्त ग्रधि-नियम, के ग्रध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा जो उस ग्रघ्याय में दिया गया है।

मनुसूची

एक किता मकान पुग्ता जुन दो मजिला 1.5/24. कटरा गाहगंज श्रागरा में 90000/~ को बेचा गया।

> भ० च० चतुवदी सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) (ध्रर्जन रेज),कानपुर

तारीखः 19-9-1979 मोह्र्रः प्ररूप आई∙ टी∙ एन∙ एस०-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धार

269-भ (1) के मधौन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 16 म्रक्तूबर, 1979

निर्वेश सं० 1235/अर्जन/म्रलीगढ़/79-80---यतः मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारग 269-ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विग्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 25,000/-चपये से पशिष है ৰাজাৰ म्ल्य श्रोर जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (अोर इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), र्राजस्ट्रीकर्ता श्राधिकारी के कार्यालय, अलीगढ़ में, रजिस्ट्री-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,तारीख 19 मार्च 1979 को

पूर्वोक्त सम्पति के डवित बाजार मूख्य से कम के दूक्ष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भीर मुझे यह विभ्रवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उपित बाजार मूख्य, उसके दूक्ष्यमान प्रतिफल से, ऐसे दूक्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिपत अधिक है और जम्तरक (भन्तरको) पौर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देक्य मे उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी गांग की बाबत उन्ता प्रांध नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के बायित्य में कमी करने थे। उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसो किसे आय या किमो वन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय धायकर घ्रधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या वनकर मधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुनिधा के लिए।

मता; भव, उक्त पांधनियम की घारा 269नग के अनु-सरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269न्ध की उपधारा के (1) अधीन निम्नसिधित व्यक्तियों, अर्थात् ।--- श्री नरेन्द्र कुमार बंगल पुत्र श्री ग्रानरीलाल बंसल पत्थर बाजार ग्रलीगढ़।

(भ्रन्तर्क)

 श्रीमती ग्राभा रानी पत्नि ग्रानन्द कुमार गुप्ता गांव व डाकखाना इउगतपुर जिला ग्रलीगढ़। (ग्रान्तरिती)

को यह सूचता जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए। कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राजेगः ---

- (क) इस मूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीआ स 45 दिन की मवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की मबधि, जो भी मवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से फिसी व्यक्ति द्वारा;
- (अ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन के भीतर उथत स्थावर सम्पत्ति में दि्तबद्ध किसी सन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा मर्केंगे।
- ल्यणहोलरणः ----इसमें प्रयुक्त सब्दां और पदां का, जो उक्त प्रधि-नियम के श्रध्याय 20न्क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में विया गया है

मनुसूची

12 बीधा 6 विसवा 6 विस्वांसी कृषि भूमि।

वी०सी० चतुवदी, सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ध्रायुक्त (निरीक्षण) (य्रर्जन रेंज), कानपुर

तारीखः 16-10-1979 मोहरः प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०----

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के <mark>प्रधीन सूचना</mark>

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

म्नर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 अक्तूबर 1979

ग्रायकर ग्रंधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है),की धारा 269ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रुपये से ग्रंधिक है

म्रोर जिसकी सं० 474/15 तथा जो ग्राम नरहोली में स्थित है (म्रौर इससे उपाबढ़ म्रनुसूची में म्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता म्रधिकारी के कार्यालय इटावा मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के म्रधीन, तारीख 7 मार्च 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल भ, ऐस दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से स्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकां) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य स उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त श्राध-नियम के श्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या भ्रन्थ म्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धनकर भाध नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ म्रन्तरिती ढारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुषिधा के लिए;

अतः अख, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के म्रनुसरण में, मैं, उक्त प्रधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रर्थात् मु० रामश्री पत्नी श्री राम दाम नि० ग्राम नरहोला भिडरूग्रा पर० इटावा।

(भ्रन्तरक)

2. श्री रमेश बाबूव मुतालाल व कमलेश बाबू पुत प्रतर सिंह नि० ब्रक्ट० चतुरी मी० नरहोली भिडरुया पर० इटावा श्री चन्द्रपाल वल्द डिप्टी सिंह नि०व० कवूली मौजा रिकरोगी त० करहल जि० मैनपुरी। (ब्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेपः----

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।
- स्पब्दीकरणः ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

ुंअनुसूची

474/5-15 ল 303-00 হ০

भ० च० चकुर्वेदी सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) (ग्रर्जन रेंज), कानपुर

तारीखः 22-10-1979 **मोहरः** प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०----

ग्रायकर ग्रधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269ष (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 अक्तूबर, 1979

निर्देग सं० टीं०म्रार० 1259/(एक्यू)/ एफ०बाद/ 78-79---यतः मुझे भ० च० चसुर्वेदी

भायकर ग्राधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त ग्राधनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000-/ रुपए से ग्राधिक है

ग्रोर जिसकी सं० 323 ग्रव व है तथा जो मौजा ढोलपुरा में स्थित है (और इससे उपाबद ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय फिरोजाबाद में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 5 मार्च 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है श्रीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है श्रीर अन्तरक (श्रन्तरकों) श्रीर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत उक्त श्रधि-नियम के अधीन कर देने के भन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या मन्य म्रास्तियों को जिन्हें भारतीय ग्रायकर भ्रधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्स ग्रधिनियम, या धनकर भ्रधि-नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

म्रतः अब, उन्त म्रधिनियम की धारा 269ग के मनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के म्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, म्रथतिू:--- श्री राजेन्द्र सहाय व वीरेन्द्र व महेन्द्र सहाय पुत्र श्री मुंशी गंगा सहाथ साकिन ग्राम ढोलपुरा त० फिरोजाबाद जि० ग्रागरा।

(ग्रन्तरक)

2. श्री सरम सिंह व गणाधर सिंह व वेद सिंह पुत्र श्री राम लाल यादव साकिन ग्राम ढोलपुरा त॰ फिरोजाबाद जि॰ ग्रागरा।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करफे पूर्वोक्त सम्पत्ति के भ्रजैन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तम्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्ष्त स्थावर सम्पत्ति में हितक द किसी ग्रन्म व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में कियें जा सकेंगे।

स्पब्टीकरणः ----इसमें प्रयुक्त शब्वों ग्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधि नियम के ऋष्धाय 20क में परिभाषित है, वही ग्रार्थ होगा, जो उस म्रझ्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मौजा डोलपुरा त० फिरोजाबाद खसरा नं० 323 'म्र' रकथा के 8 विषवा 1.5 विसवांसी पुख्ता लगनि 73-40 पैसे व खसरा नं० 323 व रकबा 6 विषवा 1.3 विसवांसी पुख्ता लगानी भूमि घटी 4.35 पैसे मालाना, किता 2 रक्वा के दावे 16 विघा विषवा 8 विसंवान्सी पुख्ता पैमायस 5 ख आसामि मेघ सिंह बूबू राम हेत सिंह पश्चिम चकरोड उत्तर चक्र रोड़ दक्षिण चकरोड।

> भ० च० चतुर्वेंदी सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) (ग्रजॅंन रेंज) कानपुर

तारीखः 22-10-1979 **मोह्**रः प्ररूप माई० टी० एन० एस०----

श्रायकर ग्रधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) **के ग्र**धीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 24 ग्रम्तूबर 1979

निदण सं० एफ०नं० 1254/एक्यू/कानपुर/78/79---यतः मुझे भ० च० चतुर्वेदी

श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),की धारा 269 ख के स्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से श्रधिक है

प्नौर जिसकी सं० 118/219 है तथा जो कौ शल पुरी में स्थित है (ग्रौर इनसे उपाबद्ध प्रनुसुची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्री-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, नारीख 6 ग्रग्रैल, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विख्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिणत अधिक है ग्रौर अन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य न उक्त अन्तरण निखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी अाय या किसी धन या घन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर प्रधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त घ्रधिनियम या धनकर अधि-नियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ढारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में मुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब उक्त मधिनियम की धारा 269ग के मनुसरण में, में, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के ग्रधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात,:---

- 1. श्रीमती अमर कौर पत्नी एस० प्रजीत सिंह। (प्रन्तरक)
- श्री चरणसिंह ग्रौर हरवंश भिंह पुत्र घ्यान सिंह 118/ 216 कौणलपुरी कानपुर।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन केलिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षण :----

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में सं किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) स सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पात में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति ढारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।
- स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का जो उक्त अधि-नियम के श्रध्याय 20क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक किंता मकान नं० नं० 118/123-वी कौंशल पूरी कानपुर।

> भ० च० चतुर्वेंदी सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त निरीक्षण) (श्रर्जन रंज), कानपुर

तारीख: 24-10-1979 मोहर: प्ररूप माई० टी० एन० एस०---

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269ष (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 ग्रक्तूबर 1979

निर्देण सं० 915-ए/पी०एन०/जी०बाद/78-79-----यत मझे भ० च० चतुर्वेदी

प्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात 'उक्त अधिनियम कहा गया है),की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्सास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रू० से प्रधिक है

म्रोर जिसकी सं० 1230 है तथा जो स्थित शाहपुर वम्हेटा में स्थित है (ग्रोर इससे उपाबद्ध भ्रनुसूची में ग्रोर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्याजय गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन,तारीख 12 मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजर मूल्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है और मुझे यह विषवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और यह कि प्रन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकन, निम्गलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तकि रूप से कथित गहीं किया गया है:---

- (क) भ्रन्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत, उक्त ग्रधिनियम, के ग्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी थ्राय या किसी धन या ग्रन्थ आस्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर अधिगियम, 1922 (1922) का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ढारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जागा चाहिए था, छिपाने में स्रविधा के लिए।

भ्रत: ग्रब, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के भ्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-ष की उपधारा (1) के भ्रधीन निम्गलिखित व्यक्तियों, श्रर्थास्:--- 1 श्रीमती कमला देवी उपनाम कमलोपत्नी श्रीलाक घन्द्र द्वारा श्री हरिचन्द्र कुमार चौधरी स्वयंश्री ग्रोर मिंह मुख्तार ग्राम व श्रीपती उमतो देवी वर्तमान निवासी बम्बई-3 सुरेश कुमार चौधरी पुद्र स्व० छवील दास चौधरी नियासी 5 जी० टी० रोड, गाजियावाद।

(ग्रन्तरक)

2ृश्री खचेडू सिंह पुत्र वीरनरायण व धर्मवीर पुत निखीराम निवासी ग्राम दुशन परगना अधरी जिला गाजियाबाध।

(ग्रन्तरिती

को यह सूचता जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के क्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाज की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीरत पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा :---
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति ब्रारा ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अघ्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

म्रनुसूची

गारा नं० 1230/1 III/3 स्थित शाहपुरवम्हैटा परगना डासेना तहसील व जिला गाजियाबाद में स्थित है।

> भ० च० चतुर्वेदी सक्षम प्राधिकारी निरीक्षी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त ग्रर्जन रेंज०, कानपुर

तारीखः 22-10-1979 मोहरः भाग गि---बग्द 1]

ाषा याई०टी०एन०एस०-----

ग्रायकर ग्रह्मिनियम. 1961 (1961 का 43) की धारा 269व (1) के ग्रधीन सूचना

भारत मरकार

कार्यालय, सहायक भायकर भायुक्त (निरीक्षण)

भ्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 ग्रक्तूबर, 1979

निर्देश सं० 959-ए/पी०एन०/मु० नगर/78-79---यतः मुझे वी० सी० चतुवदी

आयकर भग्नितियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उत्तर अत्रितियम' कहा गया है), को घारा 269-ख के अधोन मझम पाधिकारी की, यह जिस्ताम करने का कारण है कि स्थावर पम्पत्ति. जिपका उचित बाजार मूल्य 25,000/-क्ष्पए से मधिक है

श्रौर जिसकी सं० 271 है तथा जो मौजा खरड में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय बुधाना में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 23-3-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूस्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तरित को गई है मौर मुझे यह विश्वाल करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूख्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृष्ण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत ग्रधिक है मौर प्रस्वरक (प्रन्तरकों) मौर अन्द्ररिती (प्रन्तरितियों) के बीव ऐसे प्रस्वरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त घग्वरण लिखित में बास्तविक रूप ते कथिन नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी धाय की यावल, उक्षत धालि-लियम के अधीन कर देने के मन्दरक के दायित्व में अमी तारने या उनमें कचने में सुविधा के लिए; भोर/या
- (ख) ऐसी किसी भाष या किसी धन या भग्य भ्रास्तियों को जिन्हें भारतीय घाय-कर भधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रसिनियम, या धार-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने म सुविक्वा के लिए;

 श्री मलखान पुत्र गंगाराम नि. खरड परगना वतह० बुढाना जिला मुजपरगढ़।

(ग्रन्तरक)

 श्री भ्रोंकार व योगेन्द्र व देवेन्द्र (वालिगान) व विषोष कुमार (नाबालिग) पुत्र क्याम सिंह सरक्षक जहान सिंह पुत्र गंगा राम निवासीगण खरड परगना व तहसील वुढाना जिला मुजपरनगर। (भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारो करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजैन के लिए कार्यवाहियां करसाहूं।

उनम सम्पत्ति के प्रजंत के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (स) इ.त सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की भ्रवधि या तस्तम्बन्धी क्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भ्रवधि, जो भी भ्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के मीतर पूर्वोक्त क्यकिनयों में से किसी व्यक्ति धारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवट किसी ग्रम्थ व्यक्ति द्वारा ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

श्यध्यीकरण अन्न-इसमें प्रयुक्त शब्दों मौर पर्दो का, जो उक्त प्रक्ति नियस ुके प्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही भर्ष होगा जा उद्य नश्याय में दिया गया है।

प्रनुस्चो

कृषि भूमि न॰ ख॰ 1462/61) 2 व 1235/53 व 1236/52+14 व 1237/52 व 1238/51+14 व $1239 \pi / 11+6$ व $1246 \pi / 1$) 2 व 1419 / I) 2 व 1448/II व 1451/III) 2+8 व 1454/11) 4 व 1489/52 10 व 1508/1 III 1 व 1247/53 व 1246/1/2 15 किते 1212) 1+12 लगानी 125 र॰ सालाना वाके रकवा मौजा खरा परगना व तहसील बुढाना मुजफ्फर-नगर में स्थित है।

वी० सी० चतुर्वेदी सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुन्त (निरोक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर तारीख: 22-10-1979

मोहर ः

[भाग III--खण्ड 1

प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०---

म्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के श्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्नर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 24 श्रक्तूबर, 1979

निर्देश सं० 979-ए/गाजियाबाद/79-80----यतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

ग्नायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है

स्रौर जिसकी सं० 95/184 है तथा जो ए, एव, बी० दयानन्द नगर गाजियाबाद में स्थित है (स्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में स्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख 29 मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी ग्रांय की बाबत उक्त श्रधि-नियम के ग्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में म्रुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों ग्रर्थातू :---

- श्री कुवर कृष्ण व श्री ललित कुमार पुत्रगण श्री धूमीलाल उपनाम श्री धूमी मल निवासी 79 एफ० कमला नगर, देहली बर्तमान निवासी माडल टाऊन देहली।
 (ग्रन्तरक)
- 2. श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र श्री इन्द्र रतन जैन निवासी 95/184 ए० बी० दया नन्द नगर माडल टाऊन गाजियाबाद।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्रर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्र काशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के ंपास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रोर पदों का, जो श्रायकर श्रधिनियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही श्रर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

भ्रनुसूची

कोठी नम्बर 95/184 ए, एव, बी० स्थित दयानन्द नगर माडल टाऊन गाजियाबाद में स्थित है।

> बी० सी० चतुर्वेदी संझप क्रधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 24-10-1979 मोहर: त्रक्ष साई∙ टी॰ इन॰ एत∙---

म्रायकर ग्रीधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-म (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर भायुक्स (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 श्रक्तूबर, 1979

निर्देश सं० 1009-ए/पी०एन०/सधर्ना/78-79 --यतः मुझे भ० च० चलुर्वेदी

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त प्रधिनियम कहा गया है), की धारा 269 ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-र• से प्रधिक है

श्रीर जिसकी सं० 223, 226 है तथा जो ग्राम निरपुड़ा में स्थित है (श्रौर इससे उपाबढ़ ग्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय सरधना में, रजिस्ट्री-करण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 26 मार्च, 1979

को पूर्बोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विषवास करने का कारण है/कि यवापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पग्द्र प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (मन्तरकों) भौर मन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वाक्तबिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रस्तरण से हुई किसी आप की बाबत, उक्त मधि-नियम के प्रधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या मन्य भास्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर ग्रंधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त ग्रंधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनायं ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या कियाजाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अता अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269व की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- श्री कदमा पुत्र हरदेवा जाट निरपुड़ा परगना वरनावा तह० सरधना (मेरठ)।

(ग्रन्तरक)

2. सुरज सिंह, जयपाल सिंह, राजपाल सिंह पुत्रगण रघुवीर सिंह, प्रीतम सिंह पुत्र कदमा जाट निरपुरा परगना वरनावा तह० सरधना जिला (मेरठ)। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्रजैन के लिए कामँवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के ग्रार्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेपः---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ब) इस सूचना के राजपत पें प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त क्यावर सम्पत्ति में हितबद किसी भ्रन्थ व्यक्ति द्वारा भ्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सफोंगे।
- स्मब्टोकरण :----इसमें प्रयुक्त सम्दों और पदों का, जो उक्त झधि-नियम के प्रष्ठपाय 20-क में परिभाषित है वही प्रयं होगा जो उस अब्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 901/4-15 लगान 104.80 पैसे नम्बरान $\frac{223}{9 III}$, $\frac{226}{11}$ निरपुरा परगना वरनावा तहसील सरधना जिला मेरठ में स्थित है।

> भ० च० चतुर्वेदी सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

तारीखः 22-10-1979 **मोहर**ः प्र**रूप माई**∘टी∙ एन∙ एस•-

आयकर मधिनियम; 1961 (1961 का 43) की धारा 269व (1) के मधीन सूचना

भोरत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण)

म्नर्जन रेंज, कानपुर

कानपूर, दिनांक 2 नवम्दर, 1979

निर्देश सं० 1261/म्रर्जन/फिरोजाबाद/78-79—यत: मुझे बी० सी० चर्ल्वेवी

भायकर प्रक्रिपियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परपात 'जक्त प्रधितियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सखम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्वावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मूस्य 25;000/-ब॰ से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० एक किता विल्डिंग है तथा जो दसोजी निकट लेबर कालोनी में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्व ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, फिरोजाबाद में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 31 मार्च 1979

को पूर्वोंक्त संपत्ति के उचित वाजार मुल्य से कम के दुश्यमान को प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रहे प्रतिशत से मणिक है मौर प्रस्तरक (मन्तरकों) मौर प्रस्तरिता (धन्तरितियों) के बीच ऐसे मस्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिकाल, निम्नलिखित उहेश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) प्रस्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त सधि-नियम के प्रधीन कर बेने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में अविधा के लिए; बीर/या
- (ख) ऐसी किसी भाग या किसी घन या अस्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, गा घनकर अधिान म, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिनी द्वारा प्रकट नहीं किमा गया या या किया जाना जाहिए या, छिपाने में सुविधा के लिए;

प्रसः मन, उक्त यधिनियम की धारा 269भा के अणुः सरण में मैं, उक्त ग्रंधिनियम की धारा 269भा की डपद्वारा (1) के अधीन निक्नसिखित व्यक्तियों, प्रयॉत:--- श्री स्वाधीन प्रसाद व रामसेवक व जगदीग प्रसाद व रघुवीर प्रसाद पुत्रगण श्रीरामजी व श्री मती सुग्रीला देवी विधवा पत्नी प्रवीणदत्त व श्री प्रमोद चन्द पुत्न स्वाधीन प्रसाद निवासी ग्यामगली, फिरोजा-बाद।

(ग्रन्तरक)

 श्रीमती जयन्ती देवी बंसल धर्मपत्नि श्री हारलाल व श्री सुरेशचन्द पुत्न श्री श्रीधरलाल निवासी गण जलेसर रोड़, फिरोजाबाद।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के निए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की क्षवधि या तस्सम्बन्धी श्वक्तियों पर मुचना की तामील से 30 दिम की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचमा के राजपत में भकाशन की तारील से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबड किसी मन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहक्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पच्छीकरण: ---इसमें प्रमुक्त शब्दों खौर पयों का, जो उक्त घछि-नियम के आख्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही धर्ष धोगा को उस ग्राप्याय में दिया गया है।

अन्सूचो

एक किता विलिंडग कारखाना नाके मौजा दतोजी निकट लेवर कालोनी फिरोजाबाद, पूर्व प्राराजी रयुवर दयाल पश्चिम एम० के० ग्लास वर्क्स उत्तर सड़क सरकारी दक्षिण जायदाद श्री धरसाल जी व उमिला देवी। बिर्लेडग का क्षेत्रफल 17750 वर्ग फुट है।

> बी० सी० चसुर्वेदी सक्षम प्राधिकारी सह्रायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, कानपुर

तारीखः : 2-11-1979 मोहरः प्रकृप ग्राई॰ टी॰ एग॰ एस॰-----

आयकर घश्विनियम, 1961 (1961 का 43) की बारा 269-घ(1) के ग्राधीन सूचना

मारत सरकार

कार्यांसम, सहायक भायकर भायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 2 नवम्बर, 1979

निर्वेश सं० 1260/म्रर्जन/फिरोजाबाद/78-79—यत: मुझे बी० सी० चसुर्वेदी

प्रायकर ग्रमिनियम, 1961 (1961 का 43) (विसे इसमें इसके पक्षात 'उक्त ग्रमिनियम' कहा गया है), की खारा (269-ख के अधीन सज़न प्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-क्पर्ये से अधिक है

भौर जिसकी सं० एक महाता है तथा जो मौजा दतोजी में स्थित है (श्रौर इससे उपावद ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय फिरोजाबाद में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 31 मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुक्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूख्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुष्ममान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है मौर यह कि मन्तरक (मन्तरकों) और मन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखिन में नास्तरिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत उक्त भौधिनियम के भंधीन कर देने के सन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी आप या किसी धन या भग्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भाषिनियम या धन-कर मधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा इकट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए था, खियाने में सुविधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम, की घारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की घारा 269-घ की उपबारा (1) के बाधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- श्री स्वाधीन प्रसाद , श्री रामसेवक , जगदीग प्रसाद व रघुवीर प्रसाद पुत्र श्रीराम जी व श्री सुगीला देवी विधवा परिन श्री प्रवीण दत्त निवासीगण म्याम गली, कस्बा-फिरोजाबाद।

(भ्रन्तरक)

2. श्री धरलाल पुन्न श्री शंकर लाल जी वश्री मती उर्मिला देवी पत्नि श्री सुरेश चन्द्र निवासी जलेसर रोड़ फिरोजाबाद।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धासोप----

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को सवधि या तस्सम्बन्धो व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में से किसी क्यक्ति ढारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीय से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में द्वितबद किसी मन्य व्यक्ति दारा, प्रघोद्दस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे ।
- स्पथतो करणः :---इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का, जो डक्छ अधिनियम के भ्रध्याय 20—क में परिभाषित है, वही भर्थ होगा जो उस भ्रध्याय में दिया गया है।

बनुषुत्री

एक किसा अहासा वाके मौजा दतोजी निकट लेवर कालोनी फिरोजाबाद वाहर चुंगी

पूर्वः मोराजी रघुवर क्याल पश्चिमः एम० के० ग्लास वर्क्स उत्तरः नवीन ग्लास प्रोर्टक्टस दक्षिणः सड़क सरकारी। महाता 28984 वर्गे फुट है।

बी० सी० चतुर्वेदी सक्षम प्राधिकारी सहायक मायकर माय्क्स (निरीक्षण) म्र्जन रेंज, कानपुर तारीख : 2-11-1979

मोद्दर:

प्ररूप ग्राईं• टी∙ एन० एस∙-----

मानकर जविनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

289-म(1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, कानपूर

कानपुर, दिनांक 2 नवम्बर 1979

निर्देश सं० 1212/ग्रर्जन/मथुरा/78-79----यतः, मुझे, थी०सी० चतुर्वेदी,

आयकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्वात् 'उक्त मधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के मधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित बाजार मुल्य 25,000/-रूपये से मधिक है

म्रोर जिसकी सं० 42 म्र० है तथा जो मौजापुरा में स्थित है (म्रौर इससे उपावद म्रनुसूची में म्रौर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्री-कर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय मथुरा मे, रजिस्ट्रीकरण म्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के म्रधीन, तारीख 19मार्च 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रविफन के लिए सन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दूश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दूश्यमान प्रविफन का पम्रह प्रतिक्षत से मधिक है मौर सम्तरक (मन्तरकों) मौर सन्तरिती (मन्तरितियों) के वीच 'ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखिन उद्देश्य से उक्त अन्तरण बिद्यित में बास्नविक रूप से कथिन नहों किया गया है :---

- (क) अग्तरण से हुई किसी माथ की बाबत उक्त भौधिनियम के अधीन कर देने के मग्तरक के दायित्व में कमी करने या उत्तसे बचने में सुबिधा के लिए; और/या
- (ल) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मधिनियम, या धन-कर मधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भतः अब, उक्त मधिनियम को घारा 269-ग के मनुसरण में, सैं, उक्त मधिनियम की घारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन निज्मलिखित व्यक्तियों अर्थात:--- श्री बहाबुर सिंह पुत श्री भंवर सिंह नि॰ ग्राम मगोरी डा॰ खास तहसील व जिला मथुरा।

(ग्रन्तरक)

2. श्री षमंडी सिंह पुत्र श्री मुरलीधर, हिस्सा 1/2 व प्रहलाद सिंह व रमेशचन्द वालिंग व जितेन्द्र सिंह उम्प्र 12 साल नावालिंग पुत्रगण व विलायत जगन प्रसाद मगोरी डा० खास तह० मथुरा।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी मन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- रपण्डीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही आर्थ होगा जो उन प्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूर्चा

थाराजी नम्बर 42 अ, रकबा 17.01 दि॰ लगानी 56/-रुपये वरके मौजा पुरा तहसील व जिला मथुरा में स्थित है।

> बी० सी० चतुर्वेदी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख_ाः 2-11-1979 मोहरः प्ररूप गाइं० ही∙ एन० एस∙-----

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 4.3) की धारा 289-घ(1) के मधीन सुभना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 2 नवम्बर 1979

निर्देश सं० 747/ग्रर्जन/ग्रागरा/78-79----यतः, मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी,

आयकर मविनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त मविनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के मधील सआन प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- द• से प्रधिक है

श्रीर जिसकी सं० मकान नं० 33/28 है तथा जो वाके श्रादर्श नगर में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध श्रनसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय ग्रागरा में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन,तारीख 23 मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिकृत के लिए प्रन्तरित की गई है प्रीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का अग्रह प्रतिशत से अधिक है ग्रीर अन्तरक (अग्तरकों) ग्रीर प्रग्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नसिखित उद्देश्य से उपत जन्तरग जिखित यें आस्त्रबिक रूप से रूपिंग नहीं किया गया है :---

- (क) यभ्तरण से हुई किसी आय की बाबत उपन वधि-तियम के सप्तीन कर देने के सम्तरफ के दायित्व में कमी करने या उसते बजने में सुविधा के लिये; और/या
- (ख) ऐ जो किसो आय या किनो धन या अग्य मास्तियों को, जिन्हें भारतीय मायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भघिनियम या मन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अत्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना बाहिए था, छिपाने में स्विधा के जिबे;

अतः श्रत्र, उक्त अधितियन कां प्रारा 269-ग के मनुसरण में, मैं, ' उक्त अधिनियम, की धारा 269-व की उपकारा (1) के अधीन निल्नलिखित व्यक्तियों, प्रयात् :--- श्री कैलाग नाथ प्रसाद वैद्य पुत्र श्री मुंगी प्रसाद कल्लू नि० हाल नादान महल रोड समीप राम नाथ थियेटर विल्डिंग, लखनऊ। (भ्रन्तरक)

2. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी नारायण प्रसाद व श्रीमती नीना कुमारी पतिन अशोक कुमार व अनिल कुमार पुत्र श्री प्रकाण नारायण, 63 प्रतापपुरा छावनी श्रागरा। (प्रन्तरिती)

को यह सूचना जारो करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्राजैन[ः] के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

जबत मम्पलि के प्रजन के मम्बन्ध में कोई भो याक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामोल से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि खाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्र्योक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्प्रत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पब्दीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्रों भीर पदों का, जो उक्त अधिनियम के प्रत्याप 20-क में परिभाषित है, वही प्रयं होगा, जो उस भ्रष्माय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नम्बर 33/28 वाके ग्रादर्श नगर रकाबगंज वार्ड ग्रागरा में स्थित है।

> बी० सी० चतुर्वेदी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 2-11-1979 मोहर: प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

मायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सर्कार

कार्यालय, सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 2 नवम्बर 1979

निर्वेश सं० 746/श्रर्जन/श्रागरा/78-79-----यत्ः, मुझे, बी० सी० चतुर्वेदी,

झायकर म्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त म्राधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के स्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उच्चित्त बाजार मूल्य 25,000/-द∘ से म्राधिक है।

झौर जिसकी सं० 1/3, 36/2/12 है तथा जो न्यू प्रागरा महापालिका में स्थित है (श्रौर इससे उपावढ़ श्रनसूची मे झौर पूर्ण रूप सेव वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्सा श्रधिकारी के कार्यालय श्रागरा में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 18 फरवरी 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूग्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मम्पत्ति का उचित बाजार मूख्य, उसके दूग्यमान प्रतिफल से, ऐसे दूग्यमान प्रतिफल का पन्द्रष्ट प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तकि रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) फ्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व म कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्राय-कर ग्राधिनियम, 1922 (1922 का 11) पा उक्त प्रधिनियम, या धन-कर ग्राधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनीर्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भातः भ्रज, उक्त मधिनियम की धारा 269-गके मनुसरण में, मैं, उक्त भ्रधिनियम, की धारा 269-घकी उपधारा (1) के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, भर्षात् :--- श्रीमती सरवती देवी विधवा श्री बृंजवासीलाल सक्सेना निवासी ए-3, 36/2, न्यू ग्रागरा।

(भ्रन्तरक)

 श्रीमती सुषमा शर्मा पत्नी श्री कृष्ण गोपाल शर्मा निवासी सूर्यनगर हाल ए- 1/3 न्यू ग्रागरा।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रावधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम, के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं श्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नम्बर 1/3 नगर महापालिका नम्बरी 36/2/12/ न्यू ग्रागरा का पूर्वी भाग है।

> क्षी० सी० चतुर्वेदी सक्षम प्राधिकारी सहायक झायकर झायुक्त (निरीक्षण) झर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 2-11-1979 मोहर: भाग III--- आपक 1]

किया गया है।--

भारत का राजपन्न, दिसम्बर 1, 1979 (अग्रहायण 10, 1901)

प्ररूप बाई • टी • एन • एम • -----

आयकर प्रधितियम, 1961 (1961 का 43) की भारा

269-ष (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

म्रज़र्न रेंज, कानपूर

कानपूर, दिनांक 2 नवम्बर 1979

निर्देश सं० 390/ग्रर्जन/ग्रलीगढ़—यतः मुझे बी० सी० चतुर्वेंदी

आयकर अधितियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'डक्त अधितियस' कहा गया है), की घारा 269-ख के भधीन सबाम प्राधिकारी को यह विश्वाम करने का कारण है कि म्थाबर सम्पत्ति, जिमका उचित वाजार मूल्य 25,000/- ग-से मधिक है

श्रीर जिसकी संज में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनु-सूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय ग्रलीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 31 मार्च 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूक्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तरित की गई है पौर मुझे यह विषयास करने का कारण है कि मथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उनकं इक्यमान प्रतिफल से ऐसे दृष्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से प्रश्निक है घोर मन्तरक (प्रन्तरकों) और प्रन्तरिती (प्रम्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से खक्त प्रन्तरन किखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं

- (क) अस्तरण से हुई किसी भाग की बाबत, उस्त मधितियम क अधीन कर देने के अप्तरक के दावित्व में कमा करने या उससे बचने में सुविधा के जिए; धीर/या
- (ख) ऐसो किसो यार या हिता जा या प्रत्य प्रास्तियों को जिल्हें मारतीय घाय-कर घघिनियम, 1922 (1922 का 11) या **उक्क घधिनियम**, या घन-कर घघिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाथ प्रान्तरिती ढारा प्रकट नहीं किया गया पा या किया जाना चाहिए घा, फियाने में सुविधा के लिए;

 श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री परमानन्द बोहरा साकिन सराय दमान जीत गंज श्रलीगढ़।

(ग्रन्तरक)

 श्री मोहम्मद फिरोज पुल श्री हाजी ग्रब्दुल वजीद माकिन उस्मान वाड़ा ग्रतायान ग्रसीगढ़। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के धर्जन के संबंध में कोई मी साक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (खा) इस सूचना के डाजपत में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी अस्य व्यक्ति ढारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पान लिखित में किए जा सर्केंगे।
- स्पक्षीकरणः--इसमें प्रयुक्त गव्दों भौर पदों का, जो उक्त अधिनियम के झध्याय 20-क में परिभाषित है, वही भर्ष होगा जो उस झध्याय म दिया गया है।

अनुसूची

चार किता मकान में वाला खाना जीना के सब्जी सण्डी मोहम्मद ग्राली रोड़ अलीगढ़ में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी सक्षम प्राधिकारो सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, कानपुर तारीख : 2-11-1979 मोहर : র रूप आई॰ टी॰ एन॰ ए॰⊷––

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा

269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्स (निरीक्षण)

म्रजेन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनकि 3 नवम्बर 1979

निर्देश सं० 916-ए/गाजियाबाद/78-79----यतः मुझे बी०सी० चतुर्वेदी

व्यायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की घारा 269- के अधीन सक्षम श्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचिन बाजार मुस्य 25,000/- प• से अधिक है

श्रोर जिस की सं० 151 है तथा जो चन्द्रपुरी सिंहानी गेट में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबढ़ अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 9 मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए धन्तरित को गई है भ्रीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है धौर धन्तरका (धन्तरकों) भौर धन्तरिती (धन्तरितियों) के बीच ऐसे धन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त धन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (फ) ग्रन्तरण से हुई किसी भाग की बाबत, उक्त ग्रधिनियम के भ्रधीन कर देने के ग्रम्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी घन व मन्य मास्लियों को जिन्हें भारतीय ग्राय-कर मधिनियम, 1922 (1922 का 11) याउक्त मधिनियम, या धन-कर ग्राधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए छिपाने में स्¹वधा के लिए:

म्रतः ग्रब, उक्त मधिनियम की धारा 269-ग के मनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-घ की उपघारा (1) म्रशीन निम्नलिखित व्यक्तियों मर्थीष्:---- 1. श्री बजलाल पुस्न गुलाब राम निवासी 860ए जी० टी० रोड़ गाजियाबाद बखाते खुद व भागीदार मैसर्स एवरेस्ट फाउन्डरी एण्ड इंजीनियरंग कम्पनी व मैसर्स एवरेस्ट फाउन्डरी एण्ड कम्पनी मुकन्द नगर हापुड़ रोड गाजियाबाद जिसके भागीदार इस समय बूज लाल एवं सुरेन्द्र कुमार पुत्न बृज लाल 86ए गुप्ता कालोनी जी० टी० रोड़ गाजियाबाद।

(ग्रन्तरक)

2. मैंसर्स बाक्षूराम श्रीचन्द कबाड़ी 151 चन्द्र पुरी सिंहानी गेट गाजियाबाद, द्वारा भागीदार हरीचन्द गुप्ता पुत्न लाला बाब्रू राम निवासी 151 चन्द्रपुरी सिंहानी गेट गाजियाबाद।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 45 दिन की श्रवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में से किसी क्यक्ति द्वारा;
- (खा) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की क्षारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पण्डी करणः – इसमें प्रयुक्त क्रब्वों ग्रीर पदों का, जो उक्त ग्रसि-नियम, के श्रख्याय 20-क में परिभाषित है, वही श्रर्व होगा, जो उस श्रध्याय म दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति नवम्बर 142-बी क्षेत्रफल 2204 वर्ग गज मुकन्बनगर हापुड़ रोड़ गाजियाबाद में स्थित है। बी०सी० वतुर्वेदी सक्षम प्रधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्स (निरीक्षण)

म्रजॅन रेंज, कानपुर

तारीख : 3-11-1979 मोहर : प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

पायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरोक्षण)

म्रजन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, विनांक 10 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए०पो० नं० 619---ग्रतः मुझे, सुखदेव चन्द, प्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख क प्रधोत पत्रम प्राधिकारों को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-ध्पए मे प्रधिक है

श्रीर जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसुची में लिखा गया है तथा जो मान्सा में स्थित है (श्रीर इससे उपावढ अनुसुचो में गौर पूर्ग का ने वर्गित है) रजिस्ट्रा कर्ता स्रधिकारों के कार्यालय मान्सा में रजिस्ट्रे करण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधंजन दिनांक 25-5-79 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित जाजार मूल्य से कम के दृश्यमान गतिका क निए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार भूत्व, उनके दृश्यभान प्रतिकत से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का गन्द्र प्रतिशत से प्रधिक है और अन्तरक (प्रन्तरकों) प्रोर प्रसरितो (प्रन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखिन में बाहनविक कर न कथित नहीं किया गया है :---

- (क) प्रन्तरण ये हुई किसी आय को बाबत उक्त प्रधिनियम के प्रधीन कर देने के भ्रम्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसो किसो प्राय या किसी धन या प्रन्य भारितयों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रधिनियम, या धन-कर प्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती धारा भ्रकट नहीं किया गया था या किया जाना काहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के जनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों. अर्थात्:---

- श्रो गंकर दास पुत्र राम प्रशाद पुत्र सोहन लाल चाणी बी-14 सेठी कलोनी जेंपुर (अन्तरक)
- 2. श्री राजिन्दर कुमार पुत्न हंस राज मार्फंत मदन लाल चुनी लाल ग्रेन मार्किट, मान्सा ।

(अन्तरिती)

 जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा गया है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।
 (वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी)

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद है)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्पति के **अर्जन के** लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रजंत के सम्बन्ध में कोई भी ग्राकोप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताकारी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टोकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों स्रोर पदों का, जो उक्त ∮स्रधिनियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा जो उस स्रघ्याय में दिया ्रैगया है।

अनुसूची

अमोन जो कि विलेख करता अधिकारी नं० 738 मिती 25-5-79 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मानसामें लिखी गई है।

> सुखदेव पन्द सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्रायुक्स (निरीक्षण) म्रर्जन रेंज, भटिंडा

तारीखः 10-9-79 मोहरः

प्ररूप आई०टी० एन० एस० ------

आयकर म्राधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के ग्राधीन सूचना

भारत सरकार

कांगीलय, सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनाँक 10 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पो० नं० 620—अतः मुझे सुख, देव चन्द, अरायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पृथ्चात 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से ग्रधिक है

श्वौर जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूचो में लिखा गया है तथा जो मानसा में स्थित है (श्वौर इससे उपाबद्ध अनुसूचो में श्वौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रें/कर्ता श्रधिकारों के कार्यालय मानसा में रजिस्ट्रें/करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधोन दिनांक 25-5-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए श्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूख्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है और अन्तरक (श्रन्तरकों) और श्रन्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, उक्त ग्रिधिनियम के ग्राधीन कर देने के श्रन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी माय या किसी धन या म्रन्थ आसितयों को, जिन्हें भारतीय ग्राय-कर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

म्रतः मन, उक्त श्रधिनियम की घारा 269-ग के अनुसरण ,मे, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित क्यक्तियों, अर्थातु:---- 1 श्री जुगल किशोर पुत्र राम प्रसाद मानसा ।

(अन्तरक)

 श्रो पियारा लाल पुत्र जौहर चन्द उलर तहमील, दफ्तर मानमा।

(भ्रन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा गया है।

(वह व्यक्ति, जिसके श्रभिधोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है ¹ (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहम्ताक्षरी जानता है कि बह सम्पति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ग्राधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टोकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम के अध्याय 20-क में परिमाषित है, वही श्रर्थ होगा जो उस झध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो कि विलेख नं० 739 मिती। 25-5-79 को रजिस्ट्रीकर्ता ब्रधिकारा मानमा में लिखा गया है।

> सुख देव चन्द सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर स्रायुक्त (निरीक्षण) क्रर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीखः 10-9-79 मोहरः भाग III ---- खण्ड 1j

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰-----

भाभकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) को घारा 269-घ(1) के ग्रधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, भटिंडा

भटिडा, दिनांक 12 अक्त्यूबर, 1979

निदेश सं० ए० पा० सं० 636——अतः सुझे, सुखदेव चन्द, भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 कः 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वाल करने का कारण है कि स्थावर संवत्ति जिमका उचित बाजार मुख्य 25,000/- ४० से मधिक है

श्रीर जिसकः सं० जैसा कि ऊपर अनुसूच में लिखा है तथा जो हरजिन्दर नगर तहल क फर दकोट में स्थित है (और इसके उपानढ़ अनुसूचे में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्राफ्ता अधिकारों के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, (1908 1908 का 16) के श्रधांन दिनांक 12 अप्रैल 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई हैं और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि पथापूर्वोक्त मम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दूश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दूश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से प्रतिक है और अन्तरक (अन्तरकों) घौर यन्तरितो (पन्तरिधियों) के बाव ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गडा मीफत. निम्तनिखित उद्देश्य में उक्त पन्तरण निखित में वास्तविक एव से कयित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबस उक्त ग्रविनियम के प्रधीन कर देने के अग्तरक के दायिस्व में कमी करने या जससे बचने में सुविधा के लिए: और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों को जिन्हें भारतीय प्रायकर भाधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त साधनियम, या धनकर आधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनार्थ सन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाह्यए या, छिपाने में सुविधा के सिए;

अत: यन, उक्त अधितियम, कां बार। 269-ग के प्रनुसरण में, मैं, उक्त मधितियम की धारा 269-ग की उपघारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :- अन्मतः मुदेश परित मूल राज पुत्र पारम राम वासी फर,दकोट ।

(अन्तरक)

- श्री कोकर सिंह, पुन्न बिशन सिंह पुन्न चनन सिंह वासो पिड पंच ग्रेन खुद तहसोल, फरोदकोट (अन्तरिती)
- 3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके ग्राधिभोगमें सम्पत्ति है)

जो व्यक्ति, सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षर) जानता है कि वह सम्पत्ति में हितब**ब है**)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भ्रार्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के म्रार्जन के सम्बन्ध म कोई भो प्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन को ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी क्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ किसी भ्रन्य व्यक्ति ढारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- रूपक्तीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के घध्याय 20-का में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस धध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जो हर्राजन्दर नगर जोकि विलेख नं० 93 मिती 12-4-79 को एजिस्ट्री कर्ता ग्रोधिकारों फरोदकोट में लिखा गया है।

सुखदेव चन्द,

सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीखः 12-10-79 मोहरः

[भाग 111--खण्ड 1

प्रक) धाई∙ टी∙ एन॰ एस∙----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 थ (1) के अधोन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रोंज, भटिंडा,

भटिंडा, दिनांक 12 अन्तूबर 1979

निदेण सं० ए० पो० नं० 637——अतः मुझे सुखदेव चन्द आयकर प्रधिनियम, 1981 (1961 का 43) (जिसे इसम इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-जा के मधीन सझम प्राधिकारी को, यह विण्वास करने का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति, जिसका उचिस बाजार मूल्य 25,000/- द० मे प्राधक है

श्रीर जिसको सं० जैसा कि ऊपर अनुसूचो में लिखा गया है तथा जो सोवियन, तहसील मोगा में स्थित है (प्रौर इससे उपाबद श्रतुसूचा में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्राकती अधिकारो के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्राकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के प्रधोन दिनांक 19-4-79

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि ग्यापूर्वांक्न सम्पत्तिका उचिन बाजार मूल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, ज्रीर प्रन्तरह (प्रग्तरकों) ज्रीर अन्तरितों (अन्तरितियों) के बांच ऐसे अन्तरना के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्तलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरन निक्विन में वास्तविक कप म कथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुँई किसी खाय की बाबत उक्त अधितियम, के अत्रीत कर देने के अन्खरक के बाबिरव में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के खिए। जौर/या
- (ख) ऐसो किना बाथ या किना धन या मन्य मास्तियों को, जिन्हें नारतीय पाय-कर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, गा , झन-कर मधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोधनायं प्रन्तरिती ढारा प्रकट नहीं किया . ज्या वा या किया जाना चाहिए वा, छिनाने में सुविधा के निए;

अतः, भव, उक्त प्रधिनियम की झारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा (1) के झडीन, निम्बलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- श्रं रोखो राम पुत्न दोलत राम पुत्न रलाराम वासी पिंड सीवियन तहसील मोगा।

(भ्रन्तरक)

- श्री मुखतियार सिंह, जगराज सिंह, गुरमेल सिंह, हरबंस सिंह ग्रीर इंदर सिंह पुत्र बिशन सिंह वासों पिंड मलका तहसील मोगा।
 (प्रन्तरितो)
- जैसाकि ऊपर नं० 2 में लिखा है। (वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)
- 4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह ब्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी सरके पूर्वोन्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए नार्यवाद्वियो घरता हूं।

उल्ड सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेत :--

- (क) इस मूचना के उल्लाक म उकामल की गराख 45 दिन की मबधि था तरसंबंधी व्यक्तियों पर मूचना की तामील से 30 दिन की अध्धि जो भी मबधि बाद में समाप्त होती हो, के मीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से फिसो व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पन्ति में हि्तबद किसी मन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकोंगे।
- श्वण्थी करण :---इसमें प्रयुक्त सकों भोर पतों का, जो उक्त मधिनियम के प्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

लम् स्ची

जमीन जोकि विलेख 315 मिती 18-4-79 को रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी, तहसील मोगा में लिखी गई है ।

> सुख देव चन्द, सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण), भ्रर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 12-10-79 मोहर : प्ररूप आई.० टी.० एन० एस.०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ज (1) के अधीन सूचना

मारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 12 ग्रक्तूबर, 1979

तिदेश सं० ए० पो० नं० 638----ग्रतः मुझे, सुखदेव जन्य आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिन इसमें इसके पश्चात 'उस्त यधिनियम' कहाग्या है), की घारा 269-ख के अद्योत सक्षम प्राधिकारों को यह विण्वास करनें का फारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-भ्क से प्रधिक है

श्रोर जिसकी सं० जैमा कि ऊपर धनुसूत्रों में लिखा गया है तथा अप वैहेवल खुरद में स्थित है (श्रोर इससे उपाबढ़ प्रनुसूची में श्रोर पूर्ण रूप से बॉणत है) रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण ग्राधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्राध न दिनांक 23 4-79 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वाजार मूल्य से कम के वृष्यमान प्रतिफल के लिए अस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल न, ऐसे दृष्यमान प्रतिफल का पर्वह प्रतिशत से सांधक है और प्रस्तरक (धन्तरकों) धौर धन्तरिती (धन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के निए तथ पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त धन्तरण लिखित में वाक्सविक रूप से कजित नहीं किया गया है म्ल्

- (क) भग्तरण ने हुई किसी माय की बाबत, उक्त अधि-नियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने था उससे बचले में सुविधा के लिए; सौर/बा
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी छन या घस्य मास्तियों को, जिन्हें भारलीय ध्ययकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मधिनियम. या धनकर अधि-नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाय अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया जा जा किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः थव, उक्त महिनियम की घारा 269-ग के मनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269व की उपधारा (1) के मजीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--- श्री हजूरा सिंह पुत्र बाजिन्दर सिंह पुत्र हजारा सिंह वासी कोट कपूरा ।

(अन्तरक)

 श्री राम लुभाया पुत्र मैहेगी मल पुत्र वैहगा मल वासी पिंड वैहवल खुरद तहसील फरीदकोट पुराना सेहरा ।

(ग्रन्तरिती)

- 3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
- 4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में इचि रखता हो । 'वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रश्रोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद है)

को वह सूचना आरो करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के संजेन के लिए कार्सवाहियां करता हूं।

उपत सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की मवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की मवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवढ़ किसी प्रस्थ अ्यक्ति द्वारा अखोहस्ताकारी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पक्धीकरणः---इसमें प्रयुक्त झभ्यों कोर पदों काः, जो उक्त ग्राध-नियम के झभ्याय 20क में परिभाषित हैं, वही ग्रार्थ होगा, जो उस भक्ष्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जो कि विलेख नं 183 मिती 23-4-79 को रजिस्ट्री करता अधिकारी के कार्यालय में लिखा गया है ।

सुखदेव जन्द सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रार्जन रेंज, भटिंडा तारीख : 12-10-79 मोहर :

्माग III---ज•ड 1

त्ररूप आई•टी॰ एन• एस•-----

आयकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष (1) के मधीन सुचना

मारत मरकार

कार्यालय, महायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, भटिंडा

भटिडा, दिनांक 12 ग्रक्तूबर, 1979

ग्रौर जिसकी सं० जैसा कि ऊपर श्रनुसूची में लिखा है गया है तथा जो नवां शहर श्राबादी में स्थित है (श्रौर इससे उपाबढ झनु-सूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय नवां शहर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनांक 14-5-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूस्य से कम के बृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि मयापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुख्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्र प्रतिशत से प्रधिक है और सन्तरक (सन्तरकों) भौर यन्तरिती (प्रस्तरितियों) के बीच ऐसे सम्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रनरग विजित में वास्तविक रूप से कवित नहीं किया गया हे :---

- (क) प्रस्तरण से हुई िंधमी भाष को बावत उक्त धाधनियम, के सधीन कर देने के भग्दरक के ्दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 ा 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती ढारा प्रकट नहो किया गया या या किया जाना चाहिए या, छिपाने में नुविधा के निए;

पतः ग्रव, उक्त अधिनियम, की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, जक्त प्रश्वितियम की धारा 269-ध की उप-क्षारा (1) के प्रधीत, तिम्तलिखित व्यक्तियों, अर्थात्।--- श्री गुरअकाण, गर्रादयाल पुत्र गुरदास राम पुत्र भाना बासी रेलवे रोड, नया शहर ।

(ग्रन्तरक)

 श्री पुरुषोत्तम लाल, अणवनी कुमार, पुत्र देसराज पुत्र निहाल चन्द वासी नया णहर मोहल्ला प्रलदोख तहसील नया णहर ।

(ग्रन्तरिती)

- 3' जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । (वह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)
- जो व्यक्ति सम्पत्ति में गचि रखता हो।

(वह व्यक्ति जिनके बारे अधोहस्ताक्षरी

🕐 जानता है कि वह सम्पनि में हिनवड़ है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यव^हिया हरना है।

उक्त सम्पति के मर्जन के पंत्रंघ में कोई भी आक्षेप:----

- (क) धन भूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रावधि या तत्मंबंधी व्यक्तियों पर मूचना की तामोल से 30 दिन की अवधि, जो जी भावधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस ल्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त म्यायर सम्पत्ति में हितबद किसी भन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ता-करी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

अनुसूचो

जमीन जोकि ग्राबादी नया शहर जैसा कि विलेख नं० 462 मिती 14-5-79 को तहसील नया णहर रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी में लिखा गया है।

> सुखदेव चन्द सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख 12-10-79 मोहर : भाग III——-खण्ड 1]

प्रकप माई• टी∙ एन∙ एस∙------

मायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-म(1) के भधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रजन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 10 सितम्बर, 1979

निदेण सं० ए०पी० नं० 617, —- ग्रनः मुझे सुखदेव चन्द आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), को घारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-वपए से ग्रधिक है और

जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा जो मुकसर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय मुकसर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख 18-4-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित साजार मूल्य से सम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए भन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वाम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित यातार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पग्छह प्रतिशत से भधिक है मौर भन्तरक (मन्तरकों) मौर मन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखिन में वास्तविक का से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) भन्तरण से हुई किसी भाग की बाबत उपत भौधितियम के भधीन कर देने के भन्तरत क दापित्व में कमी करने ना उससे बचने में सुविधा क लिए; भौर/या
- (ख) ऐसो किसी आप या हिमो पत पा अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय धायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त श्रधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जामा चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्री भगवान सहाव पुत्र देवी सहाय पुत्र गोेपाल सहाव बासी मुकसर ।

(म्रन्तरक)

- 2. (1) श्री रिखी राम पुत्न कापूर चन्द
 - (2) राजकुमार पुक्र रिखी राम है
 - (3) नरिन्दर कुमार राजेश कुमार पुत्र बातीर चन्द पुत्र सोहनसल मोरफत ग्रग्रवाल पाईप सटोंट, रेनवे रोड, मुकसर ।

(ग्रन्तरिती)

- जैहा कि ऊपर नं० 2 में है। (वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है)
- 4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता हो । (वह व्यक्ति जिनके बारे में **अघोहस्ताक्षरी** जानता है कि वह सम्पत्ति में हित**वढ है)**

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति **के बजेन** के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भासोप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब के 45 दिन की मवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों सर सूचना की तामील से 30 दिन की मबधि, जो की मवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्रत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन को तारीच है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी मन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।
- स्पथ्टीकरणः -----इसमें प्रयुक्त शक्यों मौर पदों का, जो उक्त भविनियम के भध्याय 20-फ में परिफाषिट हैं, वही मर्थ होगा, जो उस भक्ष्याय में दिवा गया है।

*अन्*सूची

मकान जोकि विलेखनं० 186 मिसी 18-4-79 के रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी मकसर में लिखा गया है।

> सुखदेव चन्द सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 10-9-1979 मोहर: प्ररूप साई. टी. एन. एस.------

घायकर मॅथिनियम 1961 (1961 का 43) को घारा 269-थ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 10 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 618--- अतः मुझे सुखंदेव चन्द आधकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसें इसमें इसके पश्वात् 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधोन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूरेय 25,000/-इपए से प्रधिक है

श्रौर जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा जो बैंक रोड, मुकसर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबढ अनुसूची में श्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय मकसर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख 20-4-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूग्यमान प्रतिफल के लिये अग्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पम्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है गौर मन्तरक (अग्तरकों) और अन्तरिती (अग्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्थ से उफ्त अन्तरण लिखित में वाश्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) प्रस्तरण से हुई किसी घाय की बाबत, उक्त घाँछ-नियम के ग्रधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी जुआय या किसी घन व मन्य ग्रास्तियों को जिन्हें भारतीय थ्राय-कर घ्रधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त घ्रधिनियम, या धन-कर घ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए।

मतः मय, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के प्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रर्थात् :---- चमन लाल पुत्न बाहली राम मुकसर कलियान देवी पत्नी बाहली राम , मुकसर । दर्णन देवी पुत्नी बादली राम , मुकसर।

(ग्रन्तरक)

 ट. डा० दर्शन पाल बासल पुत्न श्री राम वैक रोड, मुकसर ।

(ग्रन्तरिती)

- जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा गया है। (वह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)
- 4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबढ़ है)

को यह सूचना जारी करने पूर्वीक्त सम्पत्ति के भ्राजैन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचन। के राजपक्ष में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन की भवर्षि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि, जो भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सुचना के राजपत्न में प्रकाशन की ठारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितबद किसी धन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पब्टीकरणः :-----इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का, जो उक्त भवि-नियम के भ्रष्याय 20क में परिभाषित है, वही ग्रर्थं होगा जो उस भ्रष्याय में दिया गया है।

मन्स्ची

जमीन 105.2 वर्ग गज, जोकि वैक रोड, मुकसर में विलेख नं० 223, मिति 20-4-79 को रजिस्ट्रीकर्ता थ्रधिकारी मुकसर में लिखा गया है।

> सुखदेव चन्द सक्षम ग्रधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भटिंडा

तारीखः 10-9-79 मोहरः प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०-----

मायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 27 सितम्बर, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 634---म्रतः मझे सुखदेव चन्द माय कर म्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त ग्राधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ब्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/-रुपये **म्र**धिक से हे बाजार ग्रौर जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा जो नई सूर्य नगरी, मंडी ग्रवोहर में स्थित है (ग्रौर इससे उपापद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी ग्रवोहर में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनांक 27-4-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूक्ष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है श्रौर मुझे यह विक्ष्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दूक्ष्यमान प्रतिफल से, ऐसे दूक्ष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिणत से अधिक है श्रौर अन्तरक (ग्रन्तरकों) श्रौर अन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देष्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) श्रन्तरण से हुई किसी म्राय की बाबत उक्त श्रधि-नियम, के भ्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; मौर/या
- (ख) ऐसी किसी म्राय या किसी धन या म्रन्य म्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय म्रायकर म्राधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त म्राधिनियम, या धनकर म्राधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ म्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

मतः, ग्रब, उक्त म्रधिनियम की धारा 269-ग के म्रनु-सरण में, मैं, उक्त म्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के म्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थातू:--- श्रीमती कुलदीप कौर पत्नी हरजिन्दर सिंह वासी पिंड बकायन वाला तहसील फाजिलका । (ग्रन्तरक)

 कुमारी रेनू पुत्री प्रेम कुमार पिंड धरागंवाला, तहसील फाजिलका ।

(ग्रन्तरिती)

 जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । (वह व्यक्ति, जिनके बारे में ग्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितपद्व है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्रार्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः----

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किस्ट्रि व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी प्रत्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पब्टीकरणः -----इसमें प्रयुक्त शब्दों झौर पदों का, जो उक्त म्रधि-नियम के म्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही स्रर्थ होगा, जो उस म्राप्याय में दिया गया है।

भ्रनुसूची

मकान जोकि विलेख नं० 279 मिती 27-4-79 को रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय श्रवोहर में लिखा गया है।

सुखदेव चन्द

सक्षम भ्रधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्स (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भटिण्डा

तारीख : 27-9-79 मोहर :

प्ररूप भारि टी । एन । एस

अग्रवकर अधिमियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269थ (1) के क्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक प्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 11 प्रम्तूबर, 1979

निदेश- सं० ए० पी० नं० 635—-ग्रतः मुझे सुखदेव चन्द भायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अचीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है।

मौर जिसकी सं० जैसा कि ऊपर घनुसूची में लिखा गया है तथा जो मकान गांधी चौक, मुकसर में स्थित है (ग्रीर इससे उपावज प्रनुसूची में मौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुकसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के मधीन दिनांक 27-4-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्य नात प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है भौर मुझे यह विश्वास करने क' क'रग है कि ग्या र्योक्त मनानि का उचित बाजार मूल्य, उसके दूश्यमान प्रतिकत से ऐसे दूक्यमान प्रतिकत का पस्तह प्रतिशत प्रधिक है और प्रन्तरक (प्रमारक्षें) प्रौर भन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरक (प्रमारक्षें) प्रौर भन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरग के जिए तब पाया गया: प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रमारण लिखिस में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रास्तरण से हुई किसी घारम की बाबत, उक्त ग्राधिनियम के धाधीन कर देने के ग्रन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/मा
- (का) ऐसी किसी भाय या किसी घन या ग्रन्य ग्रास्तियों को जिन्हें ग्रायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 1) या उक्त प्रधिनियम, या घन-कर प्रधिनियम, 1957: (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रस्तरिती द्वारा. प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अत्र, उक्त अधितियम की धारा 269-गके अनुसरण स्रक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अन्धीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्— श्री रामप्रकाश पुत्र नथा सिंह वासी मुकसर, श्रब फीरोजपुर

(भ्रन्तरक)

 श्री विजय कुमार, ग्रादर्श कुमार पुत्र गाम सुन्वार, पुत्र ,गुरघरन सिंह मारफत ग्रोवर मैडिकल हाल, ,गांधी चौक, मुकसर।

(भ्रन्तरिती)

- 3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)
- जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबढ़ है)

को यह सूचना जारी किरके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अजनत के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधिया तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में थे किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ किसी अन्य व्यक्ति ढारा, ग्रश्वोह्स्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टोकरणः —-इसमें प्रयुक्त शब्दों झौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम के श्रष्टपाय 20-क में परिभाषित है, वही झर्थ होगा, जो उस ध्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जोकि गांधी चौक मुकसर में विलेख नं ० 272 मिती 27-4-79 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी मुकसर में लिखा गया है ।

> सुखदेव चन्द सक्षम प्रधिकारी सहायक ध्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 11-10-79 मोहर :

है

प्ररूप माई॰ टी• एन॰ एस॰----

आयकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-म (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

श्वर्जन रेंज, भटिंडा भटिंडा, दिनांक 23 प्रक्तूबर, 1979 निदेश सं० ए०पी० नं० 648(79-80) वी-टी० आई०––

म्रतः मझे सुखदेव चन्द

भायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात 'जक्स मधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि क्यावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- द० छे-मधिक है

श्रीर जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में है लिखा गया है तथा जो नजदीक बस स्टेड भाटिडा में स्थित है (श्रीर इससे उपाबक्क श्रनसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय भटिडा में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908का 16) के श्रधीन दिनांक 18-4-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रीर मुझे यह विश्वास करने का भारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिगत से अधिक है ग्रीर अन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रीर भन्तरिती (ग्रन्तरित्रियों) के बीज ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिकल, निव्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में बाक्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) प्रस्तरण से हुई किसी धाम की बाबत उक्त धाँबनियम के घधीन कर देने के घश्तरक के बाषित्व में कमी करने या उससे बजने में सुविधा के शिए ; धौर/या
- (क) ऐसी किसी भाग या किसी बन या अभ्य प्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भशिनियम, या धन कर प्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्य भ्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः ग्रद, उस्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के व्रनुसरण में, मैं धस्त ग्रधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) अधीन, निक्नसिबित व्यक्तियों, अर्थात् :--- श्री मोहिन्दर सिंह पुत्र हरदेव सिंह पुत्र ग्रमरसिंह वासी मानसा रोड, नजदीक बस स्टेंड, सिविल स्टेगन, भटिंडा ।

(म्रन्तरक)

 सर्वश्री सुखदेव सिंह, जगदेव सिंह पुन्न, करनेल सिंह व करनेल-सिंह पुन्न विशन सिंह यासी माता बाला तहसील मुकसर, जिला फरीदकोट ।

(ग्रन्तरिती)

जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।
 (वह व्यक्ति जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में फ़ींच रखता हो । (वह व्यक्ति, जिनके बारे में ब्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

- उक्त सम्पति के प्रजैन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :---
- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की घवछि, जो भी घवछि बाद में समाप्त होती हो, के मीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितवड़ किसी धन्य व्यक्ति ढारा, ग्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्वेगे।

अनुसूची

दुकान 1/2 को जो कि विलेख नं० 422 मिती 18-4-79 को रजिस्ट्रीकर्ता क्रधिकारी के कार्यालय भटिण्डा में लिखा गया है।

> सुखदेल चन्द सक्षम प्रधिकारी

सक्षम श्रधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भटिंडा

तारीखः 23-10-79 मोहरः 9906

प्ररूप आई० एन० टी० एस०----

माबकर पश्चिमियम, 1961 (1961 का 43) की घारा

289-घ (1) के मधीन सूचना

भारत सरनार

कार्यांश्य, सहायक प्रायकर मायुक्स (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, भटिंडा

भटिण्डा, दिनांक 23 श्रक्तूबर, 1979

निदेश स० ए० पी० नं० 647 (79-80) बी०टी० म्राई----म्रतः मझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पत्रचात् 'उक्त ग्राधिनियम' कह्या गया है), की धारा 269-ख के ग्राधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्ववास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- इ० से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० जैसा कि ऊपर श्रनसूची में लिखा गया है तथा नजदीक बस स्टेंड, भाटिण्डा, में स्थित है (श्रौर इससे उपाबड ग्रनसूची में श्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक 18-4-1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्यमान प्रतिफल से के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से मधिक है और बन्तरक (बन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रून से कथित नहीं किया गया है:---

- (त) प्रस्तरण से हुई जिसी प्राय की बाबत उपत भश्ति-नियम के प्रधीन कर देने के प्रस्तरक के वायित्व में समी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; घौर्ण्या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या धन्य मास्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मधिनियम, या धन-कर मधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं फिया मया का या फिवा जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के जिए;

भतः भव, उक्त भधिनियम को धारा 269-य के धनुसरण में, मैं, उक्त भधिनियम की धारा 269-य की उपधारा (1) के अधीन, निम्नजिखित व्यक्तियों, भवति्।----

- श्रीमती हरनाम कौर पत्नी बखतावर सिंह पृत्न कुंडासिंह नजदीक बस स्टैन्ड, सिविल स्टेशन, भटिण्डा । (ग्रन्तरक)
- श्री बलवन्त सिंह गुरदेव पुत्र करनैल सिंह पुत्र विश्वनसिंह वासी माला वाला तहसील मुक्तसर, जिला फरीवकोट। (भ्रन्तरिती)
- जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।
 (वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)
- 4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबढ़ है)

को यह सुवना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भार्षन के सिए कार्यवाहियां करता हूं।

उनत सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माझेपः---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की मवधिया तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की मवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीच 45 दिन के मीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-वत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- वपक्कोकरणः —--इसमें प्रयुक्त लब्दों झीर पर्वो का, जो उक्त इधिनियम के झझ्याथ 20-क में परिभाषित है, वही खर्च होगा जो उस झब्याय में दिया गया है।

जन्सूची

दुकान 1/2 का जो कि विलेख नं० 421 मिती 18-4-79 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी भटिण्डा में लिखा गया है ।

> सुखदेव चन्क्ष सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 23-10-79 मोहर : भाग III---बण्ड 1]

प्रकृप धाई• टी• एन• एत•------

नायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-म (1) के प्रधीन सूचना

ग्रत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर धायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 22 म्राक्तूबर, 1979

निदेश न० ए० पी० नं० 646----ग्रतः मुझे सुखदेव चन्द भायकर मधिनियस, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पत्रचात् 'उक्त मधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क्ष के मधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्पावर सम्पत्ति, जिसका उचित्र बाजार मूल्य 25,000/-६० से मधिक है

ग्रोर जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा जो धाई० टी० ग्राई० के सामने, मोगा में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबउ अनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से वॉणत है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 18-4-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उाचत बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए भन्सरित की गई हैं घौर मुझे यह बिग्वास करने का कारण है कि यवापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत भाषिक है बौर प्रन्यरक (अन्तरकों) घौर भन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कवित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण सें हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनित्रम, के ग्रधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में इत्मी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए गौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या भाग्य भास्तियों को, जिन्हें साय-कर समितियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मधिनियम, या इन-कर घीटनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा श्रव्याट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अतः सथ, उक्त अधिनियम की घारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त प्रधिनियम की घारा 269-ग की व्यधारा (1) के प्रधीन, निम्नसिखित व्यक्तियों, अर्थात :---

- श्री हरनेक सिंह मेजर सिंह अजीत सिंह, इकवाल सिंह पुत्रगण चमन सिंह वासी पट्टी, उसंगमोगा महल सिंह (ग्रन्तरक)
- श्री दारा सिंह पुत्र नथा सिंह मारफत दारा मणीनरी स्टोर, मैजिस्टिक सिनेमा रोड, मोगा। (ग्रन्तरिती)
- जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । (वह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)
- अो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । (वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रेजेंन के सम्बन्ध में कोई भी आलेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की भवछि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की धवछि, वो भी घबछि बाद में समाप्त होती हो, के मीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में से किसी क्यक्ति द्वारा;
- (आ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के मीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयब किसी ध्रम्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास सिखित में किए जा सकींगे।
- स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्वों घोर पर्वो का, को उक्त धाधनियम के घष्याय 20-क में परिमाणित हैं, वही घर्ष होगा को उस घष्याय में विवा गया है।

अनुसूची

प्लाट जोकि म्राई० टी० म्राई० के सामने विलेख नं० 309 मिती 18-4-79 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी मोगा में लिखी गई है ।

> सुखदेव चन्द सक्षम ग्रधिकारी, सहायक श्रायकर घ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भटिण्डा

तारीख : 22-10-79 मोहर : _____

प्ररूप भाई० टी० एन० एन०----

आयकर भश्विनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के मधीन मूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर मायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिन्नंक 22 अन्तूबर, 1979

निदेण सं० ए० पी० नं० 645----- आत: मुझे सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिमियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- इपए से अधिक है

झौर जिसकी सं० जैसा कि म्रनुसूची में लिखा गया है तथा जो म्राई० टी० म्राई० के सामने मोगा में स्थित है (म्रौर इससे उपाबज म्रनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता म्राधिकारी के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण ग्राधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन दिनांक 18-4-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के लचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का छणित वाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पण्डह प्रतिशत से प्रधिक है और धन्तरक (यग्तरकों) धोर अन्तरिती (मन्तरितियों) के बीथ ऐसे प्रस्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरग लिखित में वास्तविरु रूप से कवित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसो भाग की बावत, उक्त अधि-नियम, के मधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुनिधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय था किसी धन या अग्य मास्तियों को, जिम्हें मारतीय ग्रायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर बाधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ बन्दरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया बामा बाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: मब, उक्त अधितियम की घारा 268-म के अनुसरण में, में, उक्त मधिनियम की बारा 268-म की उपधारा (1) के अधीन निम्मलिखित व्यक्तियों, मर्वात्:- श्री हरनेक सिंह, मेजर सिंह अजीत सिंह, इकबाल सिंह पुत्र चमन सिंह वासी पट्टी उसग मोगा, महल सिंह। (ग्रन्तरक)

 श्री दर्शन सिंह पुत्र नथा सिंह मारफत दारा मंशीनरी स्टोर, मैजिस्टिक सिनेमा रोड, मोगा।

(भ्रन्तरिती)

- 3. जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
- जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । (वह व्यक्ति. जिनके बारे में ग्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितब क्र है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेपः---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की झबधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की झबधि, जो भी झबधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इन सूबना के राजात में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवड किसी भग्य क्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताझरी के पास सिवित में किए जा सकेंगे।
- स्पथ्डी करण :---इसमें प्रयुक्त अन्वों भौर पदों का, जो उक्त मश्चिनियम के शब्धाय 20क में परिभाषित है, वही भर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया गया है।

धनुसूचो

प्लाट जोकि फीरोजपुर ग्रौर लुधियाना रोड ग्राई० टी० ग्राई० के सामने मोगा में विलेख नं० 308 मिती 18-4-79 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्राकारी मोगा में लिखा गया है।

> सुखवेव चन्व सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भटिंडा

तारीखः 22-10-79 मोहरः

प्रकम माई∙ दी∗ घ्म॰ एत≠े-----

थाधकर प्रवितिथम 1961 (1961 का 43) की बारा 269ण (1) के सभीत सुबना

मारत मरकार

कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिण्डा, दिनांक 22 अक्तूबर, 1979 -

निदेश सं० ए० पी० नं० 644 — ग्रतः मुझे सुखदेव चन्द आयक्तर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रक्षीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि क्यावर सम्पत्ति, जिसका अविस बाजार मुख्य 25,000/- द से विधिक है

ग्नौर जिसकी सं० जैसाकि ग्रनसूची में लिखा गया है तथा जो कोट कपूरा में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में भ्रौर जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकर७ ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनांक 16-4-79

को वृत्रीक्त सम्पति हे अभित आआर पूल्य से रूम के दृवयमान प्रतिफल क लिये प्रश्तरित को गई है भौर मुझे यह विज्वास करने का तारण है फि पवापूर्वीक्त सम्पति भा अपित भाषार मुस्व, उसके दृश्यमान अतिफल से, ऐसे दृश्यमान अतिफल का पत्वह अतिवात मे प्रसिक है ग्रौर अन्तरक (भन्तरकों) और भग्तरियी (अन्तरियिंगे) के बीच ऐसे भन्तरफ केलिए तय गया गया प्रतिकाल, ानम्नासेखित उद्देश्वय ने उन्त पालरभ जिखित में पास्नविक कव से वाधित नहीं किया गया है:---

- (क) पन्तरत्र से हुई किश्री आप की बाबत उक्त संधि-तियम के संज्ञीन कर देने के सन्तरक के बायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; कोर/या
- (ब) ऐसी कियो प्राय मा केती प्रत मा बन्य धास्तियों की, जिन्हें भारतीय सायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन-कर आधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनॉर्थ सम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया आजा पाहिसेथा, लियाने में सुविक्षा के सिए;

अतः अत्र, उक्त नखितियत्त हा घारा 269-गरु अनुसरम में, मैं उक्त प्रधिनियम की घारा 269-व की उपधारा (1) के अधीत, निम्नलिखित व्यक्तियों, सर्वांतु :---8----346GI/79 श्री जोगिन्दर सिंह पुक्त चन्दा सिंह पुक्र घ्यान सिंह वासी पिंड कचरा तसहसील फरीदकोट।

(ग्रन्तरक)

 श्री मोहिन्दर सिंह पुत्र गुरदीप सिंह वासी सृजीत गिल, डाकखाना, रोमाना भ्रलबिल, तहसील फरीदकोट।

(भ्रन्तरिती)

 जैसा कि नं० 2 में है । (वह व्यक्ति, जिसके ग्राधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यकित सम्पत्ति में भचि रखता हो । (वह व्यक्ति, जिनके बारे में श्रघोहस्ताक्षरी जनाता है कि वह सम्पत्ति में हितकब है)

को यह सुचना जारी करके वर्शीक्त अम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया अग्ता है।

जनन भाषाति के बाबन के सम्बन्ध में कार सो प्राफ्तेंप 1---

- (क) इस सुबना के राजपत में प्रकाशन की सारीब से 45 दिया की दबीग्र का तरसम्बन्धी व्यक्तिमों पर सूबना को लामील राजादित की शतभि जो भी पर्वाध बाद में सभाष्ठ होती हो, के भीसर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस मूजता के राजपज़ में प्रकाशन की धारीख से 45 जिस के भातर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवज्ज किसी धन्य व्यक्ति द्वारा, सधोइस्ताक्षरी के पाख लिखित में किमे जा सफेंगे।
- स्वक्सीकरणः :----इसमें प्रयूक्त शब्दों कोर पर्वो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है. उही भर्य होगा, जो उस घण्याय में दिया गया है।

श्रमसुची

जमीन जोकि तहसील फरीदकोट कोट कपूरा रोड पर खसरा नं० 2510, कीला नं० 28-2. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में विलेख नं० 106 मिती 16-4-79 को लिखा गया है।

> सुखदेव चन्द सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भटिण्डा

तारीखः 22-10-79 मोहरः प्र**क्ष वाई**• टो• एन•एस•----

पायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की बारा

289व (1) के घडीन सुबना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

म्नर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 6 नवम्बर, 1979

निवेश सं० ए० पी० सं० 656----अतः मुझे सुखदेव चन्द प्रायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्य 25,000/- क्यये से भाधिक है

ग्नौर जिसकी सं० जैसा कि श्रनुसूची में लिखा गया है तथा जो फिरोजपुर छावनी बजार नं० 3 में स्थित है (ग्नौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय फिरोजपुर में रस्ट्रीकरण ग्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनांक 28-3-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ब्रायमान प्रतिफाल के लिए धन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास अरने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफाल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफाल के पन्द्रह से प्रतिशत मधिक है मोर धन्तरज (धन्तरकों) भीर भन्तरितो (भन्तरितियों) के बीब ऐसे घन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफाल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त धन्दरण बिचित में वास्तविक्त रूप से कथित नहीं किया गया है 1---

- (क) अस्तरण से हुई किती पाय की वावत, उक्त प्रधिनियम के प्रधीन कर देने के प्रस्तरक के दायिस्व में कमी करने या उग्रसे बचने में सुविधा के लिए; धौर/या
- (थ) ऐसी किसी मान था किसी झन या अम्प मास्तियों को, जिन्हें मारतीय माय-कर पश्चिमियम, 1922 (1922 का 11) या उपत पश्चिमियम, या धप-कर प्रचिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्ष मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाह्यिय था, छिनाने में सुविधा के लिए;

मतः मन, उनत प्रधिनियम की धारा 269-ग के मनुसरव में, में, उनत प्रधिनियम, की धारा 269-व की उपबारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रयात् :--- श्री नरेग कुमार पुक्त मोहन लाल बस्सी वालोचान वाली फिरोजपुर णहर ।

(भ्रन्तरक)

 श्री कमल कुमार पुत्न जगदीश प्रशाद ग्रोर कुशालियादेवी गली नं० 6, फिरोजपुर छावनी ।

(ग्रन्तरिती)

- जैसा कि ऊपर नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है)
- 4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में इचि रखता हो । (वह व्यक्ति, जिनके बारे में ब्राघोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में से किसी क्यक्ति ढारा;
- (व) इस सूचमा के राजपत में प्रकाशन की तारीज से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितवद किसी थन्य व्यक्ति द्वारा, अक्षोद्दस्ताकारी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरण !----इसमें प्रयुक्त ज्ञक्वों धोर पर्वो का, जो उक्त बधिनियम, के बाध्याय 20-क में परि-भाषित हैं, वही घर्ष होगा, वो उस घम्याय में दिवा वया है।

अमुस्चो

दुकान न'० 297 फिरोजपुर छावनी में जैसा कि विलेख न'० 6001 मिती 28-3-79 को रजिस्ट्रीकर्ता ब्रधिकारी के कार्यालय फिरोजपुर में लिखा गया है ।

> सुदेव चन्द सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज,भटिण्डा

तारीख : 6-11-79 मोहर : प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०---

ग्रायकर ग्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 6 नवम्बर 1979

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्राधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्राधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्राधिक है

भौर जिसकी सं० जैसा कि ऊपर श्रनुसूची में लिखा गया है तथा जो मैन बाजार फिरोजपुर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद श्रनुसूची में श्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय फीरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख 27-3-79

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्टयमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्टयमान प्रतिफल से, ऐसे दृष्टयमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त स्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के षायित्व में कमी करने या उससे बजने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या भ्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भ्रायकर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रधिनियम, या धनकर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रन्तरिती ब्रारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रतः भ्रब, उक्त श्रधिनियम, की धारा 269-ग के म्रनुसरण में, मैं उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के म्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों भ्रर्थात् :--- श्री राम लाल पुत्र गासीटा मल घौर फुलवती पत्नी राम लाल वासी नीम वाली गली, फीरोजपुर शहर। (ग्रन्तरक)

- 2. श्री सूरज प्रकाश पुद्र राम लाल वासी गली मीम वाली, फिरोजपुर शहर । (ग्रन्तरिती)
- 3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है। (वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)
- जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के लिए कार्य-वाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के म्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेपः---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन की ग्रावधि या तत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रावधि, जो भी अवधि बाध म समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पर्ध्दीकरण :---इसमें प्रयुक्त सब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम के श्रध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही ग्रर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जोकि फिरोजपुर शहर में विलेख नं० 5990 मिती 27-3-79 को रजिस्ट्रीकर्ता ग्राधिकारी के कार्यालय फिरोजपुर में लिखा है ।

> सुखदेव चन्द सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भटिण्डा

तारीख 6-11-79 मोहर:

्राक्ष्य माई∙ टी∙ एन∙ एस∙----

आयकर ब्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ष(1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

भार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 6 नवम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 654—अतः मुझे सुखदेव चन्द मायकर अधिनियभ, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके रश्वात् 'उश्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के मधीत संजन प्राधिकारों को, यह थिश्यास करने का कारण है कि स्वावर अम्पत्ति, जिलका उचित बाजार मूख्य 25,000/-रुपए से प्राधिक है

श्रौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा 'जो काशी नगरी सरकुलर रोड, फिरोजपुर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1909 का 16) के श्रधीन तारीख 21-3-1979 को पूर्वोक्त पम्पति के उचित बागार मूल्य मे कम के दूक्यमान पत्रिक क लिए अस्तरित को गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास उरते का कारग है कि पथार्योग्त सम्पत्ति का उपित बाजार मूल्य उसके दृत्र्यमान पतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का तन्दर, प्रतिज्ञा से मॉक हे श्रौर प्रन्तरक (अन्तरकों) धोर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अस्तरण के लिए तथ उपा गया प्रतिफल. निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अस्तरन जिखित यें वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) प्रस्तरण से दूई किसी साथ की बाबत, उकत अधिनियम के ग्रंथोन कर देने के सम्तरक क दाथित्व में कमी करने या उससे बजने में सुबिधा के लिए सौर/या;
- (ब) ऐसी किसी भाय या किसी धन या भ्रम्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर म्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिशी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

धतः मय, उक्त मधिनियम की धारा 269-ग के मनुसरम में, में, उक्त मधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के बधीन, निम्नसिबित व्यक्तियों, धर्षात् !--- सुखजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह वासी काशी नगरी फिरोजपुर शहर।

(भ्रन्तरक)

- (1) साधूराम पुन्न बोगा मल श्रीर सरोजरानी पत्नी साधू राम वासी ताप सिंह वाला
 (2) लाजवन्ती पत्नी बनारसी दास वासी फीली
 - तहसील फिरोजपुर । (ग्रन्तरिती)
- 3. जैसा कि नं० 2 में लिखा गया है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में ब्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितब द्व है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्रजन के लिए कार्ययाहियां करता हैं।

जगा सम्पत्ति के अर्मेंत के रम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इन सूचना के राजात में प्रकाशन की तारीख़ से 45 दिन को अवधि था तत्पम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामोन से 30 दिन को यवधि, जो ना अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र, में प्रकाशन की सारीख स 45 दिन के मीनर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हितबझ किसी मन्त व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास . लिखित में किए जा सकेंगे।
- श्वष्ठीकरणः —-इसमें प्रयुक्त शब्दों झौर पदों का जो उक्त प्रधिनियम के प्रघ्याय 20-क में परिमाणित हैं, बहो अर्थ होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूचो

मकान जो कि काशी नगर जोकि विलेखनं 5915 मिती 21-3-79 जोकि रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी फिरोजपुर में लिखी गई है।

> सुखवेव चन्व सक्षम प्राधिकारी सहायक ब्रायकर ब्रायुक्त (निरीक्षण) ब्रर्जन रेंज, भटिण्डा 79

तारीखः : 6-11-79 मोहर**ः** ____

प्ररूप आई० टी० एन• एस•-

आय कर ध्रधिनियम 1961 (1961 का 43) की घारा

269-भ(1) के मधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यानय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-JI, श्रहमदाबाद

श्रहमदाबाद, दिनांक 27 जुलाई 1979

सं० पी० ग्रार० नं० 691, ए० सी० क्यू० 23-1458/19-

आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इ. तक पश्चात् 'उस्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 289-ख के भाषीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/-चपये से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं०नोब नं० 663, वार्डनं० 9, है तथा जो सिय्यामाता सेरी, वाडी फलिया सूरत में स्थित है (और इससे उपाबत अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय सुरत में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के प्रधीन 21-3-79 को

पूर्वीवन अम्पति के उजित बाजार मूल्य से कम के वृष्यमान प्रतिफल के लिए जन्तरित की गई है और मुझं यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य उसके दुश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिकल का पन्द्रच् प्रतिशत श्रधिक है और घन्तरक (मन्तरकों) मौर मन्तरिती (भन्तरितियो) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया भया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्तरण लिखित में वास्तवित का में कथित नहीं किया गया है ----

- (क) अन्तरभ में हुई किसी भाष को बाबत उक्त अधिनियम के मधीन कर देने के मण्तरक के दाधिस्व में भभी करन या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किमो आय पा किसी धन या भ्रान्य मास्तियों को, जिम्हें भारतीय मायकर मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मधिनियम मा धन-कर मॉंधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः 🖁 अव, उक्त प्रधिनियम कौ घारा 269-ग के अनुसरण में, में, उपत ग्रधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्ः---

1. (1) श्री नरेन कान्ता लाल ठाकोर, ''रामेग्वर'' ब्लाक बी-43, स्वामी विवेकानन्द रोड, णांताकूज, बम्बई-56 (2) मायनोर रेतल नरेन ठाकोर, ''रामेण्वर'' ब्लाक बी-43, स्वामी विवेकानन्द रो**ड,** णांताकुज बम्बई-56 (भ्रन्तरक)

2. श्री भूपेन्द्र बाब, भाई झबेरी, वाडी फलिया, सिय्यासाता शेरी, सूरत । (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की घवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।
- स्पच्ठीकरण ः ⊸-इसर्मे प्रयुक्त गब्दों और पक्षें का, जो उक्त मधिनियम के पध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही मर्थ होगा, जो उस मझ्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन श्रीर मकान जिसका कुल माप 123 वर्ग गज है जो वाडी फलीया, सिय्यामाता मोरी, सूरत में स्थित है, ग्रौर जो रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी सूरत द्वारा तारीख 21-3-79 को रजिस्ट्रेशन, नं० 1388 से रजिस्टर्ड किया गया है जिसका नोंध नं० 663 वार्डनं० 9 है।

एस० सी० परीख सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रर्जन रेंज-11, ग्रहमदाबाध तारीख: 27-7-79

मोहर :

प्ररूप भाई० टी० एन० एस----

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269–घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर ग्रायुक्स (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-II,ग्रहमदाबाद ग्रहमदाबाद, दिनांक 20 ग्रगस्त 1979 सं० पी० ग्रार० 712 ए० सी०क्यू० 23-1491/19-7/

79-80—-ग्रतः मुझे एस० सी० पारिख ग्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, वह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से ग्रधिक

म्नौर जिसकी सं० नोंध नं० 790, वार्ड नं० 6, है, जो महिधरपुरा छापरीआ गेरी, सूरत में स्थित है (स्रौर इससे उपाबद प्रनुसूची में स्रौर जो पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1098 (1908 का 16) के श्रधीन 3-3-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है श्रौर प्रन्तरक (अन्तरकों) श्रौर प्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) मन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत उक्त म्रांध-नियम के भाष्ठीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; मौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन कर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना घाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रतः ग्रंब, उक्त मधिनियम, की धारा 269--ग के मनुसरण उक्त मधिनियम की धारा 269-- घकी उपधारा (1) के मधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों :----

- (1) हेमन्त कुमार रणछोड़दास कर्ता म्राफ एच० यू० एफ० धडीम्राली पोल, बड़ौदा।
 - (2) विजयकुमार रणछोड़दास ----वही----
 - (3) जावैर चन्द नाथालाल कर्ता आफ० एच० यू०एफ० छपेरीआ, गोरी, सुरत ।
 - (4) भरत कुमार नाथालाल ----वही----
 - (5) जयन्त लाल चुन्नी लाल ग्रौर उनके बेटे विपुल जयन्तीलाल
 - (6) रमनलाल चुन्नी लाल ग्रोर प्रभावतीबने रमनलाल घड़ीग्राली पोल बड़ौवा।

(ग्रन्तरक)

 श्री नरवर लाल मनोहर भाई पटेल, धहिरपुरा, छपारिया गेरी, सूरत ।

(भन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के ध्रर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रावधि या तत्सम्बन्धी व्यक्ति पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी ग्रावधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपल में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी श्रन्थ व्यक्ति द्वारा श्रष्ठोहस्ताक्षरी के पास सिखिंक में किए जा सर्केंगे।
- स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त धर्धिनियम के ग्रष्ठ्याय 20--क में परिभाषित है, वही ग्रर्थ होगा जो उस घष्ठ्याय में विया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो नोंधनं० 790 वार्ड नं० 6, छपरीग्रा ग्रेरी, महीदपुरा, सूरत में स्थित है। जिसका क्षेत्र फल 126 वर्ग गज है ग्रौर जो रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी सूरत में कार्यालय में तारीख 3-3-79 को रजिस्टर्ड किया गया है। एस० सी० पारीख सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर मायुक्त (निरीक्षण) ग्राजेंग रेंज, महमदाबाद

```
तारीखः 20-8-79
मोह्ररः
```

प्रकप आई० टी० एन० एस०-------

आयकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 व (1) के पाधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर मायुक्स (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद

महमदाबद, दिनांक 21 म्रगस्त 1979

सं० ए० सी० क्यू० 23- -2113(844)/12-2/79-80-ग्रत: मुझे एस० सी० पारीख

आयकर मचिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त मचिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से अधिक है

भोर जिसकी सं० वार्ड नं० 10, प्लाट नं० 68 है तथा जो स्टेशन रोड, भुज में स्थित है (म्रोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में स्रोर जो पूर्ण रूप से वर्णित है),रजिस्ट्रीकर्ता मधिकारी के कार्यालय भुज में रजिस्ट्रीकरण मधिनियम 1908 (1908 का 16) के मधीन दिनांक 9-3-79

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित वाजार मूक्य से कम के दूक्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तरित की गई है भौर मुझे यह विक्वास करमे का कारण है कि यवायूवोंक्त संपत्ति का उचित वाजार मूत्य, उसके दूक्यमान प्रतिफल से, ऐसे दूक्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है घोर मन्तरक (प्रस्तरकों) और प्रस्तरिती (प्रस्तरितियों) के वीच ऐसे प्रस्तरका के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त धन्तरन, निखित में वाक्तविक क्षय से कचित नहीं किया नया है !---

- (क) अन्तरण से हुई जिसी खाय को बाबत, उक्त भाषि-पियम के खधीन कर बेन के प्रस्तरक के बायिरज में कमी करने वा उससे बचने में सुविधा के निए। भीर/या
- (व) ऐसी किसी गांग या किसी घन या ग्रम्य भाक्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर भौधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्राधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया गया गया था किया जाना जाहिए या, क्रिपाने में सुविधा के लिए।

अतः धम, उक्त ग्रसिनियम की धारा 269न्म के मनु-सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के भ्रधीन,निम्नलिक्ति व्यक्तियों, अर्थात्---

- (1) कणबी, नारण वालजी जेसाण
 (2) कणबी केसरा वालजी जेसाणी
 - (3) कणशी मावजी बालजी जेसाणी गांव बलदीया, जिला भुज ।

(म्रन्तरक)

(ग्रन्तरिती)

- 2. सोनारा जफर हाजीआमद, ग्रवडासा, पालुका, नलीया , कच्छ ।
- 3. किरायेदारों के नाम :
 - (1) मैससँ म्रोनेस्ट ईले॰ एजेन्सी,
 - (2) श्री टी॰ सी॰ उम्मन
 - (3) हरजी हरि बरसानी जो
 - (4) मणीजाल न्याल चन्द वोहरा
 - (5) ,, ,, ,,
 - (6) मैं० कच्छ माटो० मीबाईल्स
 - (7) सी॰ जे॰ श्राटो॰ ईले॰
 - (8) मै॰ हाजी हीरजी बरसाणी
 - (9) म्रारक्योलोजिकल डिपार्टमेंट
 - (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सुबना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के प्रजंन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी नाझेप:--

- (क) इस सूचना के राजपक में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की मवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामीस से 30 दिन की मवधि, जो भी मवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (व) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त क्यावर संपत्ति में हितवा कि बी भग्य व्यक्ति द्वारा, मधोद्दस्ताक्षरी के पास जिबित में किए वा सर्केंगे।

क्पम्बीकरणः -----इसमें प्रयुक्त सम्बों भोर पर्वोका, जो उक्त अधि-नियम के मड्याय 20---क में करिभाषित है वही अर्थ द्वोगा, जो उस मड्याय में किया गया है। अनुसूची

इमारत जो 205.21 वर्ग मीटर जमीन पर स्थित है जिसका प्लाट नं० 68 वार्ड नं० 10 है, जो स्टेगन रोड, भुजे में स्थित है तथा रजिस्ट्रेणन नं० 896 तारीख 9-3-1979 में रजिस्ट्रीकृत बिकी दस्तावेज में पूर्ण वर्णन किया गया है।

एस० सी० पारीख एस० सी० पारीख सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेंज-I, ग्रहमदाबाद

तारीख : 21-8-79 मोहर :

[मान] [--- बन्द 1

সঙ্গণ শ্বাহৰগ্ৰা • হগ • হয় • ----

गायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रजन रेंज-II, ग्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 7 सितम्बर 1979

सं० पी० श्रार० 720 एक्वी० 23-1430/19-1/79-80-ग्रतः मुझे, एस० सी० परीख

मायकर मधिनियम, 1981 (1981 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त ममिनियम' कहा गया है), की धारा 269-व के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विस्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित बाजार मूझ्य 25,000/-व-से यधिक है और

ग्नौर जिसकी स० नं० 275 है तथा जो बारडोली में स्थित है (भ्रौर इसले उपाबद्ध प्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्राधिकारी के कार्यालय बारडोली में रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन 22-3-79 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मुस्य में कम के द्रम्मान प्रतिफल के लिए पन्नरित की वर्ष है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य उसके द्रम्पनान प्रतिफल से, ऐसे द्रम्पपान प्रतिफल का पन्दह प्रतिगत से मधिक है भौर मन्दरक (मन्दरकों) भौर मन्दरित (धन्तरितियों) के बीच ऐसे धन्दरण के लिये क्षय पाय: गया प्रतिफल, निम्नझिखित उद्देश्य से अन्त भन्दरण लिखित में वास्तविक कप से कवित नहीं किया थया है :---

- (क) अग्तरघ में हुई किनीं माथ की बाबत उक्त अभि-नियय के प्रधीन कर देने के प्रम्तरु के बाथित्व में कमी करने या उससे बचने में श्विधा के बिए; और/मा
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या ग्रन्त ग्रास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर मघिनियम, 1922 (1922 का 11) मा उल्ल ग्राधिनियम, या धन-कर अधितिक्ष, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती झारा प्रकट नहीं किया गया था; या फिया बाना काहिए पा, फिपाने में गुविधा के तिये।

ग्रतः, प्रव, स्वत अधिनिधम की धारा 268-म के बनुसरण में, मैं, छक्त अधिनियम की धारा 268-म की उपभारा (1) के बधीन निम्नविधित व्यक्तियों, बर्षाद:---

- (1) खुषालभाई नाथाभाई, पटेल
 2 लेक्कुम⊥र खमार प० अ० होलडर मोक नागिन भाई लालुभाई । गीकर, तड़० वालोद, जिला सूरत। (ग्रन्तरक)
- श्री गोर्धन भाई दुरलभ भाई भागीदार : मै० लिम्बर, एजंसी, देलाद, ताल० कामरेज, जिला सूरत ।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्पति के भर्जन के लिए कार्णवाडियो भारता हूं।

- उत्त सम्पत्ति के जबंत के मम्बरा में तोई भी आभेग :--
- (क) इस सूचमा के राअपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की झवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तातीया ते 30 जिस की झदछि, को भी म्यत्रधि बाद में अयाष्ट्र होती हो, के फीतर ्योंगा नामेगयों में से किसा व्यक्ति द्वारा।
- (ख) इस सूचना के राखपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उन्त स्थावर सम्पत्ति में हितवढ किसी अस्य स्पक्ति डारा, ध्रधोह्ल्ताक्षरी के पाद सिजित में किए जा सईयें।

ग्ननुसूची

जमीन जिसका सं० न० 275 है श्रोर जो माप में 0 एकड़ श्रोर 11 गुंटा है । ये जमीन बारडोली में है और रजिस्ट्रीकर्ता श्रक्षिकारी बारडोली के फार्यालय में तारीख 22-3-79 के रोज रजिस्टर्ड किया गया है।

> एस० सी० परीख सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जंन रेंज-Ⅲ, श्रहमदाबाद

तारीखः : 7-9-1979 मोहरः भाग [[[---खण्ड 1]

9917

धरूप भाई• टी• एन० एस∙----

ग्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269 थ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भाषकर मायुक्त (निरीक्रण)

मर्जन रेंज-II, महमदाबाद

महमदाबाद, दिनांक 15 सितम्बर 1979

निदेग सं०पी० धार० नं० 729 एग्वी० 23-19-7/79-80-भतः मुझे, एस० सी० परीख

मायकर मधिनियम, 1961 (1861 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्थात् 'डक्त मधिनियम' कहा गया है), की खारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करमे का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, चित्रका उचित बाबार मुक्य 25,000/- २० से भक्तिक है

ग्नोर जिसकी स० नं० 4, सब प्लाट नं० 1, 2, 3 तथा 4 है ता रान्देर में स्थित है (ग्नीर इससे उपावत ग्रनुसूची में भीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्राधकारी के कार्यालय सुरत में राजस्ट्रीकरण ग्रधिनयम 1908 (1908 का 16) के प्रधीन दिनांक 12-3-79 को

पूर्वोन्त, सम्पत्ति के उचित वाजार मुख्य से कम के दूरवमान प्रतिष्ठल के लिए प्रस्तरित की गई है भौर मुझे यह विख्वास करने का कारण है कि वचापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित्र वाचार मुख्य से उसके दूरयमान प्रतिफल से ऐसे दूरयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से घछिक है, पौर यह कि मन्तरक (मन्तरकों) और मन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए तव पावा गया प्रतिफल, निम्नलिखित ज्वेरुग से उक्त अन्तरण निर्माचत में वास्तविक इप से कवित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी मान की वावत, उक्त अधि-तियम, के स्वीन कर देने के सन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए; बौर/वा
- (क) ऐसी किसी भाव या किसी घन मा सन्य मास्तियों को जिन्हें भारतीय माय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्ग अन्तरिती ढारा प्रकट नहीं किया क्या वा या किया थाना वाहिए था, छिपाने में सुविधा के थिए;

अतः, धव उक्त ग्रीवनियम की घारा 269म के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की बारा 269-व क्षी छन्धारा (1) के अधीन निम्नजिखित व्यक्तियों, अर्थात् ।----

- श्रीमती फातमा बीबी इसमाईल भरुचा. नगीना लेन, बिग बाजार, रांदेर, सूरत ।
- (ग्रन्तरक)
- (1) कादरभाई मामदभाई चौक बाजार, सिदीवाद, सुरत।
 - (2) इमराहीम मब्दुल सत्तार चांदी वाला, भागा तलाव, सिक्षीवाद, सूरत। (मन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के प्रजेन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकालन को तारोध से 45 दिन की मबछि या तरसम्बन्धी म्यक्तियों पर मूचना की तामीझ से 30 दिन की मबछि, जो ची भवछि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्वावर सम्पत्ति में हि्सबद्ध किसी मन्य स्पक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास सिचित में किए जा सर्वेगे ।
- स्पच्छी चरण :----इसमें प्रयुक्त सब्दों भौर पर्यो का; जो उक्त ध्रधिनियम, के ग्राण्याय 20-क में परिभाषित है, बही ग्रावें होगा जो उस ग्राप्याय में दिया गवा है।

पणुसूचो

जमीन जिसका स० नं० 4 ग्रीर सब प्लाट नं० 4 है मौर जो रांदेर में है ये जमीन रजिस्ट्रीकर्ता मधिकारी सूरत के कार्यालय में ता० 12-3-1979 को रजिस्ड कि गई है। एस० वी० परीख

सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-II, ग्रहमदाबाद

तारी**व** : 15-9-79 मो**इर** : 9918

प्ररूप माई० टी∙एन० एस०→∽

आयकर संधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धार

369-ष (1) के प्रधीन सगता

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज-II, श्रहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 सितम्बर 1979

निदेश सं० पी० ग्रार० 730 एक्वी० 23-19-7/79-80 अप्रतः मुझे' एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 कां 43) (जिसे इसमें इसके पडवात् 'उक्त मधिनियम' कढ़ा गया है), की धारा 269-ख के मधीन सज्जम प्राधिकारी को, यह विक्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मूख्य 25,000/-इपए ने भधिक है

झोर जिसकी सं० सं० नं० 4, सब प्लाट नं० 1, 2, 3 तथा 4 है जो रांदेर, सब जिला चोयासी में स्थित है (ग्रोर इनसे उपाबद ग्रनुसूचो में झोर पूर्णरूप से वर्णित है) रजिंस् ट्री स्ती ग्रधियारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण ग्रधि ियम 1908 (1908 का 16) के झधीन 12-3-79

को पूर्वीकत सम्पत्ति के उपित बाआर मूल्य से कम के उपनान प्रातेफल के लिए अन्तरित की गई है भौर मुझे यह विष्ट्रवान करने का कारण है थि. यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिन वाजार नूस्य, उसके द्रण्यमान प्रसिफल से, ऐसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह् प्रतिशत से प्रधिक है धौर भन्तरक (अन्तरकों) भौर प्रस्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निस्तमिधित चढ़ेका से जबत भन्तरण लिखित में वाम्तवि का से कथिन महीं किया गाः है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबस, उक्त प्रधितियम के बधीन कर देने के अल्लक के दायित्व में कमी करने या उससे उचले में सुविन्ना के लिए) और/या
- (ज) ऐसी कियो आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिल्हें भारतीय आय-कर भविनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या तन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनाम प्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था था किया जाना माहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

मतः मन, उन्स मधिलियम की धारा 269-म के अनुसरज में, चें, उन्छ यत्निमियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के बतीन, निम्नतिवित ध्यनितयों, वर्जात् :--- श्रीमतो मोमिन बीवी इसमाईल भरुषा नगीना लेन, बिग वजार के पास, रांदेर, सूरत । (ग्रन्तरक)
 कादरभाई मामद भाई, मुख्य प्रमोटर सेम नगर, को०ग्रा० हा० सो० लि० चौक बाजार, सिदीयाद, सुरत ।
 इबराहीम श्रब्दुल सत्तार चांदी वाला, भागा तलाव, सिदीयाद, सुरत । (ग्रन्तरिती)

को यह सूचता जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रजैन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :---

- (क) इस सूबसा के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर भूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, त्रों भी अत्रधि बाद में समाप्य होतों हो, क ओतर पूर्वाकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति स्थान्त
- (ख) इन मूबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी भन्य व्यक्ति दारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास जिखित में फिए आ सकेंगे ।
- स्पक्टीकरला :-----इसमें प्रयुक्त धब्दों जीर पदा का, जो उक्त अजि-लियम, के शब्दयाय 20-क में परिभाषित है, वही अर्ज होना, जो उम भव्याय में दिया गया है ।

मनुसूचा

जमीन जो रॉदेर में स्थित ग्रौर जिसका स० नं० 4 सब प्लाट नं० 1 है जे जमीन रजिस्ट्री इती ग्रधिकारी सूरत के कार्यालय में ता० 12-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० परीख सक्षम प्राधिकारी, सद्दायक ग्रायकर ग्रायक्ष (निरीक्षण), मर्जन रेंज- , ग्रहमदाबाद

तारीखः 15-9-79 मोहरः

(ग्रन्तर-ह)

प्ररूप आई• टो• एग• एस०-----

अगयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 म (1) के सम्रीन मुभना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेज- , ग्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 15 सितम्बर 1979

निदेगनं० सं०पी० ग्रार० 731 एक्यू० 23/19-7/79-80----ग्रतः मुझे एस० सी० परीख,

भायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) (बिसेइतर्क इसमें पश्वात् 'उक्त मधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के मधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वाम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उक्ति बाजार मुख्य 25,000/- रूपवे से मिक है ग्रोर जिसकी सं० नं० 4, सब प्लाट नं० 1, 2, 3 ग्रोर 4 है तथा जो गांदेर में स्थित है (ग्रोर इससे उपाबद प्रनुसूची में ग्रोरजो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्राधिकारों के कार्यालय सूरत में रस्ट्रीकरण ग्राधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन दिनांक 12-3-79

को तूर्वोका सम्पत्ति के अभित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल क लिए पस्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उणित बाधार मूख्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्नह प्रतिशत प्रधिक है मौर प्रन्तरक (अन्तरकों) मौर अन्तरिन (अन्तरितियों) के सीच ऐसे धन्तरण क लिए तय पाया गया प्रति-फन निम्नालिबित उढ़ेम्य से उन्त अन्तरण निधित में कास्तरिक रूप से कवित नहीं किया गया है :---

- (क) लग्तरण ते हुई किसी माथ भी बाबत, अवत सवि-तिसम, के प्रधीन कर देने के मन्तरक के वायित्व में कमी कल्ने या जससे बजने में सुविधा के लिए: ओर/जा
- (ख) ऐसी किया आय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय धायकर यधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त पधिनियम, या धनकर अधि-तियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाम अल्तरिती क्षारा प्रकट नहीं किया गया था मा किया बाना चाहिए था, क्षिपान में मुबिधा के लिए;

अतः अब, उक्त प्रविभिणव की धारा 269भग के पमुसरण में, में, उक्त अधिनियम की घारा 269न्म को उपमारा (1) के धवीन ' स्वक्तियों, जमति :-- श्रीमती ग्रायसां बीबी एसमाइल भरुवा, नगीता लेत बीच बाजार, शंदेर, सूरत ।

- 2. (1) इत्दरभाई मामदभाई चोक बाजार, सोझवाडे, सूरत ।
 - (2) उमराहीम श्रब्धुल सत्तार चादी वाला, भागा तलाद, सीझा बाडे, सूरत ।

(मन्त†रती)

को यह सूत्रा बारो बरके पूर्वी स्त सम्पत्ति के प्रवेन के जि कार्यवाद्वियां करता हं।

उनत तम्पनि के प्रजन के प्रम्बन्द्र में होई मी मालेगः---

- (छ) इस सूचना के राजपल में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन की धवधि या तस्सम्बन्धी क्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन की घवधि, जो भी सवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में के किसो ब्यक्ति द्वारा;
- (ज) इस सूबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन के मीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हि्तवड किसी भग्य व्यक्ति द्वारा यधांहस्ताक्षरों के भास लिखित में किये जा सर्कोंगे ।

प्रमुसूखी

जमीत जो घंदरे म है ग्रीर जितता स० नं० 4 सब प्लाट नं० 2 है, ये जभीत रजिस्ट्रीक्ता ग्रिधिस्तारो सूरतके कार्यालय में तारीख 12-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० परीख, सक्षम ग्रधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज--II, ग्रहमवाबाद

ता**रीख**ः 15-9-79 मोहरः

भाग 111--- जण्ड 1

प्रकप माई∙ टी∙ एन∙ एस∙------

भायकर मविनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-म (1) के मधीन सूचना

मारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजॅन रेंज, ग्रहमदाबाद

म्रहमदाबद, दिनांक 15 सितम्बर 1979

निदेश सं० पी० श्रार० 732, ए**क्यू**० 23-19-7/79-80-∽ श्रतः मुझे एस० सी० परीख

भायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्स मधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्य 25,000/-बपए से मधिक है और

जिसकी सं० 4, सब प्लाट नं० 1, 2, 3 स्रौर 4 है तथा जो शंदरे में स्थित है (स्रौर इससे उपाबद्ध झनुसूची में स्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता स्रधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण स्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के स्रधीन दिनांक 12-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से भाषक है भौर भन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरग के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथिन नहां किया गया है :---

- (छ) ग्रस्तरण से हुई किसो भाव की बाबत उक्त ग्रहिनियम के ग्रहीत कर देने के भन्तरक के दायित्व में कमी करने या उन्नखे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
 - (आ) ऐसो किसो आप पा किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय मायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धन-कर प्रधिनियम, 1957 (1957 का 27)के प्रयोजनाय भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अर्च उक्त, भौधिभियम की घारा 269-म के अनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-घ की उपज्जारा (1) के अधीन निम्नलखित क्यक्तियों अर्थात --- श्रीमती खान जी बीबी इसमाइल, भरुच नगीना लेन, बिज बाजार, शंदरे, सूरत।

जार, राषर, सुरता (ग्रन्तरक)

- 2. (1) कुदाभाई मामदभाई चोक बाजार, सीझवाड़, सूरत ।
 - (2) इसमाईल ग्रब्दुल सत्तार, चांदो वाला, भाग, तलाव, सीझावाड़, सूरत ।

(म्रन्तरिती)

को महसूथनाजारों करने पूर्वीनत सम्पति ये प्रकॉन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के प्रप्रंत के सम्बन्ध में कोई भी भाखेप---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की मबधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की मबधि, जो भी मबधि बाद में समाप्त होती हो, के मीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के मीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हि्तबद्ध किसी मन्य व्यक्ति द्रारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास निचित में किए जा सर्वेगे ।
- स्पक्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मौर पदों का, जो उक्त ग्राधनियम के प्रध्याय 20-क में परिमाचित है, वही खर्च होगा जो उस ग्राम्याय में विया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसकी स० नं० 4 पैकी सब प्लाट नं० 3 है मौर जो गंदेर में है ये जमीन रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी सूरस के कार्यालय में ता० 12-3-79 को रजिस्टर्ड की गई हैं ।

> एन० सो० परीख, सक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) स्रर्जन रेंज, ध्रहमदाबाद

तारी**ख**ः 15-9-79 मोहरः प्ररूप भ्राई० टी० एन० एस०----

भाषकर श्रधिनिषम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269--घ (1) के आधीन सूचना

भारत सरकार

कार्मालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-1, ब्रहमदाबाद

श्रहमदाबाद, दिनांक 25 सितम्बर 1979

मं० पी० ग्रार० सं० 861 ए० सी० क्यू० 23-क-2221/ 1-1/79-80---ग्रतः मुझे, एस० सी० पारीख

त्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्जात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से मधिक है

ग्नौर जिसकी सं० णाप नं० एस०--82, डी ब्लाक है तथा जो केपिटल कामणियल सेंटर, एलीसक्रीज, ग्रहमदाबाद में स्थित है (ग्रौर इसमे उपाबद्ध ग्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, श्रहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन 15-3-1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है स्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से श्राधिक है श्रौर अन्तरक (अन्तरकों) श्रौर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत उक्त श्रधि-नियम के श्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी थ्राय या किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को, जिन्हें श्रायकर ग्राधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्राधनियम, या धन-कर श्राधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भतः श्रथ, उक्त श्रधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की भारा 269-घ की उपधारा (1) के मधीन, निम्नलिखित ज्यक्तियों अर्थात :--- मैसर्स साधुराम गोरधनदास नेताजी क्लाभ मार्केंट, कालुपुर कोरजी रांग, ग्रहमदाबाद।
 (ग्रन्तरक)

2. श्रीमती सरोजनी प्रियकान्त बुच, सगीर मिलन प्रियकान्त बुच, सगीर गिरीन्द्र प्रियकांत बुच, बुच मेन्शन, मीरा ग्रम्बिका होटल के पास, नवरंगपुरा, ग्रहमदाबाद–9। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के भ्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करताहं।

उक्त सम्पत्ति के म्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी म्राक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचम्शा की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (का) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीका से 4.5 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त ग्रब्वों श्रौर पदों का, जो उक्स श्रधिनियम के भ्रष्ठ्याय 20--क में परिभाषित है, वही श्रर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

प्रनुसूची

शाप नं० 82-3, केपिटल कामशियल सेन्टर के ब्लाक नं० डी० में, जो 26.45 वर्ग मीटर है तथा एलीसक्रीज ब्रहमदाबाद में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 2382/79 ता० 15-3-1979 में रजिस्टर्ड बिक्री (ॄ्दस्तावेज में जैसा पूर्ण वर्णन दिया गया है।

> एस० सी० परीख सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज⊶I, ग्रहमदाबाद

तारीख: 25-9-1979 मोहर:

সৰুদ গাৰ্গি রাওদ্বত চ্বত--

आयकर अधिनियत. 1961 (1961 का 43) को धारा 269-घ (1) के अधीन सूचनः

भगरत **सरकार**

कार्या नय, अहायक आपकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, काकीनाडा

भ्रहमदाबाद, दिनांक 3 श्रक्तूबर 1979

सं० ए० सी० क्यू-23-र-2248(863)/1-1/79-80---ग्रत: मुझे, एस० सी० पारीख

आधकर अधिनियम, 1961 (1961 का43) (जिसे इसमें इसके पडवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),की खारा 269-ख के प्रधोत सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्वावर प्रम्पत्ति, जिसका उपित वाबार मूल्य 25000/- व्यए से ग्रधिक है

श्रौर जिसकी सं० फायनल प्लाट नं० 167, सब प्लाट नं० 9-ए, टी० पी० एस० 4 है। तथा जो मणीनगर, झहमदाबाद-8 में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, ग्रहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 29-3-1979 को पूर्वोक्त प्रम्तरि कं उक्ति बाबार मूल्य से कम के दृक्यमान प्रहि-फल के निये अन्तरित की मई है घोर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्यसि का उक्ति बाखार मूल्य, उनके हृश्यमाथ प्रतिफन ने, ऐसे दृश्यमाव प्रतिफन का पन्दह प्रतिशत प्राधक है घोर अन्तरफा) घोर अन्तरितों (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया क्या इत्रिकत, निम्नलिबित उद्ध्य से उक्त अन्तरग निविन्त में दाक्तविक का से कविन नहीं किया गया है:---

- (क) अस्तरम से हुई कियां प्राय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के भग्तरक के बायिरब में कमी करने या उसले बाबने में,सुविधा के खिए; भौर/मा
- (ख) ऐसी जिस्सी आज या किसी खन या प्रत्य मास्तियों को, जिन्हें मारतीय प्रायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्क प्रधिनियम, यः धन-कर अधिलिय: 1957 (1957 का 27) रू प्रयोजनार्थ प्रस्तरिती द्वारा प्रकट तही किया गया था या किया जाना चाहिय जा, छिपाने में सुंख्या के लिए;

म्रतः अब उक्त नाम्ने नियम की तारः 269-ग के पनुसरण में, में, उक्त प्रधितियम की घारा 269-ध की जपधारा (1) के अम्रीन जिल्लासिवित प्यक्तियों, अर्थात् :----

- श्री छोटालाल भीखाभाई मेहता 51-53, मिर्जा स्ट्रीट, राजमिलन, पांचवीं मंजिल, बम्बई। (ग्रन्तरक)
- 2. महाबीर फ्लैंट ग्रोनर्स ग्रसोसियेशन ग्रागेनाइजेशन-
 - (1) श्री माणेक घंद लुकराम 5--बी, पाथे पलैट, दक्षिणी सोसायटी मणीनगर, म्रहमदाबाद। (ग्रन्तरिती)
 - (2) श्री मोतीलाल शिवलाल जैन रामपार्क, दक्षिणी सोसायटी, मणीनगर, श्रहमदाबाद के मराफत।

(ग्रन्तरिती)

को ग्रह गुचना वारो करक पूर्वाक्त लम्बलि के अर्जन के जिए कार्यवाहिया करता हूं।

जनत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाकप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीक्ष से 45 दिन की मबधि या तरसम्भन्धो व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन की मबधि, जो भी मबधि बाद में समाप्त होती हो, के मीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में से किसी व्यक्तिदारा;
- (व) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्वावर सम्पत्ति में हितवब किसी भ्रम्य व्यक्ति द्वारा, मधोइस्तावारी के पास विवित में किए जा सकेंगे ।
- स्यब्दी करणा—-इसर्वे प्रयुक्त गर्क्ता प्रीर पदों का, जा उक्त मॉल-नियम के मध्याय 20-क में परिभाषित है. वही धर्षे होगा, जो उस अख्याय में दिया गया है।

ममुसूची

खुली जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 835 वर्ग गज है जिसका फायनल प्लाट नं० 167, सब प्लाट नं० 9--ए, टी० पी० एस०-4 में है जो खाखरा श्रहमदाबाद ता० सिटी अहमदाबाद में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 2970 ता०ं 29-3-1979 में रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है

एस० सी० पारीख सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज–1 ग्रहमदाबाद तारीख: 3–10~1979 मोइ्रर: प्ररूप आईटी एन० एस०----

म्रायकर ग्रंधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के प्रधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्रर्णन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 ग्रक्तूबर 1979

मायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्राधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्राधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से ग्राधिक है प्रौर जिसकी सं० सर्वे नं० 39-जी०-5, प्लाट नं० 18/1, शेड 'ए' है तथा जो मोटर हाउस के सामने पटेल कालोनी जामनगर में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्राधिकारी के कार्यालय, जामनगर में रजिस्ट्रीकरण ग्राधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन 19-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है झौर मुझे यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है झौर यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रक्रि-नियम, के प्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अभने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी म्राय या किसी धन या भन्य भास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर म्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भाधिनियम, या धनकर भाधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ धन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए सुविधा के लिए;

ग्रतः, ग्रव, उक्त मधिनियम की धारा 269-ग के मनु-सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ को उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु:----

 1. श्री ग्रव्वासभाई तैयवग्रली, संघाडीया बाजार, जाम

 नगर।
 (ग्रन्तरक)

 2. श्री हातीमभाई इसुफग्रली, ग्रेन मार्केंट, कालावाड़।

 (ग्रन्तरिती)

 3. युनाइटेड ब्रास इण्डस्ट्रीज, पटेल कालोनी, प्लाट

 नं० 18/1 मोटर हाउस के सामने, जामनगर। (बह व्यक्ति

 जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाहियां करताहूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होत हो, के मीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किस व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भ तर उक्त स्थावर सम्पत्ति में ¦हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, ग्राधोहस्ताक्षर के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों क्रौर पदों का, जो उक्त क्राधि-नियम के श्राध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही क्रार्थ होगा, जो उस प्राध्माव में दिया गया है।

मनुसूची

125-41-50 वर्ग मीटर जमीन पर खड़ा ग्रेड 'ए' 660-48-50 वर्ग मीटर जमीन के कामन प्लाट के साथ जिसका सर्वें नं० 39-4-5 प्लाट नं० 18/1 है जो मोटर हाउस के सामने, पटेल कालोनी जामनगर में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 534 ता० 19-3-1979 के रजिस्ट्री-क्वत बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया ई। एस० सी० परीख सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रामकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद तारीख : 4-10-1979 मोहर :

[णाग III---- खण्ड 1

त्ररूप माई• टी॰ एन• एम०------------

आवकर प्रधितियम, 1961 (1981 का 43) को धारा 269-ध(1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यानय, नहाय क साथ कर प्रायुक्त (निरोक्षण)

ग्नर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 4 ग्रक्तूबर, 1979

इसके परकात 'उक्त घषिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के अधीत सझम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाप्रर सम्पत्ति, जिसका उधित बाजार मूक्य 25,000/~ क्ष्पए छे घषिक है

झौर जिसकी सं० सर्वे नं० 39-जी-5 पैकी ग्रैंड 'बी', प्लाट नं० 18/1 है तथा जो पटेल कालोनी, मोटर हाउस के सामने, आमनगर में स्थित है (भ्रौर इससे उपावद अन्नुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रिधिकारी के कार्यालय, जामनगर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 19-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पति के उजित बाजार मूल्य से कम के ब्रथ्यमान प्रलिकज के लिए अन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वाय करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उपके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्नद्र प्रतिशत से प्रधिक है भौर मन्तरक (मन्तरकों) और प्रन्तरिती (यन्तरितियों) के बीच ऐसे घन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण किखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी गांध की वावत उपरा ध्रधिनियम के ध्रधीन कर देने के घम्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए; गौर/वा
- (ख) ऐसी किसो आय या किमो घन या अस्य मास्सियों को, जिम्हें भारतीय आयकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मधिनियम या घन-कर प्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्य प्रन्तरिती ढारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिमाने में मुविधा के लिए;

भत्त: भव, उपत अधिनियम की धारा 269-ग के मनुसरण में, भें, उस्त ग्रीधनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन निम्नसिखित व्यक्तियों, ग्रथांत :--- 1. श्री ग्रब्बासभाई तैथ्यबन्नली, संवाड़ीया बाजार, जामनगर। (श्रन्तरक)

2. श्री मनसुरभाई ईसुफक्रली, ग्रेन मार्केंट, कालावाड़ । (ग्रन्तरिती)

3. मेट्रो फर्नीचर वर्कंस, पटेल कालोनी, प्लाट नं० 181, मोटर हाउस के सामने, जामनगर । (वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्थवाधियां करता हूं।

उन्त भम्पति के प्रार्जन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षेप---

- (क) इस यूचना के राजपत में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की घवछि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की घवछि, जो मी घचछि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (अ) इस सूबना के राजरत में प्रकाशन की तारीय से 45 दिन के मीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति दारा, धघोइस्ताक्षरी के पाछ लिखित म किए जा सर्जने।
- स्पध्टीकरण:----इसम प्रयुक्त गर्व्दो धौर पदों का, जो उक्त धधिनियम के मध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है ।

अमुसची

'बी', णॆड, 125-41-50 वर्गमीटर जमीन पर खड़ा, कोमन प्लाट 660-88-50 वर्गमीटर जमीन के साथ जिसका सर्वे नं० 39-जी-5 प्लाट नं० 18/1 है जो मोटर हाउस के सामने पटेल कालोनी' जामनगर में स्थित है तथा रजिस्ट्रे-शन नम्बर 532 ता० 19-3-1979 से रजिस्ट्रीकृत बिकी दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है। एस० सी० परीख, सक्षम प्राधिकारी सद्दायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जम रेंज-II ग्रहमदाबाद तारीख: 4-10-1979

मोहर:

ा प्ररूप आई० टी० एत∙ एसः ------

आयक (अभिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा

265-थ(1) के ध्वांस न्यूचनः

भारत सरकार

कार्यालय, सतायक आवकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज-ा, अहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 4 ग्रक्तूबर 1979

सं० ए० सी० क्यू०-23-J-2307(866)/10-1/ 79-80---अतः, मुझे, एस० सी० पारीख,

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'अन्त अधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख ें भधीन सक्षम प्राक्षिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति. जिसका उच्चित वाजार मुल्य 25,000/-रु० से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० 39~जी–5, पैकी प्लाट न० 18/1, शेड 'सी' है तथा जो पटेल कालोनी, मोटर हाउस के सामने जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 19~3~1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित वाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-फल के लिए ग्रन्सरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित वाजार मूल्य, उनके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिभन से अधिक है और प्रन्तरक (अन्तरकों) भीर प्रन्तरिती (प्रग्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से इक्त प्रन्तरण जिचित में वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण ते हुई किसी साय की बाबत उक्त ग्राधनियम, के प्रघीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व के कमी करने या उससे खजने में सुकिधा के लिए; भौर,ंया
- (ख) ऐसी किसी आय रा िजी धर या ग्रन्त तास्त्यों को जिन्हें भारसीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, दाधात-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रन्तरिती द्वारा प्रवाट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, 1997ी में युविधा के लिए;

अपः यस, उक्त पधिनियम की घारा 269-ग के मनुसरण में. • मैं, उक्त यधिनियम की जारा 269 घ की उपघारा (1) के प्रधीन,

निम्नलिखित व्यक्तियों, यथांत्ः---10—346GI/79

 1. श्री ग्रब्बासभाई तैय्यबग्रली, संघाडीया बजार,

 जामनगर।
 (ग्रन्तरक)

 2. श्री वोरा साबीरभाई इसुफग्रली, ग्रेईन मार्केंट,

 कालावाड।
 (ग्रन्तरिती)

 3. मेट्रो इलेक्ट्री व बुड वर्क्स, पटेल झालोनी, जामनगर (बह व्यक्ति, जिसके ग्राधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूवता जाती। सरके पुत्रकित सम्पत्ति के मजेन के। लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उस्त मंत्राल के प्रतेंग त गंवंत्र में कोई हा माक्षेत्र .-

- (न) इस यूवता ४ राज ज में पकाशन को नाराख में 45 दिन की मवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सुदना की तामील से 30 दिन की मवधि, जो भी प्रत्रधि बाद में गमाप्त होती हो, क भीतर पूर्वांकर व्यक्तियां में ये किसी क्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस स्वता के राजपत्र में प्रशासन को तारोध से 45 दिन के भीतर उस्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 'किसी अभ्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास जिखित में तिल्ज्जा सकोंगे।
- स्पक्कीकरण :----असमें प्रमुक्त जब्दों और पक्षों का, जो उक्त ाधनियम के सध्याय 20-क में परिभाषित है, यही सर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

125-41-50 वर्ग मीटर जमीन पर खड़ा शेड 'सी', 660--88-50 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाली जमीन के साथ जिसका सर्वे नं० 39-जी--5, प्लाट नं० 18/1 है जो मोटर हाउस के सामने, पटेल कालोनी जामनगर में स्थित है तथा रजिस्ट्रेशन नं० 533, ता० 19-3-1979 से रजिस्ट्रीक्रेन बिक्री दस्तावेज में जैसे पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एम० सी० परीख, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज–I, अहमदाबाद तारीख: 4−10−1979 मोहर:

[भाग III--खण्ड 1

अर्क्य आई• टी० एन• एस∙~~~-

आयं कर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की झारा 269व (1) के ग्राधीन सूचना

भारत. सरकार

कार्यालय सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद ग्रहमदाबाद, दिनांक 16 श्रक्तूबर 1979

झौर जिसकी सं० सर्वे नं० 270 है तथा जो जूनागढ़ में स्थित है (श्रौर इसम उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्याखय, जूनागढ़ में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के झधीन, दिनाक 9⊶3–1979 का

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूरयमान प्रविष्ठम के लिए मस्तरित की गई है भौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दूरयमान प्रतिफल से, ऐसे दूरयमान प्रविफल का पन्द्रइ प्रतिशत भूषिक है और अन्तरक (मन्तरकों) मौर मन्तरिती (अन्तरितियों) के बीव ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया यया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिचित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) सन्तरण से हुई किसी माय की बाबत, उक्त श्रध-नियम, के भ्रधीन कर देने के सम्सरक के राणिस्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के जिए; और/या
- (ख) एसी किसी भार या किसो झन या ग्रन्थ ग्रास्सिमों को जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मधिनियम, या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अप्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्वतः संब, उक्त मझिनियम की धारा 269-म के अनुसरण में, मैं, उक्त मझिनियम, की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन निस्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:---

- श्री पीरआदा सैयद बढ़ामीयां खलफ्णमियां, खेतीबाड़ी कैम्पम के सामने, जूनागढ़।
 (भ्रन्तरक)
- 2. (1) श्रो चन्द्रकांत पोपटलाल ल\खानी, एम० पी० रोड, जूनागढ़।
- (2) श्री सरयू चन्द्रकांत लाखानी, एम० पी० रोड, जूनागढ़।
- (3) श्री भ्रतुलकुमार ग्रनंतराय लाखानी, एम॰ पी॰ रोड़, जूनागढ़।
 (ग्रन्तरिती)

को यह मूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

- उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप :---
- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अवधिया तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, बो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्वावर सम्पत्ति में हितबुद्ध किसी मन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास किखित में किये जा सकेंगे।
- स्वकडीकरण:----इसमें प्रयुक्त क्रम्यों घोर पर्दो का, जो उक्त धार्षिनियम के घष्ण्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही घर्ष होगा, जो उस घष्ण्याय में दिया गया है।

अमुसूचो

जूनागढ़ में सर्वे नं० 270 वाली 1 एकर 10 गुंठा बागायती जमीन, जिसका बिकी दस्तावेज नं० 262/ 9-3-1979 से रजिस्ट्री हर्ता प्रधिकारी जूनागढ़ ने रजिस्ट्रेशन किया है, यानी प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन उसमें दिया गया है।

> एस० सी० परीख सक्षम प्राधिकारी महायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज–I, श्रहमदाबाद

तारी**ख**ः 16–10–1979 मोहरः

भाग III---खण्ड 1] प्ररूप भ्राई० टी० एन० एस०-म्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के ग्राधीन सूचना भारत सरकार कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-1,, ग्रहमदाबाद ग्रहमदाबाद, दिनांक 16 ग्रक्तूबर, 1979 सं० ए० सी० क्यू० 23 - I - 2162(869)/11 - 1/79-80----म्रतः मुझे, एस० सी० पारीख ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्ष्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25;000/-रुपए से म्रधिक है ग्रीर जिसकी सं० सर्वे नं० 270 है तथा जो जूनागढ़ में स्थित है और इसले उपाबद्ध ग्रनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्री हर्ता अधिकारी के कार्यालय, जूनागढ़ में रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-3-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर **ग्रन्तरिती (धन्तरितियों) के बीच ऐसे धन्तरण के लिए तय पाया** गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---(क) भ्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधि-नियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, %गेर/या

(स्त्र) ऐसी किसी भ्राय या किसी धन या श्रन्थ भ्रास्तियों को जिन्हे भारतीय म्राय-कर म्रघिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर प्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

मतः मब, उक्त मधिनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थातुः—-

1. श्री पीरजादा सैयद मोहम्मच बड़े मीयां खलकश्रामीयां
खेतीबाड़ी कैंम्पस के सामने, जूनागढ़। (भ्रन्तरक)
2. (1) श्री चन्द्रकांत पोपटलाल लखानी ग्रेम० जी०
रोड़, जूनागढ़ ।
(2) श्रीमती सरयू चन्द्रकांत लाखानी, म्रेम० जी०
रोड़, जूनागढ़ ।
(3) श्री चेतनकुमार बाबूलाल लखानी भ्रेम० जी०
रोड़, जूनागढ़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचनाकी तामील से 30 दिन की ग्रावधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन के भीतर उत्रत स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः ––इसमें प्रयुक्त जब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधि नियम के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रय होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सबे नं० 270 बागाती जमीन जिसका क्षेत्रफल 1 श्रं कर 10 गुंठा है जूनागढ़ में स्थित है तथा बिकी दस्तावेज नं० 265/12⊶3⊶79 स रजिस्ट्रीहर्ता ग्रधिकारी जूनागढ़ में रजिस्टर्डकिया गया है, प्रापर्टी का पूर्णवर्णन उसमें दिया गया है।

एम० सी० परीख सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्नर्जन रेज-1, ग्रहमदाबाद तारोख: 16-10-1979 मो हर :

9928

प्ररूप बाई॰ टी॰ एन० एस०-----

अ।यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-ध (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-1, ग्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनां ते 6 ग्रक्तूबर 1979

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) (जिंभे उपमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की जार 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मह्य 25,000/- इ० से भ्रधिक है

झीर जिसकी सं० टी० पी० एम० 21 की फायनल प्लाट नं० 444 वाले प्लाट का 3/4 प्रविभक्त हिस्सा है तथा जो छदबाड, यु० के० बैंन्छ के फ्लैट के पास की, सांबावाडी अहमदाबाद में स्थित है (ग्रीर इसने उपावद्ध अनुसूची में ग्रींग पूर्ण रूप से नणित है), रजिस्ट्रीकर्ना श्रधिकारों के जार्यालय, आहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 23-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पति के उतित बाझर मुल्य से कम के दृष्टमान प्रतिकल के लिए अग्लरित की गई है और मुझे यह विज्याय कर का कारण है कि यथा (कोंक्त सम्पत्ति का उचित जागा मुख्य उपके दुश्यमान प्रतिफल के ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का अन्द्र लोहलत प्रधिन है और यन्तरक (भन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफन तिस्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त्राधक रूप से कथिस नहीं किया गया है 'न्य

- (क) भन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधितिया के अधीन अर देने के अन्तरक आ दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी अन या अन्य आस्थियों को, जिन्हें भारतीय आयकर प्रधिमियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर ग्रधिरेश्वय. 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः ग्राय, उक्त अधिनियम की घारा 269-ग के मनुसरण में, मे, उक्त मधिनियम की घारा 269-प की उपघारा (1) के अधीन निम्मलिखित व्यक्तियों अर्थात :--- ा. श्वी चन्दूलाल ग्रम्बालाल शाह, गंगाधीया की पोल, सांकेडी शेरी, म्रहमदाबाद।

श्रीमती पुष्पाबेन कॉतीलाल घाह, घोठनी पोल, सांकेडी शेरी, ग्रहमदाबाद। [(ग्रन्तरक)

- 2. (1) श्रीमनो नीताबेन नितीनकुमार णाह,
 - (2) हेमनाभाई चन्दूलाल शाह,
 - (3) श्री बाबूभाई एम॰ मोदी,
 - (4) श्री शैलेश नटवरलाल बोरा,
 - (5) हीराबेन सुन्दरलाल कोठारी,

(6) दीनेश रतीलाल शाह, दीनेश एन० मेहता के मारफत, 1151, ग्रालीफ मस्जिद के पीछे, भद्रे, अहमदाबाद। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना गारो करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए गार्यवाहिया करता हूं।

- उत्त सम्पनि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी शाक्षेप:---
- (क) इस पूर्यना के राजरत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की मब्दि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की नामील से 30 दिन की अवधि, जो भी मर्बाध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त ब्यक्तियों में स किसी ब्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूबना क राजपत में प्रकाशन की तारोख न 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिन-बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास निखित ने रेक्ट जा सकेंगे।
- स्पष्टीक्षरण :----इसमें प्रयुक्त शब्शों और पयों का, जो उकत प्राधनियन के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही धर्म होगा जो उस ध्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसेका क्षेत्रफल 760 वर्गगज का 3/4 तथा 80 वर्ग मीटर विस्तार में प्लींथ तक का बांधकाम जिसका सब प्लाट नं० 14--ए, फायनल प्लाट नं० 444, टी० पी० एस० 21 का जो यु० के० बैंक फ्लैंट्स के पास आंधावाडी आरंगदाबाद, छदवाड में स्थित है तथा रजिस्ट्रे-शन नं० 760 ता० 23-3-1979 में रजिस्ट्रीक्टत बिकी दस्तावेज म जैने पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० सी० परीख, सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I, श्रहमदाबाद तारीख: 6~10~1979 मोहर: प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०----

आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-, अहमदाबाद

ग्रहमदावाद, दिगोर 16 ग्रक्तूबर 1979

सं० ए मो क्यू० 23-1-2182(871)/11-1/ 79-80---अत:, म्झे, एस० सी० परीख,

म्रायकर ग्रंधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके, परचात 'उक्त म्रधिनियम'. कहा गया है), की धारा 269-ख के म्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचिन वाजार सूल्य 25,000/-रु० मे म्रधिक है

झौर जितकी सं० अर्थे तं० 270 है तथा जो जूनागढ़ में स्थित है (ग्रीर इसने उपाबद अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिङारी के रायलिय, जूनागढ़ में रचिस्ट्री-करण ग्राधिनियम, 1908 (1908 तर 16) के अधीन, तारीख 9-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिणत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रन्तरण लिखित में वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधिनियम, के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के क्षयित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या भ्रन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें ग्राय-कर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रधिनियम, या धन-कर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुनिधा के लिए;

ग्रत: ग्रब, उक्त अधिनियम की धार। 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त प्रथिनियम, की धारा 269-घ की उपघारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थातु :--- भी पीरजादा सैयद मोहम्मद बड़ामियां खलफ्शमियां खेतीयाडी केम्पत के सामने, जूनागढ़।
 (म्रन्तरक)

2. (1) महन्त श्री गोपालानंदजी गुरूश्री परमानन्दजी बिलनाश्र महादेव की जगह, जूनागढ़ ।

(2) श्री चन्द्रकांत पोपटलाल लाखानी, एम० जी रोड, जूनागढ़।

(3) श्री प्रविणचन्द्र वसनजी शाह, एम० जी० रोड, जूनागढ़। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रजन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकान की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, भीरत पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ढारा :---
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अत्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए आ सरोंगे।
- स्पब्टोकरणः—–इसमें प्रयुक्त णःदीं और पदों का, जो 'जक्त श्रधिनियम', के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, यही श्रर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

श्रनुसूची

जूनागढ में सर्वे नं० 270 वाली 1 एकड़ 01 गुंठा बागायती जमीन जिसका विकी दस्तावेज नं० 261/9-3-1975 से रजिस्ट्री इनी अधििरारी जूनागढ़ द्वारा रजिस्ट्री दिया गया है याने प्रापटी का पूर्ण वर्णन उसमें दिया गया है।

> एस० सी० परीख, सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज–^I, अहमदाबाद

तारीख : 16–10–1979 मोहर : - प्ररूप माई० टी० एन० एस०-----

म्रायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के श्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-1, अहमदाब(द

ग्रहमवाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1979

सं० पी० ग्रार० नं० 749 एक्वी० 23-19-8/ 79-80---ग्रतः, मुझे, एस० मी० परीख,

ग्रायकर ग्रहिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्यात् 'उक्त ग्रहिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रहीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से ग्रहिक है

और जिसकी संग् नोंध नंग 728 वार्ड नंग 6 है तथा ओ गाले मन्छी, मोटी कोगी, सूरत में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन 1-3-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रविंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है श्रौर मुझे यह विश्वास, करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रसिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिधत से श्रधिक है श्रौर श्रन्तरक (श्रन्तरकों) श्रौर श्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे श्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधि-नियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, ग्रौर/या
- (ख) एसे किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों को जिन्हें ग्राय-कर ग्रघिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रघिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती ढारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रत: श्रभ, उभत अधिनियम, की धारा 269-ग के भ्रनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपभारा (1) के श्रभीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--- बी ईरम्बरलाल विश्वनाथ भट्ट गाले मन्द्री, मोटी शेरी, सूरत।
 (झम्तरक)

2. श्री रमेशमन्द्र छोटुभाई पटेल, गाले मन्डी, मोटी शेरी, सूरत । (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उमत सम्पत्ति के म्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के मीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किस्की व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबग्र किसी ग्रन्थ व्यक्ति ब्रारा ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पब्डीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधि-नियम, के श्रध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन ग्रौर मकान जिसका नं० नोंध नं० 728 वार्ड नं० 6 गाले मन्डी, मोटी गेरी सूरत है। ग्रौर जो रजिस्ट्री-कर्ता ग्रधिकारी सूरत के कार्यालय में ता० 1–3–79 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० परीख, सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज–I^I, ग्रहमदाबाद

तारीखः 17-9-1979 मोहर: ्रवेष माई∙ दी०एन। एस।------

मायंकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के मधील सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीकण)

ग्रर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

म्रहमदाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1979

सं० पी० ग्रार० नं० 750 अक्वी० 23-19-8/79-80--ग्रतः, मुझे, एस० सी० परीख,

वायकर वधिनियम, 1961 (1961 क्वा 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-वा के मधीन सकाम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति जिसका उचित्त वाजार मूल्य 25,000/- २० से प्रधिक है,

ग्रौर जिसकी सं० नोंघ नं० 5156 वार्ड नं० 2 है तथा जो फरोम मोहल्ला, रस्तमपुरा में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबज प्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधि-कारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 1---3--79

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृष्टवभाम प्रतिफल के लिए भग्तरित की गई है घौर मुझे यह विक्वास करने का कारण है कि यचापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाबार मूल्य, उसके वृक्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृक्यमान प्रतिफल का पन्द्रष्ट् प्रतिशत से अधिक है घौर मन्तरक (मन्तरकों) घौर मन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे धन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नसिक्ति उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण सिक्ति में वास्त-विक कप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) अण्तरण से हुई जिसी आय की बावत उक्त अधि-नियम के ग्रहीन कर देने के ग्रस्तरक के दायित्व में कमी करने या उझसे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (वा) एँसी किसी झांय यो किंमी घन या अल्ब झास्तिमों को, अन्हें झायंकर घीक्षेनियमं, 1922 (1922 का 11) या उक्त झघिनियम, या धन-कर झघिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया पदा वा या किया जाना चाहिए था, छिपाने ने सुंचिया के लिए;

भतः अव, उक्स महिनियम को धारा 269-ग के वनू-सरण में, त्रें, उक्त अविनियम को घररा 269-व की उपयारा (1) के अधीत, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीत् :---- भी फरेसैराम भिषिलंगिल, फरोम मोहल्ला, रुस्समपुरा, सूरत।
 (ग्रन्तरक)

2. श्री वसंतलाल बालुभाई, फरोम मोहल्ला, रुस्तमपुरा, सूरत। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोंक्त संपत्ति के झर्जन के लिए कार्यवाहियां करंती हूँ।

उस्ते संपत्ति के मर्जने के संबंध में कोई भी माक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजवंत्र में प्रकोशन को तारीब से 45 दिन की प्रवधि या तस्संवंधी व्यक्तियों पर सूचन। की तामील से 30 दिन की प्रवधि, जो भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के मीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीब के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हित-बद्ध किसी मन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास जिखित में किए जा सकेंगे।
- एपध्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शक्यों और पयीं का, जो उक्त मधिनियमं के ग्राच्यायं 20-कं में परिणाधित हैं, धही मर्च होगा जी, उस मध्यांग में दियों गया है।

मनुसुची

जमीन झौर मकान जो वार्ड नं० 2 नोंध नं० 5156 में है ग्रौर जो ब्लाक नं० 1 का ग्रतिरिक्त है श्रौर फरोम मोहल्ला रुस्तमपुरा, सूरत में है। ग्रौर यह रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधि-फारी सूरत के कार्यालय में ता० 1-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी०परीख, सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंजन्मी, ग्रहमदाबाद

तॉ**रीख**: 17—9—1979 मोहर:

भाग गा--- बण्ड 1

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

भायकर भ्रमिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-ष(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायक ग्रायकर प्रायकन (निरीक्षण)

भ्रजीन रोज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1979

सं० पी० ग्रार० नं० 751/एक्वी०-23-19-8/79-80---ग्रत:, मुझे, एस० सी० परीख,

पायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कह्या गया है), की धारा 269-क के अत्रोत सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि म्यादर गमालि, जिसका उचिन वात्रार मूख्य 25,000/-इपए से अधिक है

ष्ट्रौर जिसकी सं० नोंध नं० 5156 पैकी व्लाक नं० 3 है तथा जो फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा सूरत में स्थित है (ध्रौर इससे उपावद्ध अनुसूची में ध्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिट्रीकर्ता घ्रधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्री-करण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन तारीख 1–3–1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास भरते का कारण है कि वयापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दूश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्न्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) भौर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के निए तय पाया गया प्रतिफल, तिम्नजियित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, विखित में वास्तविक ख्रय से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अस्तरण से हुई किसी धाय की बाबस उक्त ग्रथितियम के प्रधीन कर देते के ग्रस्तरक के दायित्व में कमी करते या उसने बचत में सुविधा के लिए ; और/या
- (ख) ऐसी किला प्राय या किसो धन या प्रभ्य ग्रास्तियों, को, जिन्हें आयकर अधिनियम 1922 (1923 का 11) या उक्त मधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाता चाहिए था, छिपाने में सुबिधा के लिए ;

धतः भव, उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त ध्रधिनियम, की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखिन क्यक्तियों, अर्थात्:--- श्री फरसराम शीवलाल, फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा, सूरत।
 (श्रन्तरक)

 2. श्री नवीनचन्द्र बाबूभाई, फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा, सूरत। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पसि के मर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः--

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की घवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की घवधि, जो भी घवधि बाद में समाप्त होती हो, के मीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाणन की तारीब से 45 दिन के भोतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबढ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।
- स्पष्टीकरण:----इसमें प्रयुक्त सम्दों भौर पदों का, जो उक्त - भधिनिथम के प्रघ्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही धर्भ होगा जो उस प्रघ्याय में दिया गया है ।

धनुसूची

जमीन और मकान जिसका नोंध नं० 5156, वार्ड नं० 2 है और जो फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा, सूरत में है। और जो रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी सूरत के कार्यालय में ता० 1--3-1979 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एम० सी० परीख, सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज–II, ग्रहमदाबाद

तारीख: 17-9-1979 मोहर: प्ररूप भ्राई० टी० एस० एस०---- ---

ग्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक म्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेंज-II, अहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1979

ग्रायकर अधिमियम, 1961 (1961 का 43)

(जिसे इसमें इसके पश्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये में अधिक है और जिसकी सं० मोंध नं० 5756 के अतिरिक्त ब्लाक नं० 5 है तथा जो फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा में स्थित है (और इससे उपायद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूग्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विग्रवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दूग्यमान प्रतिफल से, ऐसे दूग्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिगत ग्राधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देग्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अग्तरण से हुई किसी भाय की बाबत उक्त प्रधि-नियम, के मधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आात्र या किसी घन या अभ्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती ढारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः, ग्रब, उक्त मधिनियम की धारा 269-ग के भनु-सरण में, मैं, उक्त मधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--- भो फरसराम फिवलाल. फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा, सूरत।
 (ग्रन्तरक)

2. ग्रारविंद वाबुभाई, फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा, सूरत । (ग्रन्तरिती)

को यह सूचता जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्रजॅन के लिए कार्यवाहियां करताहं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आ क्षेपः—-

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबग्र किसी अन्य व्यक्ति बारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पन्धीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त मधि--निगम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस ग्रष्ट्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अमीन भौर मकान जिसका नोंघ नं० 5756 है भौर जो ब्लाक नं० 5 की मतिरिक्त है भौर जो फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा, सूरत में है श्रौर ये रजिस्ट्रीकर्ता मधिकारी, सूरत के कार्यालय में ता० 1-3-1979 को रजिस्टर्ड की गई . है।

> एस० सी० परीख सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज–II, ग्रहमदाबाद

तारीख: 17-9-1979 मोहर: प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०----

म्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज II, अहमदाबाद ग्रहमदाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1979

सं० पी० ग्रार० नं० 753/एवयू०∽23/19—7/79—80 श्रतः, मुझे, एस० सी० परीख

झायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पल्वात् 'उक्त प्रधिनियम' यहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विष्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है श्रौर जिसकी सं० नोंध नं० 5756 वार्ङ नं० 2 कि अतिरिक्त है तथा जो ब्लाक नं० 2, फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा में स्थित है (श्रौर इससे उपाबच अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख 1−3~1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से भधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐक अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आप की बाबत उक्त भाध-नियम, के मधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐंगे किसी आप या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीन आप कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना भाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः श्रव, उक्त ग्रधिनियम की घारा 269-ग के ग्रनु-सरण में, मैं उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात्:--- श्री फरसराम गीवलाल, फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा सूरत।
 (भ्रन्लरक)

 श्री महेन्द्र कुमार बाबुभाई, फराम मोहल्ला रुस्तमपुरा, सूरत।
 (ग्रन्तरिती)

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी म्राक्षेपः----

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्वत्रधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की ताभीत से 30 दिन की श्वत्रधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त टाकितयों में से किमी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी अन्य व्यक्ति ढारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पब्बोकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधि-नियम के प्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा, जो उस प्रघ्याय में दिया गया है।

मनुसूची

अमीन और मकान जिसका नोंध नं० 5156 कि ग्रति-रिक्त ब्लाक नं० 2 वार्ड नं० 2 सूरत में है ग्रौर जो रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी सूरत के कार्यालय में ता० 1-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० परीख सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज–II श्रहमदाबाद

तारीखः 17–9–1979 मोहरः प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०----

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर अध्यक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

म्रहमदाबाद, दिनां ह 17 सितम्बर 1979

निदेश मं० पो० ग्रार० 754 एक्यू०-23/19-7/ 79-80---ग्रतः नुझे, एल० सी० परीख ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवान् 'उक्न ग्राधनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विष्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित काजार मूल्य 25,000/- रुपये से ग्रधिक है ग्रौर जिसकी मं० नोंध नं० 5156 पैकी ब्लोक नं० 4 है तथा जो वार्ड नं० 2, फराम मोहल्ला रुस्तमपुरा में स्थित है (ग्रौर इसने उपायद्ध असूसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ना ग्रधिकारी के कार्यालय, सूरत

में रजिस्ट्री हरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 1-3-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुक्षमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वात करने का कारण है कि ययान्न्वेक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दुक्ष्यमान प्रतिफल से, एसे दुक्ष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित

नहीं किया गया हैं:----(क) प्रान्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त श्रधि-नियम के श्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायिरव

उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित

- े नियम के अधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भ्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धनकर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में स्विधा के लिए;

जतः, ग्रंब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के श्रनु-सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269व की उपधारा (1) के श्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- श्री फरसराम गीवलाल, फराम मोहल्ला रुस्तमपुरा, सूरत।
 (भ्रन्तरक)

 श्री प्रधीनचन्द्र देवसुखलाल, फराम मोहल्ला, रुस्तम-पुरा, सूरत।
 (भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त सम्पति के म्रजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी श्रन्थ व्यक्ति द्वारा, ग्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पर्ध्दीकरणः :----इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त अधि-नियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अमीन ग्रीर मकान जिसका नोंध नं० 5156 ग्रीर वार्ड नं० 2 है। जो फराम मोहल्ला, रुस्तमपुरा, सूरत में है ग्रीर जो रजिस्ट्री क्री ग्रधिकारी सूरत के कार्यालय में ता० 1-3-1979 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० परोख सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–II श्रहमदाबाद

तारीख: 17-9-1979 मोहर: प्ररूप माई० टी० एन० एम०----

आयकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुषत (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979

म्रोर जिसकी स० नं० 872 कि म्रतिरिक्त है तथा जो पारडी में स्थित है (म्रोर इससे उपावद म्रनुसूची में भ्रोर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री क्रती म्रधिकारी के कार्यालय, पारडी, में रजिस्ट्रीकरण म्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के म्रधीन 13-3-79

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजर मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रौर अन्तरक (भ्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बीच ऐसे म्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भ्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: ---

- (क) अन्तरण से हुई किसी ग्राय की खाबत, उक्त अधिनियम के प्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या ग्रन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय श्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण, में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269व ्की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु:--- ा. श्री हसमुखलाल नगीनदास, पारडी, जि० बलसाड़। (भ्रन्तरक)

2. मै० गायक्षी लैण्ड विकास कं० के भागीदार श्री विनोदराय सोमालार नायक, पारडी। (झम्सरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की आवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की आवधि, ं जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवढ किसी ग्रम्य व्यक्ति द्वारा श्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पर्ख्डीकरणः ---इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो 'उक्त ग्राधिनियम, के श्रध्याय 20-क परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

अनुसुची

जमीन जिसका स० नं० 872 के म्रतिरिक्त है भौर जो माप में 2 एकड़ म्रौर 8 गुंठा है म्रौर जो रजिस्ट्रीकर्ता म्रधिकारी पारडी के कार्यालय में ता० 13-3-79 को रांजस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० परीख सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण) क्रर्जन रेंज–II, म्रहमवाबाद

तारीखः 19-9-79 मोहरः प्रकप माई• टींब एन० एसंब-----

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के प्रधीन भूवना

भारत सरकार

कार्यात्रय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमवाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979

मौर जिसकी सं०टी० नं० 6/2 सं० नं० 46/ए० है तथा जो बाजार मोहल्ला बीलीमोरा में स्थित है (ग्रौर इसमे उपाबद अनुसूची में भ्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, बीलीमोरा में राजस्ट्रीकरण भाधनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 31-3-79 को पूर्वीवत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कव के दुषयभाग प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई ै **मौर** मुझ यह जिल्लाम करने का कारण **है** कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार सुल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल में, ऐन दृश्यमान प्रतिफल 💵 पन्द्रह प्रतिभन से आधिक है और मन्तरक (ग्रन्तरकों) **फ्रोर** बन्दरिती (भन्तरितियों) क बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल मिन्नसिबित उद्देश्य से उन्न धन्तरण जिथित व वास्तविद्य इप से कचित नहीं किया गया है :---

- (क) भन्तरण से हुई किसी भाग को बाबत उक्त बाँध। तियम के सधीन कर देने के भन्तरक के दायित्य में कमी करने था उससे बचने में सुविधा के जिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी प्राय या फिसी धन या भेन्य मास्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाव मन्तरितो ढारा प्रकट नहीं किया गया वा या किवा जाना चाहिए वा, छिपाने में सुविधा के बिए

धता ग्रथ, उपल भांधनियम की धारा 269-ग के बनुबरण में, मैं, डपल भांधनियम की धारा 269-व को उपधारा (1) के बादीम, निण्मनिखित व्यक्तियों, बर्चात :---- श्री डाक्टर सोरावजी डोसामार स्टेशन रोड बीली मोरा।
 (ग्रन्तरक)

2. (1) श्री मोहनलाल उत्तमचन्द पारेख
 (2) कान्तीलाल उत्तमचन्द पारेख, उननादी।
 (म्रन्तरिती)

को यह सूचना जारो करत पूर्वीक्त सम्पति क ग्रजन के लिए कार्यवाहियों करता हो।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख स 45 दिन की मवधि या तरमंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की मवधि, जो भी मबधि बाद में संमाप्त होती हो, के मीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में सें किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ किसी धम्य व्यक्ति ढारा, मधोइस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पध्दीकरणः----इसमें अयुन्त सब्दो मौर पदों का, जो उन्त ग्राधनियम के भ्रध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अध होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

নশুরুমা

जमीन और मकान जो बीलीमोरा में है और जिसका टीका नं० 6/2, स० नं० 46--ए और जो रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी गनदेवी के कार्यालय में ता० 31--3--79 को रजिस्टर्ड को गई है।

> एस० सी० पारोख सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज–II, ग्रहमदाबाद

तारीख: 19-9-1979 मोहर:

- प्रकृप माई• टी० एग० एस०-----

आयफर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के ग्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण)

श्रजन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनां रे 19 सितम्बर 1979

तिरेण मं० आए० आए० नं० 761 एक्यू० 23/7-3/ 79-80---अफ्तः जुझे एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जित इामें इपके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कडा़ गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विण्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुन्य 25,000/- रुपए से अधिक हे

प्रीर जिनकी तंत्र रेतु सन तंतु 418 के अतिरिक्त सत तंतु 1182 है तथा मां किलींशेरा से स्थित है (ग्रीर इससे अतबद्ध अनुसुबरे ने और पूर्य रूत से वणित है), रजिस्ट्री-एनों आध्य अरी के अर्थातन गतदेवी ने रजिस्ट्री इरण प्रधि-निजम, 1908 (1908 जा 16) के अधीत, तारीख 21--3-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उतित बाबार मूल्य में कम के दुश्यमान बलिफल के लिए अस्तरित की गई है भौर मुझे यह विश्वास मराका कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के उन्द्रह प्रलिशत से अधिक है मौर मन्तरक (अन्तरकों) भौर मन्तरिती (प्रन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरज लिखित में वास्तविक क्रम से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रस्तरण से हुई किसी भागकी वाबत, उक्त अधिनियम के मधीन कर बेने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में मुदिधा के सिए; मौर/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी झन या मन्य, आरितयों को, जिन्हें भारतीय भायकर भ्रधिनियम. 1922 (1922 का 11) या उनत भ्रधिनियम, या धन-कर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए था, छिपाने भें सुविध, के लिए;

प्रतः श्रव, उक्त प्रधिसियम की घारा 269-ग के भनुसरण में, मैं, उक्त प्रधितियम की घारा 269-घ की उपणारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- श्री भगकलदात झोछवलाल शाह पी० ए० राजेन्द्र झोछवलाल शाह, राजपुरिया वाग, गुजरात मंडल रोड़, विले पारले, बाम्बे→57।
 शान्स्टीट्यूटेड एटोरनी श्राफ वुड पोलीमर लि० झंबालाल खुंखामाई पटेल, महात्मा गांधी रोड़, बीलीमोरा । (झन्तरिती)

को यह सूचना जारो करके पूर्वीवत सम्पति के आर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी झाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि था तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की मवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी क्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्पावर सम्पति में हितबद किसो परग व्यक्ति दारा, अधोहस्ताअरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वब्दोकरणः -----इतने अनुक्त शब्दों कोर पदों का, बांडाउ अधि-तियम के झब्याप 20-क में परिभाषित है, वही अर्थहोगा, ज्वो उस प्रख्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जित्त हा नं० रे० स० नं० 418 के ग्रतिरिक्त ग्रौर स० नं० 1182 के ग्रतिरिक्त है ग्रौर जो माप में 721-69-69 चोरस मीटर्म है ये जमीन रजिस्ट्रीकर्ता प्रतिहारी बीलोमोरा के कार्यालय में ता० 21-3-79 के दिन रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० परीख सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज⊸II, अहमदाबाद त∖रीख: 19--9--1979 मोहर : प्ररूप झाई० टी० एन० एस०----

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन स्चता भारत मरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनां: 19 न्तिम्बर 1979

निर्देश सं० पी० ग्रार० नं० 76% एक्वी 23/7-3/ 79-80---ग्रतः मुझे. एक० सी० परीक्ष

श्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उनित वाजार मल्य 25,000/-रुपए से ग्रधिक है

ग्रौर जिसकी सं• रेव० सर्वे० तं० 418 पाइकी सिटी स० नं० 1182 पाइकी है तथा जो वीलीमोरा में स्थित है (ग्रौर इसमे उपाबद्ध ग्रनुसुची में ग्रोर पूर्ण एग से वर्णित है). रजिस्ट्री क्रती ग्रधितारी के सार्यालय, चीलीमोरा से रुप्स्ट्री-करण ग्रधिनियम, 1908 (1908 17 16) के ग्रधीन. तारीख 21-3-79 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्ययान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधि-नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या
- (ख) एसी किसी आय या किमो बन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था. छिपाने में सुविधा के लिए।

ग्रत: ग्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--- । श्री गतेन्द्र प्रोळववात भाजू मील 10 होल्डर 205 त्वव्य प्रस्तु ग्राख्यवाल, राज्युरिया वला, मुजरात मंडल रोड, विले-सरल. योम्बे~57 । (प्राप्ता.)

 तै० वुड पोलीमर लि० ग्रंतर्गः च चुंत्राधाई गटेल महात्मा गांधी रोड़, बीलीमोरा।
 (अन्ततिती)

को यह सूचना जारो करके पूर्वीक्त पम्पत्ति के प्रर्जन के तिए कार्यवाहियां करता ह ।

उक्त सम्पति के ग्रजेंन के सम्बन्ध में कोई भी ग्रानेगः---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाणित ही तारीख से 45 दिन की प्रत्रति पा तरपश्चानों व्यक्तिमों पर सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि, जो भो अवधि बाद में समाज कोनी हो, के भीतर पुर्वीक्त व्यक्तियों में में किनो व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा अधोङ्स्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त ग्रधि-नियम, के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका स० नं० 418 ग्रौर 1182 है ग्रौर जो बीजीगेरा में है ग्रौर जिसका नाप 556-41-45 वर्ग मोटर्म है वे जमीन रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी गलदेने के कार्यातन में ता० 21-3⊶79 को रजिस्टर्ड की गई है।

०प० मी० परीख सक्षम प्राधिदारी सहायक आयकर स्रायुक्त (निरीक्षण) स्रर्जन रेंज--II. स्रहमदाबःद तारीख: 19–9–1979

```
ताराखः 19-9-1979
मोहरः
```

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०------

म्रायकर म्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के ग्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रजन रेंज-II, अहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांतः 19 सितम्बर 1979

निर्देश सं० पी० म्रार० नं० 763 एक्वी० 23/7--3/ 79--80----म्रातः म्झे, एस० सी० पारीख

प्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विखास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूख्य 25,000/-रुपए से ग्रधिक है

श्रौर जिसकी मं० रे० स० नं० 418/3 सी० सं० नं० 1182 है तथा जो बिलीमोरा मे स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीन कर्ता श्रधिकारी के वार्थालय बीलीमोरा में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 को 16) के श्रधीन तारीख 21-3-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके वृश्यमान प्रतिफिल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) घोर अन्तरिनो (ग्रन्तरिनियों) के बोच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के भन्तरक के दापिस्व में कमे करने या उससे बचने में सुविधा-के लिए; ग्रीर/या
- (ख) रेसो किसी आय पा किसी घन या घन्य मास्तियों को जिन्हें भारतोग आय-कर म्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त म्रधिनियम, गा धन-कर म्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के भनुसरण में में, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात्:--- श्री राजेन्द्रकुमार ओछवलाल गाह, राजपुरिषा वाग गुजरात मंडल रोड़ विले-गारले बम्बई-57। (भ्रन्तरक)

 2. मैं० वुड पोलीसिर लि० श्रंबालाल चुंथाभाई पटेल मडात्मा गांधी रोड़, बोलीमोरा।
 (ग्रग्लरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के झर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

जबत सम्पत्ति के प्रजंन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि वाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स बाक्तियों में से फिसो व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबग्ध किसी अन्य व्यक्ति ढारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पण्टी करण :----इसम प्रयुक्त णब्दों धौर पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस घश्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जनीन जिसका स नं० 418/3 प्रौर स० नं० 1182 है आर जो माप में 505-85-86 चोरस मीटर्स है ग्रौर जो रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी गनदेवी के कार्यालय में ता० 21-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० पारीख सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजॅन रेंज–II, ग्रहमदाबाक्ष

तारीख: 19-9-1979 मोहर: प्ररूप भ्राई० टी० एन० एस०------

ध्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के भ्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-II, ग्रहमदाबाद

श्रहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979

निर्देश सं० पी० ग्रार० नं० 764 एतवी० 23~7~3/

79--80-----ग्रतः मुझे, एम० सी० पारीख प्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इस में इसके पश्र्वात् 'उक्त ग्रधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से भ्रधिक है

म्रोर जिसको सं० रे० स० नं० 418/6, 7 सी० सा० नं० 1182 है तथा जो बीलीमोरा में स्थित है (म्रोर इससे उपाबद्ध म्रनुसूची में म्रौर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्री-कर्ता म्राधिहारी के कार्यालय, बिलीमोरा (गनदेवी) में रजिस्ट्रीहरण म्राधिनिथम, 1998 (1908 का 16) के म्राधीन, तारीख 21--3-79

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिणत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और प्रन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत, उक्त ग्रिधिनियम के भ्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य ध्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

म्रत: ग्रब, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित क्यक्तियों, ग्रथीत्:----12---346GI/79 श्री राजेन्द्र झोछवलाल शाह, राजपुरिया थाग, गुजरात मंडल रोड, बिले-पारले, बोम्बे--57। (झन्तरक)

 2. मैं० वुड पोलोमर लि० ग्रंबालाल चुंथाभाई पटेल, महात्मा गांधी रोड़, बीलीमोरा।
 (ग्रन्तारेती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के म्रर्जन के लिए कार्यवाहियों करता हं।

उक्त सम्परित के श्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपव्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी भ्रान्य व्यक्ति ढारा भ्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पब्दीकरण:---इसमें प्रयुक्त गब्दों मौर पदों का, जो उक्स ग्रधिनियम, के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है ।

प्रनुसूची

जमीन जिसका स० नं० 418/6, 418/7 अप्रीर सी० स० नं० 1182 ग्रीर 1181 है ग्रीर माप में 405 चोरस मीटर्स है ये जमीन रजिस्ट्री क्रा ग्राधकारी गनदेवी के कार्यालय में ता० 21-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० पारीख सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेंज--, म्रहमदाबाद

तारीखः 19–9–1979 मो**हरः** प्रारूप ग्राई० टी० एस०एन०∽⊸––––

आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के प्रधीन सुचना

कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्नर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

म्रहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979

निर्देण सं० पी० भ्रार० नं० 765 एकवी 23/7--3/ 79--80----श्रत: सुझे, एस० सी० पारीख श्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इस के पश्चात् 'उक्न ग्रधिनियम', कहा गया है) की धारा 269ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- र० ग्रधिक है

और जिल्की सं० २० स० नं० 418/8--9, सी० स० नं० 1182--1178 है तथा जो बिलीमोरा में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबज ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप में वणित है), रजिस्ट्रीइर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, गनदेवी में रजिरट्री-करण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, रोतारीय 21-3-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है प्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापुर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल मे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह् प्रतिणत से प्रधिक है और अन्तरफ (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल निम्तलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दासित्व में कमी करने या उस से बचने में सुविधा के लिए श्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी अप्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किये। जानां चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

ग्रतः ग्रब उक्त श्रधिनियम की धारा 269ग के श्रनुसरण में, मैं उक्त ग्रधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के श्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रर्थाब् :---- श्री राजेन्द्र मोछवलाल गाह, राजपुरिश्रा बाग, गुजरात मन्डल रोड, विले-पारले, बोम्बे-57। (भ्रन्तरफ)

2. मै० वुड पोलीमर लि० श्री श्रंबालाल चुंथाभाई पटेल, महारमा गांधी रोड़, बीलोमोरा। (म्रन्तर्ग्ती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी ग्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होनी हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इन सूचरा के राजात में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदा का, जा उक्त श्रधिनियम, के श्रध्याय 20क में परिभाषित है, वहीं श्रर्थ होगा जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

ग्रनुसूची

जमीत जिसका रे० स० नं० 418/8-9 श्रीर सी० स० नं० 1182 श्रीर 1178 है श्रीर जो माप में 404 चोरत गीटर्स है ये जमीत रजिस्ट्री.र्ता श्रधिवारी गन्देवी के कार्यालय में ता० 21-3--79 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० पारीख सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेंज–II, ग्रहमदावाद

तारीखः 19⊶9-1979 मोहरः प्ररूप म्राई० टी० एन० एस०––––

मायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के म्रयीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-II, अहमदाबाव

ष्प्रहमदाबाद, दिनां रु 19 सितम्बर 1979

निर्देश सं० पी० अगर० 766 अग.वी 23/7-3/79-80-अतः मुझे एस० सी० पारीख

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रू० से अधिक है

ष्ठौर जिसकी सं० री॰ स॰ नं॰ 418/4-5, सी॰ स॰ नं॰ 1182, 1180 है तथा जो बीलीकोरा में स्थित है (ग्रौर इसले उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप मे वर्णित है) रजिल्ट्री तो ग्राधिकारी के कार्यालय, बीलीमोरा में रजिस्ट्री करण प्रोधनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन, तन्रीव 21-3-79

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजर मूल्य से कम के दुष्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्सास करने का कारण है कि यया। वोंग्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके वृष्यमान प्रतिफल से ऐसे दुष्यमान प्रतिफल से ऐसे प्रतिशत ग्राधिक है ओर अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बावत, उक्त प्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बजने में सुविधा का लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी बात या किसी धन या घन्य ध्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय घ्राय-कर घ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त घ्रधिनियम, या धन-कर घ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ घन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने सुविधा के लिए;

म्रतः म्रब, उक्त ग्रधिनियम की घारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के भ्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, मर्थात्:---- श्री राजेन्द्र भोळवलाल प्राह, राजपुरिम्ना बाग, गुजरात मन्डत रोड़, (वले पारले, बोम्बे-57। (भ्रन्तरह)

2. मै० वुड पोलीनीर लि० श्री म्रंबालाल चुगाणाह पटेल, महात्मा गांधी रोड़, बिलीनोरा। (भ्रन्तारेती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के झर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ध्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ध्राक्षेपः---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या नत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पध्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो 'उक्त ग्रधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है ।

ग्रनुसूची

जमीन जिसका रे० स० नं० 418/4-5 घोर सी० स० नं० 1182 ग्रोर 1180 है ग्रोर जो माप में 404 चोरस मीटर्म है। ये जमीन रजिस्ट्री.ता ग्रधिकारी गनदेवी के कार्या-लय में ता० 21-3--79 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० पारीख सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) म्रजेन रज–II, महमदाबाद

तारीख: 19-9-1979 मोहर: সৰু স্নাই০ টা০ एন০ তথ্ৰ ০-----

म्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर मायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रैंज-II, अहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979 निर्देश सं० जी० ग्र।र० 767 ग्रेकवी० 23–19–1/

79-80---प्रतः मुझे, एस० सी० पारीख झायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से प्रधिक है और जिसकी सं० ब्लाक नं० 310 एस नं० 374 और 375 है तथा जो सुराली विलेज में स्थित है (भ्रीर इससे उपाबद ग्रनुसूची में और पूर्ण रूप में बर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय, बारडोलो में रजिस्ट्रीकरण

भ्रधियनयम, 1908 (1908 का 16) के म्राधीन, तारीख 16-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से श्रधिक है और प्रन्तरक (ग्रन्तरकों) और ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखत उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण निश्वित में वास्तविक रूग से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त ग्रधि-नियम, के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसे किसी भ्राय या किसी धन या भ्रन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भ्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धनकर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में स्विधा के लिए;

ग्रतः, ग्रब, उक्त ग्रधिनियम की घारा 269-ग के ग्रनु-सरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की घारा 269-व की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रथीत्:--- श्रीमती मुखीबेन हरोभाई पटेस, विलेज मढ़ी, ता० बारडोली।
 (ग्रन्सरन:)

2. श्री झनंतकुमार जगननाल पटेल विलेज मढी, तह० बारडोली। (झन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के ग्राजैंन के सम्बन्ध में कोई भो ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन को ग्रावधि या तत्संबंधो व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन को ग्रावधि, जो भी ग्रावधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनबद्ध किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकगे।
- स्पब्टोफ़रणः इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों का, जो उक्त श्रधि-नियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही ग्रर्थ होगा, जो उन्त ग्रध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जिसका नं० ब्लाक नं० 310 स० नं० 474 और 475 जो माप 14 एकर श्रीर 33 गुंठा है । झोर ये जमीन सुरेली गांव में है श्रीर रजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी बारडोली के कार्यालय में ता० 16-3-79 को रजिस्टर्ड को गई है।

> एस० सो० पारीख सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंजन्II, म्रहमदाबाद

तारीख: 19−9−1979 मोहर: प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०-----

न्नायकर ग्र.ेधानेयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979

निर्देश सं० पी० आर० नं० 771 घ्रोक्ष्वी० 23–7~3/ 79-80-–ग्रतः मुझे, एस० सी० पारीख

याय कर त्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विस्वास तरने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से प्रधिक है

श्रौर जितकी सं० सर्वे नं० 469 के अतिरिक्त है तथा जो महादेवनगर बिलोनोरा में स्थित है (श्रौर इसने उपाबढ अनुमूची में ग्रौर पूर्ण रून से वॉणत है), रसिस्ट्री.ती अधिकारी के लार्थालय, गनदेवी, मे राज्रस्ट्री रण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 30-3--79 को पूर्वोक्त संपक्ति के उचित वाजार मूल्य से कम के दुष्यमान प्रतिकन के लिए अन्तरित की गई है ग्रांर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि अपायुर्वाक्त नंगत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिगत से अधिक है श्रौर श्रन्तरक (श्रन्तरकों) श्रौर श्रन्तरिती (प्रनारितियों) के वोच रेग अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फत निम्मानिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बजने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी तिसी आप या किसी धर्न या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रज्ञ, उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269-ग के प्रनुसरण में, में, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्तलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात् :--- श्रीमती निरुवेन असभाई पटेल मनीलकुमार जसभाई पटेल, महादेवनगर, बिलीमोरा।
 (भ्रन्तरवः)

2. श्री णंकरभाई मुलजीभाई पटेल ढारा श्री बालीमोरा इण्डस्ट्रियल को०भ्राप० सर्विस सोसायटी लि० ,महादेवनगर, बिलीमोरा। (मन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- -

- (क) इस मूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दित की घ्रत्रधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की ग्रत्रधि, जो भी अत्रधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा;
- (ख) इत सूत्रका के राजनत में प्रकाशन की तारीख से 45 दित के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किनी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पर्ध्दीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों झौर पदों का, जो श्रायकर श्रधि-तियम 1961 (1961 का 43) के झध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा जो उस झध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका नं० स० नं० 489ई ग्रौर जो महादेव-नगर बीलीमोरा में है । ये जमीन रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी गनदेवी के कार्यालय में ता० 30-3-79 को रजिस्टर्ड की गई है ।

> एस० सी० पारीख सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज–II, ग्रहमदाबाद

तारीख : 19-9-1979 मोहर : प्ररूप म्नाई टी एन एस------

भायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा

269-घ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्नर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1979 निर्देश सं० पी० ग्रार० नं० 772/ग्रेकवी०--23--7--3/ 79-80---म्रतः मुझे, एस० सी० परीख ग्राय हर ग्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269वघ के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से प्रधिक है भौर जिसकी सें० नं० 469 कि श्रतिरिक्त है तथा जो महादेवनगर, बिलीमोरा में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधि-कारी के कार्यालय, गनदेवी में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख 31-3-79 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुष्प्रमान प्रतिकल के लिए अप्तरित की गई है और मुझे यह विग्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिकल से, ऐसे द्रश्यमान प्रतिकत्र का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि प्रन्तर क (ग्रन्तरकों) ग्रौर प्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पत्या गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उकत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त श्रधिव नियम, के श्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसते बचने में सुविधा के लिए; औरया
- (ख) ऐसे किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर आधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन हर आधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः, ग्रंब, उक्त ग्रधिनियम की धार 269-ग के ग्रनु-सरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के मधीन निम्नलिखित व्यतियों ग्रर्थात – 1. श्रीमती निरूबेन जसभाई पटेल श्री ग्रनीलकुमार जसभाई पटेल, महादेवनगर, बिलीमोरा। (ग्रन्तरक)

2. श्री शंकरभाई मुलजीभाई पटेल द्वारा श्री बिली-मोरा इण्डस्ट्रियल को० ग्राप० संविस सोसायटी लि०, महादेवनगर, बिलीमोरा। (ग्रन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप :---

- (क) इस सूचनायेः राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधिया तत्सक्षी व्यक्तियों पर सूचनाकी तामी र ने 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में सनाप्त होती हो, वे भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्तित द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पब्टीकरणः ----इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

श्रनुसूची

जमीन जिसकी स० नं० 469 है। श्रौर जो महादेवनगर बिलीमोरा में है। ये जमीन रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी गनदेवी के कार्यालय में ता० 31-3-1979 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० परोख सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त निरीक्षण श्रर्जन रेंज-II, श्रहमदाबाद

तारीखः 19–9–1979 मोहरः प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०----

मायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार कार्यालय, सहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 27 सितम्बर 1979

निर्देश सं० पी० ग्रार० नं० 786 एक्यू० 23/19-2/ 79-80--ग्रतः मुझे एम० सी० परीख,

भायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के भधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से मधिक है

ग्रीर जिसकी सं० ब्लाक नं० एस० नं० 41 हैं तथा जो गांव कडोदरा में स्थित हैं (ग्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप में वर्णित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, कामरेज में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 30-3-79

को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रीर ग्रन्तरक (अन्तरकों) ग्रीर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त ग्राध-नियम के ग्राधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी भ्राय या किसी घन या भ्रन्थ भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भ्रायकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धन-कर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब, उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के मधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों ग्रर्थातु :--- श्री झीनाकाई रामजीभाई मोदी ठाकोरभाई जीना-भाई मोदी, कडोदरा, तालुक पलसाना। (अन्तरक)

- 2. (1) ग्रमुतलाल हीरालाल पटल
 - (2) ईक्ष्वरलाल हीरालाल पटेल, कडोदरा, तालुंक पलसाना।
 (ग्रन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां णुरू करता हूं।

उत्त समाति के अर्जत के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में सेकिसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से '45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी श्रन्य व्यक्ति ब्रारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो ग्रायकर ग्राधिनियम ा 961 (1961 का 43) के ग्राध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही ग्रार्थ होगा जो उस ग्राघ्याय में दिया गया है।

मनुसूची

जमीन जिसका नं० ब्लाक नं० 40 सं० नं० 41 है, क्रीर जो गांव कडोदरा में है। ग्रीर जो मापने में 5 ग्रेकर 9 गुंठा है ग्रीर जो रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी कामरेज के कार्यालय में ता० 30–3–79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० परीख संक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज–II, श्रहमदाबाद तारीख: 27–9–1979 मोहर: प्ररूप झाई० टी० एन० एस०----

भायकर भघिनियम, 1961 (1961का43) की घारा 269-ष (1) के भ्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायक्त (निरीक्षण) ग्राजन क्षेत्र-II, अहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, विनांक 17 प्रक्तूबर, 1979

निर्वेग सं० पी० म्रार०नं० 795 एक्यू० 23-19-7/ 79-80---म्रत: मुझे, एस० सी० पारीख

म्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त म्रधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के म्रधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से मधिक है

श्रौर जिसकी सं० ब्लाक नं० 17-6-वी, स० नं० 91 सब-प्लाट है तथा जो नं० 5 ग्रदवा में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, सुरत में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 5-3-1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है श्रीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा प्र्योक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्दह प्रतिशत से श्रधिक है श्रीर श्रन्तरक (श्रन्तरकों) श्रीर अन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए, यह तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्तविक इप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त ग्रधि-नियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ख) ऐसे किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियो की, जिन्हें भारतीय आयकर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के त्रयोजनार्थं ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुधिधा के लिए;

ग्रतः ग्रन, उक्त प्रविनियम, की धारा 269-व के प्रनुसरण नें, मैं, चक्त ग्रधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के ज्ञजीन, निम्नसिखित व्यक्तियों प्रयति :---- मनन्तराय रततलाल यागनो क ग्रटार्नी वब्दसला निरंजन हिरा, मोजी मंदिर, सुरत। (ग्रन्तरक)

2. श्री कुनार ध्रमुलख मेहता, राज घ्रपार्टसेंट, गोपीयुरा, काजी मेदान, सुरत्। (ग्रन्तरिती)

को यह सूजना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां कुरू करताहुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अपक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तगरीख से 45 दिन की श्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवदि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीवर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उन्न स्थावर संाति में हित-बद्ध किभी अन्य व्यक्ति द्वारा ग्रंबोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टोकरण :--इसमें प्रयुक्त शक्दों श्रौर पदों का, जो श्रायकर स्राधिनियम 1961(1961 का 43) के आध्याय 20-क में परिमारित है, वही श्रर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका नं∘ नोंद 17∽6⊶बी सं० नं० 91, सब-प्लाट नं० 5, अदवा सुरत है, श्रौर जो रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी सुरत के कार्यालय में ना० 5−3−79 को रजिटस्डें की गई है।

> एम० सी० पारीख सक्षन प्राधिकारी सहायक श्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेंज-II, म्रहमदाबाद

तारीख : 17–10–1979 मोहरः प्रॉ™प गाई• टी∙ ऐन∙ एस०-- -----

आमकर प्रविनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ष(1) के यधीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर भायूनत (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज-11, अहमदाबाद

भ्रहमदाबाद, दिर्नाक 17 म्रक्तूबर 1979

म्रोयकर म्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्यात् उक्त म्राधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के म्राधीन सक्षम म्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूख्य 25,000/- रुपए से म्राधिक है

ग्नौर जिसकी सं० नं० 1379 अदवा एरीया है तथा जो सुरत में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, सुरत में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रंधीन 16-3-1979

को पूर्वोधत सम्पत्ति के उचित बाखार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरिष की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाखार मूख्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पम्बह प्रतिगत से अधिक है और मन्तरक (मन्तरकों) बौर मन्तरिती (मन्तरितियों) के बीव ऐसे मन्तरण के सिए तम पाया गतीफल निम्नलिखित उद्देश्य से उद्धत मन्तरण लिखित में वास्तवित्र रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- () प्रत्तरज से हुई किसी भाव की बाबत उक्त मधि-तियम के मधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; मौर/या
 - (अ) ऐसी किसी माय मा किसी बन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय मायकर मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मधिनियम, या धन-कर मधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना काहिए या, डिपाने में सुविधा के लिए;

 श्रीमती नलीनी बेन जयंतीलाल 98, शांती निकेतन, सोसायटी, स्टेशन के पास, मुरत। (ग्रन्शरक)

2. श्री क्षिपिसचस्द्र हरीलाल ठक्कर हरीपुर, लीमाझेरी, सुरत । (ग्रन्तरिती)

को पद्द सूचना जारो करक पूर्वाक्त सम्पति के स्रजेन क लिए कार्यवाह्यियां करना हूं।

उनत मंपत्ति के अर्जन के संबंध में को भेषो प्राझो र :----

- (क) इस सूबना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तायील मे 30 दिन की मलधि जो भी झबधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वो स्त व्यवितयों म क्ष किया व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीज से 45 दिन के भीतर उक्त स्पावर पंपत्ति में हित-बढ़ किसी मन्य क्यक्ति द्वारा, मधोहम्ताक्षरी के पास लिखिन में किए जा सकेंगे।
- स्पथ्दीकरण:--इनमें प्रयुक्त शब्दों और वर्न्न का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परि-भाषित हैं, बही मर्य होगा, जो वस ग्रव्याय में दिया गया है।

<u>जन्स्</u>ची

जमीन जिसका स० नं० 1379 है और जो अदवा एरीया सुरत में है।ये जमीन माप में 392 चोरस वार है। और रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी सूरत के कार्यालय में ता० 16–3–1979 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० पारीख सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज–II, ग्रहमदाबाद

तारीखः 17–10–1979 मोहरः ्रप्ररूप भ्राई० टी० एन० एस०----

म्रायकर म्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्राधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रज-II, श्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 17 प्रक्तूबर, 1979

निर्देश सं० पी० ग्रार० नं० 797 एक्वी 23–19–8/ 79–80----ग्रत: मुझे एस० सी० पारीख

भ्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है'), की धारा 269–ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रु० से श्रधिक है

और जिसकी सं 0 नं 01380 प्लाट आंफ लेन्ड है ।तथा जो ग्रहवा एरीसा सूरत में स्थित है और इसस उपाबढ अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्राधिकारी के सुरत में रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, कार्यालय, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन, तारीख 16-3-79 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुक्ष्यमान प्रतिफल के लिए म्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे भ्रन्तरण के लिए, यह तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) अन्तरण से हुई किसी झाय की बाबत उक्त श्रधि-नियम के ग्रधीन कर देने के श्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसे किसी भ्राय या किसी धन या ग्रन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रधिनियम, या धन कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ श्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब, उक्त ग्रधिनियम, की धारा 269---ग के भ्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269---घ की उपधारा (1) के मद्यीन, निम्नलिखित व्यक्तियों भ्रर्थातुः :---- श्री चन्द्रकान्त जयंतीलाल 98, शांति निकेतन सोसा-यटी, स्टेशन के पास, सुरत। (ग्रन्तरक)

 2. श्री मनहरलाल हरीलाल ठक्कर लीमडा शेरी, हरीपुरा, सुरत।
 (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के क्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के म्रजन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तग्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी ग्रन्थ व्यक्ति ब्रारा ग्रधो हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- **स्पब्टीकरण** :----इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त ग्राधिनियम के प्रध्याय 20--क में परिभाषित है, वही ग्रार्थ होगा जो उस सध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका स० नं० 1380 टी० पी० नं० 5, प्लाट नं० 7 एफ० पी० नं० 562(पी०) वार्ड नं० 13 है। और जो ग्रदवा लाइन सुरत में है। ये जमीन रजिस्ट्री-कर्ता ग्रधिकारी सुरत के कार्यालय में ता० 16–3–79 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० पारीख सक्षम प्राधिकारी महायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज–II, ग्रहमदाबाद

तारीख : 17–10–1979 मोहर : भाग 🎞 🖛 न्वण्ड 1)

प्रकम भाई∙ टी∙ एन∘ एस∘-----

भायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा 269-ष(1) के भषीन सूचना भारत सरकार ठार्थानय, सद्वायक आयकर आध्यक्त (विदीक्षण)

म्रर्जन रेंज, भ्रवराबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 17 ग्रक्तूबर, 1979

निदम सं० पी० म्रार० 798 म्रकजू० 23–19–7/ 79–80 यतः मुझे, एम० सी० पारंख

भायकर भविनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के भधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-इपए से भाषक है

श्रौर जिसके स० न० 91 ब्लाक न० 17-6-बो, सब प्लाट है तथा जो न० 3 वाई न० 13 झहवा लाईन में स्थित है (ग्रौर इमसे उपाबढ अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रेकर्ता श्रधिकार के कार्यालय, मुरत में रजिस्ट्रेकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के आधीन तारीख 5-3-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दूरयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है धौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त नगपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दूरयमान प्रतिफल मे, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिगत से प्रधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाथा गया प्रतिकल, निम्नसिखित उद्देश्य से उक्त खन्तरण विखित में वास्तविश रूप ते अधित नहीं किया गया है :---

- (क) प्रत्तरण से हुई किसी जाय की बाबत उक्त प्रक्रिनियम के प्रधीन कर देने के मन्द्ररक के दायिस्व में कमो करने या उसने बचने में शुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसो किसी जाप या किसी अन या ग्रम्थ धास्तियों को, जिन्हें भारतीय धायकर ग्रीधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ धन्दरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाद्दिए था, जिनाने में सुविधा के लिए;

भवः भव, उक्त भविनियम की धारा 269ना के भवुसरण में, मैं, उक्त यधिनियम की घारा 209न्य की उपघारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अयोग् :---- श्रे मन्नतराय रतनलाल याग्नीक ग्रटार्नी ग्राफ संदीप निरंजन हीरा, मोटा मन्दिर, सूरत। (अन्तरक)
 श्रीमती रंजनबेन ग्रर्रावंदकुमार शाह, निशा अपार्टमेंट गोपीपुरा, काजी मेदान, सूरत। (अन्तरिती)

को यह सुचरा बारी करकेपूर्वीक्त सम्पति के अध्येन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उस्त सम्बद्धि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आधेपः---

- (क) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाजन को त**ीख से** 45 दिन की मंत्रधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर मूचना की तामील से 30 दिन की धवधि, जो भी जवधि बाद में समम्प्त होती हो, के भीतर पूर्वोका व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवा किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, भधोहस्ताक्षरी के पास चिखित में किए जा सकेंगे।
- स्तब्दीकरणः :----इसमें प्रयुक्त शब्दों मौर पक्षों का, जो उपत मबिनियम के अच्याय २०-क में परिभाषित हैं, वहो प्रयं होगा जो उस पध्याय में दिया गया है !

अनुसूची

जमीन जिसका सं० नं० 91 श्रौर ब्लाक न० 17--6--बी०, सब प्लाट न० 3, वार्ड न० 13 है फ़ौर जो श्राईका सुरत में है। ये जमीन रजिस्ट्रीकर्ला अधिकारी सुरत के कार्यालय में ता० 5--3--79 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> एस० सी० पारीख सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज--¹¹, अहमदाबाद

तारीख: 17-10-1979 मोहर: प्ररूप माई• टी• एन• एस•----

आयकः अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ(1) के अधीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय,सहायक भ्रायंकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, ग्रहददाबाद

म्रहमदाबाद, दिनांक 17 अक्तूबर; 1979

निर्दोश सं० पों० ग्रार० 799 ग्रेकेज 23/19-7/ 79-80---ग्रतः मुझे, एस० सो० परीख,

आगकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के भ्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-इपए से भधिक है

ग्रीर जिसको सं० न० 91 वार्ड न० 17--6--बो है तथा जो वार्ड न० 13, ग्रहना में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध प्रनुसुर्चा में ग्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता ग्रधिकारों के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख 5-3-79 को पूर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अल्सरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पमद्द प्रतिशन से प्रधिक है मौर अन्तरक (प्रन्तरकों) भौर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरज लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) भन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त श्रधिनियम के मधीन कर देने के मन्तरक के दायिरब में कमी करने या उसमे अचने में सुबिधा के सिए; मौर/या
- (ख) ऐसी किसी थाय था किसी धन या ग्रन्थ ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ धन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया आना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, ग्रब, उक्त प्रधिनियम, को धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त ग्राधिनियम, की धारा 269-ग की उपघारा (1) के ग्राधीन, निम्तलिखित व्यक्तियों, अर्थात्'---- श्री अनुप मिरजन हिरा भटार्मी श्री मनवंतराग रतनलाल पारीक भोग मन्दिर, सुरत। (अन्तरक)

2. श्रीमती प्रवीन बेन थंपकभाई गांधी, हरीपुर, गज्जर फलीग्रा, सुरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एत्दद्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेपः–⊸

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी क्यक्तियों पर सूचना की तामोल से 30 दिन की प्रवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में से किसी क्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पक्टोक्षरगः ----इसमे प्रथुक्त शब्दों मौर पतों का, जो उक्त मधिनिधम के घ्रऽषाय 20-क में परिभाषित है, वही ग्रायं होगा जो उस प्रध्याय म दिया धुँगया है।

अनुसूची

जमीन जिसका सं० नं० 91 श्रौर वार्ड नं० 17-6-बं।० के ग्रतिरिक्त है श्रौर जो श्रंडवा लारन सुरत में है और जो माप में 556.69 चोरस वार र। ये जमीन रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय सुरत में ता० 5–3–79 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सो० पारीख सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर नायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–II, ग्रहमदाबाद

तारोखः 17⊷10⊶1979 मोहरः

प्ररूप माई० टी० एन० एस०----

म्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के म्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, अहमदाबाद

म्रहमदाबाद, दिनांक 17 अक्तूबर, 1979

निर्देश सं० पी० ग्रार० नं० 800 एक्वी० 23-19-7/ 79-80---ग्रतः मुझे, एम० सरे० पारोख,

म्रायकर म्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात् 'उक्त म्रधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के म्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्ष्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रू० से म्रधिक

त्रौर जिसको सं० नव प्लाट नं० 4 वार्ड नं० 13 नोंध नं० 17--6-बों, है। तथा जो प्राठवा लान्इम में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-3-979 को

पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दुश्यमान प्रतिकन में ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया: ---

- (क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधिनियम के भ्राधीन कर देने के प्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उमसे वचने में मुविधा के लिए; श्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर आधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रतः ग्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घकी उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रथति:--- अ) ग्रन्तल निरंजन हिरा, वालो वत्सला निरंजन हिरा ग्रटानी मनन्तराय रतनलाल यागनिक, मोटा मन्दिर, सूरत।
 (अन्तरक)

2. श्रीमर्ता निरुवेन रजनीकांत मेहता निशा ग्रपार्टमेंट काजी मेदान, सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के श्वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकान की तारीख से 45 दिन की श्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में समाप्त होती हो, भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधीहस्ताक्षरी के पास जिखित में किए जा सकेंगे।

स्पब्दीकरणः ----इसमें प्रयुक्त भब्दो ग्रौर पदों का, जो 'उक्त ग्रधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका नं० स० नं० 91 सब प्लाट नं० 4 वार्ड नं० 13 ग्रीर नोंध नं० 17–6–वो है। श्रीर जो ग्रठवा लाइन्स, सूरत में है। ये जमीन रजिस्ट्रोकर्ता ग्रधिकार्र। सूरत के कार्यालय में ता० 5–3–79 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० पारोख सक्षम प्राधिकारी सहायक स्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज–¹¹, ग्रहमदाबाद

तारीखाः 17–10–79 मोहरः प्रकप भाई• टी॰ एन• एस•------

आयकर ग्राधनिषम, 1951 (1961 का 43) की धारा

269 थ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण)

ग्नर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

श्रहमदाबाद-380009, दिनांक 17 अक्तूबर 1979

निवंश सं॰ परे॰ ग्रार॰ नं॰ 801/एक्यु॰ 23/19-7/ 79-80-यतः, मुझे, एस॰ सः॰ पारीख

पायकर मधिनियम, 1981 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख क अधोन सक्षम प्राधिकारा जो, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर लम्पत्ति, जिसका उचित धाबार पुरुष 25,000/- रुपए से मधिक हैं

ग्नौर जिसकी सं० तं० 91, सब प्लाट तं० 2 नोंध नं० 17-6--बी है तथा जो वार्ड नं० 13 ग्रठेवा में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप में वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्री-करण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 5--3-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के जोवत आकार मूल्य से कम के दूश्यमास प्रति-फल के लिए अस्तरित की मई है मौर भुझे यह विश्वास उरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित आजार भूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्राउक्तन का पन्द्रह पश्चिमत से प्रधिक है मौर अस्तरक (मन्तरकों) थोर अन्सरिग्री (शस्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिक्षत्र, निम्तलिखित उदेश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तजिक अप ये कथिन नहीं किया गया है ।---

- (क) बरतरण से हुई किसी भाष की बाबत, उक्त मधिनियम, ें ब्रधीन कर देन के भग्तरक के दायित्व में कमी करते या उससे बजने में सुविधा के लिए; मौर/म
- रख) ऐसी जिसी आप या किसी घत वा जन्य आस्तिमों को जिन्हें भारतीय जाय-कर मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या घन-कर श्रधिलियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाव अन्सरिती हारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

मतः धन, उक्त मधिनियम की धारा 269-म के बन्सरण में, में. उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) के मधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों, सर्वात् 2--- श्रो मानतराय रतनलाल यागनीक ग्रटार्नी ग्राफ निरंजन सत्वासुख हिरा माता मन्दिर, सुरत। (अन्तरक)

2. श्रो कनुभाई हिरालाल णाह, महीघरपुरा, थोमा शरे। सुरत । **(**अन्तरिती)

को यह सुवना जारो करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्थवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में की ; भी आक्षेप---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधिया तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी प्रवधि बाद ये समाप्त होती ही, के भीतर पुर्वाप्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;;
- (ख) इस सूचना के राजपक में एका मत की तारीक से 45 दिन के भीतर उधा त्यावर सम्पति में तिनवज्ज किसी भन्म स्थरित द्वारा, यधोहम्ताझरी के पाम तित्रित में किए जा को गे
- स्पष्टीकरण :∽--इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त स्रघित्वियम के श्रध्यान : ऽ०क में परिभाषित हे, बही अर्थ होगा जो उस ष्टध्यान में दिया यथा है ।

लम्**न्या**

जमोन जिसका सं० नं० 91, सब प्लाट नं० 2, वार्ड नं० 13 नोंध नं० 17–6⊶वो, है। श्रौर जो अठवा सुरत में है। ये जमोन रजिस्ट्रे।कर्ता ध्रधिकारी सूरत के कार्यालय में ता० 5–3–79 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० पारीख सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज–11, ग्रहमदाबाद।

तारीख: 17→10–1979 मोहर: भाग III--खण्ड 1]

9955

प्ररूप ग्राई०टी०एन०एस०-----

आयकर अधितियम, 1961 (1961 कर 43) की घारा 269 व (1) के ग्रधीन सूचना

भारत अरकार

-कार्यालय, सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

ग्रहमदाबाद-380009, दिनांक 30 ग्रक्तूबर, 1979

निदश सं० पो० ग्रार० नं० 808 एकुज० 23/7~4/ 79-80---ग्रतः मुझे, एस० सी० पारीख,

मायक १ पश्चिनियस, 1931 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उन्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 259-ख के प्रश्नीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सन्दत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- इक से अधिक है

ग्नौर जिसकी सं० एम० एन० नं० 694/1, 694, सं० नं० 2779 टीका नं० 61 हैं तथा जो महादेवनगर, में नवसारी में स्थित है (ग्रौर इमसे उपाबद्ध भ्रनुसूचो में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकार्रा के कार्यालय, नवमारी में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारोख 26-3--79

को पूर्वोंक्त सम्पत्ति के उलित जाजार पूरुध से कम के पूर्व्यमान प्रतिफल के लिए पस्त्ररित की गई है ग्रीर पूर्व भेड़ विख्यात करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का तजित बाजार मूस्य, उसके पूर्व्यमान प्रतिकान से, ऐसे पुरुषमान प्रतिकान का वन्द्रह वतिमान से अधिक है, जोर धन्तर क (परतरकों) गौर घग्तरिती (अग्तरितियों) के बीच ऐसे अग्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्तसिजित उद्देश्य से उक्त अग्तरण जिखित में बास्त्विक रूप से कथिन नदी किया गया है 1---

- (क) अग्रात्य में दुई हिंतसी घान की वाखन उक्त भागितियम म घंडीना कर देने के मन्तरक के दायित्स में ममी त्यत या उसरी वचने में मुक्तिया के लिए; धीर/य।
- (ख) ऐसी किसी आम ज फिलो घर ता भरग बास्तियों हो, जिन्हें कार्यतथ्य आयकर अधिनियम, 1922 (1920 को 11) या उक्त अधिनियम, गा धन-कर पश्चिमियम, 1937 (1957 को 27) के प्रयोजन थे मन्दरिती झारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना ज्योगा था, फिपाने में सुविधा के लिए;

अतः कर्या उनत अभि स्थान का क्षता २०७-ग के अनुनरण में, में, उक्त अफ़्लिय की घारा २०७-५ की डपजारा (1) के म्राप्नीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थांतुः ----

- 1. श्रा जसवंतराय मनोभाई देसाई 20, फालगुनी, सरोजनी रोड़, मांताऋज बम्बईरू54। (अन्तरक)
 - 2. श्रोमतो कान्तीबाई सखाराम, देवीबेनहुन्दराज, नवमारी । (ग्रन्तरिती)

को यह सुबना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भ्रजंन के लिए कार्थवाहियां करता हुं।

उक्त अभ्यति के ब्रजीन के सम्बन्ध में कोई भी आसोप:--

- (क) इस सूचना के राजपल वें जंकाणन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि, जो भी अवधि बाद में अमाब्त होती हो, के भौतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी ब्यक्ति द्वारा;
- (ख) इभ लूचना के राजाब में जहाशा की तारोध से 45 पिन के मीतर उक्त क्यावर सम्पति में हितवद किसी अम्य अक्ति दारा, अधोइस्ताक्षरी के पास सिजिब में किए जासकेंगे।
- श्वक्कोकरथः---इसमें प्रयुक्त प्रक्वों स्रोर वदों का, जो उक्त अधिनियम, के भ्राझ्याप्र 20-क में परिशावित हैं बडी सर्व होगा, जो चम झध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जिसका न० एम० एच० नं० 694/1, 694 महादेवनगर सोसायटो स० नं० 2779 टीका नं० 61 नवसारी में है। श्रौर जो रजिस्ट्रोकर्ता श्रधिकारी नवसारी द्वारा ता० 26–3–79 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एच० सी० पारीख सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज–II- ग्रहमदाबाद।

तारीखः 30~10-1979 मोहरः प्ररूप आई० टी० एन० एस०-

प्रायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

ग्रहमदाबाद-380009, दिनांक 30 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० पी० ग्रार० नं० 810 एकुज० 23/6-1/ 79-80---ग्रतः मुझे एस० सो० पारीख,

आवकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारग है कि स्यावर पश्वति, जितका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से अधिक है

ग्नौर जिसको सं० नं० 1232 से 1243 ग्रौर प्लाट नं० 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 ग्रौर 17 है तथा जो फतेहगंज बड़ोदा में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनु-सूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रोकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 31--3-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है भौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रौर यह कि ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) और ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) धन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त भ्रधिनियम के भ्रधीन कर देने के भन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुबिधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था यह किया जाना चाहिए था छिपाने में मुषिधा के लिए ;

ग्रत: ग्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनुमरण में, मैं उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग की उ**थधारा (1) के** अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- श्रीमतो दोलते बेहराम कान्ट्रेक्टर पो० पी० बाडीध्रा कम्पाउन्ड, फतेहगंज, बड़ौदा-2।
 पी० पी० बाड़ोदा को० आप० हाउसिंग सोसायटी लि० 205, यशकमल बिल्डिंग, स्टेशन रोड़, बड़ौदा-5।

(अन्तरिती)

को यह सुबना जारों करके पूर्वोंक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी मवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाझन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताझरी के पास लिखित में किए जा सर्केंगे ।
- स्पच्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदों का, जो 'उक्त अधि-तियम', के झडपाय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

स्थावर मिल्कन जो खुली जमीन के रूप में है, जिसका सं० नं० 1232 से 1243 तक ग्रौर प्लाट नं० 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 ग्रौर 17 है। ये पूरी तरह से 9 सेल डोड में है जिसके नं० 1820 से 1828 है ग्रौर जो रजिस्ट्रोकर्ता ग्रधिकारी बड़ौदा के द्वारा ता० 31–3–79 को रजिस्टर्ड की गई है।

> एस० सी० पारीख सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज-II; ग्रहमदाबाद ।

तारीखः 30-10-1979 मोहरः भाग III-खण्ड 1]

प्रबन गाउँ० रेगनाव्यस----

आमकर अधिनियन, 1961 (1981 का 43) की धारा 208-थ (1) के अधान सूचना

नारत नरकार

कार्यालय, सत्तायक आयकर आयुक्त (निरीजण)

अर्जन रेंज-II, बम्बई

बम्बई, दिनांक 22 नवम्बर 1979

निदेश सं० ए०ग्रार०-II/2781-8/ग्रप्रैल-79----ग्रत: मुझे पी० एल० रुगटा,

त्रायकर अधिनियस, 1961 (1961 का 43) (किने इसमें इसके पक्ष्वात 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ मे अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० सी० वी० एस० नं० 427-427. 29 पार्ट) है तथा जो मलाड (इस्ट) में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रन-सूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित हैं) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्रेकरण अधिनियस, 1908 (1908 का 16) के ग्रधोन तारोख 26-4-79 विलेख सं०नं० ए तरं 440/78 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कमें के दुईए मान प्रतिफल के लिए चन्तरित की गई है मौर मुझे यहो लिलानान करने का कारण है कि यथापूर्बोक्त सम्प्रकेत का^र्उनित ाजार मूल्य, उसके दुझ्यमान प्रतिफल 🙀, ऐसे दूझ्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से भ्रधिक हुन भौर अन्तरक . की च ऐमे (भन्तरकों) ग्रोर मन्तरिला (ग्रन्तरिग्र न लि ग्वित अस्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिपौ उतेका भे उक्त प्रनरण निम्बित में वास्तविक ∕कथित नहं किया गण् है :----

- (क) अन्तरण ते हुई किसो आर की बावत, उक्त अधि राज के जोन कर देत क सम्परक के दायित्व में कमी करने क उप बरा में मुस्लिक के लिए; बौर/या
- (त) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य ग्रास्तियों को जिन्हें भारतीय आयातर विनियम, 1922 (1922 11) या उक्त अधिनियम, या घत-कर कीर्यो प्राप्त 1957 (1957 का 27) के प्रधाजनार्थ जनवार्शी प्राप्त प्रकट नहीं किया गया था या किया प्रस्त कारण र कियाने में मुविधाये लिए;

अतः अब, उक्त प्रथितियम की धारा 269-य के अनुसरण में, मैं, उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ष की उपधारा (1) के अधीत, निम्तनिक्षित व्यक्तियों अर्थातः--14---346GI/79 श्रो काशोप्रसाद जे० ग्रडुकिया, महाबीर प्रसाद जे० ग्रडुकिया ।

(अन्तरक)

 श्रो गंगा बक्ष जोखीराम सराफ, चारीट ट्रस्ट । (अन्तरितो)

को यह गूनना जारो करके पूर्वोंक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हं ।

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीखें से 45 दिन की प्रवधि या तस्तंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी मवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (आ) इस ्विना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्वावर सम्पत्ति में हितवढ किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखिन में किये जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम के भध्याय 20क में परिशाधित है, वही अर्थ होगा, जो उस भ्रध्याथ में दिया गया है।

अनुसूची

ग्रनुसूची जैसा कि विलेख नं० एस० 440/78/बंबई, उप-रजिस्ट्रार ग्रधिकारो द्वारा दिनांक 26~4-79 के रजिस्टर्ड किया गया है ।

> पो० एल० रुंगटा सक्षम प्राधिकारी, सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-II, बम्बई ।

तार*ी*खः 22-11-79 मोहरः

(जाग III----खण्ड 1

प्रकृष माई. दी. एन० एत.......

आयकर ग्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269थ (1) के प्रजीन म्बना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (नि्रीक्षण)

म्रर्जन रेंज-II, बंबई

बम्बई, दिनाक 22 नवम्बर 1979

निदेश सं० ए०आर०-II./2778-5/प्रप्रैल 79—-प्रतः मुझे यो० एल हंगटा,

आयकर अधिनियन, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के अधीन सझम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का कारग है कि स्पावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु• से अधिक है

प्रौर जिसके सं० प्लाट नं० 12 को, सर्वे नं० 36, 73, 74, 78 (ए) हिस्सा नं० 1 है तथा जो जुहु में स्थित है (प्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूचे में प्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रोकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय बंबई में रजिस्ट्रोकरण प्रधिनियम 1908 1908 का 16) के प्रधीन दिनांक 19-4-79 विलेख नं० एस० 2081/78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाबार मूल्य से कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दूश्यमान प्रतिफल से, ऐसे बृहयमान प्रतिफल का पण्डह प्रतिशत से पधिक है ग्रीर मन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (मन्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्नरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई कि गे माथ की बाबत, उक्त अधिनियम के प्रधीन कर देने के म्रस्तरफ के दायित्थ में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या
- (ख) ऐसी किसी आज या किसी धन या मन्य ग्रास्तियों को जिन्हें मारतीय ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया थया था या किया त्रान। चाहिए था, छिपाने में सुविधा के जिय;

भातः ग्रम, उक्त पश्चिनियम की धारा 269-म के अनुशरण में, में, उक्त मधिन्यिम की घारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रमरि:---- 1. मैसर्स जमभा लाल सन्स लि० ।

(अन्तरक)

मिस मॅन्सं: पिन्टो ।

(अन्तरितो)

को यह तूबनाबारी करके (थॉक्न सम्पन्ति के अर्जन के लिए कार्यबाहियां करताहं।

उक्त मम्मति के अर्जन के तम्पता में कोई मो माजेत :---

- (क) इस सूचना के रात्रपत्न में प्रकाशन की तारी त से 45 दिन की भवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (॥) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाणत की नारीख से 45 दिन के भीतर उक्षत स्थावर मम्पत्ति में हितवड किमी ग्रन्थ क्यलन द्वारा, ग्रधोह्स्ताकरी के पास जिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पम्धीकरणं :--म्हूममें प्रयुक्त शब्दों और पर्वोका, जो जक्त अधिनियम के प्रध्याय 20-क में परिभाषित है, बेही मर्थ होना जो उम प्रध्याय में दिया गुहुए, है।

अनुसूची

भ्रनुसुचो जैसा कि विलेख नं० एम 2081/78/बम्बई उप-रजिस्ट्रार श्रधिकारो द्वारा दिनांक 19-4-79 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> पो॰ एल॰ इंगटा सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्स (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज-II, बम्बई।

तारीखः 22-11-79 मोहरः

संघ लोक सेवा म्रायोग

केन्द्रीय सरकार के ब्रधीन तथा दिल्ली नगर निगम में चिकित्सा पवों पर भर्ती के लिए सम्मिलित परीक्षा (1980)

नोटिस

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 1979

सं० फा० 14/4/79-प० I (ख)—संघ लोक सेवा श्रायोग द्वारा रेलवे, श्रायुध तथा श्रायुध उपस्कर कारखाना स्वास्थ्य सेवा ग्रौर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा दिल्ली नगर निगम के ग्रधीन कनिष्ठ वेतनमान पक्षें पर भर्ती के लिए 27 ग्रप्रैल, 1980 को एक सम्मिलित परीक्षा ग्रायोजित की जाएगी।

 इस परीक्षा के परिणामों के ग्राधार पर विविध पदों के लिए भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या नीचे बी गई है :---

- (i) रेलवे में सहायक प्रभागीय चिकित्सा ग्राधकारी— लगभग 75 रिक्तियां*।
- (ii) ग्रायुध तथा ग्रायुध उपस्कर कारखाना स्वास्थ्य सेवा
 में कनिष्ठ वेतनमान पद---लगभग 38 रिक्तियां* ।
- (iii) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कनिष्ठ वेतनमान पद-लगभग 350 रिक्तियां। (ग्र० जा० के उम्मीदवारों के लिए 52 ग्रीर ग्र० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए 26 ग्रारक्षित रिक्तियां सम्मिलित हैं।)
- (iv) दिल्ली नगर निगम में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा ग्रधिकारी ग्रेड II----लगभग 100 रिक्तियां (भ्रनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए ग्रारक्षित 15 रिक्तियां तथा भ्रनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए ग्रारक्षित 7 रिक्तियां सम्मिलित हैं)।

इस संख्या में परिवर्तन कियाजासकता है।

*श्रनुसूचित जातियों श्रोर श्रनुसूचित जन जातियों के उम्मीद-वारों के लिए श्रारक्षित रिक्तिया, यदि कोई हों, सरकार द्वारा निश्चित की जाएंगी।

- 4. पाननताकी णर्तेः ----
- (क) राष्ट्रिकता उम्मीदवार या तो
 - (i) भारत का नागरिक हो, या
 - (ii) नेपाल की प्रजा हो, या
 - (iii) भूटान की प्रजा हो, या
 - (iv) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत ग्रागया हो, या
 - (v) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी श्रफीकी देश जैसे कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जेरे तथा इथियोपिया ग्रौर वियतनाम से प्रव्रजन कर श्राया हो ।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग (ii), (iii), (iv) ग्रौर (v) के ग्रन्तर्गत ग्राने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसकी भारत सरकार ने पालता-प्रमाण-पत्न प्रवान किया हो ।

जिस उम्मीदवार के लिए यह पान्नता-प्रमाण-पत्न श्रावश्यक हो, उसको परीक्षा में प्रवेण दिया जा सकता है किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा श्रावश्यक पान्नता-पत्न दे दिए जाने के बाद ही दिया जाएगा ।

(ख) श्रायु-सीमाः ----पहली जनवरी, 1980 को 30 वर्ष से कम ।

किन्तु 1980 में ली जाने वाली परीक्षा के लिए आयु सीमा में 1-1-1980 को 50 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है ।

नोटः----1980 के बाद म्रायोजित की जाने वाली परीक्षाम्रों के लिए ऊपरी म्रायु-सीमा में 50 वर्ष तक की छूट किमी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी ।

ऊपरी ग्रायु-सीमा में निम्नलिखित स्थितियों में ग्रीर छूट दी जा सकती है :----

- (i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक,
- (ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पाकिस्तान (ग्रब बंगला देग) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो ग्रौर वह 1 जनवरी, 1964 ग्रौर 25 मार्च, 1971 के बीच की ग्रवधि के धौरान प्रवजन कर भारत ग्राया हो तो ग्रधिक से ग्रधिक तीन वर्ष तक,
- (iii) यदि उम्मीदवार म्रनुसूचित जाति म्रथवा म्रनुसूचित जन-जाति का हो श्रोर वह 1, जनवरी 1964 श्रौर 25 मार्च, 1971 के वीच की म्रवधि के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (श्रम बंगला देश) से प्रवजन कर माया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो म्रधिक से म्रधिक श्राठ वर्ष तीक,

- (iv) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यार्वतित हो कर भारत में ग्राया हुग्रा या ग्राने वाला मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो तो ग्रधिक से ग्रधिक तीन वर्ष तक,
- (v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति भयवा अनुसूचित जन-जाति का हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यार्वातत होकर भारत में आया हुआ या ग्राने वाला मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो प्रधिक से ग्रधिक आठ वर्ष तक,
- (vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य से प्रव्नजन किया हो या जांबिया, मलावी, जेरे श्रौर इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो, तो श्रधिक से श्रधिक तीन वर्ष लक,
- (vii) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 को या उसके बाद बर्मा से वस्तुतः प्रत्यार्वातत होकर भारत में श्राया हुआ भारत मूलक व्यक्ति हो, तो ग्रधिक से ग्रधिक तीन वर्ष तक,
- (viii) यदि उम्मीदवार अनुसुचित जाति प्रथवा अनुसुचित जन जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से वस्तुनः प्रत्यार्वातत होकर भारत में आया हुद्रा मूलक भारत व्यक्ति हो, तो श्रधिक से ग्रधिक ग्राठ वर्ष तक,
- (ix) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष तक जो किसी विदेशो देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिप्रिय क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त द्रुए,
- (x) रक्षा सेवाम्रों के उन कर्मचारियों के मामले में प्रधिक सं भ्रधिक भ्राठ वर्ष तक जो किसी विदेशी के साथ संघर्ष में ग्रथवा प्रशांतिप्रिय क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों ग्रौर जो ग्रनुसूचित जातियों या ग्रनुसूचित जन जातियों के हैं,
- (xi) सीमा सुरक्षा दल के ऐसे कर्मचारियों के मामले में ग्रधिक से ग्रधिक तीन वर्ष तक जो वर्ष 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में विकलांग हुए और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों,
- (xii) सीमा सुरक्षा दल के ऐसे कर्मचारियों के मामले में ग्राधिक से ग्राधिक भाठ वर्ष तक जो वर्ष 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में विकलांग हुए झौर उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों तथा श्रनुसूचित जातियों भौर श्रनुसूचित जनजातियों के हो,
- (xiii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलप्तः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय

पार-पत हो) श्रीर ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया ग्रापातकाल का प्रमाण-पत्न है, ग्रीर जो वितयनाम जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं ग्राया है, तो उसके लिए श्रधिक से ग्राधिक तीन वर्ष ।

• उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित श्रायु सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

- नोट 1:---ऐसे उम्मीदवार जिन्हे ग्रभी श्रनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्न-शिप पूरी करनी है, वे भी शैक्षिक दुष्टि से इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पास हैं। किन्तु चयन हो जाने के बाद उनकी नियुक्ति श्रनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी कर लेने के बाद ही की जाएगी।
- नोट 2:---जिन उम्मीदवारों की फाइनल एम० बी० बी० एस० परीक्षा के लिखित तथा प्रायोगिव भाग का परिणाम घोषित नहीं हुआ हो और जिन उम्मीदवारों को प्रभी इन परीक्षाओं में बैठना हो वे इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्न नहीं होंगे।

5. भावेदन पत्न के साथ देय गुल्क :---रु० 28.00 (ग्रनु-सूचित जातियों/ग्रनुसूचित जन जातियों के लिए रु० 7.00) जिन आवेदन पत्नों के साथ निर्धारित गुल्क नहीं भेजा जाएगा उनको एक दम ग्रस्वीकार कर दिया जाएगा।

<u>ध्यान दें</u>:— एक बार ग्रदा किया गया णुल्क वापस नहीं किया जाएगा ग्रौर न ही उसे किसी ग्रन्य परीक्षा या चयन के लिए ग्रारक्षित रखा जाएगा।

- () दो रुपए का मनीम्रार्डर या संघ लोक सेवा म्रायोग के सचिव, को नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल म्रार्डर भेज कर सचिव, संघ लोक सेवा म्रायोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 के यहां से डाफ दारा।
- (ii) दो रुपए नकद देकर श्रायोग के कार्यालय के काउन्टर पर।

सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले से ही सरकारी नौकरी में हों, या सरकारी स्वामित्व वाले श्रौद्योगिक उपक्रमों या इसी प्रकार के संगठनों में काम कर रहे हों या गैर-सरकारी सेवाओं में नियुक्त हों, श्रायोग को सीधे आवेदन पत्न भेजने चाहिए । अगर किसी उम्मीदवार ने श्रपना आवेदन पत्न नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन-पत्न पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो ।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में, ग्राकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या ग्रस्थायी हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह परिवचन (ग्रंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से ग्रपने कार्यालय/विभाग के ग्रध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए ग्रावेदन किया है।

7. ग्रायोग के कार्यालय में ग्रावेदन की प्राप्ति की ग्रन्तिम तारीख :----

- (i) भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से 21 जनवरी, 1980 ।
- (ii) विदेश में या अंडमान श्रौर निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों से 4 फरवरी, 1980 ।

प्रलेख, जो ग्रावेदन के साथ प्रस्तुत हों :---

- (क) सभी उम्मीदवारों द्वारा :---
 - () रु० 28.00 (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए रु० 7.00) का गुल्क जो सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली प्रधान डाक घर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में हों या सचिव, संघ लोक सेवा प्रायोग के नाम भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा नई दिल्ली पर देय भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी गाखा से जारी किए गए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हों।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे उस देश में भारत के उच्च श्रायुक्त या राजदूत या प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो के कार्यालय में निर्धारित शुल्क इस प्रकार जमा करें जिससे वह "051 लोक सेवा श्रायोग परीक्षा शुल्क" के खाते में जमा हो जाए श्रौर उसकी रसीद लेकर श्रावेदन पत्न के साथ भेज दें।

(ii) आयु का प्रमाण-पतः—आयोग सामान्यतः जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्न या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्न या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेसन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्न या किसी विश्व-विद्यालय के यहां मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में वर्ज की गई हो और वह उखरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी आरा प्रमाणित हो । जा उम्मीदयार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण है, वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण-पत्न या समकक्ष प्रमाण-पत्न की प्रभि-प्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है।

अनुदेशों के भाग में आए मैट्रिकुलेजन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्न के ग्रन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्न सम्मिलित है ।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चसर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पन्न में जन्म की तारीख नहीं होती या भ्रायु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष भ्रौर महीने ही दिए होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्न की श्रभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के श्रतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल मे लिए गए प्रमाण-पत्न की एक श्रभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए जहां से वह मैट्रिकुलेशन/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुम्रा है। इस प्रमाण-पत्न में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक श्रायु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि भ्रावेदन-पत्न के साथ इन अनुदेशों में यथा निर्धारित श्रायु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो श्रावेदन-पत्न अस्थीकार किया जा सकता है। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि यदि श्रावेदन-पन्न में लिखी जन्म की तारीख मैट्रिक्टलेशन प्रमाण-पत्न/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्न में दी गई जन्म की तारीख से भिन्न है और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण न दिया गया हो तो ग्रावेदन-पत्न रद्द किया जा सकता है।

- नोट 1:---जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्न हो, उसे केवल श्रायु से सम्बद्ध प्रविष्टि वाले पृष्ठ की ग्रमिप्रमाणित/प्रमाणति प्रतिलिपि भेजनी चाहिए।
- नोट 2:----उम्मीदवारों को घ्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बारलिख भेजने श्रौर श्रायोग द्वारी उसके स्वीकृत हो जाने के बाद किसी वाद की परीक्षा में उसमें कोई परिवर्तन करने की श्रनुमति सामान्यतः नहीं दी जाएगी।

(iii) <u>गौक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्नः</u>----उम्मीदवारों को किसो प्राधिकरण (ग्रर्थात विख्वविद्यालय या ग्रन्य परीक्षा निकाय) द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्न की ग्रभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसने 21 जनवरी 1980 ग्रर्थात् ग्रायोग के कार्यालय में ग्रावेदन-पत्न प्राप्त करने की ग्रन्तिम तारीख को या उससे पहले एम० बी० बी० एस० परीक्षा पास कर ली है।

- (iv) उपस्थिति पत्नक (श्रावेदन पत्न के साथ संलग्न) विधिवत् भरा हुआ।
- (v) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० × 7 सें० मी०) के फोटो की एक

जैसी दो प्रतियां जिनके ऊपरी हिस्से पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर विधिवत् श्रंकित हों। फोटों की एक प्रति आवेदन-पन्न के प्रथम पृष्ठ पर और दूसरी प्रति उपस्थिति पत्नक पर निर्धारित स्थान पर चिपका देनी चाहिए।

- (vi) लगभग 11.5 सें०मी०×27.5 सें० मी० अत्कार के तीन बिना टिकट लगे हुए लिफाफे, जिन पर उम्मीद-वार का पता लिखा हो ।
- (ख) भ्रनुसूचित जातियों/भ्रनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा :--

ग्रनुसूचित जाति/ग्रनुसूचित जन जाति का होने के दावे के समर्थन में, जहां उम्मीदवार या उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) ग्राम तौर पर रहते हों, उस जिले के किसी सक्षम (प्रमाण-पन्न के नीचे उल्लिखित) प्राधिकारी से परिशिष्ट I में दिए गए प्रपन्न में लिए गए प्रमाण-पन्न की ग्रभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(ग) ग्रायु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों द्वाराः---

(i) पैरा 4 (ख) (ii) या 4 (ख) (iii) के अधीन शुल्क में छूट का दावा करने वाले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (ग्रंब बंगला देश) से विस्थापित व्यक्ति को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से लिए गए प्रमाण-पत्न की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह भूतपूर्व पाकिस्तान (ग्रंब बंगला देश) से आया हुन्ना वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की ग्रंबधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया है:---

- (1) दंडकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों ग्रथवा विभिन्न राज्यों में विस्थापित राहत शिविरों के कैम्प कमांडेंट।
- (2) उस क्षेत्र का, जिला मर्जिस्ट्रेट, जहां वह इ.स. समय निवास कर रहा है।
- (3) अपने-अपने जिलों में शरणाथीं पुनर्वास के प्रभारी अतिरिक्त जिला मॉअस्ट्रेट।
- (4) स्वयं प्रभारित सब डिविजन का सब डिविजनल अप्रफसर ।
- (5) उप-शरणार्थी-पुनर्वास-श्रायुक्त, पश्चिम बंगाल/ निदेशक (पुनर्वास) कलकत्ता ।

(ii) पैरा 4 (ख) (iv) अथवा 4 (ख) (v) के अधीन आयु में छूट का दावा करने थाले श्रीलंका से प्रत्यार्वातत या प्रत्यार्वतित होने वाले मूलतः भारतीय व्यक्ति को श्रीलंका में भारत के उच्च श्रायुक्त के कार्यालय से लिए गए इस ग्राशय के प्रमाण-पत्न की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुस करनी चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका करार के प्रधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत ग्राया है या ग्राने बाला है।

(iii) पैरा 4 (ख) (vi) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य दंजानिया से आएं हुए उम्मीदवार को या जाम्बिया, मलावी, जेरे श्रौर इथियो पिया से प्रत्यावर्तित भारत मूलक उम्मीदवार को उस क्षेत्र के जिला मैजिस्ट्रेट से जहां वह इस समय निवास कर रहा है लिए गए प्रमाण-पत की एक श्रभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह वास्तव में उपयुक्त देशों 'से श्राया है।

(iv) पैरा 4(ख) (vii) अथवा 4(ख) (viii) के अन्तर्गत आयु में छूट धाहने वाले अर्मा के प्रत्यार्वतित मूलतः भारतीय ध्यक्ति को भारतीय राजदूतावास, रंगून द्वारा दिए, गए पहचान प्रमाण-पत्न की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत आया है, अथवा उसे, जिस क्षेत्र का वह निवासी है, उसके जिला मैजिस्ट्रेट से लिए गए प्रमाण-पत्न की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह बर्मा के आया हुआ वास्तविक प्रत्यार्वतित व्यक्ति है और 1 जून, 1963 को या उसके बाद प्रज्ञजन कर भारत आया है।

(v) पैरा 4 (ख) (ix) अथवा 4 (ख) (x) के ग्रन्तगंत आयु में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को, जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विजलांग हुग्र है, मह निदेशक पुनःस्थापन, रक्षा मंत्रालय से निम्नलिखित निर्धारित फार्म पर इस ग्रागय का एक प्रमाण-पन्न लेकर उसकी एक ग्रभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विदेशी शत्नु देश के साथ संघर्ष में ग्रथवा प्रशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुग्रा ग्रीर परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुग्रा ।

<mark>उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने</mark> वाले

प्रमाण-पत्न काफार्म

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट · · · · • • • • • • • • • •
के रैंक नं• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
श्री सेवामों में कार्य करते
हुए विदेशी शतु देश के साथ संघर्ष के दौरान/*ग्रशांतिग्रस्त क्षेत्र में
फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांगता के
परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए ।

ह स्ताक्ष र	٠	•	•	•	•	•	•	٠	
पदनाम	•	•	•	•	•	•	•	•	
दिनां क :									

*जो शब्द लागू न हो उसे कृपया काट दें।

(vi) नियम 4 (ख) (xi) प्रथवा 4 (ख) (xii) के ग्रन्तगंत मायु में छूट चाहने वाले उम्मीदवारको, जो सीमा सुरक्षा दल में कार्यं करते हुए विकलांग हुग्रा है, महानिवेशक, सीमा सुरक्षा दल, गृह मन्त्रालय से नीचे निर्धारित फार्म पर लिए गए प्रमाण-पन्न की एक ग्रभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए 1971 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान विकलांग हुग्रा ग्रौर परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुग्रा। उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्न का फार्मः----

प्रम⊺णित	किया र	नाता है	कि यू	नेट '			•••		• • • •	
रैंक नं० · · · ·										
सीमा सुरक्षा	दल में	कार्यं	क रते	हुए	सन्	19	71	के	भारत	-
			~				0			

पाक णत्नुता संघर्ष के दौरान विकलांग हुए. श्रौर उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए ।

(vii) नियम 4 (ख) (viii) के ग्रन्तर्गत प्रायु में छूट का दावा करने वाले वियतनाम से प्रत्यावर्तित मूलतः भारनीय व्यक्ति को, फिलहाल जिस क्षेत्र का वह निवासी है, उसके जिला मैजिस्ट्रेट से लिए गए प्रमाण-पन्न की ग्रभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह वियतनाम से ग्राया हुग्रा वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है ग्रौर वितयनाम से जुलाई 1975 से पहले भारत नहीं ग्राया है।

ध्यान दें:-----उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि श्रावेदन-पत्न के साथ उपर्युक्त पैरा 8 में उल्लिखित प्रमाण-पत्न श्रादि में मे कोई एक संलग्न न होगा स्रौर उसे न भेजने का उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया होगा तो श्रावेदन-पत्न अस्वीकार किया जा सकता है श्रौर इस अस्वीकृति के विरुद्ध कोई श्रपील नहीं सुनी जाएगी ।

9. भ्रावेदन प्राप्ति की सुचना: ---- इस परीक्षा के लिए निर्घारित फार्म में मिले सभी ग्रावेदनों के पहुंचने की सूचना भेजी जाएगी। ग्रगर किसी उम्मीदवार को ग्रपने ग्रावेदन पहुंचने की सूचना इस परीक्षा के ग्रावेदन पहुंचने की ग्रांतिम तारीख से एक महीने के ग्रन्दर न मिले तो उसको प्राप्ति सूचना पाने के लिए तरकाल ग्रायोग से संपर्क करना चाहिए।

10. म्रावेदन का परिणाम :— अगर किसी उम्मीदवार को अपने म्रावेदन की परिणाम की सूचना परीक्षा शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक म्रायोग से प्राप्त न हुई तो उसे परिणाम की जानकारी के लिए म्रायोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए । अगर इस बात का पालन नहीं हुम्रा, तो उम्मीदवार श्रपने मामले में विचार किए जाने के ग्रधिकार से वंचित हो जाएगा।

11. परीक्षा में प्रवेश:----किसी उम्मीदवार की पावताया ग्रपान्नता के संबंध में संघ लोक सेवा श्रायोग का निर्णय श्रंतिम होगा। श्रायोग से प्राप्त प्रवेश-प्रमाण-पत्न के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

12. कदाचार के दोषी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई :----उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे ग्रावेधन-पत्न भरते समय कोई गलत विवरण न दें और न किसी महत्वपूर्ण मूचना को छिपाएं। उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि उनके ढ़ारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी ग्रभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी भी हासत में वे किसी तरह का संगोधन या परिवर्तन या कोई फेर-बदल न करें ग्रौर न फेर-बदल किए गए/गढ़े हुए प्रलेख को वे प्रस्तुत करें। अगर इस प्रकार के दो या ग्रधिक प्रलेखों में या उनकी ग्रभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई ग्रगुद्धि या ग्रसगति हो तो उनको इस ग्रसगति के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

जो उम्मीदवार श्रायोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी है या दोषी घोषित हो चुका है :----

- (i) किसी प्रकार से श्रपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना या
- (ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना या
- (iii) भ्रपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत करना या
- (iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किये गए प्रलेख प्रस्तुत करना या
- (v) ग्रम्युद्ध या ग्रसत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण मूचना को छिपा कर रखना या
- (vi) उक्त परीक्षा के लिए अपनी उम्मीववारी के सम्बन्ध
 में किसी ग्रनियमित या श्रनुचित साधन अपनाना या
- (vii) परीक्षा के समय ग्रनुचित तरीके प्रपनाना या
- (viii) उत्तर पुस्तिका(ग्रों) पर मसंगत बातें लिखी हों जो ग्रंथलील भाषा या ग्रभद्र मागय की हों या
 - (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्थ्यव-हार करना या
 - (x) परीक्षा चलाने के लिए ग्रायोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या
 - (xi) ऊपर के खंडों में उल्लिखित सभी या किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने के लिए किसी को उकसाया हो तो उस पर झाप-राधिक ग्रभियोग चलाया जा सकता है श्रौर साथ ही:—
 - (क) यह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए ग्रायोग द्वारा ग्रयोग्य ठहराया जा सकता है ग्रथवा वह
 - (ख) (i) भ्रायोग ढारा उनकी किसी भी परीक्षा या चयन के लिए (ii) केन्द्र सरकार ढारा उनके ग्रधीन किसी नियुक्ति के लिए;

स्थाई रूप से या कुछ निर्दिष्ट अवधि के लिए अपवर्जित किया जा सकता है; स्रौर

> (ग) ग्रगर वह पहले से सरकारी नौकरी में हो . तो उचित नियमावली के श्रनुसार ग्रनुणास-निक कार्यवाही का पात्र होगा ।

13. मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुतीकरण :----उम्मीदवारों को ग्रपने ग्राधेदन पत्नों के साथ उपर्युक्त पैरा 8 में उल्लिखित

प्रमाणपत्नों की केवल प्रतिलिपियां ही प्रस्तुत करनी हैं जो
सरकार के किसी राजपत्नित अधिकारी बारा अधिप्रमाणित
हों अथवा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सही प्रमाणित हों। लिखित
परीक्षा का परिणाम 1980 के जुलाई महीने में घोषित किया
णा सकता है। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिखित भाग के
परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आईता
प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्न प्रस्तृत करने होंगे।
उम्मीदवारों को इन प्रमाणपत्नों को व्यक्तित्व परीक्षा के समय मूल
रूप में प्रस्तुत करने के लिए, तैयार रखना चाहिए । जो उम्मीदवार
व्यक्तित्व परीक्षा के समय श्रपेक्षित प्रमाण-पत्न मूल रूप में प्रस्तुत नहीं
करेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उनका और आगे
विचार किये जाने का दावा स्वीकार नहीं होगा।

14 परीक्षा की योजना :---इस परीक्षा में निम्नलिखित का समावेश होगा :---

(क) लिखित परीक्षा :----उम्मीदवारों को निम्नलिखित चार विषयों से सम्बद्ध वस्तुपूरक प्रश्नों वाले एक प्रश्न-पत जिसके प्रधिकतम 200 श्रंक होंगे, में परीक्षा देनी होगी श्रीर प्रश्न पत्न 3 घंटे का होगा । प्रश्न-पत्न में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे निम्नलिखित चार विषयों का ग्राधिक सम्बन्ध हो :----

(i)	शिश्	रोग	विज्ञान	सहित	सामान्य	
	म्रा यु	विज्ञान				40%

- (ii) क० ना० कं० नेत्र विझान प्रणविज्ञान * और विकलांग विज्ञान, सहित सर्जरी 20%
- (iii) शिशु कल्याण श्रौर परिवार नियोजन सहित निरोधक श्रायुर्विज्ञान श्रौर सामुदायिक स्वास्थ्य 20%
- (iv) प्रसुति विज्ञान श्रौर स्त्री रोग विज्ञान 20%

नोट:---परीक्षा का स्वरूप प्रण्नों के नमूने श्रौर उत्तर प्रत्नक के नमूने से सम्बन्ध ब्यौरे उम्मीदवार सूचना पुस्तिका में परिशिष्ट III पर दिये गये हैं।

15. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में ग्रायोग ढ़ारा श्रेपनी विवक्षा से निर्धारित न्यूनतम ग्रर्हक ग्रंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें ग्रायोग ढारा व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

किन्तु गते यह है कि यदि आयोग का यह मत हो कि अंतुसूचित जातियों या प्रनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए प्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन जातियों के पर्याप्त उम्मीदवार सामान्य स्तर के ब्राधार पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षारकार के लिए नहीं बुलाये जा सकते हैं तो मायोग अनुसूचित जातियों या म्रनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को इनके लिए ग्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर में छूट देकर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है।

व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होने वाला साक्षात्कार लिखित परीक्षा के प्रनुपूरक के रूप में होगा जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों के ब्रध्ययन के विशिष्ट क्षेव में उनकी सामान्य जानकारी और क्षमता की परीक्षा करना होता है। और साथ-साथ जैसा कि किसी व्यक्तित्व परिक्षण में होता है उम्मीदवारों की बौद्धिक जिज्ञासा समीक्षात्मक सूझ-बूझ की शक्ति संसुलित विवेचनशीलता मानसिक जागरूकता सामाजिक सामजस्य की क्षमता चारित्निक सत्यनिष्ठा स्वतः प्रेरणा और नेतृत्व की योग्यता का भी मूल्यांकन किया जाना है।

16. साक्षात्कार के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को लिखित परीक्षा ग्रीर व्यक्तित्व परीक्षण के ग्रंकों में कमणः 50% का महत्व देते हुए कुल मिला कर प्राप्त ग्रंकों के आधार पर उम्मीदवारों की योग्यता के कम से ग्रायोग द्वारा उनकी एक सूची तैयार की जाएगी ग्रौर जितने उम्मीदवारों को ग्रायोग इस परीक्षा में योग्य पाता है उनमें से उतने ही की उसी कम से नियुक्ति के लिये अनुसंधित किया जाता है जितनी भ्रनारक्षित रिक्तियों को इस परीक्षा के परिणाम के ग्राधार पर भरने का निष्ठ्यय किया जाता है।

परन्सु अनुसूचित जातियों श्रौर अनुसूचित जनजातियों के लिये ग्रारक्षित रिक्तियों में से सामान्य स्तर के झाधार पर जितनी रिक्तियां नहीं भरी जा सकती है उतनी के लिये स्तर में छूट देकर ग्रनुसूचित जातियों श्रौर ग्रनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को भ्रायोग द्वारा ग्रनुसंधित किया जा सकता है, बशर्ते कि परीक्षा में उनकी योग्यता के कम से निरपेक्ष रूप से वे इस सेवा में नियुक्ति के योग्य हों।

17. परीक्षा में बैंठे उम्मीदवारों को भ्रावश्यक रूप से उनका परीक्षा परिणाम किस प्रकार श्रौर किस रूप में सूचित किया जाए इसका निर्णय श्रायोग स्वयं श्रपने विवेक से करेगा और परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में झायोग उसके साथ कोई पत्न व्यवहार नहीं करेगा।

18. इस नोटिंस के उपबन्धों के श्राधीन सफलता प्राप्त करने बाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता के ऋम से तैयार की गई सूची श्रौर उनके द्वारा श्रपने श्रावेदन-पत्नों में विभिन्न पदों के लिये बताई गई बरीयता के श्राधार पर विचार किया जायेगा।

19. परीक्षा में सफल होने माल से नियुक्ति का कोई प्रधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आवश्यक पूछताछ के बाद सरकार इम बात से संतुष्ट न हो कि उम्मीदवार ग्रपने चरित्न ग्रोर पूर्ववत के ग्राधार पर उक्त सेवा में नियुक्ति के लिये सर्वथा उपयुक्त है । उम्मीदवार की नियुक्ति के लिये सर्वथा उपयुक्त है । उम्मीदवार की नियुक्ति के लिये सर्वथा उपयुक्त है । उम्मीदवार की नियुक्ति के लिये सर्वथा उपयुक्त है । उम्मीदवार की नियुक्ति के लिये सर्वथा उपयुक्त है । उम्मीदवार की नियुक्ति के लिये सर्वथा उपयुक्त है । उम्मीदवार की नियुक्ति के लिये सर्वथा उपयुक्त है । उम्मीदवार की नियुक्ति के लिये सर्वथा उपयुक्त है । उम्मीदवार की नियुक्ति के लिये सर्वथा उपयुक्त है । जिस्मीदवार की नियुक्ति के लिये सर्वथा उपयुक्ति होगी कि उसके

20. उम्भीदवार को मन ग्रौर शरीर से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें ऐसी कोई भी गारीरिक कमी नहीं होनी पाहिए जो उक्त सेवा के ग्राधकारी के रूप में कार्य करने का बाधक सिद्ध हो सके । सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा में जो उम्मीदवार इन अपेक्षाश्रों की पूर्ति नहीं कर पाता है उसकी नियक्ति नहीं होगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिये योग्य घोषित किये गये सभी उम्मीदवारों को स्वास्थ्य ग्रौर परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के पास शारीरिक परीक्षा के लिये भेजा जायेगा।

- 21. कोई भी व्यक्ति:---
- (क) जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध बना लेता है या इस सम्बन्ध में करार कर लेता है जिसका कोई पति या पत्नी जीवित है या
- (ख) पनि या पत्नी के जीवित होते डुए किसी दूसरे व्यक्ति से वैवाहिक संबंध बना लेता है या इस सम्बन्ध में कोई करार कर लेता है;

इस सेवा में नियुक्ति का पाझ नहीं होगा।

परन्तू यदि केन्द्रीय सरकार इस बात मे संतूष्ट हो कि इस प्रकार का विवाह उस व्यक्ति श्रौर विवाह से सम्बन्ध दूसरे व्यक्ति पर लागु वैयक्तिक कानुन के म्रनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के श्रौर भी श्राधार मौजुद हैं तो किसी व्यक्तिको इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकता है।

22. ग्रावेदन पत्न से सम्बन्ध पत्न व्यवहार:---ग्रावेदन पत्न से सम्बन्ध सभी पत्न व्यवहार समिव संघ लोक सेवा श्रायोग धौलपूर हाउस नई दिल्ली 110011 से किया जाये तथा उसमे नीचे लिखा ब्यौरा ग्रनिवार्य रूप से दिया जाये :---

(i) परीक्षा का नाम

(ii) परीक्षा का महीना श्रौर वर्ष

- (iii) उम्मीदवार का रोल नम्बर ग्रथवा यदि रोल नम्बर सुचित नहीं दिया गया हो तो जन्म की तारीख
- (iv) उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा बडे प्रक्षरों में)
- (V) ग्रावेदन पत्न में दिया गया डाक का पता

ध्यान दें:--जिन पत्नों में उपरोक्त ब्यौरा नहीं होगा संभव है कि उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

23. पते में परिवर्तन :---- उम्मीदघार को इस बात की व्ययस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आविदन पत्न में उल्लि-खित पते पर भेजे गये पत्न ग्रादि ग्रावण्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी ਅੀ प्रकार का परिवर्तन होने पर प्रायोग को उसकी सूचना उपर्यक्त पैरा 22 में उल्लिखित ब्यौरे के साथ यथाशीझ दी जानी चाहिए। यधपि ग्रायोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान

देने का पूरा पूरा प्रयश्न करता है किन्तू इस विषय में वह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

24. इस परीक्षा के माध्यभ से जिन सेवाओं पर भर्ती की जा रही है उनके संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट II में दिये गये हैं।

> ग्रार० एस० श्रहलूबालिया उप सचिव

परिणिष्ट (

भारत सरकार के श्रधीन पदों पर नियक्ति के लिये श्रावेदन करने वाले भ्रनुसुचित जातियों ग्रौर ग्रन्मुचित जन-जातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्न का फार्मः----

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*
सुप्रुव/सुप्रुवी* श्री
1
राज्य/संघ राज्य क्षेत्न*को/
की* निवासी है,
जाति/ जनजाति* के/की* है जिसे
निम्नलिखित के प्रधीन अनुसूचित जाति/जन जाति के रूप
में मान्यता दी गई है।
संविधान (ग्रनुसूचित जातियां) ग्रादेश, 1950* ।
संविधान (ग्रनुसूचित जन जातियां) ग्रादेष, 1950*।
संविधान (भ्रनुसूचित जातियां) (संध राज्य क्षेत्र)
(and (all and) (and and)
या <u>ययान (अनुधून्य नार्यया)</u> म्रादेश, 1951।*
ग्रादेण, 1951।*
त्र्यादेण, 1951।* संविधान (ग्रनुसूचित जन जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र)
ग्रादेण, 1951।* संविधान (ग्रनुसूचित जन जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) ग्रादेण, 1951*।
यादेण, 1951।* संविधान (ग्रनुसूचित जन जातिया) (संघ राज्य क्षेत्र) प्रादेश, 1951*। प्रनुसूचित जातियां श्रौर प्रनुसूचित जन-जातियां सूची (ग्रशोधन) श्रावेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन श्राधनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन ग्राधनियम, 1966, हिमाचल प्रवेश
यादेण, 1951।* संविधान (ग्रनुसूचित जन जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) यादेश, 1951*। प्रनुसूचित जातियां श्रौर धनुसूचित जन-जातियां सूची (ग्रशोधन) श्रावेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन ग्राधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन ग्राधिनियम, 1966, हिमाचल प्रवेश राज्य ग्राधिनियम, 1970 ग्रौर उत्तर पूर्व क्षेत्र [पुनर्गठन
यादेण, 1951।* संविधान (ग्रनुसूचित जन जातिया) (संघ राज्य क्षेत्र) प्रादेश, 1951*। प्रनुसूचित जातियां श्रौर प्रनुसूचित जन-जातियां सूची (ग्रशोधन) श्रावेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन श्राधनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन ग्राधनियम, 1966, हिमाचल प्रवेश

यथा संशोधित]।

संविधान (जम्मू ग्रौर काश्मीर) श्रनुसूचित जातियां म्रादेश, 1956[≢]।

संविधान (ग्रण्डमान ग्रौर निकोबार द्वीप समुह) अनुसूचित जन-जातियां ग्रादेश, 1959 । ग्रनुसूचित जातियां धौर यनु-सूचित जन जातियां आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित* ।

संविधान (दादरा ग्रौर नागर हवेली) अन्युचित जन जातियां ग्रादेग, 1962*।

15-346 G1/79

संविधान (दादरा और नागर हवेली) (अनुसूचित जातियां)
आदेश, 1962* ।
मंग्विजात (पांडिवेरी) अनुसूचित ज:तियां अ:देश, 1964*।
नं व गत (म्राप्ट्रीचत जन जातियां) (उत्तर प्रदेश)
म्रादेण, <u>1967</u> * ।
संविधान (गोवा, दमन श्रौर दियु) ग्रनुसूचित जातिया
म ∂देश, 1968*।
संविधान (गोवा, दमन ग्रौर दियु) ग्रनुसूचित अन-
जातियां आदेश, 1968* ।
संत्वेधात (त.ग∵लैण्ड) अन्तुसूचित जन जातियां आरदेश,
1970 * I
ग्रौर/या* उनका परिवार ग्राम तौर ने गांव/कस्बा*
जिलः/मंडल*राज्य/
संघ राज्य क्षेत्न*में अन्न-/में
रहते/रहती* हैं।
हरताक्षर **पदनाम
······································
(स्थार्गस्य सी गोकर सन्तिय)
(कार्यालय की मोहर सहित) म्ह्याच
स्थान्
स्थान तारीख
स्थान तारीख राज्य/संघ राज्य क्षेत्न*
स्थान तारीख राज्य/संघ राज्य क्षेत्न* नोट:

**जाति/जन जाति प्रमाण पत्न जारी करने के लिये सक्षम प्रधिकारी ।

(i) जिला मैजिस्ट्रेट/मनिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/हलेक्टर/ . डिप्टी कमिक्रनर/ेडीरानल डिप्टी कमिक्रनर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपैण्डरी मैजिस्ट्रेट/ सिटी मैजिस्ट्रेट†/सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट/ताल्लुक मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा म्रसिस्टेंट कमिक्रनर ।

†प्रथम श्रेणी के स्टाइपैण्डरी मैजिस्ट्रेट से कम स्रोहदे का नहीं ।

- (ii) चीफ प्रसीडेंसी मैजिस्ट्रेट/एडीणनल चीफ प्रैसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट/प्रैसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट।
- (iii) रेवेन्यू श्राफसर जिसका मोहदा तहसीलदार से कम न हो।
- (iv) उस इल के का सब डिवीजनल ग्रफसर जहां उम्मीदवार ग्रीर/या उसका परिवार ग्राम तौर से रहता हो।
- (v) रेडमिनिस्ट्रेटर/गेडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डवलपमेंट ग्रफसर (लक्षद्वीप)।

ণশিঙ্গিদ্য II

इस परोक्षा के माध्यम से जिन सेवाम्रों की भर्ती की आ रही है, उनके संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गये हैं।

रेलवे में सडायात प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी

(क) पद प्रस्थाई है ग्रौर ग्रुप 'क' में है। पद का वेतन-मान रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1250--द० रो०--50-1600 (परिग्रोधित वेतनमान) हैं। इसके ग्रलावा समय-समय पर प्रवर्तित आदेशों के ग्रनुसार प्रतिबन्धित प्रैक्टिस निषेध मत्ते भी होंगे फिलहाल ये दरें चालू हैं:---

15 स्टेज	र ्	<u>150–</u> प्र०	मा०
6 1 0 स्टेज	হ ০	200प्र॰	मा∘
1 1 1 5 स्टेज	হ ০	250प्र॰ ३	मा०
1 6वीं स्टेज से ग्रागे	হ ০	300-प्र॰	मा०

निजी प्रैक्टिस को प्रसिबन्धित का निषिद्ध करते हुए समय-प्रमय पर रेलवे मंतालय या ग्रन्थ उच्चतम प्राधिकरण ढारा जारी किये गये ग्रादेशों का पालन करने के लिये उम्मीदवार बाध्य होगा। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में हों, उनको उपर्युक्त वेसनमान में नियमानुसार प्रारंभिक वेतन दिया जायेगा । दूसरे लोगों को उपर्युक्त वेसनमान का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।

(ख) उम्मीदवार को दो साल की परिवीक्षा पर निपुक्त किया जाएगा अगर ग्रावक्यक समझा आये तो सरकार इस ग्रवधि को ग्रागे बढ़ा सकती है। परिवीक्षा की अत्रधि को संतोषजनक ढंग से समाप्त करने पर वह ग्रस्थाई हैसियत से उनको आगे चलाया आएगा।

(ग) परिवीक्षा की अवधि में और उसके बाद अस्थाई निपुक्ति के दौरान दोनों तरफ से एक महीने के नोटिस के बारा निपुक्ति को समाप्त किया जा सकता है। नोटिस के बदले एक महीने का वेतन देने का अधिकार सरकार ग्रपने पास रखेगी।

(घ) उम्मीदवार को रेलवे मंत्रालय ढारा निर्धारित प्रणिक्षण प्राप्त करना होगा श्रोर सभी विभागीय परीक्षाश्रों में उत्तीर्ण होना पड़ेगा ।

(ङ) उम्मीदवार रेलवे पेंशन निथमों से नियन्त्रित होता श्रौर राज्य रेलवे भविष्य निधि (गैर धंगाधायी) के समय-समय पर लागू नियमों के श्रधीन उस निधि का सदस्य बनेगा।

(च) उम्मीदवार समय-समय पर प्रवर्षित क्रौर क्रपने स्तर के श्रधिकारियों पर लागू ग्रवकाश नियमों के क्रनुसार अवकाश का अधिकारी होगा।

(छ) उम्मीदवार समय-समय पर प्रर्दाशत नियमों के प्रतुसार निःशुल्क रेलवे पास और विशेष टि_ंट म्रादेशों का म्रधिकारी होगा।

(ज) उम्मीदवार को उसकी नियुक्ति के बाद दो साल के अन्दर हिन्दी परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। (झ) नियमानुप्तार उपर्युक्त पद पर निुक्त प्रत्येक व्यक्ति को, अप्रदेक्षित होने पर, िसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा ज जंबंधित किसी पद पर कम स कम चार वर्ष की अप्रवधि के लिये काम करना पड़ सकता है जिसमें किसी प्रशिक्षण पर व्यतीत अप्रवधि शामिल है।

परन्तु उस व्यक्ति को

- (क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वीक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।
- (ख) सामान्यतः 45 वर्ष की श्रायु हो जाने के बाद पूर्वीक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।
- (ग) संगणनीय लेवा:--जो ब्यक्ति इन नियमों के प्रधीत उन पदों पर नियुक्त होते हैं जिन पर भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के नियम 2423-क [के० से० नि० 404- (ख)] में निर्धारित धार्त लागू होती हैं, वे उस नियम में निहित उपबन्धों के लाभ के पाल होंगे।
- (घ) जो वातें ऊपर विनिर्दिष्ट रूप में कही गई हैं उनमें ग्रौर ग्रन्थ मामलों में उम्मीदवार भारतीय रेलवे स्थापना संहिता श्रौर समय-समय पर पारिशोधिक/प्रबर्तित निथमों के श्रधीन कार्य करेगा।
- (ट) प्रारम्भ में उम्मीदवार को पार्श्वस्थ स्टेशनों के रेलवे स्वास्थ्य केन्द्रों/प्रौपधालयों में नियुक्त किया जायेगा। सहायक प्रभागीप चिक्तिसा श्रधिकारियों को किसी भी रेलवे में स्थानांतरित भी किया जा सकता है।
- (ठ) उच्च तर ग्रेडों के वेततमान स्रोर भत्ते सहित पदो-न्नति की संम्भावनायें :---

सहाय ह प्रभागी व चिहित्ता श्रधि कारी जो नियमित रूप से ग्रेड में नियुक्त होने के बाद पांच वर्ष की सेवा काल समाप्त करते हैं। प्रभागीय चिहित्ता ग्रधि हारी (वरिष्ठ वेतनमान) के रूप में पदोन्नति के पात होंगे जिस हा वेतनमान रू 1100-1800 (परिशोधित) होगा श्रौर समय-समय पर लागू श्रादेशों के श्रनुपार प्रतिबन्धित प्रैक्टिस नियेध भत्ता भी मिलेगा।

(ङ) कर्त्तव्य ग्रौर दायित्व---

सहायक प्रभागीय चिकित्मा प्रधिकारी

- (i) वह प्रतिधिन और आवश्यक होने पर भीतरी बार्डी श्रीर बाहरी चिकित्सा विभाग का काम देखेगा ।
- (ii) वह लागू विनियमों के श्रनुसार उम्मीदवारों ग्रौर सेवःरत कर्मचारियों की शारीरिक परीक्षा करेगा।
- (iii) वह ग्रयने ग्रधिकार क्षेत्र में परिवार गियोजन, लोक स्वास्थ्य ग्रौर स्वच्छता का काम देखेगा।
- (iv) वह विक्रेताओं की जांच करेगा।

- (v) वह ग्रस्पताल के कर्मचारियों में अनुणासन ग्रौप कर्त्तव्य पालन के लिये उत्तरदायी होगा।
- (vi) वह अपनी विशेषज्ञता से सम्बन्ध कार्य, यदि कोई हो, करेगा श्रौर ग्रपनी विशेषज्ञता से संबंधित विवरणियां श्रौर मांग पत्न तैयार करेगा।
- (vii) वह सभी उपस्करों का रखरखाव श्रौर देखभाल ग्रथने प्रभार में रखेगा।
- <u>नोट (</u>1):—-जब सहा० प्र० चि० ग्र० किसी प्रभाग के मुख्यालय में प्रभागीय चिकित्सा ग्राधिकारी के प्रभार के ग्राधीन निपुक्त किया जाता है तो वह प्रभागीय चिकित्सा के सभी कर्त्तव्यों में उसे सहायता देगा किन्तु विग्रेप रूप से उसको कुछ कार्य ग्रीर दायित्व भी सौंपे जा सकते हैं।
- <u>नोट (2)</u>:----सहा० प्र० चि० ध्र० को समय समय-पर सौंपे गये ध्रन्य कर्त्तव्य भी निभाने होंगे।

II. रक्षा पंत्रालय के अन्तर्गत म्रायुध तथा म्रायुध उपस्कर कारखाना स्वास्थ्य सेवा में सहायक चिकित्सा म्राधि-कारी के पद---

(क) पद ग्रुप 'क' में श्रम्थाई है किन्तु यथावधि स्थाई किया जा सकता है। वेतनमान रु० 700--40-900--द० रो०-40-1100-50-1300 है तथा साथ में समय समय पर लाग् प्रादेशों के श्रनुसार प्रतिवन्धित प्रैक्टिस निषेध भत्ता (प्र० नि० प०)। इस समय दर निम्नलिखित हैं:----

1—5 स्टे ज	ন্ ০	150/-	प्रतिमाम
6-10 स्टेज	ন্ ৩	200/-	प तिम/स
11 स्टेज से आगे	হ ০	250 <u>/</u> -	प्रतिम⊦स

(ख) उम्मीदवार नियुक्ति की नारीख से दो वर्ष तक परितीक्षा पर रखा जाएगा। यह श्रवधि सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परितीक्षा ग्रवांध संतोयजनक ढंग से समाप्त करने पर उन्हें स्थाई रिक्ति पर स्थाई किये जाने तक श्रस्थायी हैसियत से चलाया आएगा।

(ग) उम्मीदार को भारत म कहीं भी किसी म्रायुध कारखाना म्रस्पतल या म्रोेथबालय में यिुक्त किया जा सकता **है**।

^ (ष) किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करना मना है।

(ङ) परिवीक्षा की अवधि में और उसके बाद अस्थाई नियुक्ति के दौरान दोनों तरफ से एक महीने का नोटिस देकर नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है। सरकार को नोटिम के बदले एक महीने का वेतन देने का श्रधिकार होगा।

(च) उच्चतर ग्रेडों के वेतनमान ग्रीर भत्तों सहित पदो-भ्रति के ग्रवसर :----

(i) वरिष्ठ वेतनमान—-वरिष्ठ चिकित्सा ग्राधिकारी/ सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवा कनिष्ठ वेतनमान में कम से कम 5 वर्ष की सेवा रखने वाले अधि गरी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के लिए पात होंगे। वेतनमान रु० 1100-50-1600 है तथा साथ में निम्न-लिखित दरों पर प्रैषिटम नियेध भत्ता:--

1 3 स्टेज	ন্ত ত	250/-	प्रतिमास
4——5 म्टे 1	ন্ত ত	300/-	प्रतिमास
6—— 7 स्टे ग	দৃত	350/-	प्रतिमास
89 स्टे ज	দ্ত	400/-	प्रतिमास
1011 स्टेंज	रु ०	450/-	प्र तिमा स

(ii) सुगर टाइप ग्रेड II -- प्रधान चिकित्सा ग्रधिकारी/ उप-निदेशक; स्व स्थ्य सेवा।

वरिष्ठ वेतनमान में 3 वर्ष की सेवा और स्मातकोत्तर योग्यता रखने याले अधिकारी प्रधान चिकित्सा ग्रधिकारी/ उप-निदेशक, स्वास्थ्य केवा के सुपरटाइम ग्रेड-II में पदोन्नति के लिय विवार किये जा सकते हैं। वेतनमान रु० 1500--60-1800-100-2000 है नथा रु० 600/--प्र० मा० की दर से प्र० नि० म०।

(iii) सु।रटाइम ग्रेड-I--निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ।

पतान हिंगीकरमा अधिकारी और उप-निदेशक, स्वास्थ्य मेवा 3 पर्ए की सेवा पूरी कर लेने पर रु० 2250--125/2-2500 प्रतिष्णम तथा माजू में रु० 600/- प्र० मा० की घर से प्रैंगिटन निवेध भत्ते के वेतनमान वाले निदेशक, वास्थ्य गता के मुपरटाइम ग्रेड-I मे नियुक्ति के गाम होंगे।

- (छ) कार्यंस्वरूप--(I) सहायक चिकित्सा श्रधिकारीं : ।
- (i) चे प्रतिदिन ग्रीर आवश्यक होने पर प्रस्पताल के बाडों के यिमागों के श्रांतरंग रोगियों ग्रीर ग्रीप-धालयों/बहिरंग विभागों के रोगियों को देखेगे।
- (ii) ो लागू सियमों के ग्रनुसार कर्मचारियों ग्रीर होकरी के लिये ग्राने ताले उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा करेंगे ।
- (iii) वे सभी उपस्करों का रखरखाव श्रीर देखभाल प्रथने प्रभार में रखेंगे।
- (iv) दे प्राने ग्राधिकार क्षेत्र में परिवार कल्याण, लोक स्व,स्थ्य ग्रीर कर्मचारियों के प्रीद्योगिक स्वास्थ्य का कार्य, देखेगे।
- (v) वे अस्पताल श्रीर श्रीषधालय के कर्मचारियों के प्रसिधग, श्रनुशासन श्रीर कर्त्तव्य पालन के लिये उत्तरदायी होंगे ।
- (vi) वे तिननत्तुपार प्रमारी चिकित्मा अधिकारी द्वारा मौपे गये अन्य कार्यभी करेंगे ।

- (2) <u>को डीव मेव</u> येड-I~~ स्व स्थम सेवा सहायक ोराह गेर हिठ चेहिर अंध री।
- (क) नुखनालय में पदस्थ स्वा० से० सं० लि०/स्वा० से० उ० लि० के लिईेंजन पर ितिस्ता संबंधी सभी विषयों में कर्तंध्य निभाने में उनकी महायता करेगा।
- (म) प्राुनाग प्रधिकारी के रूप में भिकित्मा झनुभाग को दैर्तदिन कार्य करने में वह स्था० से० नि०/ स्था० से० उ० नि० की महायता करेगा।
- (ग) समय समय पर स्वा० से० ति०/स्वा० से० उ० नि० द्वारा सौंगे गये दूसरे कार्य भी उसको करने होंगे।
- (ष) चिकित्मा भण्डार और उपस्कर से संबंधित सभी प्रश्तों का समाधान करने में वह स्वा० से० नि० की महायता करेगा।
- (च) प्रनारी विकित्ता अधिकारी के रूप में वे चिकित्ता सबंधी सभी मामलों में कारखाना सहाप्रबंधक के सताहकार रहेंगे और आवश्यक अनुशंसा करते रहेंगे।
- (छ) नियमानुमार वे ऊनंचारियों श्रीर उनके परिवार के मदस्यों के लिये चिकित्पा का प्रबंध करेंगे।
- (ज) वे किसी संविधि या सरकारी क्रादेश के विहित या स्वा० से० नि० द्वारा सौपे गए अन्य कार्य भी करेंगे ।
- (3) मुगरट।ईम ग्रेड-II--स्वास्थ्य सेवा उप-निदेशक ग्रीर प्रधान चिकित्सा ग्रधिकारी।
 - (क) मुख्यालय में पदस्थ स्वा० से० उ० ति०/स्वा० से० ति० के द्वारा निर्दिष्ट उनके सभी कार्यो में उनकी सहस्यता जरेषा ।
 - (ख) स्वा० से० नि० की गैर हाजिरी, छुंट्टी या दौर को ग्रवधि में वह कारखाना महानिदेशक के ग्रादेशानुसार स्वा० से० नि० के रूप में कार्य करेगा।
 - (ग) प्र० चि० ग्र०---प्र० चि० ग्र० 75 पलंग वाले किसी कारखाना अस्पताल भ्रौर वहां की चिकित्सा स्थापना का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रहेगा।
 - (घ) प्रभारी चिकित्सा ग्रधिकारी के रूप में वे चिकित्सा संबंधी सभी मामलों में कारखाना महाप्रबंधक के सलाहकार रहेंगे और आवश्यक भ्रनुशंसा देते रहेंगे।

- (ङ) नियनानुसार वे कर्मचारियों श्रीर उनके परिवार के सदस्यों के लिये वे विकित्साका प्रबंध करेंगे।
- (च) किसी संविधि या सरकारी ग्रादेश में निहित या स्वास्थ्य सेवा निदेणक ढारा सौंपे गये ग्रन्य कार्य भी वे करेंगे।
- (4) सुपरटाइम ग्रेड-1---स्वास्थ्य मेवा निदेणक ।
 - (क) चिकिरसा ग्रांर स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामलों में कारग्वाना महानिदेशक का चिकित्सा सलाहकार— व्यावसायिक श्रौर प्राविधिक—-समस्त मामलों वें कारखाना महानिदेशक संगठन की चिकित्सा स्थापना का नियंत्रक प्राधिकारी कारखाना महा-निदेशक द्वारा प्रदत्त सभी प्रशासनिक श्रधिकारों का यह उपयोग करेगा।
 - (ख) सरकार ढारा स्वीक्वत प्रतिवेदनों/प्रतुशंसाम्रों का कार्यान्वयन करने के लिये वह योजतायें तैयार करेंगे।
 - (ग) नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में वह श्रावश्यकतानुसार कारखानों में कर्मचारियों का वितरण करेंगे।
 - (घ) संघ लोक सेवा श्रायोग में वह सामान्यतः कार-खाना मडानिदेशक का प्रतिनिधित्व करेंगे।
 - (ऊ) सामान्यतः वर्ष में एक बार वह सभी कारखानों का निरीक्षण करेंगे या करा लेंगे और चिकित्सा स्थापना से संबंधित सभी मामलों में चिकित्सा प्रतिष्ठानों की कार्याविधि के मंबंध में कारखाना महानिदेशक को प्रतिवेदन भेजेंगे।
 - (च) वह स्वा० से० उ० नि० की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखेंगे और समस्त प्र० चि०ग्र०, व० चि० ग्र० और स० चि० ग्र० को रिपोर्टों को समीक्षा करेंगे।
 - III. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के श्रवीन कनिष्ठ वेतनमान के पदों के संक्षिप्त विवरण:

(क) उम्मोदवारों को कनिष्ठ प्रुप 'क' येततात में नियुक्त किया जाएगा श्रौर नियुक्ति को तारीख से दो वर्ष की ग्रवधि तक वे परिवीक्षा क ग्रधीन रहेंगे। यह अवधि सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर घटार्ड या बढाई जा सकती है। परिवीक्षा की श्रवधि की संतोपजनक समाप्ति के बाद उनको यथासमय कनिष्ठ वेतनमान (६० 700-1300) में स्थाई बनाया जाएगा।

(ख) उम्मीदवारों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित किसी भी संगठन के अधीन किसी भी औषधालय या अस्तताल में भारत में कहीं भी तियुक्त किया जा सकता है अर्थात् दिल्ली, बंगलॉर, बंबई, मेरठ ग्रादि में चालू के स० स्वा० से०, कोयला खान/माइका खात श्रम कल्याण संगठन, असम राइफल्स, श्ररुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, ग्रंडमान एवं निकोबार द्वीप समुह, डाक-तार विभाग ग्रादि। प्रयोगाला श्रोर परामर्श सेवा सहित किसी भी प्रकारा की निजो प्रैक्टिम निषिद्ध है।

(ग) निम्नलिखित वेतनमान प्राप्य हैं:---कनिष्ठ ग्रुप 'क' वेतनमान परिशोधित वेतनमान : इ० 700-40-900-इ० रो०-40 - 1100 - 50 - 130011----5 स्टेज प्रे० निंग भ० **হ**০ 150 স০ দা**০** 6---10 स्टेज 200 प्र॰ मा॰ ъσ 1 1वीं स्टेज से भ्रागे হ০ 250 স০ দ০ে जो अधिकारी कनिष्ठ वेतनमान में कम से कम पांच वर्श की सेवा पूरी करने हों, वे वरिष्ठ वेतन में पदीक्षति के पात्न होंगे। वरिष्ठ वेतनमान ग्रुप 'क' परिशोधित वेतनमानः **ए० 1100-50-1600**

		দ্রী৹ বিি০ 'ম০
1 से 3 स्टेंज तक	দ্ত	250 प्र॰ मा॰
4 से 5 स्टेज तक	ন্ ত	300 স০ শা৹
6 से 7 स्टेज तक	रु०	350 प्र॰ मा॰
8 से 9 स्टेज तक	চ০	400 স০ দা ে
10 से 11 स्टेंज तक	ম্ ৩	450 प्रञ्नाव

वरिष्ठ वेतनमान में 10 वर्ग को सेगा पूरो करने वाले ग्रधिकारो रु० 1500-2000 के वेतनमान में सुपरटाइम ग्रेड-11 में नियुक्ति के पात्र हो ताएंगे वगर्ते कि उत्सोधगरां के पास स्नातकोत्तर योग्यताओं के ¦साय आगरगक गोग्पनाएं हों।

विशेषज्ञों का ग्रेड–II

परिशोधित वेतनमान ः रु०	1100-50-1500	_	10	रो०	
601800		ਸ਼ੇ	নি	भा०	
1 से 3 स्टेज तक	<u>হ</u> ০	300	স ০	मा०	
4 से 6 स्टेज लक	ह ०	350	স৲	मा०	
7 से 9 स्टेज तक	ন্ত	400	प्र॰	मा०	
10 से 12 स्टेज तक	म्०	450	প্র	मा०	
13 से 14 स्टेज तक	হ	500	प्र०	मा०	

विशेषज्ञों के ग्रेड-II में ग्राठ वर्ष को सेवा पूरी करने वाले ग्रीर श्रावश्यक योग्ताओं से युक्त ग्रविकरी पदोन्नति पर भरी जाने वाली 50 प्रतिशत रिक्तियों में विशेषज्ञ के ग्रेड–I में पदोन्नति के लिये विचार क्षेत्र में ग्राते हैं। विशेषज्ञों का ग्रेड-I

परिशोधित वेतनमान: रु०1800-100-2000/125/2-2250 प्रे० नि० भ० रु० 600 प्र० मा०

सुपर टाइम ग्रड–11

परिशोधित वेतनमान : इ० 1500-60-1800-100-2000। प्रे० नि० भा०--- इ 600 प्र० मा०

विशेष_{सों} के ग्रेड-I या सुपरटाइम ग्रेड-II के पदधारी ग्रधिकारी नियमित रूप से इनमें से जो किसी भी ग्रेड में छह वर्ष की सेवा पूरी करने पर सुपरटाइम ग्रेड-I स्तर-II पर पदोन्तति के विचार क्षेत्र में आते हैं। भारत का राजपत्र, दिसम्बर 1, 1979 (अग्रहायण 10, 1901) भाग III --- खण्ड 1

सुपर टाइम ग्रेड I स्तर I

सुपरटरम ग्रेड I स्तर I

परिशोधित वेतनमानः रु० 2500-125-2750 प्रा०नि० भ०—–रु० 600 प्र०म०

सुपरटाइम ग्रेड-I स्तर I की रिक्तियों को उन्हीं ग्राधकारियों से भरा जाएगा जो सुपरटाईम ग्रेड-I स्तर II में दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों । क्रगर यह संभव नही हुआ तो सुपरटाइम ग्रेड-I स्तर II क्रौर विशेशज्ञों के ग्रेड-I सुपरटाइम ग्रेड-II में कुल मिलाकर 8 वर्ष की सेवा से युक्त या वह भो संभव नही हुआ तो विशेषज्ञों के ग्रेड-I ग्रीर सुपरटाइम ग्रेड-II में से किसं। भा ग्रेड में ग्राठ वर्ष की सेवा से युक्त अधिकारियों से भरा जाएगा।

- IV. सामान्य छुट्टो चिकित्सा अधिकारों, ग्रेडII-, दिल्लो नगर निगम:
 - (क) वर्ग 'क' का पद अस्थाई है किन्तु यथावधि स्थाई हो मकता है। वेतनमान रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 तथा साथ में समय-ममय पर लागू आदेशों के अनुसार प्रतिबंधित प्रैक्टिस निषेध भत्ता (प्रॆ० नि० भ०) हैं। वर्तमान दरें इस प्रकार हैं: 1--5 स्टेज- रु० 150/- प्र० मा० 6--10 स्टेज- रु० 200/- प्रा० मा० 11 स्टेजों से आगे- रु० 250/- प्रा० मा०
 - (ख) उम्मोदवार नियुक्ति को तार ख से 2 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेगा । यह ग्रवधि सक्षम प्राधिकार, क विवेकानुमार घटाई या बढ़ाई जा सकता है । परिवीक्षा की ग्रवधि को संतोपजनक ढंग से पूरा कर लेने के बाद वह स्थाई रिक्ति पर स्थाई किए जाने के अवधि तक ग्रस्थाई पद पर कार्य करता रहेगा ।
 - (ग) उम्मीदवार को दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में किसा भी अस्पताल/श्रीपधालय/प्र० एवं णि० क० तथा परिवार कल्याण केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्ट्रों में नियुक्त किया जा सकता है।

(घ) किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करना मना है। परिवीक्षा की अवधि तथा उसके बाद ग्रस्थाई हैसियत से नियोजन की ग्रवधि में दोनों पक्षों में से किसी भी ओर से नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। दिल्ला नगर निगम को नोटिस के स्थान पर एक माह का बेतन देने का अधिकार है।

<u>परिणिण्ट–III</u> संघ लोक सेवा म्रायोग उम्मीदवारों को सूचनार्थं विवर्राणिका

क. वस्तु पूरक परीक्षण

ग्राप जिस परीक्षा में बैठने वाले हैं, उसको ''वस्तु पूरक परीक्षण'' कहा जाता है। इस प्रकार के परीक्षण में ग्रापको उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रग्न (जिसको ग्रागे प्रग्नांश कहा जाएगा) के लिये कई संभाष्य उत्तर दिये जाते हैं। उनमें से प्रत्येक के लिए एक उत्तर (जिसको म्रागे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) भाषको चुन लेन। है।

इस विवरणिका का उद्देश्य म्रापको इस परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित न होने के कारण म्रापको कोई हानि हो।

ख. परीक्षण का स्वरूप

प्रश्न पत्न "परीक्षण पुस्तिका' के रूप में होंगे। इस 'पुस्तिका में ऋम संख्या 1, 2, 3.....के कम से प्रश्नांश होंगे। हर प्रश्नांश के नीचे a, b, c..... फम में संभावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे। प्रापका काम प्रत्येक प्रश्न के लिये एक सही था यदि एक से ग्राधिक प्रत्युत्तर सही हैं तो उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। (ग्रंत में दिए गए नमूने के प्रश्नांश देख लें)। किसी भी स्थिति में, प्रत्येक प्रश्नांश के लिये ध्रापको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि श्राप एक से श्रधिक चुन लेते हैं तो ग्रापका उत्तर गलत माना जाएगा।

ग. उत्तर देने की विधि

उत्तर देने के लिये श्रापको ग्रलग से एक उत्तर पत्नक परीक्षा भवन में दिया जाएगा। श्रापको ग्रपने उत्तर इस उत्तर पत्नक में लिखने होंगे । परीक्षण-पुस्तिका में या उत्तर पत्नक को छोड़कर श्रन्य किसी कागज पर लिखेगये उत्तर जांचे नहीं जाएंगे ।

उत्तर पत्नक में प्रग्नांशों की संख्याएं 1 से 200 तक चार खण्डों में छापी गई हैं। प्रत्येक प्रश्नांश के सामने a, b, c, d, e के कम से प्रत्युत्तर छपे होंगे। परीक्षण-पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लेने और यह निर्णय करने के बाद कि कौन सा प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, ग्रापको उस प्रत्युत्तर के ग्रक्षर को दर्शाने वाले ग्रायत को पेंसिल से काला बनाकर उसे श्रंकित कर देना है, जैसा कि संलग्न उत्तर पत्नक के नमूने पर दिखाया गया है। उत्तर पत्नक के ग्रायत को काला वनाने के लिये स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए।



इसलिये यह जरूरी है कि 1. प्रग्नांशों के उत्तरों के लिये केवल ग्रच्छी किस्म की एच० बी० पेंसिल (पेंसिलों) ही लाएं श्रौर उन्हीं का प्रयोग करें।

2. ग्रगर श्रापने गलत निशान लगाया है, तो उसे पूरा मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगा दें । इसके लिये श्राप श्रपने साथ एक रबड़ भी लाएं। 3. उत्तर पत्नक का उपयोग करते समय कोई ऐसी असावधानी न हो जिससे बह खराब हो जाए या उसमें मोड़ या सलवट ग्रादि पड़ जाये श्रौर वह टेढ़ा हो जाएं।

घ. कुछ महत्वपूर्ण नियम

 ग्रापको परीक्षा ग्रारंभ करने के किये निर्धारित समय से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा ग्रौर पहुंचते ही ग्रपना स्थान ग्रहण करना होगा ।

 परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

3. परीक्षा शुरू होने के वाद 45 मिनट तक किसी को परीक्षा भवन छोड़ने की श्रनुमति नहीं मिलेगी।

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षण-पुस्तिका श्रौर उत्तर पत्नक पर्यवेक्षक को सौंप दें, श्रापको परीक्षण-पुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की श्रनुसति नहीं हैं। इन् नियमों का उल्लंधन करने पर कड़ा दण्ड दिया जाएगा । 5. उत्तर पत्नक पर नियत स्थान पर परीक्षा/परीक्षण का नाम, श्रपना रोल नम्बर, केन्द्र, विषय, परीक्षा/परीक्षण का नाम, श्रपना रोल नम्बर, केन्द्र, विषय, परीक्षण की तारीख श्रौर परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या स्याही से साफ-साफ लिखें। उत्तर पत्नक पर श्राप कहीं भी श्रपना नाम न लिखें।

6. परीक्षण पुस्तिका में दिये गये सभी ग्रनुदेश ग्रापको सावधानी से पढ़ने हैं। संभव है कि इन श्रनुदेशों का सावधानी से पालन न करने से ग्रापके नम्बर कम हो जायें। ग्रगर उत्तर पत्नक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उस प्रश्नांश के लिये ग्रापको कोई नंबर नहीं मिलेगा। पर्यवेक्षक के दिए गए ग्रनुदेशों का पालन करें। जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को ग्रारम्भ या समाप्त करने का कह दें तो उनके ग्रनुदेशों का तत्काल पालन करें।

7. ग्राप ग्रपना प्रवेश प्रमाण-पत साथ लाएं ग्रापको ग्रपने साथ एक एच० बी० पेंसिल, एक रबड़, एक पेंसिल शापैनर ग्रौर नीली या काली स्याही वाली कलम भे लानी होगी। ग्रापको परीक्षा भवन में कोई कच्चा कागज या कागज का टुकड़ा, पैमाना या ग्रारेखण उपकरण नहीं लाने हैं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी। कच्चे काम के लिये आपको एक अलग कागज दिया जाएगा। ग्राप कच्चा काम शुरू करने के पहले उस पर परीक्षा का नाम, ग्रपना रोल नम्बर ग्रौर तारीख लिखें ग्रौर परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे ग्रपने उत्तर पत्नक के साथ पर्यवेक्षक को पास कर दें।

ड. विशेश ग्रनुदेश

जब ग्राप परीक्षा भवन में ग्रपने स्थान पर बैठ जाते हैं तब निरीक्षक से ग्रापको उत्तर पत्नक मिलेगा। उत्तर पत्नक पर ग्रपेक्षित सूचना ग्रपनी कलम से भर दें। यह काम पूरा होने के बाद निरीक्षक ग्रापको परीक्षण-पुस्तिका देंगे। प्रत्येक परीक्षण-पुस्तिका पर हाशिये में सील लगी होगी जिससे कि परीक्षण शुरू हो जाने के पहले उसे कोई खोल नहीं पाये। जैसे ही ग्रापको परीक्षण-पुस्तिका मिल जाये तुरन्त भाप देख लें कि उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है ग्रौर सील लगी हुई है। ग्रन्यथा, उसे बदलवा लें। जब यह हो जाए व ग्रापको उत्तर पत्नक के संबद्घ खाने में ग्रपनी परीक्षण-पुस्तिका की क्रम संख्या लिखनी होगी। जब हूतक पर्यवेक्षक परीक्षण-पुस्तिका की सील लोड़ने को न कहें तव तक ग्राप उसे न तोडें।

च. कुछ उपयोगी सुझाव

यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य आपकी गति की अपेक्षा शुद्धता को जांचना है, फिर भी यह जरूरी है कि झाप ध्रपने समय का, दक्षता से उपयोग करें। संतुलन के साथ प्राप जितनी जल्दी भ्रागे बढ़ सकते हैं, बढ़ें, पर लापरवाही न हो। ग्रगर ध्राप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हों तो चिंता न करें। ध्रापको जो प्रश्न घ्रत्यंत कठिन मालूम पड़ें, उन पर समय व्यर्थ न करें। दूसरे प्रश्नों की श्रोर बढ़ें ग्रौर उन कठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करें।

सभी प्रग्नों के अंक समान होंगे। सभी प्रग्नों के उत्तर दे। आपके द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर आपको अंक दिये जायेंगे। गलत उत्तरों के लिये अंक नहीं काटे जायेंगे।

प्रश्न इस तरह बनाये जाते हैं कि उनसे ग्रापकी स्मरण शक्ति की ग्रपेक्षा, जानकारी, सूझ-बूझ श्रौर विश्लेषण क्षमसा की परीक्षा हो। ग्रापके लिये यह लाभदायक होगा कि ग्राप संगत विषयों को एक बार सरसरी निगाह से देख लें श्रौर इस बात से ग्राश्वस्त हो जायें कि श्राप ग्रपने विषय **बो** ग्रच्छी तरह समझते हैं।

छ. परीक्षण का समापन

जैसे ही पर्यवेक्षक श्रापको लिखना बंद करने को कहें ग्राप लिखना बन्द कर दें।

जब आपका उत्तर लिखना समाप्त हो जाए तब आप श्रपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक ग्रापके यहां श्राकर श्रापकी परीक्षण-पुस्तिका श्रौर उत्तर पक्षक न ले जाएं श्रौर ग्रापको "हाल" छोड़ने की श्रनुमति न दें। ग्रापको परीक्षण-पुस्तिका श्रौर उत्तर पत्नक परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की श्रनुमति नहीं है।

नमूने के प्रक्रन

- मौर्य वंश के पतन के लिये निम्नलिखित कारणों में से कौन-सा उत्तरदायी नहीं है?
 - (a) ग्रशोक के उत्तराधिकारी सबके सब कमजोर थे।
 - (b) द्राशोक के बाद साम्प्राज्य का विभाजन हन्ना।
 - (c) उत्तरी सीमा पर प्रभावशाली सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई।
 - (d) म्रशोकोत्तर युग में म्राधिक रिक्तता थी।

2. संसदीय स्वरूप की सरकार में

- ()) विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है।
- (b) विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है।
- (c) कार्यपालिका विधायिका के प्रसि उत्तरदायी है।
- (d) न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।
- (^) कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है।
- पाठणाला के छाक्ष के लिये पाठ्येनर कार्य-कलाप का प्रयोजन
 - (a) विकास की सुविधा प्रदान करना है।
 - (b) ग्रनुशासन की समस्याओं की रोकथाम है।
 - (c) नियत कक्षा-कार्य से राहत देना है।
 - (d) शिक्षा के कार्यक्रम में विकल्प बेना है।
- 4. सूर्य के सबसे निकट ग्रह है:
 - (a) शुक
 - (b) मंगल

- (०) बुह्रस्पति
- (d) वुध
- वन और बाह के पारस्परिक संबंध को निम्लेलिखित में भे कौन-सा विवरण स्पष्ट करता है?
 - (a) पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं, मिट्टी का क्षरण उतना अधिक होता है जिससे बाढ़ होती है।
 - (b) पेड़ पौधे जितने कम होते हैं, नदियां उतनी ही गाद से भरी होती है, जिसते बाढ़ होती है।
 - (c) पेड़ पौधे जितने श्रधिक होने हैं, नदियां उतनी ही कम गाद मे भरी होती हैं, जिससे बाढ़ रोकी जाती है।
 - (d) पेड़ पौधे जितने कम होते है उतनी ही धीमी गति से बर्फ पिंधन जाती है जिससे बाढ रोकी जाती है।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 25th October 1979

No. A. 35014/1/79-Admn. II.—The Secretary, Union Public Service Commission, hereby appoints the following 2 permanent Section Officers of CSS cadre of Union Public Service Commission to officiate on an *ad hoc* basis on deputation to the posts indicated each for a period of three months w.e.f. 10.10.1979, or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri J. S. Sawhney-S.O.(Spl)---Examination scrutiny and co-ordination.

2. Shri H. M. Biswas-S.O. (Spl)--Examination rules and arrangements.

2. On their appointment to the post of Section Officer (Special), the pay of S/Shri J. S. Sawhney and H. M. Biswas will be regulated in terms of the Ministry of Finance Department of Expenditure O.M. No. F. 10 (24)-E. 111/60, dated 4.5.1961, as amended from time to time.

S. BALACHANDRAN, Under Secy. *for* Secretary.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & A.R.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 8th November 1979

No. A-19035/5/79-Ad.V.—The Director, Central Bureau of Investigation and Inspector General of Police, Special Police Establishment is pleased to appoint Shri Chamari Ram, Crime Assistant, Central Bureau of Investigation to officiate as Office Superintendent in the Central Bureau of Investigation on ad-hoc basis with effect from the afternoon of 11th September, 1979 and until further orders.

No. A-19036/4/79-Ad.V.—Director, Central Bureau of Investigation and Inspector General of Police, Special Police Establishment hereby appoints Shri S. K. Punt Inspector, Central Bureau of Investigation, Zone-VI to Officiate as Deputy Supdt. of Police in the Central Bureau of Investigation with effect from 27 Sept. 1979 (Forepoon) until further orders.

No. A-19035/7/79-Ad.V.—The Director, Central Bureau of Investigation and Inspector General of Police. Special Police Establishment is pleased to appoint Shri S. K. Sharma. Crime Assistant, Central Bureau of Investigation, to officiate as Office Superintendent in the Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 6th September, 1979 and until further orders.

> Q. L. GROVER, Adm. Officer (E) C.B.I.

DIRECTORATE GENERAL. CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110001, the 12th November 1979

No. O.II-1437/79-Estt.—The Director General CRPF is pleased to appoint Dr. (Miss) Umarani Narzary as Junior Medical officer in the CRPF on ad-hoc basis with effect from 22.10.79 for a period of three months only or till recruitment to the post is made on regular basis, whichever is earlier.

No. O.II-1447/79-Estt,—The Director General CRPF is pleased to appoint Dr. Nibaran Mohanty as Junior Medical Officer in the CRPF on *ad-hoc* basis with effect from 29-10-79 (Forenoon) for a period of six months only or till recruitment to the post is made on regular basis, whichever is earlier.

A. K. BANDYOPADHYAY, Asstt. Director (Adm.) 16-346/79

OFTICE OF THE INSPECTOR GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 9th October 1979

No. E-38013(2)/1/79-Pers.—On transfer from Ranchi, Shri V. K. Bhalla, IPS(MP-62) assumed the charge of the post of Comdt, CISF Unit, Bank Note Press, Dewas w.e.f. the forenoon of 6th October 1979 vice Shri C.P. Singh who on repatriation to M.P. State relinquished the charge of the said post w.e.f. the same date.

> A. N. BHALLA, Asstt. Inspector General (Personnel)

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 12th November 1979

No. 11/98/79 Ad.I-23541.—The President is pleased to appoint Shri Ashoke Joshi, Chief Secretary to the Andaman & Nicobar Islands Administration, to the post of Director of Census Operations, Andaman & Nicobar Islands, Port Blair, in an *ex-officio* capacity, with immediate effect, until further orders.

2. His headquarters will be at Port Blair.

P. PADMANABHA, Registrar General

DIRECTORATE OF PRINTING

New Delhi, the 7th November 1979

No. H(4)/AII.—The Director of Printing is pleased to appoint Shri P. R. Halder, Accountant, Govt. of India Press, Temple Street, Calcutta, to officiate as Assistant Manager (Admn.) in the Government of India Forms Store, Calcutta, in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, with effect from the afternoon of 15-10-79, until further orders.

> M. M. JOSHI, Dy. Dir. (Admn.).

MINISTRY OF DEFENCE

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta-16, the 8th November 1979

No. 53/79/G.—Shri K. S. Ghai (Substantive and Permanent S.O. Gr. I) retired from service w.e.f. 7th July, 1978 (AN) consequent on his permanent absorption in Bharat Heavy Electricals Itd., New Delhi w.e.f. the same date.

> V. K. MEHTA, Asstt. Director General, Ordnance Factories

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-20, the 12th November 1979

No. CER/1/79.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 22 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948. I hereby make the following further amendment to the Textile Commissioner's Notification No. CER/1/68, dated 2nd May, 1968, namely :—

In para 2 of the said Notification-

For the existing 'Note', at the end, the following shall be substituted namely :---

"Note.—The production of controlled dhoti, controlled saree, controlled long cloth and controlled shirting is subject to the Textile Commissioner's Notification No. CER/2/77, dated 15-4-77."

No. CLB I/5/79.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 34 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, and with the previous sanction of the Central Government. I hereby make the following further amendments in the Textile Commissioner's Notification No. CLB I/5/65/A, dated 4th March, 1966 namely :— 1. In the table appended to the said Notification in column 1 of Serial No. 8A.

For "Notification No. TCS.J/20, dated the 22nd September, 1949" Read "Notification No. CER/2/77, dt. 15-4-1977."

2. In the table appended to the said Notification in column 1 of Serial No. 8B.

For "Notification No. 9(9) TEX-I/49, dated the 15th April, 1950 and No. 9(9) CT(A)/54, dated the 26th August, 1954" Read "Notification No. CER/10/77, dated 15-4-77".

M. W. CHEMBURKAR, Jt. Textile Commissioner.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-20, the 5th November 1979

No EST I-2(690)/4291.—Shri C. V. Nagaraja Rao. Accounts Officer, Pav & Accounts Office (Textiles), Ministry of Industry, Bombay, has retired from service from the afternoon of 30th September, 1979 on attaining the age of superannuation,

> J. C. HANSDAK, Deputy Director (Administration)

(DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES)

DIRFCTORATE OF VANASPATT, VEGETABLE OILS & FATS

New Delhi, the 18th October 1979

No. A-11013/1/79-Estr --Shri P. S. Rawat officiating Senior Hindi Translator in the Department of Civil Suppliers, has been appointed in the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats as Hindi Officer w.e.f. 28th Sentember, 1979 (AN) in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40- 1000-FE-40-1200 on purely temporary and *ad hoc* basis till 29th February, 1980.

A. K. AGARWAL, Chief Director

and the state of the second second

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi-110011, the 8th November 1979

No. 14/9/79-M(T).—In exercise of the powers conferred under Rule 6 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules 1959, I. K. V. Soundara Raian, Director (Monuments) hereby direct that no fee shall be charged for entry into the Buddhist Monuments at Sanchi. Distt. Reisen (M.P.) from 24th November, 1979 to 26th November, 1979 on account of the 27th Anniversary Celebration of Chetiya Giri Vihare.

K. V. SOUNDARA RAJAN, Director (Monuments) for Director General

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA New Delhi-1, the 7th November 1979

No. F.15-8/78-A.1.—The Director of Archives. Government of India, hereby appoints Miss Shanta Iwnati, regular temporary Hindi Officer (Class II Gazetted), in a subsantive capacity with effect from 6.5.78.

The 8th November 1979

No. F.11-23/79-A.1.—The Director of Archives, Government of India, hereby appoints Shri Gorakh Nath, Permanent Assistant Microphotographist (Grade I) to officiate as Microphotographist (Class II Gazetted) on purely *ad-hoc* basis with effect from the 5.11.79 (F.N.) and until further orders.

This ad-hoc appointment will not confer any right for claim for regular appointment and will not count for the purpose of seniority and for eligibility for promotion to the next higher grade.

B. S. KALRA, Administrative Officer, National Archives of India, for Director of Archives.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 5th November 1979

No. 6-52/79-DC.—Consequent on deputation abroad under the WHO Fellowship programme Dr. A. C. Das Gupta, Associate Pharmaceutical Chemist, Central Drugs Laboratory, Calcutta, relinquished the charge of the post with effect from 12-9-79 (A.N.).

Dr. Guptu who was before his deputation abroad holding the post of Biochemist in the same office on an *ad-hoc* basis will be deemed to have been reverted to his substative post of Associate Pharmaceutical Chemist w.e.f. 12-9-79 (A.N.).

> SANGAT SINGH, Deputy Director Administration

New Delhi, the 6th November 1979

No. A.19019/9/77/NJCD/Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Dr. M. Ramachandran, Assistant Director (Biochemistry), National Institute of Communicable Diseases, Delhi retired from Government Service on the afternoon of 30th September, 1979.

No. A. 12026/27/79-Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. (Smt) Avinash Talwar on her return from foreign service with the Govt. of Nigeria on 1st August, 1979, to the nost of Junior Staff Surgeon (Dental) under the Central Govt. Health Scheme with effect from the forenoon of the date, on an *ad-hoc* basis and until further orders.

The 7th November 1979

No. A.38012/2/79-(HQ)Admn.I.—The President is pleased to permit Km. N. Mani Rao, Deputy Assistant Director General (National Health Programme) in the C.H.E.B., Directorate General of Health Services, New Delhi to retire voluntarily from Government Service on the afternoon of 30th September, 1979 under the provision of Fundamental Rule 56(K).

> S. L. KUTHIALA, Deputy Director Administration (O&M)

New Delhi, the 12th November 1979

No. A.19019/19/79CGHS-L.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. Om Prakash to the post of Ayurvedic Physician in the Central Government Health Scheme on a temporary basis with effect from the forenoon of 22nd October, 1979.

> N. N. GHOSH, Dy. Director Admn. (CGHS)

KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA

(KRISHI VIBHAG)

VISTAR NIDESHALAYA

New Delhi, the 7th November 1979

No. F. 3-48/79-Estt.(I).—The ad hoc appointments of S/ Shri S. L. DHIR, K. R. Vij and O. P. Bhasin in the posts of Superintendents (Grade 1) are further continued beyond 31-10-1979 and upto 30-11-1979.

No. F. 2-1/79-Estt.(I).—The ad hoc appointment of Shri O. P. Gupta in the post of Assistant Editor (Hindi) is further extended w.e.f. 1-11-1979 to 30-11-1979.

B. N. CHADHA Director Administration

9975

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 7th November 1979

No. A-19025/19/79-A.III.—On the recommendations, of the Union Public Service Commission, Shri Ashish Kumar Chakrabarti, Senior Inspector has been appointed to officiate as Assistant Marketing Officer (Group II) in this Directorate at New Delhi w.e.f. 8th October, 1979 (FN), until further orders.

The 9th November 1979

No. A-19023/11/79-A.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, Shri S. C. Sarkar is appointed to officiate as Marketing Officer (Group I) in this Directorate at Faridabad w.e.f. 16-10-79 (forenoon), until further orders.

> B. L. MANIHAR, Director of Administration, for Agricultural Marketing Adviser

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

PERSONNEL DIVISION

Bombay-85, the 18th September 1979

No. 5/1/79-Estt.II/3545.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned officials to officiate on an ad-hoc basis as Admp. Officer-II/Asstt. Personnel Officer for the period shown against their names:

SI, Name & Designation	Appointed to officiate as -	Period	
190.		From	То
1. Shri J.R. Karnik, Asstt. Personnel Officer	Admn. Officer-II	18-6-79	19-7-79
 Shri N. Raman, Assistant 	Asstt. Personnel Officer	18-6-79	27-7-79
3. Shri L. B. Gawde Assistant	Do.	18-7-79	28-8-79
4. Shri G. Gopakumar, S.G.C.	Do.	18-6-79	19-7-79
5. Shri S. R. Pinge, S.G.C.	Do.	21-7-79	20-8-79

The 21st September 1979

No. 5/1/79/Estt. II/3573.-- Controller, Bhabha 'Atomic" Research Centre appoints the undermentioned efficials to officiate on an ad-hoc basis as Security Officers for the period shown against their names:

Sl Name & Designation	Appointed to Officiate as	Period	
INO.		From	То
1. Shri S. N. Sen, Asstt. Security Officer	Security Officer	19-6-79 (FN)	21-7-79 (AN)
2. Shri P. E. Job, Asstt. Security Officer.	Security Officer	25-(-79 (FN)	27-7-79 (AN)

No. R-487/Estt.II/3590.—Consequent on attaining the age of superannuation, Shri Mathur Venkatcswaran Ranganathan, permanent Assistant Administrative Officer (Rs. 650.—960) retired from Government service with effect from 31-8-1979 (AN).

The 25th October 1979

No. B-618/Estt.II/3955.—Consequent on attaining the age of superannuation, Shri Sadanand Dhondiram Bhonsale, permanent Upper Division Clerk and officiating Assistant Accounts Officer in Bhabha Atomic Research Centre retired from Government service with effect from 31-8-1979 (AN).

The 26th September 1979

No. S-41/Estt.11/3625.—Consequent on attaining the age of superannuation, Shri Padmanabha Pillai Chandra Sekhar, permanent Security Officer in BARC, retired from Government service with effect from 31-8-1979 (AN).

Kum, H. B. VIJAYAKAR, Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION

Bombay-5, the 26th October 1979

No. PPED/4(699)/79-Adm.—Consequent on his resignation having been accepted by the Director, PPED, Shri B. K. Sarkar, a permanent Scientific Assistant 'B' and officiating Scientific Officer/Engineer-Grade 'SB' of the Power Projects Engineering Division, relinquished charge of his post in this Division on the afternoon of 18th September, 1979.

B. V. THATTE, Administrative Officer

MADRAS ATOMIC POWER PROJECT

Kalpakkam-603 102, the 2nd November 1979

No. MAPP/8(16)/78-Rectt.—Director, Power Projects Engineering Division appoints Shri R. Subramanian, a permanent Stenographer in Bhabha Atomic Research Centre and officiating Superintendent as Assistant Personnel Officer in the Madras Atomic Power Project vice Shri V. K. Santhanam granted leave with effect from the forenoon of March 1, 1979 to October 9, 1979 AN.

K. BALAKRISHNAN, Administrative Officer

OFFICE OF THF DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 6th November 1979

No. A.12025/8/77-ES.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Jai Vir Singh as Air Safety Officer (Engg.) in the Civil Aviation Department in an officiating capacity with effect from 11-9-1979 and until further orders and to post him in the office of Regional Director, Bombay Region, Bombay.

R. N. DAS,

Asstt. Director of Administration for Director General of Civil Aviation.

New Delhi the 8th November 1979

No. $\Lambda.32013/10/79$ -EC.—The President is pleased to appoint Shri Suresh Chandra, Senior Technical Officer, DGCA (HQ) to the grade of Assistant Director of Communication with effect from 27.9.79 (FN) for a period of six months or till the vacancy is available on *ad-hoc* basis whichever is carlier and to post him in the same office.

No. A.38012/1/79-EC.--Shri B. K. Bose, Asstt. Comm. Officer, Aeronautical Communication Station, Calcutta relinquished charge of his office on the 30-9-79 (AN), on retirement from Government service, on attaining the age of superannuation.

The 12th November 1979

No. F.23014/1/79-EC.—The President is pleased to place the services of Shri R. V. Israni, Assistant Technical Officer, Aeronautical Communication Station, Gauhati on deputation on foreign service terms with the International Airport Authority of India as Assistant Engineer (Radio) w.e.f. 1-10-79 (AN).

No. A.32014/2/79-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri Victor Chandran, Communication Assistant, ACS, Bombay to the grade of Assistant Communication Officer on ad hoc basis with effect from 18-10-79 (FN) vice Shri P. S. R. Pillai, Assistant Communication Office, ACS, Bombay granted earned leave.

> R. N. DAS, Assistant Director of Administration

VANA ANUSANDHAN SANSTHAN EVAM MAHAVIDYALAYA

Debra Dun, the 13th November 1979

No. 16/52/75-Ests-I.—The resignation of his appointment as Research Officer tendered by Dr. V. K. Sood has been accepted by the President, Forest Research Institute & Colleges, w.e.f. the afternoon of 25th October, 1979.

> GURDIAL MOHAN, KUL SACHIV,

Vana Anusondhan Sansthan Evam Mahavidyalaya

NARCOTICS DEPARTMENT

Gwalior, 13th November 1979

No. 4.—Shri H. C. Kapoor, Administrative Officer, is here by appointed, in substantive capacity, to the grade of Asstt. Chief Accounts Officer/Administrative Officer, Group 'B', in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from 1-8-1976 against the post sanctioned vide Department of Revenue & Banking, New Delhi's letter F.No. A-11012/12/76-Ad.IV dated 6-4-1977.

> M. M. BHATNAGAR, Narcotics Commissioner of India

SOUTH CENTRAL RAILWAY

Secunderabad, the 26th October 1979

No. P(G) 185/EL.—The following officers of the Electrical Department are confirmed in Class II Service of that Department as Asst. Electrical Engineers

SI. No.	Name	Design.	Date from which con- firmed.
S/Shri			
1. T. S. S	Subbanna	Offig. DEE/UBL	22-6-78
2. S. Sar	angapani	Offg. DEE/GTL	31-7-78
3. M. Pra	abhakaran	Offg. DEF/WP/Gun- tapalli	23-3-79
1		N. NILAKANT	A SARMA
		Gene	ral Manager

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Orissa Manufacturers Association Limited

Cuttack, the 6th November 1979

No. SO-521/79-3380(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Orissa Manufacturers Association Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Mishra Dairy and Agriculture Company Private Limited

Cuttack, the 6th November 1979

No. SO/645/79-3381(2),---Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Mishra Dairy and Agriculture Com-

pany Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Indo-Castings Private Limited

Cuttack, the 6th November 1979

No. SO-659 79-3382(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Indo-Castings Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s East Coast Refractories Private Limited Cultack, the 6th November 1979

No. SO-670/79-3383(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Fast Coast Refractories Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Nayak Extractions Private Limited

Cuttack, the 6th November 1979

No. 50/673/79-3384(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Nayak Extractions Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Hirakhanda Enterprisers Private Limited

Cuttack, the 6th November 1979

No. 50-512/79-3385(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M_{13} Hunkhonda Enterprisers Private Limited has this day been struck of the Register and the said Company is dissolved

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M. s. Pravati Private Limited

Cuttack, the 6th November 1979

No. SO/451/79-3386(2). —Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of $M_{\rm eff}$ fravati Private Limited has this day been struck off the Register and the suid Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Orissa Retail Dealers' Association Limited

Cuttack, the 6th November 1979

No. SO/508/79-3387(2). Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Orissa Retail Dealers' Association Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M.s. Panposh Financial Charl' and Private Limited Cuttack, the 6th November 1979

No. SO/390/79-3588(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M, s Panposh Hanatial Chit Fund Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M's Movers Sevings and Finance Company Private Limited Cuttack, the 6th November 1979

No 80/729/79-3389(2).—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 550 of the Companies Act, 1956

- -----

that the name of M/s Movers Savings and Finance Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

> D. K. PAUL, Registrar of Companies, Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Finser Private Limited, Jabalpur

Gwalior-474001, the 7th November 1979

No. 1067/l ign/CP/3882.—Notice is hereby given pursuant to Section 445(2) of the Companies Act. 1956 that Finser Private Limited, Jabalpur has been ordered to be wound up by an order dated 11-9-79 passed by the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur and the Official Liquidator, Indote has been appointed as the Liquidator of the Company.

S. K. SAXENA, Registrar of Companies, Madhya Pradesh, Gwalior In the matter of the Companies Act 1956 and of M/s Burmah Shell Provident Trust Private Limited

Bombay, the 7th November 1979

No. 15128/560(3).—Notice is hereby given pursuant to subsection (3) of section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Burmah Shell Provident Trust Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

> L. M. GUPTA, Asstt. Registrar of Companies, Maharashtra, Bombay

FORM ITNS

a a su a su de la supera de la su

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE, 57, RAMTIRATH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 9th November 1979

Ref. No. A-78/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Land and building (Ground-floor) of House No. 92/191 situated at Gautam Budh Marg, Lucknow

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transforred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Lucknow on 30-3-1979

for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the puroses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :---

- British Indian Association Avadh through Sri Himanshu Dhar Singh and Sri Krishna Pal Singh, President and Vice President respectively. (Transferor)
- (2) Shri Amar Nath Pahwa.
- (Transferee) (3) Shri B, N. Bhargava and above sellers. (Person in occupation of the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Ast shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The ground-floor portion along with the land of the house property No. 92/191 situated at Bans Mandi, Lucknow and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and Form 37G No. 1457/79 which have duly been registered in the office of the Sub Registrar, Lucknow on 30-3-1979.

> A. S. BISEN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Lucknow

9979 PART III---SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901)

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE. 57, RAMTIRATH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 9th November 1979 -

Ref. No. S-18/Acq.-Whereas, I, A. S. BJSEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

92/8, situated at Gantam Budh Marg, Lucknow

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Lucknow on 19-3-1979

for an aparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fiften per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in resect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :----

- S/Shri
- Radhey Krishna Agarwal;
 Radhey Shyam Agarwal;
 Manoj Kumar Agarwal; and
 Smt. Bina Agarwal.

(Transferor) (Transferce)

- (2) Smt. Saraswati Devi. (3) Sellers and 15 tenants
 - S/Shri Dasrath Pd. Sonkar;
 - (2) Mewa Lal Sonkar;
 - 3. Harish Chandra Sonkar;
 - Lakhan Sonkar; 4.
 - Gurbachan Singh;
 - Barati; 6. b. Barati;
 7. Salig Ram Sonkar;
 8. Mohd. Hanif;
 9. Nazir Ahmad;
 10. Rasul Ahmad;

 - 11. Jamil Ahmad;
 - 12. Ramu; 13. Hira Lal;

 - 14. Bhai Lal; and 15. Kedar Nath Sonkar.
 - (Persons in occupation of the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- person interested in the said (b) by any other immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 92/8, including building and land, situated at Gautam Budh Marg, Qaiser Bagh, Lucknow and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and Form 37G No. 1165 which have duly been re-gistered in the office of the Sub Registrar, Lucknow on 19-3-1979,

A. S. BISEN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Lucknow Date : 9-11-1979 Seal :

FORM ITNS

(1) Shu Joginder Singh Sachdeva
 S/o S. Kartai Singh
 R/o 71, West Avenue Road, Punjabi Bagh,
 Delhi.

(Transferor)

(2) M₁₈. Maharani Fashions, G-96, Mansarover Garden, New Delhi Through its partner Shri Chander Mohan Sharma & Shri Vashdev H. Dadlani,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective personswhichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A one and a half storeyed house built on a piece of freehold plot of land bearing Plot No. 9, in Block D, measuring 500 sq. yds. situated in the colony known as Kirti Nagar, area of village Bassai Datapur Delhi State Delhi bounded as under :---

North : House on Plot No. D-8. South : House on Plot No. D-10. Last : Service Lane West : Road.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- R. B. L. AGGRAWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

.

Date : 12-11-1979 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ΔSAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi-110001, the 12th November 1979

Ref. No. IAC/Acq.II/3-79/1237/5078/3716.—Whereas, I, R. B. L. AGGRAWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and hearing No.

D-9, situated at Kirti Nagar, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on March 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer; and or:

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indians Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

9981

FORM ITNS------

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGF-II,

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 12th November 1979

Ref. No. JAC/Acq.II/3-79/5116/3716.—Whereas, I, R. B. L. AGGRAWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and hearing

Plot No. 2/1 Block 41

situated at Singh Sobhe Road, Delhi-7

(and more fully described in the Schedule annexed

hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on March 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the deduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income a rising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-acction (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :— 17-346GI/79 S/Shri
(1) 1. Arjun Singh
2. Gurbachan Singh
Sons of S. Karam Singh,
2/4, Block 41, Shakti Nagar,
Delhi-7.

(Transferor)

(2) Smt. Gulshan Malhotra W/o Shri Ravinder Malhotra, R/o 7360. Prem Nagar. Delhi-7.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2/1 in Block 41 measuring 310 sq. yds. situated at Singh Sabha Road, Delhi-7, bounded as under :---

North : Road South : House property No. 2/2 East : Road West : Plot No. 3/1

> R. B. L. AGGRAWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-JI, 4/14A, ASAF ALI ROAD,

NEW DELHI-110001.

New Delhi, the 12th November 1979

Ref. No. JAC/Acq-11/3-79/4985/3716.—Whereas, I, R. B. L. AGGRAWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

R/19 situated at Rishab Nagri Model Town, Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on 5-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (I) of Section 269D of the said Act, to the follow-ing persons, namely :---

 Shri Ram Nath S/o Shri Nanak Chand, R/o R/19, Rishab Nagri, Model Town, Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Manik Devi W/o Shri Gauri Datt Sharma, 213, Tagore Park, Delbi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. R-19, (Rishab Nagri) Model Town Delhi with building consisting of 7 rooms, varandah, 4 kitchens, 3 latrines, bath, court-yard, single storeyed temporary built house number one, with coment sheets of old construction with water and electric connections measuring 300 sq. yds. in the area of village Dhirpur, Delhi State and bounded as under :---

North : Road 24 ft. South : Open Park Lane East : Plot No. 18 West : Plot No. 20

> R. B. L. AGGRAWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

PART III—Sec. 1] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901)

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001,

New Delhi, the 12th November 1979

Ref. No. IAC/Acq.II/III/3-79/5029/3716.—Whereas, I, R. B. L. AGGRAWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

F-11/11 situated at Model Town Delbi

transfer with the object of :---

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 16-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

 Shri Nanak Chand S/o Shri Jai Ram, R/o 164, Mahatama Gandhi Road, Calcutta-7, Now F-11/11, Model Town Delhi-9.

(Transferor)

(2) Shri Kuldip Singh S/o Mahinder Singh, R/o F-2/21, Model Town, Delhi-9.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetto.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Freehold property No. F-11/11, measuring 292.82 sq. yds. situated in the colony known as Model Town area of village Malakpur Chhaoni, Delhi State, Delhi and bounded as under :---

North : Road South : Property No. F-10/11 East : Road West : Property No. F-11/10

> R. B. L. AGGRAWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-H, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001,

New Delhi, the 12th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-II/3-79 5024/3716.—Whereas I, R. B. L. AGGRAWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. C-5/14 situated at

Rana Pratap Bagh Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at

Delhi on March 1979,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- Shri Gian Prakash Chopra S/o Shri Ram Lal R/o Hans Roj College Premises, Delhi University, Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Savitri Devi Singhal
 W/o Shri Om Prakash Singhal
 R/o D-6/2A, Rana Pratap Bagh,
 Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned...

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property on plot No. C-5/14 situated at Rana Pratap Bagh, Delhi-110007 measuring 233.33 sq. yds. bounded as under :---

East : Plot No. C-5/13 (building) West : Plot No. C-5/15 (building) North : Plot No. C-6/16 (building) South : Road

> R. B. L. AGGRAWAL Competent Authority Inspecting Asvistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Dclhi/New Delhi

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001,

New Delhi, the 12th November 1979

Ref. No. 1AC/Acq.II/3-79/4987/3716.—Whereas, I, R. E. L. AGGPAWAL,

Inspecting Assistent Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Biber, Patna

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

15 on Road No. 7 situated at

Punabi Bagh, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Delhi on 5-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the atoresaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that

the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:--- Shri Vimal Kumar alias Khem Chand S/o Shri Risal Singh R/o 15/28, Punjabi Bagh, New Delhi.

(Transferor)

 (2) Shri Brij Lal, Satish Kumar & Yash Varinder Kumar Sons of Gulab Rai R/o 6/60, Punjabi Bagh, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires lator;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House built on freehold plot of land, bearing Plot No. 15 on Road No. 7, in Class D, measuring 279.55 sq. yds. situated in the colony known as Punjabi Bagh area of village Bassai Darapur Delhi State Delhi bounded as under :---

North : Service Lane South : Road No. 7 Fast : House on plot No. 13 West : Plot No. 17

> R. B. L. AGGRAWAL. Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

9986 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III- SEC. 1

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 5th October 1979

Ref. No. 17A/Acq/Ghaziabad/78-79.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dadri on 21-4-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair

market value of the property as aforeaaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D \P the said Act, to the following persons, namely :--- Shri Harbhajan Singh s/o Shri Atma Singh R/o 57 Golf Link, New Delhi.

(Transferor)

 (2) Smt. Maya Chandani w/o Shri H. D. Chandani R/o Dakshneshwari Flat No. 30, 8th Floor, 10 Hailly Road, New Delhi (51). (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Öfficial Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. B-20, Area 599.22 Sq. metre.

B. C. CHATURVED Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 5-10-1979 Seal : FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 15th September 1979

Ref. No. 770-A/Acq/Saharanpur/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI.

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hardwar on 31-8-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

 Shri Kishan Lal Khurana s/o Shri Shankar Das R/o Moti Bazar Hardwar, Distt. Saharanpur.

(Transferor)

(2) Smt. Swarn Kumari ¹/₂/₂ Shri Kishan Lal Tewarl, R/o Nirmala Chhaoni, Hardwar, Distt. Saharanpur.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to be undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

House property situated in Nirmala Chhaoni, Mayapur Hardwar Pargana Jwalapur. Distt. Saharanpur.

> B. C. CHATURVEDI Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 15-9-1979 Seal : FORM ITNS------

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd September 1979

Ref. No. 787-A/Acq/Dehradun/79-80.---Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market volue exceeding Rs. 25.000/- and bearing No AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dehradun on 30-7-79

for an apparent consideration which

is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- (1) Shri Raja Mohan Singh, Tiloi Estate, Rai-Barcilly.

(Transferor)

 (2) Shri J. M. Kapoor, R/o 8 Hailly Road, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing Khasra No. 839 and 840 situated in Village Bharuwala Grant Pargana Central Doon District Dehradun.

> B. C. CHATURVEDI Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 22-9-1979 Seal : PART III-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) 9989

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd September 1979

Ref. No. 788A/Acq/Dehradun/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section

269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dehradun on 30-7-79

for an apparent consideration which ខែ less. than the fair market value of the aforesaid property, and ĩ have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partles has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 ot 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

 Rani Soni Mati Devi Through General Attorney Raja Mohan Singh, Tiloi Estate Raibareilly.

(Transferor)

(2) Shri J. M. Kapoor, 8 Hailly Road, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gamette.
- EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All land situated in Bharuwala Grant Khasra No. 841,828, 829 and 837.

B. C. CHATURVEDI Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 22-9-1979 Seal : FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

THE

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 16th October 1979

Ref. No. 869-A/Acq/Hardwar/79-80.---Whereas, I, B. C. CHATURVFDJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tux Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that

the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hardwar on 28-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate, proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :---

Date : 16-10- 1979 Seal :

 Akhara Panchayali Niranjani, Mayapur Hardwar Through Shri Mahant Roopgiri Ji, Hardayal Giri Ji, Secretary of above Akhara. (Transferor)

(2) Smt. Nirmal Jyoti Shishya Brahmlin Swami Nirmal Ji Maharaj R/o Scwak Newas Kankhal Hardwar, Distt. Saharanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 2530 Sq. Ft. situated in Niranjani Akhara, Kankhal.

B. C. CHATURVEDJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 5th October 1979

Ref. No. 906-A/Acq/Ghaziabad/78-79.—Whereas, l, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dadri on 9-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed, to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or.
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- (1) Shri Gyan Singh s/o Shri Atma Singh, R/o 57 Golf Link, New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Anju Jain w/o Shri Vijay Kumar Jain, R/o 21 Todarmal Lanc Bengali Market, New Delhi.

(Transferec)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforeaaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 579.71 Sq. Metres No. 188 situated in Suryanagar, Ghaziabad.

B. C. CHATURVEDI Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 5-10-1979 Seal : FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 5th October 1979

Ref. No. 907-A/Acq/Ghaziabad/78-79.—Whercas, 1, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dadri on 9-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforcsaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :-- Dr. C. Prakash s/o Ch. Takan Ram, Karanbir, Deepak Prakash minor son of Dr. C. Prakash, R/o 162 Civil Line near Session Court, Rohtak. (Transferor)
 Shyam Lal Raina s/o Shri Dharam Chand Raina, Smt. Tarawati Bhatt W/o Late Sri Kant Bhatt, R/o F-76 Green Park,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

New Delhi.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 28 measuring 800 Sq. Metres situated in Block C, Suryanagar, T.F.A. Sector No. 7, Ghaziabad.

B. C. CHATURVED! Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 5-10-1979 Seal :

9993

FORM ITNS------

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 17th October 1979

Ref. No. 980-A/Acq/Ghaziabad/78-79.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghaziabad on 24-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have nor been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :— Shri Narain Das s/o L. Dhannu Mal, R/o 1241 Rang Mahal, Near Novalty Cinema, Delhi.

(Transferor)

- (2) 1. Smt. Aruna Kumari W/o Shri Anil Kumar,
 - Smt. Shakuntala Devi W/o Shri Radhey Shyam, R/o 120 Pakki Morri, Ghaziabad,
 - Smt. Pushpa Devi W/o Sri Ram Kumar,
 Smt. Nirmala Devi
 - W/o Sri Ram Newas, R/o 125 Pakki Morri, Ghaziabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storeyed building No. 22 (old) and 40 (new) situated in Sihani Galli, Moh. Mirza Jan, Ghaziabad.

B. C. CHATURVEDI Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 17-10-1979

Scal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 5th October 1979

Ref. No. 1061-A/Acq/Dehradun/78-79.—Whereas, I. B. C. CHATURVEDI, ₩

being the Competent Authority under Section 269B of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immevable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Debradue on 26 2 70

Dehradun on 26-3-79 for tan-annarent considerat

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of 'such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have nit been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :---

- I. Smt. Saraswati Devi R/o 11/4 Pusa Road, New Delhi,
 - Smt. Anju Mathur W/o Major U. P. Mathur, Army Air Transport Support School, Agra,
 Smt. Rajni Talwar
 - W/o Shri Dcepak Talwar, C/o Tata Export, Indore,
 - 4 V Manin Davel
 - K. Manju Dayal R/o 35 Subhash Road, Dehradun,
 K. Indu Dayal
 - R/o 11/4 Pusa Road, New Delhi,
 6. Sri Vijay Dayal
 - R/o 35 Subhash Road, Dehradun and
 7. Sri Harishwar Dayal,
 - R/o 35 Subhash Road, Dehradun.
 - (Transferor)
- (2) Shri Ravinder Nath, Advocate R/o 2 Convent Road, Dehradun.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period ot 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 1656.76 Sq. Metres, forming part of property No. 35, Subhash Road, Dehradun.

B. C. CHATURVEDI Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 5-10-1979 Scal : FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGF, KANPUR

Kanpur, the 19th September 1979

Ref. No. 263/Acq/Agra/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed

hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Agra on 21-6-79 for an apparent consideration

which is less than the fair market value

of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ;—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, on the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

 (1) Shri Ravindra Prakash Baghawan S/o Late Bansi Ram Baghwan, R/o 15/24 Chornha Shahganj Agra Hall Bi-pass Rond, Nai Abadi, Ferozabad, Distt. Agra. (Transferor)
 (2) S/Shri Kalyan Das, Asan Das, Devi Das, Nand Kishore, Ghanshiam Das

Nand Kishore, Ghanshiam Das Sons of Shri Mew Ram, R/o 10/19 Coalhigh, Sahganj, Agra.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Fk Kita house Pukhta, Juj double storeyed Number Hall 15/24, Katra Shahganj, Agra.

B. C. CHATURVEDI, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 19-9-1979 Seal : FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 16th October 1979

Ref. No. 1235/Acq/Aligarh/78-79.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

AS YER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act,

1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Aligarh on 19-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or the assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Narendra Kumar Bansal S/o Shri Anandi Lal Bansal, R/o Paththar Bazar, Aligarh. (Transferor)
 - (2) Smt. Abha Rani
 W/o Shri Anand Kumar Gupta,
 V. & P.O. Izzatpur, Distt. Aligarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which, ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the staid immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 12 Bigha 6 Biswa 6 Biswansi

B. C. CHATURVEDI Competent Authority Inspecting As intant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACOUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd October 1979

Ref. No. $1218/\Lambda cq/Etawah/78-79$.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Etawah on 7-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act,' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

1. Mst. Ram Shree W/o Ram Das R/o Narholi Bhindarwa Pargana, Etawah, Distt. Etawah,

(Transferor)

 S/Shri Ramesh Baboo, Munna Lal, Kamlesh Baboo, sons of Shri Atar Singh r/o Chakuri V. Bhindarwa Pargana Etawah and Shri Chandra Pal s/o Dipti Singh r/o Kachhuli Khirogi, Tehsil Karhal, Distt. Mainpuri.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned---

- (a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

 $\frac{464}{5-15}$ Lagan Rs. 303/-

B. C. CHATURVEDI, Competent Authority Inspecting Assistant Commssioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 22-10-1979, Seal : 9998 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III--SEC. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd October 1979

Ref. No. 1259/Acq/FZBDI78-79.--Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. AS PER SCHEDLUE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule

annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ferozabad on 5-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

 S/Shri Rajendra Sahai, Virendra Sahai, Mahendra Sahai sons of M. Ganga Sahai r/o V. Dholpura Tehsil Ferozabad, Distt. Agra.

(Transferor)

 S/Shri Rarman Singh, Gajadher Singh, Ved Singh sons of Shri Ram Lal Yadav r/o V. Dholpura, Teh. Berozabad, Distt, Agra.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the sald property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter X**X**A of the said Act, shall have the same meaning as given in **that Chapter**.

THE SCHEDULE

V. Dholpura Tehsil Ferozabad Khasra No. 323, Area 6 Bigha 8 Biswa 15 Biswansi Pukhta Lagani Rs. 73/40, Khasra No. 323 area 7 Biswa 13 Biswansi Pukhta Lagani Bhumidhari Lagan 4,35 Salana Kita Do Area 6 Bigha 16 Biswa 8 Biswansi Pukhta. In the east there is land of Shri Megh Singh, Baboo Ram, Het Singh, and Chak Road in the North, South and West.

> B. C. CHATURVEDI, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:---

Date : 22-10-1979. Seal :

9999

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 24th October 1979

Ref., No. 1254/KPR/79-80.---Whereas I, B. C. CHATUR-VEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. AS PER SCHEDILUE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 6-4-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- 1. Smt. Amar Kaur w/o S. Ajit Singh.

(Transferor)

 S/Shri Charan Singh and Harbans Singh sons of Shri Dhian Singh r/o 118/219, Kaushalpuri, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Property No. 118/123-B Kaushalpuri, Kanpur,

B. C. CHATURVEDI, Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Kanpur

Date : 24-10-1979. Scal :

FORM 1.T N 9.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd October 1979

Ref. No. 915-A/G. Bad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. AS PER SCHEDLUE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghaziabad on 12-3-79

for an apperent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such aparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : —

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/er
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the atoresaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

- Smt. Kamla Devi alias Kamlo, w/o Shri Lok Chandra through Shri Haryant Kumar Choudhry Late Shri Sher Singh Mukhtar-a-am, Smt. Kamloo Devi at present r/o Bombay 3, Shri Suresh Kumar Choudhry s/o Late Chhabil Das Choudhry r/o 5 G. T. Road, Ghaziabad. (Transferor)
- 2. Shri Khacheroo Singh s/o Vecr Narain, Dharam Vir s/o Nikhi Ram r/o V. Duran Pargana, Dadri, Distt. Ghaziabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Khata No. $\frac{1230}{1 (\Pi I)2}$ 57474 Sq. Yds. situated in Shahpur Bamheta, Pargana Dasna, 'Teh. and Distt. Ghaziabad.

B. C. CHATURVEDI, Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 22-10-1979. Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd october 1979

Ref. No. 959-A/M. Nagar/78-79.—Whereas, J, B.C. CHATURVEDI.

being the Competent Authority under Section 269B of

the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding -Rs, 25.000/- and bearing

No. AS PER SCHEDULE and situated at AS PER SCHE-

DULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Nudhana on 23-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets' which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act for the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:--- 1. S/Shri Malkhan and Ganga Ram Jat R/o Kujhh-Kharad, Pargana and Tehsil Budhana, Distt. Muzaffarnagar.

(Transferor)

 S/Shri Onkar, Yogendra, Davendra Adults, Vishesh Kumar, Minor age 8 years son of Shyam Singh under guardianship of Jahan Singh s/o Ganga Ram Jat r/o Kharar Pargana and Tehsil Budhana, Distt, Muzaffarnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned....

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

	Land 1462 12	235 1236	1237 123	8 1239
Khasra No.	61)2	3 51+14)51 51+	14 ID + 6
1246 1419	1448 1451			
	II) III)2+8			
15 Kita, 121) Pargana and	1+12 Lagani Tchsil Budhan	l 125/- Salar a Distt Muz	na situated affarnagar.	in Kharar,

B. C. CHATURVEDI, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 22-10-1979.

10002 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III---Sec. 1

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd October 1979

Ref. No. 979A/G. Bad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

and bearing No. AS PER SCHEDULE and situated at AS PER SCHE-DULE

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ghaziabad on 29-3-79

for an apparent consideration which is

.

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following **persons**, namely :--- S/Shri Kunwar Krishna, Shri Lalit Kumar sons of Shri Dhumi Lal alias' Dhumi Mal r/o 79 F Kamla Nagar, Delhi present r/o Model Town, Delhi.

(Transferor)

 Shri Nirmal Kumar Jain s/o Shri Inder Ratan Jain r/o 95/184A, B-Dayanand Nagar, Model Town, Ghaziabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA in the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi Number 95/184 A & B, situated in Dayanand Nagar, Model Town, Ghaziabad.

B. C. CHATURVEDI, Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 22-10-1979.

Seal :

10003

FORM ITNS ------

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd october 1979

Ref. No. 1009-A/Mcerut/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. AS PER SCHEDULE and situated at AS PER SCHEDULE

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer Sardhana on 2663-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in resect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

1. Shri Kadma s/o Har Deva Jat, V. Nirpura, Pargana Barnava, Tehsil Sardhana, Distt. Meerut, (Transferor)

 S/Shri Suraj Singh, Jaipal Singh, Rajpal Singh sons of Raghubir Singh, Pritam Singh s/o Kadma Jat, Nirpura Pargana, Barnawa, Tehsil Sardhana, Distt, Meerut. (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 10 I) 4-15 Lagan 104.80 223 226 9III)2-15 II]2] situated in V. Nirpura Pargana, Tehsil Sardhana, Distt. Meerut.

> B. C. CHATURVEDI, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Now, therefore, in pursuaace of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 22-10-1979. Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 2nd November 1979

Rcf. No. 1261/Acq/Ferozabad/78-79.—Whereas J, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. AS PER SCHEDULE and situated at AS PER SCHE-DULE

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ferozabad on 31-3-79

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- S/Shri Swadhin Pd., Ram Sewak, Jagdish Pd, Raghubir Pd. sons of Shri Ram Ji, Smt. Sushila Devi widow of Shri Pravin Dutta, Sri Promod Chandra s/o Shri Swadhin Pd r/o Shyamli, Ferozabad.

(Transferor)

 Smt. Jayanti Devi Bansal w/o Shridhar Lal, Shri Suresh Chander s/o Shridhar Lal r/o Jalesar Road, Ferozabad, (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory building situated at V. Datoji, near Labour Colony, Ferozabad.

B. C. CHATURVEDI, Competent Authority Inspecting Assistant Commssioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Dato : 2-11-1979

Seal :

10005

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur(the 2nd November 1979

Ref. No. 1260/Acq/Ferozabad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per Schedule, situated at As per Schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ferozabad on 31-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said inistrument of transfer with the object of :

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this nonce under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following mersons, namely :---

20-346GI/79

(1) S/Shrs Swadhin Pd, Ram Sewak, Jagdish Pd. Raghubir Pd. sons of Shri Ramji, Smt. Sushila Devi, widow of Shri Pravin Dutta, R/o Suyargali Kasba Ferozabad. (Transferors)
(2) Shri Shridhar Lal, s/o Shri Shanker Lal Ji, Smt. Urmila Devi, w/o Shri Suresh Chand, Shri Suresh Chand, r/o Jalesar Road, Ferozabad.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The torms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA: of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Ek Kita Ahata, situated at Village Detoji near Labour Colony, Ferozabad.

B. C. CHATURVEDI Competent Authority Inspecting Asstt, Commissioner of Income Tax Acquisition Range, Kanpur

Date : 2-11-1979 Seal : 10006 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III--- SEC. 1

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,

KANPUR

Kanpur, the 2nd November 1979

Ref. No. 1212/Acq/Mathura/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/and bearing No.

As per Schedule, situated at As per Schedule

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mathura on 19-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following **Persons**, namely:---

(1) Shri Bahadur Singh,
 s/o Bhanwar Singh,
 r/o Village Magori, Post Khas,
 Teh, & Distt. Mathura.

(Transferor)

(2) Shri Ghamandi Singh, s/o Shri Murali Dhar, Prahlad Singh, Ramesh Chandra Balig and litendra Singh Nabalig & Bilayat Jugan Prasad, r/o Magori, Post Khas, Teh, & Distt. Mathura.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons with in a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Land No. 42A, si uated at Manja Pura, Tehsil & Distt. Mathuta.

> B. C. CHATURVEDI Competent Authority. Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 2-11-1979 Scal : FORM ITNS -----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 2nd November 1979

Ref. No. 747/Acq/Agra/78-79.--Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

As per Schedule, situated at As per Schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Agra on 23-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

(1) Shri Kailash Nath Prasad Badya
 \$\sigma 0\$ Munshi Kallu Prasad,
 \$\text{r/o}\$ Hall Nadan Mahal Road near Ram Nath
 Thiater Building, Lucknow.

(Transferor)

(2) Smt. Pushpa Devi w/o Narain Prasad & Smt. Nina Kumari w/o Ashok Kumar, and Anil Kumar s/o Shri Prakash Narain, r/o 63 Pratap Pura Cantt, Agra.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. 33/28, situated at Adarsh Nagar Rakab Ganj, Ward, Agra.

B. C. CHATURVEDI Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 2-11-1979 Scal : 10008 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III--- SEC. 1

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

> ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 2nd November 1979

Ref. No. 746/Acq/Agra/78-79.---Whercas I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule, situated at As per Schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Agra on 12-2-1979

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the ebject of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:— Smt. Sarvati Devi widow of Brijbasi Lal Saxena, r/o A. 3, 36/2, New Agra.

(Transferor)

(2) Smt. Sushma Sharma w/o Shri Krishna Gopal Sharma, r/o Suryanagar Hall 1/A 3, New Agra.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Number 1/3 Nagarmahapalika Number 36/2 (92) New Agra.

B. C. CHATURVEDI, Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Date : 2-11-1979 Seal :

10009

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 2nd November 1979

Ref No 390/Acq/Aligarh/78 79—Whereas I, B C CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/ and bearing No

As per Schedule situated at As per Schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer it Aligarh on 31-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fail market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than infreen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax 1957 (27 of 1957);

Shri Inderjeet Singh s/o
 Shii Parmanand Vohra,
 i/o Sarai Daman, Jeetganj,
 Aligarh

Mohd Feroz,
 5/0 Haji Abdul Nazeer,
 r/0 Usman Bara, Jatayan,
 Aligarh

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

FAPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

I our Qita houses with Balakhana and Staires, situated in Vegetable Market, Mohd. Ali Road, Aligarh.

B. C. CHATURVEDI Competent Authority, Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

Date 2-11-1979 Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX,

> ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 3rd November 1979

Ref. No. 916-A/Ghaziabad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per Schedule, situated at As per Schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghaziabad on 9-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) S/Shri Brij Lal s/o Shri Gulab Ram, r/o 860-A, Gupta Colony, G.T. Road, Ghaziabad,
Partner M/s Everest Foundry and Engg. Co., Mukandnagar, Hapur Road, Ghaziabad, (Partners at present Shri Brij Lal above mentioned and Shri Surendra Kumar s/o Shri Brij Lal) through Shri Surendru Kumar s/o Shri Brij Lal, r/o 86A Gupta Colony, G.T. Road, Ghaziabad.

(Transferor)

 M/s. Baboo Ram Sri Chand, Kabari, 151 Chandrapuri, Sihani Gate Ghaziabad, through Partner Hari Chand Gupta, s/o Lala Baboo Ram, r/o 151 Chandrapuri, Sihani Gate, Ghaziabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 142-B measuring 2204 Sq. Yds, Mukandnagar, Hapur Road, Ghaziabad.

> B. C. CHATURVEDI Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Date : 3-11-1979 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 10th September 1979

Ref. No. AP No. 619/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. as per Schedule situated at Mansa

(and more fully described in the scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at

Mansa on May 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :--- Sh. Shanker Dass S/o Shri Ram Parshad S/o Shri Sada Mal R/o B-14, Sethi Colony, Jaipur.

(Transferor)

(Transferee)

(2) ShriRajinder Kumar S/o Shri Hans Raj C/o M/s. Madan I.al Chuni Lal Grain Market. Mansa.

(3) A₃ per No. 2 above. [person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, ,shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A residential plot of land measuring 302.22 sq yds as mentioned in the registration deed No. 738 of 5/79 of the S.R. Mansa.

> SUKHDEV CHAND, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Accoguisition Range, Bhatinda.

Date : 10-9-1979 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 10th September 1979

Ref. No. AP No. 620/79-80.---Whereas, I, SIJKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. As per schedule situated at Mansa

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Mansa on May 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, to the following persons, namely 2m-

- Shri Jugal Kishore S'o Shri Ram Parshad, Mansa.
- Shri Piara Lal S/o Shri Nohar Chand, Document writer, Tehsil Office, Mansa.

(Transferce)

(Transferor)

- (3) A₃ per No. 2 above. [person in occupation of the property]
- (4) Any body interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :----The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A residential plot of land measuring $32' \times 85'$; i.e. 302.22 sq. yds. as mentioned in the Registration decd No. 739 of 5/79 of the S.R. Mansa.

SUKHDEV CHAND, Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bhatinda

Date : 10-9-1979 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 12th October 1979

Ref. No. AP No. 636/79-80.—Whereas, J, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per Schedule situated at Harjinder Nagar, Faridkot

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Faridkot on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the inability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:— 21-346GI/79

SUKHDEV CHAND, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 12-10-1979

Seal :

 Smt. Sudesh w/o Shri Mool Raj s/o Shri Paras Ram r/o Faridkot.

(Transferor)

(2) Shri Kikkar Singh
 s/o Shri Bishan Singh
 s/o Shri Chanan Singh
 r/o vill, Panjgraian Khurud Teh. Faridkot.

(Transferee)

(3) As per S. No, 2 above. (Person in occupation of the property)

 (4) Anybody interested in the property.
 (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single story residential house as mentioned in the Registration deed No. 93 of 4/79 of the S.R. Faridkot.

No. 93 of 4/79 of the S.R. Faridkot.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 12th October 1979

Ref. No. AP No. 637/79-80.---Whereas, I,

SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Λct , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per Schedule situated at Sibian Teh. Moga

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Moga on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely.— Shri Rikhi Ram s/o Shri Daulat Ram s/o Shri Ralla Ram r/o vill. Sibian Teh. Moga.

(Transferor)

(Transferee)

- (2) S/Shri Mukhtiar Singh, Jugraj Singh, Gurmel Singh, Harbans Singh and Ishar Singh ss/o Shri Bishan Singh r/o Vill. Malka Teh, Moga.
- (3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)
- (4) Anybody interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 7 K 13 M at village Sibian as mentioned in the Registration deed No. 315 of 4/79 of the S.R. Moga.

SUKHDEV CHAND Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Accoquisition Range, Bhatinda. Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 12-10-1979

Seal :

PART III-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) 10015

FORMS ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHATTNDA

Bhatinda, the 12th October 1979

Ref. No. AP. No. 638/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. as per Schedule situated at Behbal Khurud

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at

Faridkot on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the atoresaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- Shri Hazura Singh s/o Shri Bajinder Singh s/o Shri Hazara Singh r/o Kotkapura.

(Transferor)

- (2) Shri Ram Lubhaya
 s/o Shri Maghi Mal
 s/o Shri Bagha Mal
 r/o vill. Behbal Khurud Teh. Faridkot.
 (Transferee)
- (3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Anybody interested in the property, (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquistion of the said property may be made in writing to the undersigned--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice in the respective perions, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A residential house as mentioned in the Rcgistration decd No. 183 of 4/79 of the S.R. Faridkot.

SUKHDEV CHAND Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquistion Range, Bhatinda.

Date : 12-10-1979 Seal : 10016 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III --- SEC. 1

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX.

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 12th October 1979

Ref. No. AP. No. 639/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 26913 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per Schedule situated at Nawanshahar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nawanshahar on May 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely .--

- (1) Shri Gurparkash, Gurdial S/o Shri Gurdas Ram S/o Shri Bhana r/o Railway Road, Nawanshahar. (Transferor)
- (2) Shri Purshotam Lal, Ashwani Kumar S/o Shri Des Raj S/o Shri Nihal Chand r/o Nawanshahar Mohalla Tandoran Teh. Nawanshahar. (Transferee)
- (3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)
- (4) Anybody interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 19 M bearing Khasra No. 5611/1439 situated in the abadi of Nawanshahar, Teh. Nawanshahar as mentioned in the Registration deed No. 462 of 5/79 of the S.R. Nawanshahar,

SUKHDEV CHAND, Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tar, Acquisition Range, Bhatinda

Date : 12-10-1979 Seal : FORM ITNS -

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

COVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX,

ACOUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 10th September 1979

Ref. No. AP No. 617/79-80,----Whereas, 1, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value

exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per Schedule situated at Muktsar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muktsar on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration, and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Shri Bhagwan Sahai S/o Shri Devi Sahai S/o Shri Gopal Sahai 1/0 Muktsar.

(Transferor)

(2) Shri Rikhi Ram S/o Shri Kapoor Chand S/o Shri Lakhu Ram; Shri Raj Kumar S/o Shri Rapoor Chand S/o Shri Lakhu Ram; Shri Raj Kumar S/o Shri Rikhi Ram S/o Shri Kapoor Chand; Shri Narinder Kumar, Rajesh Kumar Ss/o Shri Wazir Chand S/o Shri Sohan Lal C/o Aggarwal Pipe Store, Railway Road, Makter Muktsar.

(Transferce)

(3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Anybody interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storey house with two small shops constructed over a plot of land 223.67 sq. yds. as mentioned in the registration deed No. 186 of 4/79 of the S.R. Muktsar.

SUKHDEV CHAND, Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhatinda

Date : 10-9-1979 Seal :

FORM JTNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 10th September 1979

Rof. No. AP No. 618/79-80.—Whereas, 1, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinatter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing

No as per Schedule situated at Bank Road, Muktsar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muktsar on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the **parties has not been truly stated in the said instrument of** transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:--- Shri Chaman Lal S/o Shri Bahali Ram S/o Shri Govind Ram; Smt. Kalian Devi W/o Shri Bahali Ram; Smt. Darshna Devi d/o Shri Bahali Ram r/o Muktsar.

(Transferor)

(2) Shri (Dr.) Darshan Paul Bansal S/o Shri Siri Ram r/o Bank Road, Muktsar.

(Transferec)

(3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Anybody interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storey residential house-cum-shop constructed over a plot of land 105.2 sq. yds.

SUKHDEV CHAND, Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhatinda

Date : 10-9-1979 Scal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 27th September 1979

Ref. No. AP. No. 634/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000 and bearing

No. as per Schedule situated at Nai Suraj Nagri, Abohar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Abohar on April 1979

for an approximate and

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ;---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, J hereby initiate proceedings for the acquisition of the oforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- (1) Smt. Kuldeep Kaur w/o Shri Harjinder Singh r/o vill. Bakaianwala Teh. Fazilka, (Transferor)

- (2) Smt. Ranu d/o Shri Prem Kumar r/o vill. Dharagwala Teh, Fazilka. (Transferee)
- (3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)
- (4) Anybody interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Built up property as mentioned in the Registration deed No. 279 of 4/79 of the S.R. Abohar.

SUKHDEV CHAND, Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhatinda

Date : 27-9-1979 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

JFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 11th October 1979

Ref. No. AP. No. 635/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred to as the 'said Act'), have reason' to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. per Schedule situated at Gandhi Chowk, Muktsar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred, under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Muktsar on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- (1) Shri Ram Parkash S/o Shri Natha Singh r/o Muktsar at present Ferozepur. (Transferor)

- (2) S/Shri Vijay Kumar, Adarsh Kumar Ss/o Shri Sham Sunder S/o Shti Gurcharan Singh c/o Grover Medical Hall, Gandhi Chowk, Muktsar. (Transferee)
- (3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)
- (4) Anybody interested in the property.
 (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A shop with two rooms at first floor constructed over a plot of land measuring $13\frac{1}{2}$ 60% i.e. 90 sq. yds as mentioned in the Registration deed No. 272 of 4. 79 of the S.R. Muktsat,

SUKHDEV CHAND Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhatinda

Date : 11-10-1979 Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 23rd October 1979

Ret. No. AP. No. 648/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Near Bus Stand, Bhatinda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Bhatinda on April 1979

Bhatinda on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

 Shri Mohinder Singh s/o Shri Hardev Singh s/o Shri Amar Singh r/o Mansa Road near Bus Stand, Civil Station. Bhatinda.

(Transferor)

(2) Shri Jagdev Singh s/o Shri Karnail Singh and Karnail Singh s/o Shri Bishan Singh r/o Bhatinda.

(Transferee)

(3) As per No. 2 above.

[person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A commercial-cum-residential property as mentioned in the registration deed No. 422 of 4/79 of the S.R. Bhatinda.

SUKHDEV CHAND, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Accoquisition Range, Bhatinda.

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :---

346GI/79

Date : 23-10-1979 Scal : FORM ITNS _____

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACOUISITION RANGE- BHATINDA

Bhatinda, the 23rd October 1979

Ref. No. AP. No. 647/79-80.---Whereas, I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

As per schedule situated at Near Bus Stand, Bhatinda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Officer at Bhatinda on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :— Smt. Harnam Kaur w/o Shri Bakhtawar Singh s/o Shri Kunda Singh r/o Bhatinda.

(Transferor)

(2) S/Shri Balwant Singh and Gurdev Singh ss/o Shri Karnail Singh s/o Shri Bishan Singh r/o Vill. Manawalla.

(Transferee)

(3) As per No. 2 above. [person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforcsaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Commercial cum residential property as mentioned in the Registration deed No. 421 of 4/79 of the S.R. Bhatinda,

SUKHDEV CHAND, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Accognisition Range, Bhatinda.

Date : 23-10-1979 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd October 1979

Ref. No. AP. No. 646/Moga/79-80.—Whereas, J, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. As per schedule situated at Moga

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Moga on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and J have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :— (1) S/Shri Harnek Singh, Major Singh, Ahit Singh, Iqubal Singh ss/o Shri Chanan Singh r/o Patti Usang Moga Mehal Singh. (Transferors)
(2) Shri Darshan Singh s/o Shri Natha Singh, Shri Dara Singh s/o Shri Natha Singh, c/o M/s. Dara Machinery Store, Majestic Cinema Road, Moga. (Transferees)

(Transferees)

(3) As per No. 2 above. [person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned...

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

fow vacant plots of land one measuring $1 \times 2 \times 2$ Sarsai and other $1 \times 2 \times 2$ sarsai as mentioned in the Registration deed Nos. 308 and 308 of 4/79 of the S. R. Moga.

> SUKHDEV CHAND, Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Accoquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-10-1979 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd October 1979

Ref. No. AP. No. 645/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND

- being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
- exceeding Rs. 25,000/- and bearing
- No. As per schedule situated at Moga
- (and more fully described in the Schedule

annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Moga on April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

- (1) S/Shri Harnek Singh, Major Singh, Ajit Singh, Iqubal Singh ss/o Shri Chanan Singh r/o Patti Usang Moga Mehal Singh. (Transferors)
 (2) Shri Darshan Singh s/o Shri Natha Singh, s/o Shri Natha Singh, c/o M/s. Dara Machinery Store, Majestic Cinema Road, Moga. (Transferee)
 (2) Ar men No. 2 show
- (3) As per No. 2 above. [person in occupation of the property]
- (4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Two vacant plots one measuring 1 K 2 M & 2 Sarsai and other measuring 1 K 2 M $2\frac{1}{2}$ Sarsai as mentioned in the Registration deed Nos. 308 and 309 of 4/79 of the S. R. Moga.

SUKHDEV CHAND, Competent Authority, Inspecting Assit. Commissioner of Income-tax, Accoguisition Range, Bhatinda.

Date : 22-10-1979 Seal : FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

10.1

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 22nd October 1979

Ref. No. AP. No. 644/FDK/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. As per schedule situated at Kotkapura

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faridkot in April 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, J hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) Shri Jogindar Singh
 s/o Shri Chanda Singh
 s/o Shri Dhian Singh
 r/o Khachran Teh, Faridkot.
- (2) Shri Mohinder Singh s/o Shri Gurdeep Singh s/o Shri Chet Singh r/o Ajit Gill.
- (3) As per S. No. 2 above. [person in occupation of the property]
 (4) Anybody interested in the property. [Person whom the undersigned knows

to be interested in the property]

(Transferor)

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 700 sq. yds as mentioned in the Registration deed No. 106 of 4/79 of the S. R. Faridkot.

SUKHDEV CHAND, Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 22-10-1979 Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 6th November 1979

Ref. No. AP. No. 656(79-80)/FZR.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per schedule situated at Bazar No. 3, Ferozepur Cantt. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Ferozepur on 28-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269°D of the said Act, to the following persons namely :--- Shri Narsh Kumar s/o Shri Mohan Lel Basti Balochanwali, Ferozepur City.
 Shri Kamal Kumar s/o Shri Jagdish Parshad and Kaushalya Devi, Gali No. 6, Ferozepur Cantt,

nd

(Transferce)

(Transferor)

- (3) As mentioned at No. 2 above. [person in occupation of the property]
- (4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned...

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A shop No. 297 in Ferozepur Cantt. as mentioned in sale deed No. 6001 dated 28-3-79 registered with the S.R. Ferozepur.

SUKHDEV CHAND, Competent Authority, Inspecting Assit. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 6-11-1979 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 6th November 1979

Ref. No. AP. No. 655/FZR/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. As per schedule situated at Main Bazar,

Delhi Gate, Ferozepur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Economic 27, 2, 1070

Ferozepur on 27-3-1979

apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

- Shri Ram Lal S/o
 Shri Gasita. Mal & Smt. Phulanwati W/o Shri Ram Lal, Neemwali Gali, Ferozepur City.
- (2) Shri Suraj Parkash
 S/o Shri Ram Lal,
 R/o Neemwali Gali, Ferozepur City.
 (Transferee)
- (3) As mentioned at No. 2 above.

(Transferor)

[person in occupation of the property] (4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house at Ferozepur City as mentioned in the sale deed No. 5990 dated 27-3-79 registered with the S.R. Ferozepur.

> SUKHDEV CHAND, Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax. Acquistion Range, Bhatinda.

Date : 6-11-1979 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 6th November 1979

Ref. No. AP No. 654/(79-80)FZR.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Kanshi Nagri,

Circular Road, Ferozepur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at Ferozepur on 21-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the fellowing persons, namely :---

- Shrimati Sukhjit Kaur w/o Shri Sukhdev Singh, Kanshi Nagri Ferozepur City.
- (2) 1. Shri Sadhu Ram S/o Shri Bogga Mal and Smt. Saroj Rani W/o Shri Sadhu Ram r/o Tara Singh wala Ferozepur ł sharo each.
 2. Smt. Lajwanti W/o Shri Benarsi Dass, R/o Kili, Teh. Ferozepur. ł share.

(Transferees)

(Transferor)

- (3) A₃ per No. 2 above. [person in occupation of the property]
- (4) Any other person interested in the property.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house as mentioned in the sale deed No. 5915 dated 21-3-79 registered with the S.R. Ferozepur.

SUKHDEV CHAND, Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 6-11-1979 Seal : FORM TINS ----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 27th July 1979

Ref. No. P.R. No. 691 Acq. 23-1458/19-7/79-80.---Whereas J. S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing Nondh No. 663, Wd. No. 9,

situated at Siddbmata Sheri, Wadi Falia, Surat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Surat on 2-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) faciliting the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any incomeys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

23-346GI/79

- Shri Naren Kantilal Thakor, "Rameshvar" Block B. 43, Swami Vivekanand Road, Shantacruz, Bombay-56.
 - Minor Hetal Naren Thakor, "Rameshvar" Block B. 43, Swami Vivekanand Road, Guardian---Shukuntalaben Naren Thakor, Shantacruz, Bombay-56.

(Transferors)

(2) Shri Bhupendra Babubhai Zaveri, Wadi Falia, Sidhmata Sheri, Surat.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned...

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the dats of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Nondh No. 663, Wd. No. 9, Wadi Falia, Siddhmata Sheri, Surat admeasuring 123 sq. yds. duly registered with registering authority at Surat on 21-3-1979 at Regn. No. 1388.

S. C. PARIKH

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.

Acquistion Range II, Ahmedabad.

Date : 27-7-1979 Seal : 10030 THE GAZET'LE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PAR1 III-SEC. 1

FORM ITNS -

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF 'THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 20th August 1979

Ref. No. P.R. No. 712 Acq, 23-1491/19-7/79-80.---Whereas I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing Nondh No. 790, Ward No. 6,

situated at Mahidharpura, Chhaparia Sheri, Surat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 3-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) 1. Hemantkumar Ranchhoddas, Karta of HUF. Ghudiyali Pole, Baroda.
 - 2. Vijaykumar Ranchhoddas Karta of his HUF. Ghudivali Pole, Baroda.
 - 3. Zaverchand Nathalal, Karta of his HUF. Chhaparia Sheri, Mahidharpura, Surat.
 - 4. Bharatkumar Nathalal, Karta of his HUF. Chbaparia Sheri, Mahidharpura, Surat.
 - Jayantilal Chunilal, Karta of his HUF., and his son Urfc Vipul Jayantilal, Navaputa Mahollo, Rajpipla, Dist. Baroach.
 - Ramanlal Chunilal, and Prabhavatiben Ramanlal, Ghudiyali Pole, Baroda.

(Transferors)

(2) Shri Natverbhai Manorbhai Patel, Mahidharpura, Chhaparia Sheri, Surat.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building, situated at Nondh No. 790, Ward No. 6, Chhaparia Sheri, Mahidharpura, Surat duly registered with registering authority at Surat on 3-3-1979, admeasuring 126 sq. yds.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquistion Range-II, Ahmedabad,

Date : 20-8-1979 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD.

Ahmedabad-380009, the 21st August 1979

Ref. No. Acq. I, S. C. PARIKH, Acq. 23-1-2113(844)/12-2/79-80.---Whereas

- being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
- believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
- Ward No. 10, Plot No. 68,
- situated at Station Road, Bhuj
- (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhuj on 9-3-1979
- for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-
 - (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
 - (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) 1. S/Shri Kanabi Naran Valaji Jesani. 2. Kanabi Kesara Valaji Jesani.

- 3. Kanabi Muvaji Valaji Jesani, Village : Baladiya, Dist. Bhuj.

(Transferors)

(2) Sonara Jafar Hajiamad, Abadasa, Taluka : Naliya, Kutch. Name of the tenants.

(Tiansferee)

- (3) 1 M/s. Honest Elect Agency
 2. Shri T. C. Umman
 3. Harji Hirji Varsani 4. Manilal Nayalchand Vora 5. Manilal Nayalchand Vora M/s. Kutch Automobiles
 C. J. Auto Flect.
 M/s. Haji Hırıi Varsani
 - 9. Archeological Deptt.

[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45"days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION '--- The terms and expression used herein as are . defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THF SCHEDUE

A building standing on land adm. 205-21 sq., m'rs. beat-ing Plot No 68, Ward No ''10, 'situated at 'Station 'Road, Bhuj and fully described in the sale-deed registered vide R. No. 896 dt. 9-3-1979.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Assit. Commissioner of Income-tax, Acquistion Range'F, Ahmedghad!

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date · 21-8-1979 Seal :

FORM ITNS	(1) 1. Khushalbhai Nathabhai Patel,	
NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)	 Lallubhai Chhitabhai P.A. Holder of Naginbhai Lallubhai, Village : Siker, Tal. Valod, Dist. Surat. (Transferor) (2) Shri Gordhanbhai Durlabhbhai, Partner of M/s. Limber Agency, Delad, Tal. Kamrej, Dist. Surat. (Transferecs) 	
GOVERNMENT OF INDIA		
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- SIONER OF INCOME-TAX,	Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—	

ACQUISITION RANGE-II, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 7th September 1979

Ref. No. P.R. No. 720 Acq. 23-1430/19-1/79-80.---Wherc-as I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 275, situated at Bardoli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bardoli on 22-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

object of :---

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 275, admeasuring Acre O Guntha 11, situated at Bardoli duly registered with registering authority at Bardoli on 22-3-1979.

S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquistion Range-II, Ahmedabad.

Date : 7-9-1979 Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,

AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 15th September 1979

Ref. No. P.R. No. 729 Acq. 23-19-7/79-80,—Whereas I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Survey No. 4, Sub. Plot No. 1, 2, 3, & 4, situated at Rander

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Surat on 12-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :--- (1) Fatmabibi Ismail Bharucha, Nagina Lane, Big Bizar, Pander, Surat.

(Transferor)

- (2) 1. Kadarbhai Mamadbhai, Chowk Bazar, Sidhivad, Surat.
 - Ibrahim Abdul Sattar Chandivala, Bhaga Talav, Sidhivad, Surat.

(Transferees)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to te undersigned---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 4, Sub-plot No. 4, situated at Rander duly registered with registering authority at Surat on 12-3-1979.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquistion Range-II, Ahmedabad.

Date : 15-9-1979 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-11, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 15th September 1979

Ref. No. P.R. No. 730 Acq. 23-19-7/79-80 .--- Whereas I, S. C. PARIKH,

Competent Authority under section being the 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Survey No. 4, Sub-plot No. 1, 2, 3, & 4, situated at Rander, Sub-dist. Choryasi, Surat

(and more fully described in 'he Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Surat on 12th March 1979,

for an apparent consideration which is less than the fair harket value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as

aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, J hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :--

(1) Mominbibi Ismail Bharucha, Nagina Lano, Near Big Bazar, Rander, Surst.

(Transferor)

(2) 1. Kadarbhai Mamadbhai, Chief Promoter, Memnagar Coop. Housing Society Ltd. Chowk Bazar, Sidhivad, Surat. 2. Ibrahim Abdul Sattar Chandivala,

Bhaga Talav, Sidhivad, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned ;----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated at Rander bearing Survey No. 4, Sub-plot No. 1 duly registered with registering authority at Surat on 12-3-1979.

S. C. PARIKH **Competent Authority** Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquistion Range-II, Ahmedabad.

Date : 15-9-1979. Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 15th September 1979

Ref. No. P.R. No. 731 Acq. 23/19-7/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Survey No. 4, Sub-plot No. 1, 2, 3, & 4,

situated at Rander,

(and more fully described in the Schedule annexed

hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Surat on 12-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1951 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:— (1) Ayashabibi Ismail Bharucha, Nagina Lane, Big Bazar, Rander, Sunat.

(Transferor)

(2) 1. Kadarbhai Mamadbhai, Chawk Bazar, Sidhiyad, Surat,
2. Ibrahim Abdul Sattar Chandiyala, Bhaga Talay, Sidhiyad, Surat,

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated at Rander bearing S. No. 4, Sub-plot No. 2, duly registered with registering authority at Surat on 12-3-1979.

S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 15-9-1979 Seal : 10036 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III- SEC. 1

FORM TINS ----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMF-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMFDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 15th September 1979

Ref. No. P.R. No. 732 Acq. 23-19-7/79-80.---Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 4, Sub-plot No. 1, 2, 3, & 4, situated at Rander (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 12-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not

been truly stated in the said instrument of transfer with the

object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- (1) Khanjabibi Ismail Bharucha, Nagina Lane, Big Bazar, Rander, Surat.

(Transferor)

 1. Kudubhai Mamadbhai, Chowk Bazar, Sidhivad, Surat,
 2. Ibrahim Abdul Sattar Chandivala, Bhaga Talay, Sidhivad, Surat.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 4 Paiki, Sub-plot No. 3, situated at Runder, duly registered with registering authority at Surat on 12-3-1979.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 15-9-1979 Seal : PART III-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1970 (AGRAHAYANA 10, 1901)

sense and the second second FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 25th September 1979

Ref. No. P.R. No. 86 Whereas I, S. C. PARIKH. 861 Acq. 23-I-2221/1-1/79-80.-

being the Competent Authority under section

26ºB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shep No. S. 82, D-Block,

situated at Capital Commercial Centre, Ellisbridge, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16

of 1903) in the office of the registering officer at

Abmedabad on 15-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of

- (a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) faciiltating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

24-346GI/73

- (1) M. Sadhuram Gordbundas, N. ji Cloth Market, Kalupur-Kotni-Rang, Ahmedabad. (Transferor)
- (2) Smt. Sarojani Priyakant Buch. Minor Milan Priyakant Buch Minor Girindta Priyakant Buch Buch Mansion, Nr. Mitt Ambika Hotel, Navrangpure, Ahmedabad-9.

(Transferees)

10037

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respetive persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A shop No. 82-S in Block-D of the Capital Commercial Centre, Adm. 26.45 sq. mt. situated at Ellisbridge, Ahmeda-bad and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 2382/79 dt. 15-3-1979.

S. C. PARIKH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 25-9-1979 Seal :

10038 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III—SEC.]

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 3rd October 1979

Ref. No. Acq. 23-I-2248(863)/1-1/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B

of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Final Plot No. 167, Sub-Plot No. 9-A of T.P.S. 4,

situated at Maninagar, Ahmedabad-8

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 29-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- Shri Chhotalal Bhikhabhai Mehta, 51-53, Mirza Street, Rajmilan, 5th Floor, Bombay.

(Transferor)

 Mahavir Flat Owners Association, through: Organisers:
 Shri Manekchand Lunkaram, 5-B, Pathey Flat, Daxini Society, Maninagar, Ahmedabad.
 Shri Motilal Shivlal Jain, Ram Park, Daxini Society, Maninagar, Ahmedabad.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the, service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 835 sq. yds. bearing Final Plot No. 167, Sub-Plot No. 9-A of TPS. 4, situated at Khokhra Mehmadawad, Taluka: City, Ahmedabad and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 2970 dt. 29-3-1979.

> S. C. PARIKH Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 3-10-1979 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 4th October 1979

Ref. No. Acq. I. S. C. PARIKH, 23-1-2307(864)/10-1/79-80.---Whereas

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Survey No. 39/G/5, Plot No. 18/1, Shed 'A' situated at Opp. Mctor House, Patel Colony, Jamnagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jammagar on 19-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :---

41 - 336GI/79

- (1) Shri Abbashai Taiyabali, Sanghadiya Bazar, Jamnagar.
- (Transferor)
- (2) Shri Hatimbhai Isufali, Grain Market, Kalawad.

(Transferce)

 (3) United Brass Industries, Patel Colony, Plot No. 18/1, Opp. Motor House, Jamnagar. [Person in occupation of the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Shed "A" standing on land adm. 125-41-50 sq. mtrs. together with common plot of land adm. 660-48-50 sq. mtrs. bearing S. No. 39-G-5, plot No. 18/1, situated Opp. Motor House, Patel Colony, Jamnagar and as fully des-cribed in the sale-deed registered vide R. No. 534 dt. 19-3-1970 19-3-1979.

> S. C. PARIKH Competent Authority Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 4-10-1979 Seal :

10040 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III- SEC.]

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 4th October 1979

Ref. No. Acq. 23-I-2307(865)/10-1/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKII, being the Competent Authority under section 269B of the

Income-tax, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No.

S. No. 39-G-5 Paiki Shed 'B' Plot No. 18/1,

situated at Patel Colony, Opp. Motor House, Jamnagar (and more fully described in the Schedule nanexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1903 (10 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Jamnagar on 19-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

 Shri Abbasbhai Taiyabali, Sanghadiya Bazar, Jamnagar.

(2) Shri Mansurbhai Isufali, Grain Market, Kalawad. Jamnagar.

(Transferee)

(Transferor)

 (3) Metro Furniture Works, Patel Colony, Plot No. 18/1, Opp. Motor House, Jamnagar.
 [Person in occupation of the property]

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to te undersigned--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the snid Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Shed "B" standing on land admeasuring 125-41-50 sq. mtrs, together with common plot of land adm. 660-88-50 sq. nurs, bearing S. No. 39-G-5, plot No. 18/1, situated Opp. Motor House, Patel Colony, Jamnagar and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 532 dt. 19-3-1979.

S. C. PARIKH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Ahmedabad Date : 4-10-1979 Scal :

10041 PARI 11--SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901)

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDIGOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMED/BAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 4th October 1979

Ref. No. Acq. S. C. PARIKH, 23-I-2307(866)/10-1/79-80.--Whereas Aca. I.

- being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
- (hereinofter referred to us the 'said Act'),
- have reason to believe that the immovable property.

having a fair market value exceeding its. 25 000/- and bearing No. 39-G-5, Paiki Plot No. 18/1, 5/hed 'C',

- situated at Patel Colony, Opp. Motor House, Jamuagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jamnagar on 19-3-1979
- for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforecald elected the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and / OΓ
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in presubace of Stetion 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :----

(1) Shri Abbashhai Taiyabali, Sanghadiya Bazar, Jamnagar.

(Transferor)

(2) Vora Sabirbhai Isufali, Grain Market, Kalavad,

(Transferee)

(3) Metro Electric Wood Works, Patel Colony, Jamnagar. [Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice \mathbf{r}^{e} the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Shed "C" standing on land adm. 125-41-50 sq mtrs. together with common plot of land adm. 660-88-50 sq. mtrs. bearing S. No. 39-G-5, plot No. 18/1, situated Opp. Motor House, Patel Colony, Jannagar and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 533 dt. 19 3 1070 19-3-1979.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquistion Range-I, Ahmedabad.

Date : 4-10-1979 Scal :

10042 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III- SEC.]

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 6th October 1979

Ref. No. Acq. 23-I-2250(868)/1-1/79-80.—Whereas I. S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

3/4th undivided share in open land bearing FP No. 444 of TPS 21 situated at Chhadawad, Near U.K. Bank Flats, Ambawadi, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto)

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Ahmedabad on 23-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I, hereby initate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- Shri Chandulal Ambalal Shah, Gangaghia's Pole, Sankedisheri, Ahmedabad.
 Smt. Pushpaben Kantilal Shah, Sethni Pole, Sunkadisheri, Ahmedabad.
 (Transferors)
 1. Smt. Nitaben Nitinkumar Shah
 Hemantbhai Chandulal Shah
 Shri Babubhai M. Modi
 Shri Sailesh Natverlal Vora
 Hiraben Sunderlal Kothari
 Dinesh Ratilel Shah, C/o Dinesh N. Mehta, 1151, Behind Alif's Masjid, Bhadra, Ahmedabad.

(Transferec)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned....

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interesteu in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open land admeasuring of 3/4th of 760 sq. yds. with construction upto plinth level in an area of 80 sq. mtrs. bearing S.P. No. 14-A, F.P. No. 444, of T.P.S. 21, situated near U.K. Bank Flats, Ambawudi, Ahmedabad, Chhadawad, and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 760 dated 23-3-1979.

S. C. PARIKH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 6-10-1979 Seal : FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

ACOUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 16th October 1979

Ref. No. Acq. 23-I-2182(869)/11-1/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section

269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing and bearing S. No. 270, situated at Junagadh

(and more fully described in the Schedule annoxed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Junagadh on 12-3-1979

for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :--- Shri Pirzada Salyyed Mohmad Badamiya Khalafshamiya, Opp. Khetiwadi Camps, Junagadh.

(Transferor)

 1. Shri Chandrakant Popatlal Lakhani, M.G. Road, Junagadh.
 2. Smt. Saryu Chandrakant Lakhani, M.G. Road, Junagadh.
 3. Shri Chetankumar Babulal Lakhani, M.G. Road, Junagadh.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Ac², shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bagayati land bearing S. No. 270 adm. 1 Acre 10 Gunthas, situated at Junagadh, duly registered by Registering Officer, Junagadh vide sale-deed No. 265/12-3-79 i.e. property as fully described therein.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Assit. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 16-10-1979 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACOUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 16th October 1979

Ref. No. Acq. 23-J-2182(870)/11-1/79-80.---Whereas I, S. C. PARIKH

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-S. No. 270, situated at Junagadh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Junagadh on 9-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :----

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :----

(1) Shri Pirzada Saiyyed Badamiya Khalafshamiya, Opp. Khetiwadi Camps, Junagadh.

(Transferor)

- (2) 1. Shri Chandrakant Popatlal Lakhani, Shri Chandragant Fopduli Jamin. M.G. Road, Junagadh.
 Shri Saryu Chandrakant Lukhani, M.G. Road, Junagadh.
 Shri Atulkumar Anantrai Lakhani, M. G. Road, Junagadh.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Bagayati land bearing S. No. 270 adm. 1 Acre 10 Gun-thes, situated at Junngadh, duly registered by Registering Officer, Junagadh vide sale-deed No. 262/9-3-1979 i.e. property as fully described therein.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 16-10-1979 Seal :

10044

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

> ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 16th October 1979

Ref. No. Acq. I, S. C. PARIKH, 23-I-2182(871)/11-1/79-80.-Whereas Acq.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

S. No. 270, situated at Junagadh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Junagadh on 9-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assots which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Pirzada Saiyyed Mohmad Badamiya Khalafshamıya, Opp. Khetiwadi Camps, Junagadh.

(Transferor)

- (2) 1. Mahantshri Gopalanandji Gurushri Pramanandji Place of Bilnath Mahadev, Junagadh.
 - Shri Chandrakant Popatlal Lakhani, M.G. Road, Junagadh.

 - 3. Shri Pravinchandra asanji Shah, M.G. Road, Junagadh.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette,
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bagayati land bearing S. No. 270 adm. 1 Acre 10 Gun-thas, situated at Junagadh, duly registered by Registering Officer, Junagadh vide Sale deed No. 261/9-3-1979 i.e. property as fully described therein.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range-I, Ahmedabad

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 16-10-1979 Scal :

10046 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III—Sec. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, AHMFDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 17th September 1979

No. P.R. No. 749, Acq. 23-19-8/79-80.-Whereas Ref. I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the mmovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Nondh No. 728, Ward No. 6, situated at Gale Mandi, Moti Sheri, Surat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 1-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the Sai dAct, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :-

(1) Ishverlal Vishwanath Bhatt, Gale Mandi, Moti Sheri, Surat.

(Transferor)

(2) Rameshchandra Chhotubhai Patel, Gale Mandi, Moti Sheri, Surat.

(Transferee)

- Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---
 - (a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
 - (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given EXPLANATION ; The terms and expressions in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building baring Nondh No. 728 Ward No. 6 Gale Mandi, Moti Sheri, Surat duly registered on 1-3-1979 with registering Officer at Surat.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17-9-1979 Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDLA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 17th September 1979

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Nondh No. 5156 Wd. No. 2

situated at Faram Mahollo, Rustampura, Surat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 1-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of...

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

 Shri Farasram Shiylal, Faram Muhollo, Rastompura, Surat.

(Transferor)

 Vasantlal Balubhai, Faram Mahollo, Rastompura, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated at Wd. No. 2, Nondh No. 5156 paiki Block No. 1, at Faram Mahollo, Rustampura, Sunat duly registered on 1-3-1979 at Surat.

S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17-9-1979 Seal : FORM ITNS -----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 17th September 1979

Ref. No. P.R. No. 751 Acq. 23-19-8/79-80.—Whereas I, S. C. PARIKH.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Nondh No. 5156, paiki Block No. 3,

situated at Faram Mahollo, Rustampura, Surat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 1-3 1979

Surat on 1-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act, to the following persons, namely :-- Shri Farasram Shivlal, Faram Mahollo, Rastompura, Surat.

(Transferor)

 Shri Navinchandra Babubhai, Faram Mahollo, Rastompura, Surat.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Nondh No. 5156 Wd. No. 2, at Faram Mahollo, Rustampura, Surat duly registered on 1-3-1979 at Surat.

S. C. PARIKH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17-9-1979 Seal : PART III-Sec. 1] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) 10049

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM~ ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th September 1979

Ref. No. PR No 752.-Acq23-19-8/79-80.---Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Nondh No. 5756 paiki Block No. 5,

situated at Faram Mahollo, Rastompura, Surat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 1-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section .269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1)	Shri Farasram Shivlal, Faram Mahollo, Rustompura, Surat.	
		(Transferor)
		(,
(2)	Arvind Babubhai;	
	Faram Mahollo, Rustompura,	
	Surat.	<i></i>
		(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Nondh No. 5756 paiki Block No. 5, at Faram Mahollo, Rustampura, Surat duly registered on 1-3-1979 at Surat.

S. C. PARIKH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-II, Ahmedabad

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th September 1979

Ref. No. P.R. No. 753 Acq. 23/19-7/79-80.—Whereas, 1, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Nondh No. 5756, Wd. No. 2 paiki Block No. 2,

situated at Faram Mahollo, Rastompura, Surat

(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 1-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1822) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- (1) Shri Farasram Shivlal, Faram Mahollo, Rustompura, Surat.

(Transferor)

 Mahendrakumar Babubhai; Faram Mahollo, Rustompura, Surat.

(Transferce)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned --

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovsble property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Nondh No. 5156 paiki Block No. 2, Wd. No. 2, Surat, duly registered on 1-3-1979 at Surat situated at Faram Mahollo, Rustampura, Surat.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

10051 PART III-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901)

FORM TINS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II. 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th September 1979

Ref. No. P.R. No. 754 Acq. 23/19-7/79-80 ---- Whercas, I, S. C. PARIKH,

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No. Nondh No. 5156 paiki Block No. 4, situated at Ward No. 2 Faram Mahollo, Rustampura, Surat (and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 1-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair marked value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tay Act. 1957 (27 of 1957).

(1) Shri Farasram Shivlal, Faram Mahollo, Rustompura, Surat.

(Transferor)

(Transferec)

(2) Pravinchandra Dhansukhlal; Faram Maholio, Rustompura, Surat.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Offichal Gazette,

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Land and building at Nondh No. 5156 Ward No. 2 at Faram Mahollo, Rustampura, Surat duly registered on 1-3-1979 at Surat.

> S. C. PARIKH **Competent Authority** Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASS'TT, COMMUS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 757 Acq.23/7-5/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Survey No. 872 paiki situated at Pardi

(and more fully described ...in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on February, 1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said justrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11[°] of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :--- (1) Hasmukhlal Nagindas; Paldi, Dist. Valsad.

(Transferor)

(2) Partner of M/s. Gayatri Land Vikas Co. Shri Vinodrai Sombhai Naik, Pardi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of th eaforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 872 paiki Acre 2 guntha 8, duly registered on 13-3-1979 with registering authority at Pardi.

S. C. PARIKH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

PART III-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) 10053

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 760 Acq.23/7-3/79-80.---Whereas, I, S. C. PARIKH,

- being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing
- Tika No. 6/2 Survey No. 46/A
- situated at Bazar Mahollo, Billimora

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandevi on 31-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liabhity of the transferer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

 Doctor Sorabji Dohabhai Billimora, Station Road, Billimora.

(Transferor)

(2) 1. Mohanlal Uttamchand Parekh;
 2. Kantilal Uttamchand Parekh;
 Untadi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Billimora bearing Tika No. 6/2, S. No. 46-A registered on 31-3-1979 with the registering authority at Gandevi.

> S. C. PARIKH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range-II, Ahmedabad

1 0054 THE GAZET IE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III-SEC. 1

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Antipatria 1 Martin

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 761 Acq.23/7-3/79-80.---Whercas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Rev. Sur. No. 418 paiki City Survey No. 1182 paiki situat d at Billimora

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandevi on 21-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be dsiclosed by the transferte for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aboresaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :— Bagwandas Ochavlal Shah alias Katvala;
 P.A.—Rajendra Ochhavlal Shah alias Katvala;
 Rajpuria Bag, Gujarat Mandal Road,
 Vile Parle, Bombay-57.

(Transferor)

 (2) Constituted Attorney of Wood Polymer Ltd., Ambalal Chunthabhai Patel; Mahatma Gandhi Road, Billimora.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to be undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Rev. Sur. No. 418 paiki, City Sur. No. 1182 paiki 721-69-69 sq. mts. land situated at Billimora, duly registered on 21-3-1979.

S. C. PARIKH

Competent Authority. Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

FORM ITNS ----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 762 Acq.23/7-3/79-80.---Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Rev. Sur. No. 418 paiki City Survey No. 1182 paiki situated at Billimora

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandevi on 21-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

- (1) Shri Rajendra Ochhavlal Shah alias Katvala;
 P.A. Holder of Divyakant Ochhavlal;
 Rajpuria Bag, Gujarat Mandal Road,
 Vile Parle, Bombay-57.
 (Transferor)
- (2) Constituted Attorney of Wood Polymer Ltd., Shri Ambalal Chunthabhai Patel; Mahatma Gandhi Road, Billimora. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 418 paiki City Sur. No. 1182 paiki land situated at Billimore admeasuring 556-44-56 sq. mts. duty registered with registering authority at Gandevi on 2-3-1979.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMFDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 763 Acq.23/7-3/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section

269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property,

having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Rev. Sur. No. 418/3, City Sur. No. 1182 paiki Muni. H. No. 3610 situated at Billimora

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Gandevi on 21-3-1979

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and J have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) Shri Rajendrakumar Ochhavlal Shah—alias Katvala P.A. Holder of Kanaiyalal Ochhavlal Shah alias Rajpuria Bag, Gujarat Mandal Road, Katvala, Vile-Parle, Bombay-57.
 (Transferor)
- (2) Constituted Attorney of Wood Polymer Ltd., Ambalal Chunthabhai Patel; Mahatma Gandhi Road, Billimora.
 (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 418/3 paki City S. No. 1182 paki, Muni. House No. 3610 City Sur. No. 1181 admeasuring 505-85-86 sq. mts. registered on 21-3-1979 with registering autority at Gandevi.

> S. C. PARIKH, Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 764Acq. 23-7-3/79-80.----Whereas, I S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Rev. Sur. No. 418/6, 7, City S. No. 1182 paiki 1181 situated at Billimora

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandevi on 21-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269-D of the said Act, to the following persons, namely:---

- (1) Shri Rajendra Ochhavlal Shah alias Katvala; P.A. Holder of Ashok Ochhavlal Shah; Rajpuria Bag, Gujarat Mandal Road, Vile Parle, Bombay-57.
 (Transferor)
- (2) Constituted Attorney of Wood Polymer Ltd., Ambalal Chunthabhai Patel; Mahatma Gandhi Road, Billimora.

(Transferee)

- Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—
 - (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Rev. S. No. 418/6, 418/7, City S. No. 1182 paiki 1181, admeasuring 404 sq. mts. registered on 21-3-79 with registering authority at Gandevi.

S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Contraction of the second s

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 765 Acq.23/7-3/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Incomé-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter

referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Rev. Sur. No. 418/8-9 City S. No. 1182 paiki 1178 situated at Billimora

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transfered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandevi on 21-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:--- Shri Rajendra Ochhavlal Shah alias Katvala; P.A. Holder of Dwarkesh Ochhavlal Shah; Rajpuria Bag, Gujarat Mandal Road, Vile Parle, Bombay-57.
 (Transferor)

(2) Constituted Attorney of Wood Polymer Ltd., Shri Ambalal Chunthabhai Patel Mahatma Gandhi Road, Billimora.

(Transferee)

Objections if any, to the question of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Rev. Sur. No. 418/8-9, City S. No. 1182 paiki 1178 admeasuring 404 sq. mts. registered on 21-3-1979 with the registering authority at Gandevi.

S. C. PARIKH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

PART III-SEC. 1] FHE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) 10059

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACOUISITION RANGE-II

2ND FLOOR. HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahinedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 766 Acq.23/7-3/79-80.---Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'staid Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Es 25,000/- and bearing No.

Rev. Sur. No. 418/4-5, City S. No. 1182 paiki 1180 situated at Billimora

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandevi on 21-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any monevs or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 169C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:— Shri Rajendra Ochhavlal Shah alias Katvala; Rajpuria Bag, Gujarat Mandal Road, Vile-Parle, Bombay-57.

(Transferor)

(2) Constituted Attorney of Wood Polymer Ltd., Shri Ambalal Chunthabhai Patel; Mahatma Gandhi Road, Billimora.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Rev. Sur. No. 418/4-5, Cty Sur. No. 1182 paiki 1180 admeasuring 404 sq. mts., registered on 21-3-1979 with the registering authority at Gandevi.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

10060 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III—SEC. 1

FORM ITNS (1) Bhukiben Haribhai Pat

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR. HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 767 Acq.23-10-1/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Block No. 310, S. No. 374 and 375

situated at Surali village

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bardoli on 16-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any nioneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- (1) Bhukiben Haribhai Patel; Village Madhi, Tal. Bardoli.

(Transferor)

---- •<u>------</u>---

(2) Shri Anuntkumar Jaganlal Patel; Village Madhi, Taluka Bardoli.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Block No. 310, S. No. 474 and 475 admeasuring 14 Acre 33 Gunthas of land situated at village Surali duly registered on 16-3-1979 at Bardoli.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX.

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Abmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 771 Acq.23-7-3/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH

being the competent authority under section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. Survey No. 469 palki

situated at Mahadevnagar, Billimora

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

Gandevi on 30-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of...

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incometax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Act, 1957 (27 of 1957);

(1)	Niruben Jashbhai Patel; Anilkumar Jashbhai Patel; Mahadevnagar, Billimora.
(2)	Shri Shanketbhai Muljibhai Patel; C/o Shri Billimora Industrial Coop. Service Society Ltd., Mahadevnagar, Billimora.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :----The terms and expressions used hetein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 489 situated at Mahadevnagar Billimora duly registered on 30-3-1979 with the registering authority at Gandevi.

> S. C. PARIKH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-II, Ahmedabad

RM	ITNS	
----	------	--

FO

____ - ___ - - -

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 19th September 1979

Ref. No. P.R. No. 772 Acq.23-7-3/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

situated at Mahadevnagar, Billimora

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandevi on 31-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

	(1)	Niruben Jashbhai Patel; Anilkumar Jashbhai Patel; Mahadevnagar, Ballimora.	(Transferor)
ME-	(2)	Shri Shankerbhai Muljibhai Patel; C/o Shri Billimora Industrial Coop. Service Society Ltd., Mahadevnagar, Billimora.	(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

- (a) by any of the aforesail persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by ony other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Sur. No. 469 situated at Mahadevnagar, Billimora, duly registered on 31-3-1979 with the registering authority at Gandevi.

> S. C. PARIKH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

Survey No. 469 paiki

PART III—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) 10063

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 27th September 1979

kef. No. P.R. No. 786 Acq.23/19-2/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- and bearing No.

Block No. S. No. 41

situated at Village Kadodara

(and more fully described in the Schedule ænnexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Kamrej on 30-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

 Zinabhai Ramjibhai Modi; Thakorbai Zinabhai Modi; Kadodara, Tal. Palsana.

(Transferor)

 Amratlal Hiralal Patel;
 Ishvarlal Hiralal Patel; Kadodara, Tal. Palsana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Block No. 40, S. No. 41, situated at Village Kadodara admeasuring 5 Acre 9 guntha of land duly registered on 30-3-79 at Kamrej.

S. C. PARIKH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-II, Ahmedabad

10064 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART II]- SEC. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,

2ND FLOUR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmcdabad-380009, the 17th October 1979

Ref. No. P.R. No. 795 Acq.23-19-7/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Nondh No. 17-6-B, Sur. No. 91, Sub-plot No. 5, situated at Athwa, Surat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), hus been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Surat on 5-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following porsons, namely :--- (1) Shri Manantrai Ratanlal Yagnik, Attorney of Vatsala Niranjan Heera; Mota Mandir, Surat. (Transferor)
 (2) Kumar Amulakh Mehta; Raj Apartment, Gopipura, Kaji Medan, Surat. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Nondh No. 17-6-B, S. No. 91, Sub-plot No. 5, Athwa, Sunat duly registered on 5-3-79 with the registering authority, at Surat.

S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II. Ahmedabad

Date : 17th October 1979 Seal :

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Abmedabad-380009, the 17th October 1979

Ref. No. P.R. No. 796 Acq.23-19-8/79-80.---Whereas I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Survey No. 1379 situated at Athwa area, Surat

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 16-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

 Naliniben Jayantilal;
 98, Shanti ni-ketan Society, Near Station, Surat.

(Transferor)

(2) Bipinchandra Harilal Thakkar; Haripura, Limda Sheri, Surat.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATIONS--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

I and bearing Survey No. 1379 situated at Athwa area Surat admeasuring 392 sq. yds. duly registered on 16-3-1979 with the registering authority at Surat.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17th October 1979 Seal : 10066 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III- SEC. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th October 1979

Ref. No. P.R. No. 797 Acq.23-19-8/79-80.—Whercas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value

exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Survey No. 1380 Plot of land, situated at Athwa area, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 16-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- Shri Chandrakant Jayantilal;
 Shanti-ni-ketan Society, Near Station, Surat.

(Transferor)

(2) Shri Manharlal Harilal Thakkar; Limda Sheri, Hatipura, Surat.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period axpires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 1380 T.P. No. 5, Plot No. 7, F.P. No. 562(P) Wd. No. 13, Athwa Line, Surat duly registered on 16-3-1979 with registering authority at Surat.

S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17th October 1979 Seal :

_ _ _ _ _ _

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMEN'T OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th October 1979

Ref. No. P.R. No. 7°8 Acq.23-19-7/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 91, Nondh No. 17-6-B, Sub-plot No. 3,

situated at Wd. No. 13, Athwa Lines, Surat,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Surat on 5-3-1979

Super on 2-2-19/9

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- Shri Manantrai Ratanlal Yagnik, Attorney of Sandip Niranjan Heera; Mota Mandir, Surat.

(Transferor)

 (2) Ranjanben Arvindkumar Shah; Nisha Apartment, Gopipura, Kaji Medan, Surat.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 91, Nondh No. 17-6-B, sub-plot No. 3, Wd. No. 13, Athwa, Surat duly registered on 5-3-1979 with the registering authority at Surat.

S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17th October 1979 Seal : 10068 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III—SEC, 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

2ND FLCOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th October 1979

Ref. No P.R. No. 799 Acq.23/19-7/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

S. No. 91, Nondh No. 17-6-B Wd. No. 13,

situated at Athwa, Surat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 5-3-1979

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- Anup Niranjan Hira, Attorney—Shri Manantrai Ratanlal Yagnik, Mota Mandir, Surat.

<u>_____</u>

(Transferor)

(2) Pravinaben Champakbhai Gandhi; Haripura, Gajjar Falia, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 91, Nondh No. 17-6-B paiki situated at Athwa, Surat admeasuring 556.69 sq. yds. duly registered on 5-3-1979 with the registering authority at Surai.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17th ctOober 1979 Seal : PART III-Sec. 1] THE GAZE? TE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) 10069

FORM ITNS ------

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-11, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSF; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th October 1979

Ref. No. P.R. No. 800 Acq.23-19-7/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/and bearing

Sub-Plot No. 4, Wd. No. 13, Nondh No. 17-6-B

situated at Athwa Lines, Surat

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Surat on 5-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid 'exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

28-346GI/79

 Minor Anal Niranjan Heera; Guardian Vatsala Niranjan Heera; Attorney : Manantrai Ratanlal Yagnik, Mota Mandir, Surat.

(Transferor)

(2) Niruben Rajnikant Mehta; Nisha Apartment, Kaji Medan, Surat.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned...

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 91, Sub-plot No. 4, Wd. No. 13, Nondh No. 17-6-B, Athwa Lines, Surat duly registered on 5-3-1979 with the registering authority at Surat.

> S. C. PARIKH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date: 17th October 1979



FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th October 1979

Ref. No. P.R. No. 801 Acq-23/19-7/79-80.---Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'). have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/and bearing

S. No. 91, Sub-plot No. 2, Nondh No. 176-B Wd. No. 13 situated at Athwa, Surat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transefired under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Surat on 5-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Manantrai Ratanlal Yagnik, Attorney of Niranjan Satvasukh Heera, Mota Mandir, Surat.

(Transferor)

(2) Kanubhai Hiralal Shah; Mahidharpura, Thoba Sheri, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, ,shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 91, Sub-plot No. 2, Wd. No. 13, Nondh No. 17-6-B, Athwa, Surat duly registered with the registering authority at Surat on 5-3-1979.

> S. C. PARIKH Competent Authority. Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely ' \rightarrow

Date : 17th ctOober 1979 Scal :

THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) 10071 PART III-SEC, 1]

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACOUISITION RANGE-II. 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 30th October 1979

Ref. No. P.R. No. 808 Acq.23/7-4/79-80 .--- Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

M. H. No. 694/1, 694, S. No. 2779 Tika No. 61, situated at Mahadevnagar, Navsari

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Navsari on 26-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :---

(1) Jashvantrai Manibhai Desai; 20, Falgunj, Sarojini Road, Santa Cruz, Bombay-54.

(Transferor)

(2) Smt. Kantibai Sakharam, Smt. Deviben Hundraj, Navsari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to be undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing M. H. No. 694/1, 694 Mahadevnagar Society, S. No. 2779, Tika No. 61, Navsari, duly registered on 26-3-1979 at Navsari.

> S. C. PARIKH Competent Authority. Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 30th October, 1979 Seal :

10072 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III-SEC.]

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 30th October 1979

Ref. No. P.R. 810 Acq.23/6-1/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

City Sur. Nos. 1232 to 1243 and Plot Nos. 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 and 17 situated at Fatebganj, Baroda

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Baroda on 31-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Mrs. Dolat Behram Contractor; P.P. Wadia Compound, Fateh Ganj, Baroda-2.

(Transferor)

(2) P. P. Wadia Coop. Housing Society Ltd., 205, Yashkamal Building, Station Road, Baroda-5.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property being open plots of land bearing City Survey Nos. 1232 to 1234 and Plot Nos. 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 and 17 and fully described respectively in 9 sale deeds Nos. 1820 to 1828 registered in the office of Sub-Registrar, Baroda on 31-3-79.

> S. C. PARIKH Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Ahmedabad

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Date : 30-10-79. Scal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

> ACQUISITION RANGE-II BOMBAY

Bombay, the 22nd November 1979

Ref. No. ARII/2781.8/April/79.—Whereas I, P. L. ROONGTA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

No. C.T.S. No. 427-427. 29 Part situated at Malad(E)

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

at Bombay on 26-4-79 Document No. S. 440/78.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of

the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of 1 - 2

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising frmo the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :-- (1) Kashiprasad J. Adukia, Mahabirprasad J. Adukia (Transferor)

(2) Gungabux Jokhiram Saraf Charity Trust. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein an are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. S. 440/78/Bom. and registered on 26-4-79 with the Sub-Registrar, Bombay.

P. L. ROONGTA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Bombay.

Date : 22-11-1979.

Seal z

10074 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901) [PART III-Sec. 1

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II BOMBAY

Bombay, the 22nd September 1979

Ref. No. ARII/2781.8/April 79.—Whereas I, P. L. ROONGTA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 12-B Survey Nos. 36, 73, 74, 78 A, Hissa No. 1 situated at Juhu

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908); in the office of the Registering Officer

at Bombay on 19-4-1979 Document Nos/207,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arlsing from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269 D of the said Act, to the following persons, namely:---

- (1) M/s Jamnalal Sons Ltd.
- 2. Miss Maxy Pinto.

(Transferce)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. S. 2081/78/Bom and registered on 19-4-79 with the Sub-Registrar, Bombay.

> P. L. ROONGTA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-II, Bombay.

Date : 22-11-1979. Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BORING CANAL ROAD, PATNA

Patna-800001, the 2nd November 1979

Ref. No. III-363/Acq/79-80.—Whereas, I, J. NATH, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar Patna,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Touzi No. 2610, 2612, Khata No. 170

situated at Raipura, Dist, Saran,

(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Saran on 2-3-1979

for an apparent consideration which i_S less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weakh-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- Sri Raghunath Prasad S/o Sri Binda Prasad Sah,
 Smt. Kamla Devi W/o Raghunath Prasad and
 Tarkeshwar Pd. Gupta S/o Binda Prasad and
 Smt. Drapadi Devi W/o Tarkeshwar Pd. Gupta,
 Village and P.O. Garkha, Dist. Saran

(Transferor)

(2) M/s, Shree Durgha Bhawani Cold Storage Pvt, Ltd. Raipura Bazar, P.S. Amnoor, Dist, Saran Through Sri Om Prakash Gupta S/o Raghunath Prasad, Village and P.O. Garkha, Dist. Saran

(Transferee)

 (3) Shri Raghunath Prasad S/o Sri Binda Prasad Sah, Village and P.S. Garkha, Dist. Saran.
 (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 18 Kathas 11 Dhurs situated at Raipura bearing Touzi No. 2610, 2612, P.S. Amnoor more fully described in Deed No. 2615 dated 2-3-1979 registered with the District Sub-Registrar, Saran.

> J. NATH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 2-11-1979 Seal :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMBINED EXAMINATION (1980) FOR RECRUIT-MENT TO MEDICAL POSTS UNDER THE CENTRAL GOVERNMENT AND IN THE MUNICIPAL CORPORA-TION OF DELHI

NOTICE

New Delhi, the 1st December 1979

No. F.14/4/79-E.I.(B).—A combined examination will be held by the Union Public Service Commission on 27th April, 1980 for recruitment to Junior Scale Posts in the Railways, Ordnance and Ordnance Equipment Factories Health Service, Central Health Service and in the Municipal Corporation of Delhi.

2. The approximate number of vacancies in the various posts required to be filled on the results of the examination is given below :---

- (i) Assistant Divisional Medical Officer in the Railways —approx. 75 vacancies.*
- (ii) Junior Scale posts in Ordnance and Ordnance Equipment Factories Health Service—approx. 38 vacancies*.
- (iii) Junior Scale Posts in Central Health Service—approx. 350 vacancies (includes 52 vacancies reserved for Scheduled Castes and 26 reserved for Scheduled Tribes candidates).
- (iv) General Duty Medical Officers, Grade II in the Municipal Corporation of Delhi-approx. 100 vacancies (includes 15 vacancies reserved for Scheduled Castes and 7 reserved for Scheduled Tribes candidates).

The number of vacancies is liable to alteration.

*The number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates, if any, will be determined by Government.

N.B.—Candidates should specify clearly in their applications the posts for which they wish to be considered in the order of preference. No request for alteration in the preferences indicated by candidates in respect of posts for which they desired to be considered, would be entertained unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of declaration of the results of the written examination.

3. Centres of Examination.—Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Cuttack, Delhi, Dispur (Gauhati) Hyderabad. Jaipur, Jammu, Lucknow, Madras, Nagpur, Panaji (Goa), Patiala, Patna, Port Blair, Shillong, Simla, Srinagar and Trivandrum.

4. Conditions of Eligibility.

(a) Nationality

A candidate must either be-

- (i) a citizen of India, or
- (ii) a subject of Nepal, or
- (iii) a subject of Bhutan, or
- (iv) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Victnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) and (v) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India. (b) Age Limit.—Age below 30 years as on 1st January, 1980.

The age limit is, however, relaxable upto 50 years as on 1-1-1980 for the examination to be held in 1980.

NOTE.—THE RELAXATION UPTO 50 YEARS IN THE UPPER AGE LIMIT WILL NOT BE ADMISSIBLE FOR THE EXAMINATIONS TO BE HELD AFTER 1980 UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

The upper age limit is further relaxable as follows :---

- (i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person, from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;
- (iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Schedule Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;
- (iv) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
- (v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon agreement of October, 1964;
- (vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;
- (vii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;
- (viii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;
- (ix) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area; and released as a consequence thereof;
- (x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with anv foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (xi) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof;
- (xii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof and who belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe; and
- (xiii) up to a maximum of three years if a candidate is a *hona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRES-CRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

(c) Educational Qualification

For admission to the examination, a candidate should have passed the written and practical parts of the final M.B.B.S. Examination on or before 21st January, 1980.

NOTE 1 .-- Candidates who have yet to complete the compulsory rotating internship are educationally eligible for admission to the examination but on selection they will be appointed only after they have completed the compulsory rotating internship.

NOTE 2.—Candidates whose results at the written and practical parts of the final M.B.B.S. examination have not been declared and candidates who have yet to appear at these examinations are *NOT* eligible for admission to this examination.

5. Fee to be paid with the application.—Rs. 28 /- (Rs. 7/-for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates). Applications not accompanied by the prescribed fee will be summarily rejected.

-Fee once paid will not be refunded nor held in N.B.reserve for any other examination or selection.

6. How to Apply.-Only printed applications on the form prescribed for the Combined Examination (1980) for recruitment to Medical Posts under the Central Government and in the Municipal Corporation of Delhi, appended to the Notice will be entertained. Completed applications should be sent to the Secretary. Union Public Service Commission, Dholpur House. New Delhi-110011. Application forms and full particulars of the examination can be had-

- (1) By post from Secretary, Union Public Service Com-(ii) DV DEST 100m Sectement, Onton Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-11001, by remitting Rs. 2/- by Money Order or by crossed Indian Postal Order payable to Secretary, U.P.S.C. at New Delhi G.P.O.
 (iii) On cash payment of Rs. 2/- at the counter in the Commission's cafes.
- Commission's office.

All candidates whether already in Government Service or in Government owned industrial undertakings or other similar organisations or in private employment should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application even if submitted to the employer before the closing date will not he considered.

Persons already in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than capacit or daily rated employees are, however required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Fxamination

- 7. LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS IN THE COMMISSION'S OFFICE.
 - (i) From candidates in India 21st January, 1980.
 - (ii) From candidates abroad or in Andaman and Nico-bar Islands or Lakshadween 4th February, 1980
- 8. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION.
- (A) By all candidates :---
 - (i) Fee of Rs. 28/- (Rs. 7 /- Scheduled Castes/Tribes candidates) through crossed Indian Postal Orders commission at the New Delhi General Post Office or crossed Bank Draft from any branch of the State Bank of India Payable to the Secretary Union Public Service Commission at the State Bank of India Main Branch New Delhi.

Cardidates residing abroad should derusit the mescrihed fee in the office of India's High Com missioner Ambassador or Representative ubroad as the case may be for aredit to the account Dord "0<1 Public Service Commission—Examination fees" and the receipt attached with the application.

(ii) Certificate of 4cc—The date of birth ordinarily accepted by the Commission is that entered in the

Matriculation Certificate or in the Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent examination may sub-Examination or an equivalent examination may sub-mit an attested/certified copy of the Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent Certificate.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instructions includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes, the Matriculation/Higher Secondary Examina-tion Certificate does not show the date of birth, or only shows tion Certificate does not show the date of birth, or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must send in addition to the attested/certified copy of the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate, an attested/certified copy of a certi-ficate from the Headmaser/Principal of the Institution from where he passed the Matriculation/Higher Secondary Exami-nation showing the date of his birth or his exact age as recorded in the Admission Register of the institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with an application, the application may be rejected. Further they are warned that if the date of birth stated in the application is inconsis-tent with that shown in the Matriculation Certificate/Higher Secondary Examination Certificate and no explanation is offered the application may be rejected.

NOTE 1.—A candidate who holds a completed Secondary School Leaving Certificate need submit an attested/certified copy of only the page containing entries relating to age

NOTE 2.—CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED BY THEM AND ACCEPTED BY THE COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO AN EXAMINATION, NO CHANGE WILL ORDINARILY BE ALLOWED AT A SUBSEQUENT EXAMINATION.

(iii) Certificate of Educational Qualification,

The candidates must submit an attested/certified copy of the Certificate issued by the Authority (i.e. University or other examining body) to show that he has passed the M.B.B.S. Examination on or before 21st January, 1980 I.e. the clos-ing date for receipt of applications in the Commission's office.

- (iv) Attendance Sheet (attached with the application form) duly filled in.
- (v) Two identical copies of recent passport size (5 cm. \times 7 cm. approx) photographs of the candidate duly signed on the front side.

One copy of the photograph should be pasted on the first page of the application form and the other copy on the Attendance Sheet in the space provided therein.

(vi) Three self-addressed, unstamped envelopes of size approximately 11.5 cms × 27.5 cms.

(B) By Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates :---

Attested/certified copy of certificate in the form given in Appendix I from any of the connetent authorities (mentioned under the certificate) of the District in which he or his parents (or surviving parent) ordinarily reside, in support of claim to belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(C) By candidates claiming are concession.—(i) A dis-placed person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) claiming age concession under para 4(b)(ii) or 4(b)(iii) should produce an attested/certified copy of a certificate from one of the following authorities to show that he is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakis-tan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the paried batween 1st Lawary, 1964, and 25th March 1971;--period between 1st January, 1964, and 25th March, 1971 :--

(1) Camp Commandant of the Transit Centres of the Dandakaranya Project or of Relief Camps in various States:

- (2) District Magistrate of the Area in which he may for the time being be resident;
- (3) Additional District Magistrates in charge of Refugee Rehabilitation in their respective districts;
- (4) Sub-Divisional Officer, within the Sub-Division in his charge;
- (5) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West Bengal/Director (Rehabilitation), in Calcutta.

(ii) A repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka claiming age concession under para 4(b)(iv)or 4(b)(v) should produce an attested/certified copy of a certificate from the High Commission for India in Sri Lanka to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st November, 1964, or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964.

(iii) A candidate who has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or who is repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zuire and Ethiopia, claiming age concession under para 4(b) (vi) should produce an attested/certified copy of a certificate, from the District Magistrate of the area in which he may, for the time being be resident, to show that he is a *bona fide* migrant from the countries mentioned above.

(iv) A repatriate of Indian origin from Burma, claiming age concession under para 4(b)(vii) or 4(b)(vii) should produce an attested/certified copy of the identity certificate issued to him by the Embassy of India, Rangoon to show that be is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st June, 1963, or an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may be resident to show that he is a *bona fide* repatriate from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(v) A candidate disabled while in the Defence Services claiming are concession under para 4(b)(ix) or 4(b)(x) should produce, an attested/certified copy of a certificate in the form prescribed below from the Director General, Resettlement, Ministry of Defence, to show that he was disabled while in the Defence Services, in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the candidate.

Certified that Rank No._____Shri_____of Unit ______was disabled while in the Defence Services, in operations during hostilities with a foreign country/ in a disturbed area* and was released as a result of such disability.

Signature	•	•	•	•	•	•	•		•	•				
Designation	٠	٠	٠	٠	•		•	•	•			•	•	
Date								,						

*Strike out whichever is not applicable.

(vi) A candidate disabled while in the Border Security Force claiming age concession under para 4(b)(xi) or 4(b)(xii) should produce an attested /certified copy of a certificate, in the form prescribed below from the Director General, Border Security Force, Ministry of Home Affairs, to show that he was disabled while in the Border Security Force in operations, during Indo-Pak hostilities of 1971 and was released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the candidate.

Certified that Rank No. ______ Shrl ______ of Unit______ was disabled while in the Border Security Force in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and was released as a result of such disability.

Signature	
Designation	
Date	

(vii) A repatriate of Indian origin who has migrated from Vietnam claiming age concession under para 4(b)(xiii) should produce an attested/certified copy of a certificate from the Distt. Magistrate of the area in which he may for the time being be a resident to show that he is a *hona fide* renatriate from Vietnam and has migrated to India from Vietnam not carlier than July 1975.

N.B.—Candidates are warned that if an application is not accompanied with any one of the documents mentioned under paragraph 8 above without a reasonable explanation for its

absence baving been given, his candidature is liable to be cancelled and no appeal against its cancellation will be entertained.

9. Acknowledgement of Application.—All applications received in the prescribed form for this examination will be acknowledged. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a month from the last date of receipt of application for the examination he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

10. Result of Application.—If a candidate does not receive from the Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

11. Admission to the Examination.—The decision of the Union Public Service Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate shall be final. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. Action against Candidates found guilty of misconduct.— Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/ fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/ certified copies, an explanation regarding the discremancy should be submitted.

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of----

- (i) obtaining support for his candidature by any means, or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or
- (vi) resorting to any other itregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
- (vii) using unfair means during the examination; or
- (viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or
- (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or
- (x) horassing or doing bodily harm to the Staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or
- (xi) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable :----
 - (a) to be disgualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period—
 - (i) by the Commission, from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government, from any employment under them; and
 - (c) If he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

13. Original Certificates Submission of ---CANDIDATES ARE REOUTED TO SUBMIT ALONG WITH THEIR APPLICATIONS ONLY COPIES OF CEP-TIFICATES MENTIONED IN PARA 8 ABOVE ATTEST-ED BY GAZETTED OFFICER OF GOVERNMENT OR CERTIFIED BY CANDIDATES THEMSELVES AS COR-RECT, THE RESULT OF THE WRITTEN EXAMINA-TION IS LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF JULY, 1980. CANDIDATES WHO QUALIFY FOR INTERVIEW FOR THE PERSONALITY TEST ON THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINA-TION WILL BE REQUIRED TO SUBMIT THE ORIGI-NALS OF THE CERTIFICATES MENITONED ABOVE. THEY SHOULD KEEP THE ORIGINALS OF THE CER-THEY SHOULD KEEP THE ORIGINALS OF THE CER-THEY SHOULD KEEP THE ORIGINALS OF THE CER-THEY SHOULD KEEP THE ORIGINALS OF THE CANDI-DATURE OF THE PERSONALITY TEST. THE CANDI-DATURE OF THE CANDIDATES WHO FAIL TO SUB-MIT THE REQUIRED CERTIFICATES IN ORIGINAL AT THE TIME OF THE PERSONALITY TEST WILL BE CANCELLED AND THE CANDIDATES WILL HAVE NO CLAIM FOR FURTHER CONSIDERATION.

14. Scheme of Examination.—The examination will comprise :---

(A) Written Examination.—The candidates will take the examination in one paper of three hours duration containing objective type questions covering the tollowing four subjects and carrying a maximum of 200 marks. The questions in the paper will be so designed as to give the following weightage to the four subjects—

- (i) General Medicine including Paediatrics 40%
- (ii) Surgery including E.N.T., Opthalmology, Traumatology and Orthopaedics 20%
- (iii) Preventive Medicine and Community Health including Child Welfare and Family Planning 20%
- (iv) Obstetrics and Gynaecology 20%

(B) Personality Test of candidates who qualify in the written examination 200 marks.

NOTE.—Details regarding the nature of the examination, sample questions and specimen answer sheet are given in the "Candidates' Information manual" at Appendix III.

15. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

The interview for Personality Test will be intended to serve as a supplement to the written examination for testing the General knowledge and ability of the candidates in the fields of their academic study and also, in the nature of a personality test to assess the candidates intellectual curiosity critical powers of assimilation, balance of judgment and alertness of mind, ability for social cohesion, integrity of character, initiative and capacity for leadership.

16. After the interview, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate in the written examination and the personality test with 50%weightage respectively and in that order so many candidates as arc found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

17. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

18. Subject to other provisions contained in this Notice, successful candidates will be considered for appointment on the basis of the order of merit assigned to them by the Commission and the preferences expressed by them for various posts at the time of their application.

19. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedent is suitable in all respects for appointment to the service. The appointment will be further subject to the candidate satisfying the appointing authority of his having satisfactorily completed the compulsory rotating internship.

20. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A Candidate who after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. All candidates who are declared qualified for the Personality Test will be physically examined by the medical board set up by the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health).

21. No person :

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

22. Communications regarding applications.—ALL COM-MUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, NEW DELHI-110011 AND SHOULD INVARI-ABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS.

- (i) NAME OF EXAMINATION.
- (ii) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION.
- (iii) ROLL NO. OR THE DATE OF BIRTH OF CAN-DIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICATED.
- (iv) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS).
- (v) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICA-TION.
- N.B.—COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTEN-DED TO.

23. CHANGE IN ADDRESS.—A CANDIDATE MUST SEE THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE RE-DIRECTED IF NECESSARY. CHANGE IN ADDRESS SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PAR-TICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 22 ABOVE. ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY EFFORT TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES, THEY CAN-NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN THE MATTER,

24. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix II.

R. S. AHLUWALIA, Deputy Secretary

APPENDIX-I

The form of the certificate to be produced by Schedule Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

nem to posis under the Government of India,	
This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*	
of the State/Union Territory* belongs to the	
Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under :	
the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950*	
the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950*	
the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951*	٩
the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951*	
[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Area (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976]	
the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Caste Order, 1956*	
the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976*	
the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962*	
the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962*	
the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964*	
the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967*	
the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968*	
the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1968*	
the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970*.	
2. Shri/Shrimati/Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* of District/Division* of the State/Union Territory* of	
Signature	
**Designation (with seal of office)	
PlaceState/Union Territory*.	
*Please delete the words which are not applicable.	
Note.—The term "ordinarily reside(s)" used here will have	
the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.	Î
** Officers competent to issue Caste/Tribe certificates.	
(i) District Magistrate/Additional District Magistrate, Collector/Deputy Commissioner/Additional Deput Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipen discret Magistrate/City, Magistrate/tSub, Division	У

diary Magistrate/City Magistrate/Tsub Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner.

†(Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tchsildar.
- (iv) Sub-divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.
- (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer, 'Lakshadweep'.

APPENDIX-II

ief particulars relating to the Services to which recruitis being made through this examination are given below.

ssistant Divisional Medical Officer in the Railways.—

1) The post is temporary and in Group A. The scale of post is Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1250--50-1600 (Revised Scale) plus restricted non-practising vance as per orders in force from time to time. The at present are :-

-5 Stages---Rs. 150/- P.M.

-10 Stages-Rs. 200/- P.M.

---15 Stages-Rs. 250/- P.M.

th stage onwards Rs. 300/- P.M.

he candidate will be bound to observe the orders which Ministry of Railways or any higher authority may issue n time to time, restricting or prohibiting private practice im. The candidates in Government service will be given al pay in the above mentioned scale according to rules; rs will be given the minimum of the pay scale mentioned

b) A candidate will be appointed on probation for a od of two years which may be extended by the Governati fi considered necessary. On satisfactory completion of probationary period, he will continue in a temporary city.

c) The appointment can be terminated by one month's ce on either side during the period of probation and therer while employed in a temporary capacity. The Governit reserve the right to give one month's pay in lieu of ce,

d) A candidate will have to undergo training as presed by the Ministry of Railways and pass all the Departtal Examinations.

c) A candidate will be governed by the Railway Pension es and shall subscribe to the State Railway Provident Fund on-contributory) under the rules of that Fund as in force n time to time.

A candidate will be eligible for leave in accordance the leave rules as in force from time to time and applile to officers of his status.

() A candidate will be eligible for free Railway Passes Privilege Ticket Orders in accordance with the Rules in ce from time to time.

h) A candidate will be required to pass a Hindi test nin two years of his appointment.

(i) Under the rules every person appointed to the above t shall, if so required, be liable to serve in any Defence vice or post connected with the Defence of India for aod of not less than four years including the period spent training, if any;

rovided that such person-

- (a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of such appointment;
- (b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of 45 years,

who are recruited j) Reckoning Service—The persons under these rules to posts to which the conditions prescribed in Rule 2423—A (C.S.R. 404-B) of the Indian Railway Establishment Code are applicable, shall be eligible to the benefit of the provisions contained in that rule.

(k) A candidate will be governed in respect of the matters specifically referred to above as well as other matters by the provisions of the Indian Railway Establishment Code and the extant orders as amended/issued from time to time.

(1) In the first instance a candidate will be posted to the Railway Health Units/Dispensaries at wayside Stations. A.D.M.Os. are also liable to transfer to any Railway.

(m) Prospects of promotion including Pay Scales and allowances attached to the higher grades---

A.D.M.Os. with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis are eligible for promotion to the post of Divisional Medical Officer (Senior Scale) in the Scale of Rs. 1100–1800 (RS), plus restricted non-practising allowance as per rules/orders in force from time to time.

(n) Duties and Responsibilities-

Assistant Divisional Medical Officer :

- (1) He will attend the indoor wards and out-patient department daily and as required.
- (ii) He will carry out physical examination of candidates and of employees in service in accordance with the regulations in force.
- (iii) He will look after family planning, public health and sanitation in his jurisdiction.
- (iv) He will carry out examination of vendors.
- (v) He will be responsible for discipline and proper discharge of duties of the Hospital Staff.
- (vi) He will carry out duties assigned to his speciality, if any and will prepare returns and indents connected with his speciality.
- (vii) He will maintain and upkeep all equipments, in his charge.
- NOTE (1): When an ADMO is posted at the Headquarters of a division under the charge of a Divisional Medical Officer, he will assist the Divisional Medical Officer in all his duties, but may be specially assigned with certain duties and responsibilities.
- NOTE (2) : ADMOs will also be required to perform such other duties as may be assigned to them from time to time.
- II. Posts of Assistant Medical Officer in the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Health Service under the Ministry of Defence—

(a) The Post is temporary in Group A but likely to be permanent in due course. The scale of pay is Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300 plus restricted non-practising allowance (NPA) as per orders in force from time to time. The rates at present are--

1 — 5 stages	Rs.	150/-	рег	month
6 — 10 stages	Rs.	200/-	per	month
11 stages onward	Rs.	250/-	per	month.

(b) The candidate will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be curtailed or extended at the discretion of the competent authority. On satisfactory completion of the probation period he will continue in the temporary post till confirmed against the permanent vacancy.

(c) The candidate can be posted anywhere in India in any one of the Ordnance Factory Hospitals or Dispensaries.

(d) Private practice of any kind whatsoever is prohibited.

(e) The appointment can be terminated on one month's notice on either side during the period of probation and thereafter while employed in temporary capacity. The Government reserves the right to give one month's pay in lieu of notice.

(f) Prospects of promotion including pay scales and allowances attached to the higher grades-

(i) SENIOR SCALE—SENIOR MEDICAL OFFICER/ ASSISTANT DIRECTOR OF HEALTH SER-VICES.

Officers who have put in at least 5 years service in the junior scale will become eligible to senior scale—Senior Medical Officer/Assistant Director of Health Service. The scale of pay is Rs. 1100-50-1600 plus NPA.—

1 —	3	stages	Rs.	250/-	per	month
4	5	stages	· Rs.	300/-	per	month

6 — 7 stages	Rs. 350/- per month
8 - 9 stages	Rs. 400/- per month
10-11stages	Rs. 450/- per month

(ii) SUPER-TIME GR. II—PRINCIPAL MEDICAL OFFICER/DEPUTY DIRECTOR OF HEALTH SERVICES.

Officers who have put in 3 years of service in the senior scale and possess post-graduate qualifications can be considered for promotion to Super-time Gr. II—Principal Medical Officer/Deputy Director of Health Service. The scale of pay is Rs. 1500—60—1800—100—2000 plus Rs. 600/- NPA.

(iii) SUPER-TIME GR. I-DIRECTOR OF HEALTH SERVICES.

Principal Medical Officers and Deputy Director of Health Service, on completion of 3 years of service will be eligible for appointment of Super-time Gr. 1—Director of Health Service with the pay scale of Rs. 2250—125/2—2500 per month plus Rs. 600/- NPA,

(g) Nature of duties---(1) ASSISTANT MEDICAL OFFICERS.

- (i) They will attend to indoor patients in wards/departments of hospitals and out patients in dispensaries/ out patient departments daily and as required.
- (ii) They will carry out medical examination of employees and candidates for employment in accordance with the regulations in force.
- (iii) They will maintain and upkeep all equipment in their charge.
- (iv) They will look after the Family Welfarc, Public Health and Industrial Health of employees in their jurisdiction.
- (v) They will be responsible for training, discipline and proper discharge of duties of the hospital and dispensary staff.
- (vi) They will perform such other duties as are allotted to them by the Medical Officer-in-Charge as per rules.

(2) GDO. GR. I-ASSISTANT DIRECTOR OF HEALTH SERVICES AND SENIOR MEDICAL OFFICER.

- (a) ADHS posted at the Hqrs. will assist the DHS/ DDHS in the discharge of their duties on all medical matters as directed by them.
- (b) He will assist the DHS/DDHS in the day to day work of the Medical Section as the Section Officer.
- (c) He will perform such other duties as may be assigned to him by the DHS/DDHS from time to time.
- (d) He will assist the DHS in dealing with all questions relating to Medical Stores & equipments.
- (c) SMO-SMOs will be Incharge of any factory hospital with less than 75 beds and Medical Estt. there.
- .(f) As M.O. locharge they will be advisers to the GM of Fys. on all medical matters and make recommendation as considered necessary.
- (g) They will arrange medical attention to the employees and their families as per rules.
- (h) They will perform such other duties as may be laid down under any statute or Govt. orders or delegated to him by the DHS.

(3) SUPER-TIME GRADE II—DY. DIRECTOR OF HEALTH SERVICES AND PRINCIPAL MEDICAL OFFCER.

- (a) DDHS posted at the Hqrs. will assist the DHS in the discharge of the latter's duties in matters as directed by him.
- (b) He will act as DHS under orders of DGOF in the latter's absence or leave, tour etc.
- (c) PMO-PMO will be M.O. Incharge of any Factory hospital with 75 beds or above and the Medical Estts. there.
- (d) As M.O. Incharge they will be advisers to the GM of Fys. on all medical matters and make recommendation as considered necessary.

- (e) They will arrange medical attention to the employces and their families as per rules.
- (f) They will perform such other duties as may be laid
- (f) They will perform such other duties as may be laid down under any statute or Govt. orders or delegated to him by the DHS.

(4) SUPER-TIME GRADE I-DIRECTOR OF HEALTH SERVICES.

- (a) Medical Adviscr to DGOF on all Medical and health matters. Controlling authority of the Medical Establishment in DGOF Organisation on all Professional and Technical matters. He will exercise the administrative powers as delegated to him by the DGOF.
- (b) He will work out the plans for implementation of the reports/recommendations accepted by Govt.
- (c) As the Controlling authority he will distribute the personnel according to the requirement of Factories.
- (d) He will normally represent the DGOF on the UPSC.
- (c) He will normally once a year make or caused to be made inspection of all factories and report to the DGOF on the working of Medical installation there on all matters connected with Medical Estts.
- (f) He will initiate ACR's or DDHS and will review the reports of all PMO's, SMO's and AMOs.

III. Junior Scale posts in the Central Health Service :

(a) Cundidates will be appointed to Junior Group 'A' scale and they will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be curtailed or extended at the discretion of the competent authority. They will be confirmed in Junior Scale (Rs. 700—1300) in their turn after the satisfactory completion of probation.

(b) The candidates can be posted anywhere in India in any dispensary or hospital under any organisation participating in the Central Health Service viz., C.G.H.S. operating at Delhi, Bangalore, Bombay, Mcerut etc., Coal Mines/Mica Mines Labour Welfare Organisations, Assam Rifles, Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands. P&T department etc. Private Practice of any kind whatsoever including lab. and Consultant Practice is prohibited.

(c) The following are the rates of pay admissible :

Junior Group 'A' Scale

Revised Scale : Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.

	IN.F.A.
1 to 5 stages	Rs. 150 per month
6 to 10 stages	Rs. 200 per month
11th stage onwards	Rs. 250 per month

NIDA

Officers who have put in at least 5 years' service in the Junior Scale will become eligible for promotion to Senior Scale.

Semior Scale Group 'A'

Revised Scale Rs. 1100-50-1600,

	N.P.A.
1 to 3 stages	Rs. 250 per month
4 to 5 stages	Rs. 300 per month
6 to 7 stages	Rs, 350 per month
8 to 9 stages	Rs. 400 per month
10 to 11 stages	Rs.450 per month

Officers having 10 years' service in the Senior Scale will be eligible for appointment to Supertime Grade II in the scale of Rs. 1500—200, provided the candidate possesses the requisite qualifications, including post-graduate qualification where necessary.

Specialists Grade II

Revised Scale : Rs. 1100-50-1500-EB-60-1800.

1 to 3 stages Rs. 300 per month

4 to 6 stages	Rs. 350 per month
7 to 9 stages	Rs. 400 per month
10 to 12 stages	Rs. 450 per month
13 to 14 stages	Rs. 500 per month

Officers having 8 years' service in Specialist Grade II and possessing the requisite qualification may be considered for promotion to Specialist Grade I against 50% of vacancies to be filled through promotion.

Specialist Grade I

Revised Scale : Rs. 1800-100-2000-125/2-2250-Rs. 600 per month.

Supernme Grade H

Revised Scale : Rs. 1500-60-1800-100-2000-Rs. 600 per month.

Officers holding posts in Specialist Grade 1 or Supertime Grade 11 who have rendered 6 years' service in the either grade on a regular basis may be considered for promotion to Supertime Grade 1 level II.

Supertime Grade I Level II

Revised Scale : Rs. 2250-125/2-2500-Rs. 600 per month.

Supertime Grade I Level I

Revised Scale : Rs. 2500-125/2-2750-Rs. 60 per month.

Vacancies in Supertime Grade I Level I shall be filled from amongst officers in Supertime Grade I Level II with 2 years' service in the grade, failing which with 8 years' combined service in Supertime Grade I Level II and Specialist Grade I/ Supertime Grade II combined together, and failing both officers in Specialist Grade I and Supertime Grade II with 8 years' service in either grade.

IV. General Duty Medical Officers, Grade II in the Municipal Corporation of Delhi;

(a) The post is temporary in Category A but likely to be permanent in due course. The scale of pay is Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300 plus restricted non-practising allowance (NPA) as per orders in force from time to time. The rates at present are :

1-5 stages	Rs. 150/- P.M.
6-10 stages	Rs. 200/- P.M.
11 stages onward	Rs. 250/- P.M.

(b) The candidate will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be curtailed or extended at the discretion of the competent authority. On satisfactory completion of the probation period, he will continue in the temporary post till confirmed against the permanent vacancy.

(c) The candidate can be posted any where within the jurisdiction of the Municipal Corporation of Delhi in any one of the hospitals/Dispensaries/M&CW and Family Welfare Centres/Primary Health Centres.

(d) Private practice of any kind whatsoever is prohibited.

(e) The appointment can be terminated on one month's notice on either side during the period of probation and thereafter while employed in temporary cacacity. The Municipal Corporation of Delhi reserves the right to pay one months' pay in lieu of notice.

APPENDIX III

CANDIDATES INFORMATION MANUAL

A. OBJECTIVE TEST

Your examination will be what is called an 'OBJECTIVE TEST. In this kind of examination (test) you do not write detailed answers. For each question (hereinafter referred to as item), several possible answers (hereinafter referred to as responses) are given. You have to choose one response to each item.

This Manual is intended to give you some information about the examination so that you do not suffer due to unfamiliarity with the type of examination.


B. NATURE OF THE TEST

The question paper will be in the form of a TEST BOOK-LET. The booklet will contain items bearing numbers 1, 2, 3,.. etc. Under each item will be given suggested res-Under each item will be given suggested res-1 a,b,c,...... etc. Your task will be to 2, 5,... etc. Under each them will be given suggested to be ponses marked a,b,c,..., etc. Your task will be to choose the correct or if you think there are more than one correct, then the best response. (see "sample items" at the end,). In any case, in each item you have to select only one response; if you select more than one, your answer will be considered wrong.

C. METHOD OF ANSWERING

A separate ANSWER SHEET will be provided to you in the examination hall. You have to mark your answer on the answer sheet. Answers marked on the Test Booklets or in any paper other than the answer sheet will not be examined.

In the answer sheet, number of the items from 1 to 200 have been printed in four 'Parts'. Against each item, res-ponses, a,b,c,d,e, are printed. After you have read each item in the Test Booklet and decided which of the given response is correct or the best, you have to mark the rectangle con-taining the letter of the selected response by blackening it completely with pencil as shown below (to indicate your response). Ink should not be used in blackening the rectangles on the answer sheet.



- 1. You bring and use only good quality HB pencil(s) for answering the items.
 - 2. If you have made a wrong mark, erase it completely and re-mark the correct response. For this purpose, you must bring along with you an eraser also;
 - 3. Do not handle your answer sheet in such a manner as to mutilate or fold or wrinkle or spoil it.

D. SOME IMPORTANT REGULATIONS

- 1. You are required to enter the examination hall twenty minutes before the prescribed time for starting of the examination and get seated immediately.
- Nobody will be admitted to the test 30 minutes after
- the commencement of the test. No candidate will be allowed to leave the examination 3. hall until 45 minutes have passed after the commencement of the examination.
- After finishing the examination, submit the Test Book-let and the answer sheet to the Invigilator/Supervisor. YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINATION HALL. YOU WILL BE SEVERELY PENALISED IF YOU VIOLATE THIS RULE.
- 5. Write clearly in ink the name of the examination/test, your Roll No., Centre, subject, date and serial number of the Test Booklet at the appropriate space provided in the answer sheet. You are not allowed to write your name anywhere in the answer sheet.
- You are required to read carefully all instructions given in the Test Booklet. You may lose marks if you do not follow the instructions meticulously. If any entry in the answer sheet is ambiguous then you will get no credit for that item response. Follow the instructions given by the Supervisor. When the Super-visor asks you to start or stop a test or part of a test, you must follow his instructions immediately.
- 7. Bring your Admission Certificate with vou. You should also bring a HB pencil, an eraster, a pencil sharpener, and a pen containing blue or black ink.

You are not allowed to bring any scrap (rough) paper, or scales or drawing instrument into the exami-nation hall as they are not needed. Separate sheets for rough work will be provided to you. You should write the name of the examination, your Roll No. and the date of the test on it before doing your rough work and return it to the supervisor along with your answer sheet at the end of the test.

E. SPECIAL INSTRUCTIONS

After you have taken your seat in the hall, the invigilator will give you the answer sheet. Fill up the required infor-mation on the answer sheet with your *pen*. After you have done this, the invigilator will give you the Test Booklet. Each Test Booklet will be seeled in the merior so that opens it before the test starts. As soon as you have got your Test Booklet, ensure that it contains the booklet number and it is scaled, otherwise get it changed. After you have done this, you should write the serial number of your Test Booklet on the relevant column of the Answer Sheet. You, are not allowed to break the seal of the Test Booklet until you are asked to do so by the supervisor.

F. SOME USEFUL HINTS

Although the test stresses accuracy more than speed, it is important for you to use your time as efficiently as possible. Work steadily and as rapidly as you can, without becoming careless. Do not worry if you cannot answer all the ques-tions. Do not waste time on questions which are too diffi-cult for you. Go on to the other questions and come back to the difficult ones later.

All questions carry equal marks. Answer all the ques-tions. Your score will depend only on the number of correct responses indicated by you. There will be no negative marking.

The questions are designed to measure your knowledge. understanding and analytical ability, not just memory. It will help you if you review the relevant topics, to be sure that you UNDERSTAND the subject thoroughly.

G. CONCLUSION OF TEST

Stop writing as soon as the Supervisor asks you to stop. After you have finished answering, remain in your seat and wait till the invigilator collects the Test Booklet and answer sheet from you and permits you to leave the Hall. You are NOT allowed to take the Test Booklet and the answer sheet out of the examination Hall.

SAMPLE ITEMS (OUESTIONS)

1. Which one of the following causes is NOT responsible for the down fall of the Mauryan dynasty ?

- (a) the successors of Ashoka were all weak.
- (b) there was partition of the Empire after Asoka.
- (c) the northern frontier was not guarded effectively.
- 🛻 (d) there was economic bankruptcy during post-Asokan era.
- 2. In a parliamentary form of Government :--
 - (a) the Legislature is responsible to the Judiciary.
 - (b) the Legislature is responsible to the Executive.
 - (c) the Executive is responsible to the Legislature.
 - (d) the Judiciary is responsible to the Legislature.
 - (e) the Executive is responsible to the Judiclary.

3. The main purpose of extra-curricular activities for pupils in a school is to :

- (a) facilitate development.
- (b) prevent disciplinary problems.
- (c) provide relief from the usual class room work.
- (d) allow choice in the educational programme.
- 4 The nearest planet to the Sun is :
 - (a) Venus
 - (b) Mars

- (c) Jupiter
- (d) Mercury

5. Which of the following statements explains the relationship between forests and floods ?

- (a) the more the vegetation, the more is the soil erosion that causes floods.
- (b) the less the vegetation, the less is the silting of fivers that causes floods.
- (c) the more the vegetation, the less is the silting of rivers that prevents floods.
- (d) the less the vegetation, the less quickly does the snow melt that prevents floods.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979